पंचम माला, खंड 32, अंक 1, सोमवार, 12 नवम्बर, 1973/21 कार्तिक, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXII No. 1, Monday, November 12, 1973/Kartika 21, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/Contents

अंक 1, सोमवार, 12 नवम्बर, 1973/21 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 1, Monday, November 12, 1973/Kartika 21, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members .	(xvii)
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House . . .	(xxv)
भारत सरकार के मंत्री, राज्यमंत्री आदि	Government of India — Ministers, Ministers of State etc. . . .	(xxvii)
निधन-संबन्धी उल्लेख	Obituary References	1
नये मंत्री का परिचय	Introduction of New Minister . .	7
लोक सभा के अध्यक्ष और सचिव को विश्व संगठनों में उनके निर्वाचन पर बधाई	Congratulations to the Speaker and Secretary of Lok Sabha on their election to the World Bodies . .	8
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1 जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता	Self reliance in Ship building . .	9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
2 राशन में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं के मूल्य	Prices of rationed articles of food .	12
3 खाद्यान्नों के व्यापार की दोहरी पद्धति	Dual system of trading in foodgrains	13
4 खाद्यान्नों के वसूली तथा वितरण मूल्य	Procurement and distribution price of foodgrains	14
5 परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family planning programme . .	15
6 चावल के व्यापार का सरकारी करण	Takeover of Rice Trade . .	15
7 भारत-रूस गेहूं ऋण करार	Indo-USSR Wheat Loan Agreement .	16
8 पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आवास कार्यक्रम	Housing programme in Fifth Five Year Plan	17
9 केरल में काजू के लिये अनुसंधान संस्थान	Research Institute in Kerala for Cashew	17

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
10	खाद्यान्न का आयात	Import of foodgrains . . .	17
11	परीक्षा प्रणाली में सुधार योजना के लिए विश्वविद्यालय	Selection of colleges by UGC for implementation of examination reform plan	18
12	बंद पड़ी पश्चिमी तट कोंकन स्टीमर सेवा को फिर से आरम्भ करने के लिए आन्दोलन	Agitation regarding resumption of Suspended West Coast Konkan Steamer Service	21
13	उर्वरकों की कमी .	Shortage of Fertilisers . .	21
14	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	23
15	सफदरजंग अस्पताल में जमीन पर पड़े रोगियों के लिए पलंगों की व्यवस्था करना	Provision of beds to patients lying on the ground in Safdarjang Hospital .	23
16	पंजाब द्वारा सप्लाई किये गये गेहूं का वजन कम होना	Wheat found short in Weight supplied by Punjab	24
17	राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण	Working of National Seeds Corporation	24
18	किसानों और कृषि श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग का सुझाव	Suggestion of National Commission on Agriculture regarding Farmers and agricultural labour . . .	25
19	अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve performance of Indian Players in International Games	27
20	वनस्पति तेल कारखाने	Vegetable oil Factories	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1	नई दिल्ली के बूथ नं० 797 पर दूध की सप्लाई में अनियमितता	Irregularity in supply of milk at Booth No. 797 of North Avenue, New Delhi	28
2	मैसूर राज्य के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता	Central assistance to the National Malaria Eradication Programme, Mysore.	28
3	मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन	DDA Flats for allotment to persons under Middle Income Group Scheme	29
4	दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन	Proposed amendments to the Delhi Rent Control Bill	30
5	दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आय वर्ग योजना	Low Income Group Scheme of DDA	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6	पी० एल० 480 योजना के अधीन गेहूं का वसूली मूल्य	Procurement price of wheat under PL 480 Scheme	31
7	राज्यों में गेहूं और चावल के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना	Removal of restriction on movement of wheat and rice within States .	31
8	चावल के थोक-व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में विरोधी दलों के नेताओं को दी गई प्रश्नावली	Questionnaire to leaders of the opposition on take-over of whole sale trade in price	32
9	दिल्ली में "75,000 चिल्ड्रन, डिनाइड डेली ब्रेड" संबन्धी समाचार	News item "75000 children denied daily bread" in Delhi . . .	32
10	वन सम्पदा के विस्तार की आवश्यकता	Need for expansion of forest wealth	33
11	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	Proposed amendment to food Adulteration Act	33
12	आन्ध्र प्रदेश में चावल मिल मालिकों की लेवी में कमी	Reduction in Rice Millers levy in Andhra Pradesh	35
13	केरल में तीसरे कृषि फार्म की स्थापना में प्रगति	Progress of setting up Third Agricultural Farm in Kerala . . .	35
14	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard	36
15	राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली में गबन की जांच का परिणाम	Investigation into misappropriation in National Agro Industrial Corporation, Delhi	36
16	वनस्पति का उत्पादन करने वाले उद्योगों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा उसके उत्पादन में कमी	Licensing capacity of Industries producing Vanaspati and shortfall in its production	36
17	राज्यों में भूमिहीन किसान परिवार	Landless agricultural families in States	38
18	सरकारी आवास अलॉट करने के बारे में जांच करने के लिए उप-समिति	Sub-committee to look into allotment of Government accommodation .	39
19	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी बनाये गये जूनियर इंजीनियर (विद्युत)	Junior Engineers (Electrical) in CPWD declared permanent . . .	39
20	स्नातक जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की मांगों के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement in favour of Graduates Junior Engineers Association's demands . . .	39
21	पावापुरी में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां, जेवरात और बर्तन	Excavation of idols, ornaments and utensils in Pawapuri . . .	0
22	सरसों के तेल में मिलावट	Adulteration in mustard oil	40

ता० ० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
23	दिल्ली स्कूल टीचर्ज कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता और चुनाव सोसायटी के पदाधिकारियों का चुनाव	Membership and elections of Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Limited . .	41
24	दिल्ली स्कूल टीचर्ज कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड	Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Limited .	41
25	दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड से वंचित करना	Denial of selection grade to TGT officiating in PGT grade in Delhi .	42
26	दिल्ली में मूलचन्द अस्पताल से ग्रेटर कैलास जाने वाली सड़क पर बिजली	Street lights on road leading from Moolchand Hospital to Greater Kailash in Delhi	42
27	आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजना के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध	Assistance to Kerala for minor Irrigation scheme under emergency Agricultural Production Programme .	43
28	नारियल, काजू, सुपारी और मसालों संबन्धी परिषदों को मिलाकर एक कर देना	Combination of Councils on Cashewnut, Coconut, Arecanut and spices .	43
29	केरल में मत्स्यपालन के विकास के लिये वृहद् योजना	Master Plan for development of Fisheries in Kerala	43
30	नियंत्रित मूल्यों पर गेहूं बेचने के लिये दिल्ली में लाइसेंस	Licences for selling wheat at controlled prices in Delhi	44
32	भारत-बेल्जियम करार	Indo Belgium Agreement	45
33	भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोपों की सी० बी० आई० द्वारा जांच	Examination of Allegations against FCI by the CBI	45
34	दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Staff of All Day Milk Stalls of De Milk Scheme. . .	45
35	दिल्ली महानगर परिषद के पार्षदों के पास जाने वाले दुग्ध वितरण अधिकारियों तथा सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों को सवारी	Transport for Milk Distribution Officers and Assistant Milk Distribution Officers, visiting Delhi Metropolitan Councillors . .	46
36	विदेशों में तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी	DMS Officers sent to Foreign Countries and on Deputation to various undertakings	46

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
37	दिल्ली दुग्ध योजना की कर्मचारियों संबन्धी नीति	Personnel policy of Delhi Milk Scheme	47
38	संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टाल से दुग्ध उत्पादों की बिक्री	Sale of Milk Products from Delhi Milk Scheme Stall in Parliament House	48
39	नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में केन्द्रीय विधेयक	Central Bill regarding Ceiling on Urban Property . .	48
40	निरक्षरता उन्मूलन	Er dication of Illiteracy	49
41	प्राथमिक शिक्षा	Primary Education . .	49
42	नई सब्जी मण्डी, दिल्ली में दुकानों का निर्माण	Construction of Shops at the New Subzi Mandi, Delhi	50
43	दिल्ली में बासमती चावल की सप्लाई	Supply of Basmati Rice in Delhi	50
44	भारत की जनसंख्या को उत्पादन के साथ सम्बद्ध करना	Linking of Indian Population with Food Production .	50
45	ए० पी० जे० लाइन्स द्वारा पोतों की बिक्री	Sale of Ships by APJ Lines	51
46	आन्ध्र प्रदेश में बेघर गरीब खेतिहर मजदूरों के लिये आवास स्थल	House sites for Landless poor Agricultural Labour in Andhra Pradesh	51
47	भारती चिकित्सा विशेषज्ञों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विदेशों में फैलोशिप	W.H.O. Overseas fellowships to Indian Medical Specialists. . .	53
48	आन्तरिक जल परिवहन की योजनाओं का विकास	Schemes for Development of Inland Water Transport . .	53
49	काकीनाडा पत्तन के विकास पर प्रतिवेदन	Report on Development of Kakinada Port	54
50	भारत में रोगों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट	W.H.O. Report on Diseases in India	54
51	मारेक्स रोग के लिये टीके की दवा का आयात	Import of Vaccine for Marex Disease	55
52	खरीफ की फसल का अनुमानित उत्पादन तथा उसकी वसूली के लक्ष्य	Likely Kharif production and Target of Procurement . . .	55
53	गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये योजना	Scheme for Slum Improvement in Patna	56
54	विश्वविद्यालयों में लेक्चरारों तथा डिमोंस्ट्रेटरों के वेतनमान	Pay Scales of Lecturers and Demonstrators in Universities .	57

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	UBJECT	पृष्ठ PAGES
55	राज्य सरकारों द्वारा गेहूं के कोटे की वसूली की विफलता	Failure of State Governments to Procure Wheat Quota	57
56	भारत की खाद्य स्थिति का अध्ययन करने के लिये जापानी फार्म विशेषज्ञों का दौरा	Visit by Japanese Farm Experts to Study Food Situation in India .	59
57	उच्चस्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कार्यो की जांच	High level Technical Committee to go into the working of the ICMR .	60
58	आपत्तिजनक सामग्री वाली पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन	Evaluation of Text Books Containing Objectionable Matter	60
59	अमरीकी विद्वानों (स्कालर्स) का भारत में दाखिला	Admission of American Scholars to India	60
60	सूखा सहायता कार्यो में विद्यार्थियों का भाग लेना	Participation of Students in Drought Relief Works.	61
61	सितम्बर, 1973 में छात्रों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों का जलाया जाना	Burning of DTC buses by Students in September, 1973 . . .	61
62	कन्नानौर जिला केरल में, एक सर्कस इंस्टीट्यूट की स्थापना	Setting up of Circus Institute in Cannanore District, Kerala . .	61
63	नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट	Kapurthala Plot in New Delhi . .	62
64	मैसूर के नगरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार करना	Extension of CGH Scheme in Cities of Mysore	62
65	मंगलौर बन्दरगाह को गहरा बनाने के लिये वृहद योजना	Master Plan for deepening Mangalore Harbour	62
66	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay Scales of Teaching and non-teaching staff in Regional Engineering Colleges	63
67	नौवहन कम्पनियों द्वारा कमाया गया लाभ और पश्चिम तट कोकण यात्री नौवहन द्वारा सेवाओं का चलाना	Profits earned by Shipping Companies and running of West Coast Konkan Passenger Services	63
68	महाराष्ट्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for scarcity affected areas of Maharashtra . . .	64
69	चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु कदम	Steps to prevent rise in issue price of rice	64

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृ PAGES
70	भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान तथा मोटे अनाज की वसूली	Procurement of paddy and coarse grain by Food Corporation of India.	65
71	समुद्र व्यापार हेतु भारतीय जहाजों में ले जाये गये माल के हिस्से में कमी	Decline in share of Cargo carried in Indian Ships for Overseas Trade	66
72	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकलांग रोगियों का इलाज	Treatment of Orthopaedic patients in Safdarjung Hospital, New Delhi	66
73	वर्ष 1972-73 में आयोजित छात्र संसद्	Mock Parliaments arranged during 1972-73	67
74	दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापकों को वेतन	Salary to teachers posted in rural areas in Delhi	67
75	विशाखापत्तनम स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में संचित आयातित गेहूं मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त	Imported wheat in FCI Godowns Visakhapatnam, unfit for human consumption	68
76	राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून	Land Ceiling Legislation in States	68
77	12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव	Proposal for 12 year Secondary Course	70
78	अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति का प्रतिवेदन	Report of the Gajendragadkar Commission regarding research procedure	70
79	बारानी भूमि में कृषि और काली मिट्टी पर अनुसंधान परियोजना	Research Project on Dry Land Agriculture and Black Soil	71
80	कम्पोस्ट और कार्बनिक खाद का उपयोग	Utilisation of Compost and Organic manure.	72
81	दिल्ली के स्कूलों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के अध्यापकों की सूची	List of Selection Grade Teachers for Delhi Schools	73
82	गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच मोटे अनाज के लाने ले जाने पर रोक	Ban on the movement of Coarse Grains between Gujarat and M.P.	74
83	चालू वर्ष में वसूल किया गया चावल और धान	Rice and Paddy procured during Current year	74
84	वनस्पति घी के नए कारखाने की स्थापना हेतु लाइसेंस	Licences for setting up vegetable ghee Factories	75
85	गुजरात को बाढ़ राहत कार्यों के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता	Central Assistance as compensation to Gujarat for flood relief	75

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
86	गाजियाबाद में नकली दवाइयों का तैयार किया जाना	Production of Spurious Drugs at Ghaziabad	75
87	वनस्पति घी में खनिज तेल की मिलावट	Adulteration of Vanaspati Ghee with Mineral Oil	76
88	केरल को सप्लाई किये गये चावल की किस्म तथा मात्रा	Quality and quantity of Rice Supplied to Kerala	76
90	बाल आहार की कमी	Scarcity of Baby food	77
91	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी और और मक्खन की बिक्री बन्द किया जाना	Suspension of sale of ghee and Butter by Delhi Milk Scheme . . .	78
92	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध मक्खन और घी के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Milk Butter and Ghee of Delhi Milk Scheme . .	78
95	गाय की चर्बी से घी का उत्पादन	Ghee Manufactured from Tallow of Cows	79
96	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की डाक्टरी सुविधाओं पर व्यय	Expenditure incurred on Medical Facilities for Central Government Employees	80
98	भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Administrative setting of Food Corporation of India	80
99	कुवैत को बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice to Kuwait .	80
100	डाक्टरों में व्याप्त असन्तोष पर विचार विमर्श करने के लिये राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन	Proposed Conference of State Health Ministers to Discuss Unrest among Doctors	81
101	चीनी कारखानों में चीनी का उत्पादन तथा उत्पादन आंकड़ों की जांच करने के लिये व्यवस्था	Recovery of Sugar in Sugar Factories and Machinery to check Recovery Figures . .	81
102	तमिलनाडु में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के दिए गये मूल्य	Price paid for sugarcane by Sugar Factories in Tamil Nadu . . .	82
103	तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य	Sugarcane Prices by Sugar Factories in Tamil Nadu, Haryana and Punjab	82
104	चीनी उद्योग जांच आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन	Final Report of Sugar Industry Enquiry Commission .	83

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
105	कृषि मजदूरों के बच्चों का कुपोषण	Mal Nutrition among the Children of Agricultural Workers . . .	83
106	प्रत्येक राज्य से वसूल किया गया गेहूं	Wheat procured from each State .	84
107	उत्तर प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to U.P. . .	86
108	जमा खाद्यान्नों को बाहर निकालने में राज्यों द्वारा सहायता	Help by State Government in Dehoarding Foodgrains	86
109	भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स	Bharat Scouts and Guides . . .	87
110	वनस्पति घी की कमी	Shortage of vegetable ghee .	87
111	धान वसूली मूल्यों में वृद्धि के बारे में राज्य सरकारों की राय	Opinions of State Govts. Re. Increase in procurement price of paddy .	87
112	दिल्ली दाल (विक्रेताओं को लाइसेंस देना) आदेश, 1973 की क्रियान्विति	Implementation of Delhi Pulses (Licensing of Dealers) Order, 1973	88
113	केरल में आफ सैट प्रेस को दिये गये कागज का दुरुपयोग	Use of Paper Given to off set press in Kerala for counterfeiting . .	88
114	रामचरित मानस की चतुर्थ शताब्दी	Fourth centenary celebration of Ram Charit Manas	89
115	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय	University at Faizabad and other places in U.P.	89
116	आंध्र प्रदेश से चावल प्राप्त करने में मैसूर को सहायता	Help to Mysore in Getting Rice from Andhra Pradesh	90
117	आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का जब्त किया जाना	Seizure of Foodgrains in Andhra Pradesh	90
118	हिन्दू कालेज में सांकेतिक हड़ताल शीर्षक से समाचार	News item captioned Token Strike in Hindu College . .	91
119	ट्रकोमा अनुसन्धान केन्द्र, अलीगढ़	Trachoma Research Centre, Aligarh	91
120	"यूरिया उर्वरक की चोरबाजारी" शीर्षक से समाचार	News item captioned "Blackmarketing in Urea Fertiliser" . . .	91
121	सूखे से प्रभावित राज्यों के संसाधनों का पता लगाने के लिये समिति	Committee to Assess Development of Resources in Drought effected States	92
122	उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in the State of Uttar Pradesh	92
123	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the Recommendations of Gajendragadkar Commission on ICAR	93

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
124	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को नया रूप देना	Restructuring of the ICMR .	93
125	भारत फ्रांस सांस्कृतिक करार	Indo-French Cultural Pact . .	94
126	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	Development of Nationai Capital Region	94
127	भारत ईरान संधि, 1973	Indo-Iranian Pact, 1973 . . .	94
128	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पड़े हुए पद	Posts of Scientific and Technical Personnel lying Vacant in ICAR .	95
129	काश्मीरीगेट की दीवारों से दिल्ली परिवहन निगम की बसों से टकरा जाने के कारण हुई मौतें	Deaths due to collision of DTC Buses with Walls of Kashmiri Gate . .	95
130	राज्यों में औषध नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने संबंधी योजना	Scheme to set up Drug Control Administration in States . . .	96
131	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Agitation by Employees of FCI	96
132	रबी फसलों की उत्पादन नीति के संबंध में कृषि अधिकारियों की बैठक	Meeting of Agriculture Officers on Production Strategy for Rabi Crops.	96
133	परीक्षा संबंधी सुधारों हेतु कार्यक्रम बनाने के लिये उप-कुलपतियों की बैठक	Meeting of Vice Chancellors to Formulate Programme for Examination Reforms . .	98
134	पांचवीं योजना के दौरान शिक्षा का विकास	Development of Education During Fifth Plan . .	98
135	पंजाब में किसानों को बोनस प्रोत्साहन	Bonus Incentive to Farmers in Punjab	99
136	उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित सड़क विकास के संबन्ध में निवेश	Investment on Road Developments including High Priority Schemes .	99
137	देश में 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० पालवाहक पोत	21,500 DWT Cargo Liner in the country	101
138	निरक्षरता की प्रतिशतता घटाने के लिये पांचवीं योजना में प्रावधान	Provision in Fifth Plan for Reduction in Percentage Illiteracy .	101
139	राजस्थान राज्य में मेडिकल कालेजों का सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Improvement of Medical Colleges in the State of Rajasthan . . .	101

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
140	चौथी योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में संभावित कमी	Anticipated Shortfall in Targets of Agricultural Produce during IVth Plan	102
141	शिक्षा सर्वेक्षण में हुई प्रगति	Progress of Educational Survey . .	103
142	आदिवासियों के कब्जे में भूमि	Land in Possession of Tribals . .	103
143	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	National Awards to Teachers . .	104
144	गुरुकुल कांगड़ी में एक प्रोफेसर की मृत्यु	Death of a Professor in Gurukul Kangri	104
145	विदेशी विद्वानों के प्रवेश पर रोक	Curbs on entry of Foreign Scholars	105
146	बम्बई कलकत्ता राजमार्ग पर विवेकानन्द पुल से गुजरने वाली मोटर गाड़ियों पर चुंगीकर	Toll Tax on Vehicular Traffic Passing through Vivekanand Bridge on Bombay Calcutta Highway . .	105
147	देश भर में अस्पतालों में हड़ताल	Strikes in the Hospitals all over Country	106
148	बम्बई गोदी और मिडस्ट्रीम में जहाजों को रोक लेने के कारण दक्षिणी जोन में खाद्यानों की कमी	Shortage of Foodgrains in Western Zone due to stranding of Ships in Bombay Docks	107
149	भारत्र रक्षा, नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये गेहूं और चावल के व्यापारी	Wheat and Rice Trade Merchants Arrested under DIR . . .	107
150	चावल के थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के इच्छुक राज्य	States Desirous of taking over Wholesale Trade in Rice	108
151	पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	Minimum needs programme in the Fifth Plan	108
152	शिक्षा की संभावनाएं	Prospects for Education . . .	110
153	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पारे वाले बीजों की तथाकथित बिक्री	Alleged sale of Mercury treated Seeds by National Seeds Corporation .	110
154	भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का भंडार	Wheat Stock with FCI .	111
155	रबी फसल के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य	Support price of Wheat for Rabi Crop	111
156	आगामी शरद ऋतु की फसल के लिये उर्वरक की आवश्यकता	Requirements of Fertilisers for Next Winter Crops	111
157	गत रबी फसल के दौरान गेहूं के उत्पादन में कमी	Shortfall in Wheat Production during Rabi Season	112
158	राजस्थान में राष्ट्रीय रेगिस्तानी पार्क योजना की प्रगति	Progress in the Setting up of Desert National Park in Rajasthan . .	113

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
159	भारतीय खाद्य निगम के कार्य में ह्रास एवं भ्रष्टाचार	Corruption and Deterioration in Working of FCI	113
160	खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण एजेंसियां रखने वाले राज्य	States having own Agencies for procurement and Distribution of Foodgrains	114
161	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के नियतन में कमी करना	Reduction in allocation of Foodgrains to States and Union Territories .	115
162	देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ पद की समानता सम्बन्धी डाक्टरों की मांग	Doctors demand for equality of Status and pay with IAS personnel in the country	115
163	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्टेण्डर्ड दूध की सप्लाई	Supply of Standard milk by Delhi Scheme.	116
164	निर्धन लोगों की बस्तियों में सुपर बाजार की शाखायें खोलना	Branches of Super Bazar in Areas inhabited by Poor . . .	116
165	दिल्ली के हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रिंसिपलों और अध्यापकों के रिक्त पद	Posts of Principals and Teachers lying vacant in Delhi Higher Secondary Schools	117
166	गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement price of wheat . .	117
167	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर पुलिया (कलवर्ट)	Culvert on National Highway No. 31 .	117
168	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों द्वारा ढोया जाने वाला माल	Shipping Tonnage during Fifth Five Year Plan	118
169	मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के बंगलों/फ्लैटों की की गई मरम्मत पर वार्षिक व्यय	Annual Expenditure on Repairs to Ministers and M.Ps. Bungalow/Flats	118
170	कृषि मंत्रालय के विभाग के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	ICAR as Department of Ministry of Agriculture	119
171	गायों का आयात	Import of Cows . .	119
172	खाद्यान्नों के गैर-सरकारी व्यापार पर प्रतिबन्ध	Restriction on Private Trade in Foodgrains	120
173	रबी की फसल के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि पर खेती	Cultivation of Additional Land under Crash Programme for Rabi Crop .	120
174	मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों की मरम्मत के लिये धन की व्यवस्था	Provision of Fund for repairs of Khajuraho Temples in M.P. . . .	120

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
175	मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें	Pilot Projects for Tribal Area of Madhya Pradesh	121
176	मध्य प्रदेश में भूमि हड़पने के मामलों की जांच	Enquiry into Land Grabbing in M.P.	121
177	मध्य प्रदेश में "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत डेरी तथा फीडर फार्म योजना	Dairy and Feeder Farm Scheme in Madhya Pradesh under "Operation Flood"	121
178	पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षित और पेय जल की व्यवस्था	Provision of Protected and Potable water in Rural areas during the Fifth Plan	122
179	कलकत्ता बन्दरगाहों के गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में मतभेद	Difference of Opinion over demands of Dock Workers of Calcutta	123
180	स्थानीय महत्व के बीजों का उत्पादन करने के लिये बीज निगम की स्थापना	Setting up Seed Corporation to produce seeds of Local Importance	123
181	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने पर रोक लगाना	Ban on House Building Advances to Central Government Employees	123
182	पांचवीं योजना के दौरान अम्लमि और क्षारीय मिट्टी का परिष्करण	Amendment of Acid and Alkaline Soil during Fifth Plan	124
183	संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में विनियमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee on Regulations Re. Recognition of Institutions	124
184	महाराष्ट्र को अक्तूबर, 1973 के लिये खाद्यान्न की सप्लाई	Foodgrains for Maharashtra for October, 1973	125
185	पांचवीं योजना में मिट्टी तथा जल व्यवस्था (साग्रल एण्ड वाटर मैनेजमेंट)	Soil and Water Management during Fifth Plan	125
186	दिल्ली में मिट्टी एवं जल परिरक्षण के संबन्ध में हुआ सम्मेलन	Conference on Soil and Water conservation held in Delhi	126
187	छोटे किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई करने के लिये सीमा शुल्क सेवा केन्द्र	Custom Service Centres for Supply of Tractors to Small Farmers	128
188	अमरीकी गेहूं का आयात और उसे भारत में भेजे जाने में विलम्ब	Purchase of US wheat and delay in shipment to India	129
189	दिल्ली में मलेरिया के मामले	Cases of Malaria in Delhi	130
190	भारतीय खाद्य निगम के विविध व्यय तथा खर्च में कटौती की जांच के लिये समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to Examine incidentals of FCI and reduction in Expenditure	131

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
191	चीनी उद्योग जांच आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच	Examination of interim report of Sugar Industry Enquiry Commission .	132
192	भारतीय खाद्य निगम में काम कर रहे स्टाफ और श्रमिक संघ	Staff and Labour Unions working in FCI	132
193	1964 के भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 13 को क्रियान्वित करना	Implementation of Section 13 of FCI Act, 1964	133
194	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	National Education Policy . . .	133
195	दिल्ली में मसालों, बेसन और औषधियों में मिलावट के मामले	Cases of Adulteration in Spices, Besan and Drugs in Delhi . . .	134
196	छिपाये गए खाद्यान्नों का पता लगाने के लिये दिल्ली में छापे	Raids in Delhi for Unearthing Hidden Foodgrains	135
197	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतें	Complaints from Employees of Willingdon Hospital, New Delhi . .	136
198	जहाज निर्माण कारखानों की संख्या बढ़ाना	More Ship building Yards . .	136
199	कल्याण सोना के जीवन के बारे में डा० नार्मन बार्लो के विचार	Views of Dr. Norman Borlaugh on Life of Kalyan Sona . . .	137
200	पश्चिम गोदावरी जिला के कोल्लेरा क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि के वितरण के लिये प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister for Distribution of Land to Landless in Kollera of West Godavari District	138
201	आन्ध्र प्रदेश में सरकारी चावल मिलों का कार्य	Working of Co-operative Rice Mills in Andhra Pradesh	138
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	139
	हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति के समाचार	Reported presence of US Naval Fleet in the Indian Ocean . . .	139
	श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakappa	139
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh .	140
	स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment . . .	142
	आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि	Rise in prices of essential Commodities.	142
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	143
	कच्चे तेल के मूल्य और पूर्ति सम्बन्धी स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. price and supply position of Crude Oil . . .	145

विषय		पृष्ठ PAGES
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan.	147
भारत में खाद्य और कृषि सम्बन्धी स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Food and Agricultural Situation in India	150
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	150
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के संबन्ध में सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Government Decisions on the Reorganisation of ICAR .	152
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde . .	152
संसद् भवन के सैन्ट्रल हाल में बिजली के कुछ उपकरण लगाये जाने के बारे में	Re. Certain electrical installations in Central Hall of Parliament House	154
स्थगन प्रस्ताव-जारी-(अस्वीकृत)	Motion for Adjournment– Contd.—(*Negative*)	155
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities	155
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	155
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A. P. Sharma . . .	157
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	158
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat .	159
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	160
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	161
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan .	162
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	163
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra .	164
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	165
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Modi .	166
श्री देव कान्त बरुआ	Shri D. K. Barooah .	168
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	169
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	170
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	171
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	171
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim .	172
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan. .	173
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya .	173
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	174
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	176
33वां प्रतिवेदन	Thirty-third Report .	178

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामगनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्. श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री वी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसाड़)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
वसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अट्टूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री वी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मादी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिंधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (वगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंद्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एम० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 नवम्बर, 1973/21 कार्तिक, 1895 (शक)
Monday, Nov. 12, 1973/ Kartka 21, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERANCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, हम दो महीने के अन्तराल के पश्चात् आज एकत्र हुए हैं । मुझे बड़े दुख के साथ अपने दो वर्त्तमान सदस्यों, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा और श्री धर्मराव शरणप्पा अफ़जलपुरकर और सात अन्य साथियों तथा भूतपूर्व सदस्यों, श्री आनन्द चरण जोशी, पंडित शिव चरण लाल, सैयद नज़ीर हुसैन, श्री कृष्ण कान्त व्यास, बड्डेपलि काशीराम, श्री टी० एच० सोनावने तथा दीवान चमन लाल के निधन का समाचार देना है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा आसाम के कछार निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिये निर्वाचित हुई थी। वह 1962-70 के दौरान तीसरी तथा चौथी लोक सभा की सदस्या भी रहीं। इस से पूर्व वह 1957-61 के दौरान आसाम विधान सभा की सदस्या रहीं। वह बड़ी नेक विनम्र तथा तथा मधुर स्वभाव की थीं। वह सभा में नियमित रूप से उपस्थित रहती थीं और जब भी वह बोलती थीं, तो वह प्रभावी ढंग से बोलती थीं। वह एक प्रसिद्ध समाज सेविका थीं और अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित थीं। अपनी 11 वर्ष की कार्याविधि के दौरान उन्होंने कई समितियों, अर्थात याचिका समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति तथा विधेयक संबंधी कुछ प्रवर समितियों में कार्य किया। 16 सितम्बर, 1973 को 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हुआ।

श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर कर्नाटक के गुलबर्ग क्षेत्र से इस सभा के लिये निर्वाचित हुये थे। वह नवयुवक, आकर्षक व्यक्तित्व वाले तथा सौम्य प्रकृति के थे। इन्हीं कारणों से वह सर्वप्रिय हो गये थे। वह एक प्रमुख वकील तथा अपने राज्य में सर्वप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने अपने आप को लोगों की सहायता तथा सेवा करने में समर्पित कर रखा था। वह कल्याणकारी गतिविधियों, विशेषकर शिक्षा, सहयोग और कृषि के क्षेत्र में अत्याधिक रूचि लेते थे। वह एक सक्रिय सदस्य थे तथा सभा और लोक-लेखा समिति की जिसके वह सदस्य थे, कार्यवाही में गहन रूचि लिया करते थे। उनका निधन 10 अक्तूबर 1973 को 49 वर्ष की छोटी आयु में बम्बई में हुआ।

श्री आनन्द चन्द्र जोशी 1956-67 के दौरान मध्य प्रदेश से प्रथम, दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1959-62 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री के संसदीय सचिव रहे। वह एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, एक प्रसिद्ध वकील तथा एक सक्रिय संसद शास्त्री थे। 65 वर्ष की आयु में 7 सितम्बर, 1973 को रीवा में उनका निधन हुआ।

पंडित शिव चरण लाल 1950-52 के दौरान अस्थाई संसद के सदस्य थे । वह एक वकील थे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और चार बार जेल भी गये। 16 सितम्बर, 1973 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ

सैयद नज़ीर हुसैन समनानी 1962-67 के दौरान तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह 1957-62 के दौरान जम्मू तथा काशमीर विधान परिषद के सदस्य भी रहे और 1969 में पुनः निर्वाचित हुए। अपनी स्कूल शिक्षा के समय से वह स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेते रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन आरम्भ करते हुये उन्होंने कई सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं तथा कुछ कार्मिक संघों से संबंध स्थापित कर लिये। वह विधान परिषद में ही बीमार हो गये तथा 17 सितम्बर, 1973 को 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

श्री कृष्ण कान्त व्यास अस्थाई संसद के सदस्य थे। बाद में 1952 से 1956 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे । इंदोर के समाजिक संगठनों में वह बहुत ही लोकप्रिय थे। 20 अक्तूबर, 1973 को इन्दौर में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।

श्री बड्डेपल्लि काशीराम 1960-62 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से नलगोंडा निर्वाचित क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। बाद में वह आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये और वह वहां के वर्तमान सदस्य थे। 21 अक्तूबर, 1973 को अचानक ही 55 वर्ष की आयु में हैदराबाद में उनका निधन हो गया। उनके निधन से अनुसूचित जातियों ने अपना एक सच्चा नेता तथा मित्र खो दिया है।

श्री टी० एच० सोनावने 1957 से 1970 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक-सभा के सदस्य रहे। इस से पूर्व वह 1950–52 के दौरान अस्थायी संसद के सदस्य भी रह चुके थे। 1971 में वह महाराष्ट्र विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए। वह हमारे समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हुए एक प्रसिद्ध वकील, पद-दलितों के प्रबल समर्थक तथा एक सक्रिय संसदविद् थे। उन्होंने सभा तथा सभा की समितियों की, जिनके वह सदस्य थे, कार्यवाही में बहुत ही उपयोगी योगदान दिया। 10 नवम्बर, 1973 को 63 वर्ष की आयु में बम्बई में उनका निधन हुआ।

दीवान चमन लाल, जिनका कल निधन हुआ, 1923 से 1930 तथा 1945–47 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा और 1947-48 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। वह 1936 से 1945 के दौरान पंजाब विधान सभा तथा 1952 से 1968 के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे। वह एक माने हुए संसदविद्, प्रसिद्ध वकील तथा कार्मिक संघों के विख्यात नेता थे। केन्द्रीय विधान मन्डल में वह स्वराज्य दल के एक संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कई बार भाग लिया तथा जेल गये वह कई संसदीय प्रतिनिधि मन्डलों के सदस्य रहे और 1948-49 के दौरान उन्होंने तुर्की में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। वह 1954 से 1956 के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। 11 नवम्बर, 1973 को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हुआ।

सभा, राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री बरकततुल्ला खां के अकस्मात तथा असामयिक निधन से भी अवगत है। उनका निधन 11 अक्तूबर, 1973 को हुआ। इससे समूचे देश को आघात पहुंचा। एक विशिष्ट देशभक्त तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वह भारत की मिश्रित संस्कृति के प्रतीक थे। वह उन निष्ठावान समाज सेवकों की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। जो धर्म निरपेक्षवाद में नियम की तरह विश्वास रखते थे। उन्होंने राज्य की जनता के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और भूतपूर्व जोधपुर राज्य की लोकप्रिय सरकार के मंत्री बने। 1952 में वह राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुए। 1957 में वह राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे और तब से वह इसके सदस्य रहे। 1960 में उन्होंने राजस्थान में उप-मंत्री तथा मंत्री के पद पर कार्य किया और इस दौरान उनके पास अनेक विभाग रहे। जुलाई, 1971 में वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्हें मुख्य मंत्री बनाया जाना उनकी योग्यता और राज्य के लोगों के सभी वर्गों में उनकी अत्यधिक लोकप्रियता का प्रतीक है। अपने समूचे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने देशभक्ति निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य परायणता का एक बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किया।

हम अपने इन सभी मित्रों के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदनायें पहुंचाने में सभा मेरा साथ देगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): अध्यक्ष महोदय, यह अन्तर्सत्रावधि हमारे लिये दुखद रही हैं और एक बार फिर हमें उन साथियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, जिन्हें हमने इस अवधि के दौरान खो दिया है। उनमें पुराने नेता भी हैं तथा ऐसे नेता भी हैं, जिन्होंने अभी भविष्य में बहुत कुछ करना था।

श्री बरकततुल्ला हमारी मातृभूमि के एक प्रतिष्ठित सपूत थे। उनकी अकस्मात और असामयिक मृत्यु ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक शून्यता भर दी है। राजस्थान के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उनका निधन हुआ और हमने उनके निधन को काफी अधिक महसूस किया है। वह स्वतंत्रता तथा नये समाज की लड़ाई के एक वीर और निष्ठावान सिपाही थे। वह एक प्रबल राष्ट्रवादी थे और भारत की मिश्रित संस्कृति के एक श्रेष्ठ प्रतीक थे तथा व्यापक एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। वह एक ऐसे प्रशासक थे जो पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करते थे। उन्होंने अपनी कार्यावधि में एक बहुत ही नाजुक समय में बहुत ही अच्छे ढंग से सभी वर्गों के बीच एकता और सहयोग प्राप्त किया। उस अनथक परिश्रम के लिये उन्हें विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिये जो उन्होंने अपने राज्य के सूखा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिये अपने स्वास्थ्य तथा जीवन की परवाह न करते हुये किया। सरकार में तथा उसके बाहर रहते हुए उनकी सादगी राजस्थान में कहावत बन गयी है।

हम बेगम बरकततुल्ला और श्री बरकततुल्ला की माता तथा बहिन तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों तथा अनेक हमारे मित्रों तथा राजस्थान के लोगों को जिन्होंने अपना महान नेता खो दिया है, सहानुभूति तथा संवेदनायें प्रकट करते हैं।

हमने बड़े दुख के साथ कल दीवान चमनलाल के निधन का समाचार सुना। वह प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वह राजनीति, पत्रकारिता, कार्मिक संघ संबंधी कार्य जैसे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी थे। 50 वर्ष पूर्व वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बने। उन्होंने संविधान सभा तथा राज्य सभा में बहुत ही अच्छा कार्य किया। वह अपनी वाक्पटुता तथा अनुभव से वादविवाद में जान डाल देते थे। वह

तुनुकमिज़ाज होते थे किन्तु वह अपनी मित्रता निभाने में तथा समय और शक्ति के अनुसार सार्वजनिक कार्यों को करने में उदार थे। हम एक पूर्व पीढ़ी के जोरदार व्यक्ति के अभाव को महसूस करेंगे।

मैं श्रीमती ज्योत्सना चन्दा को अनेक वर्षों से जानती थी और मेरे मन में उनके प्रति बड़ा स्नेह हो गया था। वह अधिक बड़े कार्यों को करने की भारतीय महिलाओं की क्षमता की प्रतीक थीं। वह प्रतिष्ठित समाज सेवियों के परिवार से संबंधित थीं तथा उन्होंने अपना समूचा जीवन समाज सेवा में व्यतीत कर दिया। वह आसाम की प्रगति तथा महिला शिक्षा में गहन रुचि रखती थीं। संसद में उन निष्ठावान सदस्या के जिन्हें काफी अधिक सम्मान प्राप्त था, अभाव को महसूस किया जायेगा।

श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर की आयु अभी 40 से कुछ ऊपर ही थी कि उनका अकस्मात निधन हो गया। इस समाचार से हमें बड़ा आघात पहुंचा है। उन्होंने अपनी शक्तियों को अपने गुलबर्ग जिले के ग्राम्य लोगों की दशा को सुधारने में लगाया था जहां वह अनेक शैक्षणिक तथा सहकारी संस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनकी ईमानदारी तथा विनीत मिलनसारता से संसद में उनके अनेक मित्र बन गये। वह बड़े ईमानदार तथा क्षमता वाले व्यक्ति थे।

श्री आनन्द चन्द्र जोशी संसद में पन्द्रह वर्ष तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने एक विधायक और संसदीय सचिव के रूप में अपने कार्यों के द्वारा सम्मान अर्जित किया।

अस्थायी संसद के एक पुराने सदस्य, जिनके निधन पर हम शोक व्यक्त कर रहे हैं, वह हैं श्री कृष्ण कान्त व्यास, जिन्होंने इन्दौर में राजनीतिक चेतना को जगाने तथा जुटाने के लिये काफ़ी कार्य किया और जो प्रजा मन्डल के एक प्रमुख नेता थे।

एक अन्य प्रबल राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता, जो एक भूतपूर्व रियासत से थे, हैं सैयद नज़ीर हुसैन समनानी। वह एक पत्रकार, एक कार्मिक संघी, एक सहकारिता समर्थक तथा राष्ट्रीय एकता के अनथक योद्धा थे।

पंडित शिव चरण लाल उत्तर प्रदेश के आरम्भ के सत्याग्राहियों में से एक थे। वह प्रत्येक असहयोग आंदोलन में कारावास गये। वह राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश अग्रणियों की तरह रचनात्मक कार्य तथा ग्राम उत्थान में गहन रुचि लेते थे।

श्री वड्डेपल्लि काशीराम ने, जो आंध्र प्रदेश से लोक सभा के सदस्य थे, अपना जीवन पिछड़े वर्गों की सेवा में अर्पित कर दिया था।

श्री टी० एच० सोनावनें हम सब के लिये परिचित व्यक्ति थे। वह इस सभा के तीन बार सदस्य बने। वह अस्थायी संसद के भी सदस्य थे। वह महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा समाज सेवा में अत्यधिक भाग लेते थे। हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के अनेक संगठनों ने उनके निष्ठावान श्रम तथा नेतृत्व से लाभ उठाया। संसदीय समितियों के प्रति उनका योगदान उनके अध्ययन, समझदारी तथा ईमानदारी से परिपूर्ण था। उनके निधन से हमारे दल तथा महाराष्ट्र राज्य को क्षति पहुंची है।

हमें इन सभी भूतपूर्व साथियों के निधन पर गहरा दुख है तथा हम उनके परिवारों के प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति तथा संवेदनायें व्यक्त करते हैं।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल और अपनी ओर से मैं श्रीमती ज्योत्सना चन्दा; श्री धर्मराव शरणप्पा अफ़जलपुरकर, श्री आनन्द चन्द्र जोशी, पंडित शिव चरण लाल, सैयद नज़ीर

हुसैन समनानी, श्री कृष्ण कान्त व्यास, श्री वड्डेपल्लि काशीराम, श्री दीवान चमन लाल और श्री बरकतुल्ला खां के दुखद निधन पर आप एवं प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त संवेदनाओं में शामिल होता हूं तथा मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें पहुंचा दें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Speaker, Sir, We are greatly shocked on the sad demise of many distinguished leaders of our country during this period. Dewan Chaman Lal was a pioneer of Trade Unionist movement and rendered valuable service. Shri Barkatullah Khan is known to all of us and as you have yourself said that he was a good worker and he rendered a great service to the country during his life time.

Shrimati Jyotsna Chanda was known to all of us and I remember that she made a great sacrifice and tried to save the country and the state at the time of dispute between Assam and Bengal.

Shri Dharamrao Afzalpurkar, Anand Chandra Joshi, Pandit Shri Charan Lal, Syed Nazir Hussain Samnani, Shri Krishna Kant Vyas, and Shri Vaddepalli Kashiram all were members of this House. On this occassion we want that you may convey my and my party's condolences to the bereaved families.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Whenever we meet after every inter session period, we find that we have lost some of our collegues. Untimely death snatches amay some valuable lives. When we find that Shrimati Jyotsna Chanda and Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurbar are no more, the mortality of the body is proned and we mourn their loss. Shrimati Jyotsana Chanda was a soler woman and was a symbol of simplicity and she devoted her self fully to her duty. We have seen that some times she used to express herself fearlessly. When there were disturbances in Assam, she could not control herself and expressed the feeling of Bangla speaking people in this House in very effective manner.

Shri Afzalpurkar was representative of Lok Sabha from Gulbarga. I have seen myself that he commanded great respect from the people of Gulbarga whenever he spoke in the House, he made substantial contribution to the proceeding of the House.

Shri Sonavane was not a sitting member of the House. He decided to go to Maharashtra Legislative Council. Coming from backward class and he worked for the uplift of the down trodden people. Sometimes his feeling were not liked by some of his collegues due to his out spokenness.

I got a chance to work with him in Public Accounts Committee. When he went to Bombay, we felt it a loss to Lok Sabha, but today it has become a loss for the whole country for which we are mourning. We have lost a staunch supporter of backward classes in his death.

Diwan Chaman Lal, had been ill for serveal months, but we had never thought that his end was so near. He was an excellent person. His personality and speech impressed everyone. I noticed his style of speech in Rajya Sabha, where I got a chance to be there for some years. Sometimes I had some discussions with him in the House. When I went to East Africa as a Member of a delegation under his leadership, I felt the nobleness and soberness of his personality. As a leader he never discriminated against any member of his delegation on party or ideology. He was friend of everyone.

When we reached Kenya and went to see Jomo Kenyatta, Jomo Kenyatta embraced Dewan Chaman Lal, because Dewan Chaman Lal pleaded his case very effectively during the days of British regime, when Jomo Kenyatta was being persecuted. The President of Kenya had not forgotten this. We visited other countries also in the company of Dewan Chaman Lal and he distinguished himself as a successful leader of the delegation.

It is very strange coincidence that Shri Barkatullah was also a Member of that delegation. We have lost the leader of the delegation and Shri Barkatullah also during those days was with us for 1½ months and I found Shri Barkatullah a very noble and gentle man. He never displeased anybody. His nature was amiable. He explained India's Point of view before foreign countries in very effective manner during Indo-Pak war.

Even after this tour of the delegation, Shri Barkatullah did not forget us. Whenever he came to Delhi, he used to visit me and sometimes he used to ring me. He used to ask me to see him whenever I visited Jaipur. I cannot forget his nobleness inspite of our political differences. This will always be remembered by me.

We have lost some other collegues also. I want to pay tribute to all those collegues and pray to the Almighty that their souls may rest in peace and their families may get strength to bear the shock of their passing away.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह दुख की बात है कि हम इस सत्र को 9 व्यक्तियों के निधन सम्बन्धी उल्लेखों से आरम्भ कर रहे हैं उनमें से कुछ हमारे साथ रहे और सदन तथा इससे बाहर हम उनकी अनुपस्थिति अनुभव करेंगे। आप सदन के नेता तथा अन्य सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मैं आपसे शोकाकुल परिवारों तक हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि संवेदना भेजने का अनुरोध करता हूं।

Shri K. S. Chavda (Patan) : I on behalf of my party and myself express tributes to the departed souls and pray to God for bestouing lasting peace to their souls.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप, सदन के नेता तथा मेरे अन्य सहयोगियों द्वारा व्यक्त भावनाओ से मैं अपने आपको तथा अपने दल को सम्बद्ध करना चाहूंगा।

जो कुछ अब तक कहा गया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि जो कुछ अब तक कहा गया है हम उससे पूर्णत: सहमत हैं। मैं केवल एक छोटी सी घटना जो श्री बरकततुल्ला खां के साथ हाल में हुई, के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे यह मानना चाहिये कि मैं श्री बरकततुल्ला खां से कभी नहीं मिला। जब मैं जयपुर गया था तो मेरी पत्नि और मैंने दिल्ली वापस आने के लिये एक कूपे रिजर्व करवा रखा था। गाड़ी चलने के दो घंटे पहले हमें सूचित किया गया कि कूपे अब हमारे लिये रिजर्व नहीं हैं लेकिन हम दोनों के लिय एक अपर बर्थ कम्पार्टमेंट अलाट किया गया है। मुझे यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री उसी गाड़ी से जा रहे हैं। इसलिये मैंने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के सचिव को यह कहने के लिये टेलीफोन करने को कहा कि "कृपया मुख्यमंत्री को सूचित करें कि श्री और श्रीमती पीलू मोदी आज रात इस गाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं और इस हेतु एक डिब्बा रिजर्व किया था और अब उन्हें मालूम हुआ है कि अब उनके लिये डिब्बा रिजर्व नहीं है। कृपया इस सूचना को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें।"

मैं यह देखकर बहुत खुश हुआ कि पांच मिनट के भीतर श्री बरकततुल्ला खां टेलीफोन पर आये और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि उन्हें यह मालूम न था कि मैं जयपुर में था और उनके विचार में वह ही हमें असुविधा में डालने के लिये जिम्मेवार हैं और यह उन्हें खुशी होगी यदि मैं पुन: अपना कूपे ले लूं और वह उस रात मोटर द्वारा दिल्ली जायेंगे। मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैंने उनका हार्दिक धन्यवाद किया। सचमुच मैंने यह अनुभव किया कि यदि हमारे और अधिक सहयोगी इस उदाहरण का पालन करें तो यह लोगों के लिये कितनी प्रसन्नता की बात होती।

मुझे उनसे मिलने तथा व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करने की तीव्र इच्छा रही लेकिन खेद है कि मुझे वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

मुझे आशा है कि आप उनके तथा अन्य लोगों के परिवारों को हमारी हार्दिक संवेदना भेजेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

श्री समरगुह (कंटाई) : जब कभी भी हम अपना कार्य इस सदन में शुरू करते हैं तो हमें इस शाश्वत कहावत की याद दिलायी जाती है कि जीवित रूप में भी हम मृत हैं। मैं नहीं जानता कि इस कहावत से क्या हमें अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं के लिये कोई सीख मिलेगी। यदि ऐसा होता तो हमारे देश की राजनीति कुछ और प्रकार की होती। दिवंगत आत्माओं के प्रति व्यक्त भावनाओं तथा राष्ट्रीय जीवन के प्रति उनके अंशदान के बारे में जो प्रशंसा भरे शब्द आपने कहे मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं। मुझे श्रीमती ज्योत्सना चन्दा की याद आती है, जिन्हें जानने का अवसर मुझे बहुत पहले मिला था। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि हम उन्हें ज्योत्सना दी कहते थे ; हम ऐसा प्रधानमंत्री के लिये कहा करते थे। उनका जन्म एक ऐसे प्रतिष्ठित घराने में हुआ जिसके राष्ट्र के प्रति किये गये योगदान की जानकारी सब को है। मैं इस बात को नहीं जानता कि अध्यक्षपीठ मेरी भावनाओं की कितनी सराहना करेंगे लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि उनके जीवन में एक विचित्र बात थी। वह श्री रामकृष्ण की भक्त थीं और जब वे रामकृष्ण आश्रम में प्रणाम करने गयीं तो वे वहां गिर गयीं और मर गयीं। यह एक सच्चे भक्त की आकांक्षा पूरी होने वाली जैसी बात है। दीवान चमनलाल का नाम हम अपने यौवनकाल से ही जानते आये हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों उन्हें उदार नेता समझा जाता था लेकिन उनके गहन ज्ञान तथा देशभक्ति की भावना के कारण हम सब उनका सम्मान करते थे यद्यपि हम क्रांतिकारी दल में थे। उन सब मित्रों, जो हमारे सहयोगी रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम तथा संसदीय परम्पराओं के विकल्प और इस देश के इतिहास के लिये योग दिया के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अपने दल की ओर से मैं ऐसी ही भावनायें व्यक्त करता हूं जिस प्रकार की आपने, प्रधानमंत्री ने तथा अन्य सहयोगियों ने इस सदन में व्यक्त की हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोकाकुल परिवारों को हमारी श्रद्धांजलियां भेजें।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास दक्षिण) : अन्ना द्रमुक दल की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के शोकाकुल परिवारों को हमारी हार्दिक संवेदनाएं भेजें।

श्री मती एम० गोडफ्रे (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : अपने दल की ओर से मैं उन भावनाओं का समर्थन करती हूं जो आपने सदन के नेता तथा अन्य सहयोगियों ने हमारे उन मित्रों, जो कुछ मास पहले हमारे साथ बैठा करते थे, की दुखद मृत्यु के बारे में व्यक्त किये हैं। विशेषकर मैं श्रीमती चन्दा, जो मेरे बहुत निकट रहीं, के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि शोकाकुल परिवारों को हमारी श्रद्धांजलियां भेजें।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य अपना शोक प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while

नये मंत्री का परिचय

INTRODUCTION OF NEW MINISTER

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक मन्त्री तथा अंतरिक्ष मंत्री : (श्री मती इन्दिरा गांधी): मुझे, आपको और आपके माध्यम से सभा को अपने नये सहयोगी प० कमलापति त्रिपाठी को परिचित कराते हुये अति प्रसन्नता है।

लोक सभा के अध्यक्ष और सचिव को विश्व संगठनों में उनके निर्वाचन पर बधाई

CONGRATULATIONS TO SPEAKER AND SECRETARY OF LOK SABHA ON THEIR ELECTION TO THE WORLD BODIES

श्रीमती इंदिरा गांधी : सभा का कार्य शुरू होने से पहले मुझे एक ऐसा सुखद कार्य करना है जो मुझे समूची सभा ने सौंपा है । यह कार्य अध्यक्ष डा० ढिल्लों को विश्व अन्तर्संसदीय संघ के सभापति चुने जाने के बारे में हार्दिक बधाई देना है । अन्तर्संसदीय संघ एक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था है जिसका उद्देश्य समस्त संसदों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करना, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना और विकास के लिये अपने-अपने देशों का पूरा सहयोग बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से एक मत से कार्य करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के कार्य को आगे बढ़ाना है। इस सम्मान के वे सर्वथा पात्र हैं । यह डा० ढिल्लों की व्यक्तिगत योग्यता और परिषद् के लिए कठोर और निरन्तर कार्य को मान्यता देना है । डा० ढिल्लों ने इस सभा की कार्यवाही को सम्मान और विनोद के साथ चलाया है । हम अपने देश और इस संसद् के सम्मान के प्रति सजग हैं।

इस अवसर पर विश्व संसद् के महासचिव संघ का 3 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर मैं श्री श्यामलाल शकधर को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। संघ का उद्देश्य संसदीय विधि, प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी अध्ययन करना, विश्व की विभिन्न संसदों के कार्य की प्रक्रिया में सुधार करना तथा उनमें सहयोग बनाए रखना है । श्री शकधर का यह चुनाव भारत और गत दो दशकों में संघ के लिए किए गये उनके कार्य का सम्मान करना है । हम सभी उनकी विद्धता तथा संसदीय प्रक्रिया जिनके कि वे विशेषज्ञ हैं, के प्रति उनकी गहन रुचि से परिचित हैं ।

श्री के० मनोहरन् : बधाई ।

श्री पीलू मोदी : आपको तथा श्री शकधर को बधाई ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री और माननीय सदस्य गण

प्रधान मंत्री ने अपनी ओर से तथा सदन की ओर से जो महान और उदार उदगार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अत्यधिक प्रभावित हूं । वास्तव में, यह केवल मेरे लिए ही व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं है । यह सम्मान इसलिये है कि मैं आपके सदन का प्रतिनिधित्व करता हूं और हमारा सदन विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र तथा एक महान देश का प्रतिनिधित्व करता है ।

संसदों को महासचिवों के संघ के अध्यक्ष चुने जाकर श्री शकधर ने जो उपयुक्त सम्मान प्राप्त किया है, और जिसके वे अधिकारी हैं, उसके लिये में उन्हें बधाई देने के लिये अपने को प्रधानमंत्री के साथ सम्बद्ध करता हूं । यह और भी सम्मान की बात है कि हम उन्हें सचिव कहते हैं और वह संसदों के महासचिव संघ के अध्यक्ष हैं । मैंने प्रधान मंत्री से परामर्श किया है कि हम उन्हें महासचिव की उपाधि दें ।

मैं इस अवसर पर आप सब की ओर से उन बहुत से देशों को धन्यबाद देता हूं जिन्होंने मेरा नाम लिया है । अन्तर्संसदीय परिषद् तथा संघ के 83,84 वर्षों में पहली बार यह सम्मान योरोप से

बाहर एशिया को प्राप्त हुआ है । राष्ट्र को इस बात का गर्व है कि लार्ड स्टान्सगेट (स्वर्गीय श्री वैजवुड बैन) का महान स्वप्न, कि किसी दिन यह परिषद विश्वजननि होगी, साकार हुआ है और ऐसा परिवर्तन आया है ।

साथ ही इस अवसर पर मैं अपने उन मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे तथा अन्य बहुत से मित्रों को मनोनीत किया, जिन्होंने इस निर्वाचन में हमारी सहायता की। आप को ज्ञात है, मनोनयन पहले से ही हो जाता है । मुझे बाद में पता चला हमारा नाम लेने वाले पहले देशों में न्यूजीलैंड, बलगारिया, युगोस्लाविया, हंगरी, इथोपिया, और हमारा सम्मानित पड़ौसी नेपाल तथा बंगलादेश थे । मैं, आपकी अनुमति से, आप सभी की ओर से तथा अन्तर्संसदीय संघ के अपने दल की ओर से उन के लिये अपना बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा ।

श्री पीलू मोदी: यदि आपका निर्वाचन भारत में हुआ होता, तो निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ होता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो अगली बार भारत में ही करेंगे।

मैं अपने दल की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इस संगठन का मान, मर्यादा बनाये रखने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न करूंगा तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करूंगा। इसके उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं--उन बहुत सी समस्याओं के, जिनका समाधान कभी-कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं निकलता, समाधान पर विभिन्न देशों के सभी दलों के सांसदों से बातचीत करूंगा। ऐसी समस्याओं का समाधान उस समय निकल आता है जब विश्व के सांसद एक साथ बैठकर विचार करते हैं । यह संगठन शान्ति, समायोजन और परस्पर समझ बूझ के लिये है । मैं आशा करता हूं कि आपके तथा माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हम ऊंचे मानदंड स्थापित कर सकेंगे ।

मैं अपने महासचिव की ओर से भी आपका बहुत आभारी हूं । गत वर्ष उन्हें सी० आई० डी० पी० के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समिति में चुने जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। केवल पांच सदस्य चुने जाते हैं और वह उन पांचों में से एक हैं । वह सर्वसम्मति से चुने गये परन्तु मेरे लिये यह भाग्य की देन का अनुभव हुआ है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता

*1. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इनके कब तक निष्पादन की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) छटी योजना के अन्त तक जहाज निर्माण में काफी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य है । पांचवीं योजना में जहाज-निर्माण के अस्थायी कार्यक्रम में विशाखापत्तनम् में शिपयार्ड का विस्तार और इस समय कोचीन में निर्माणाधीन शिपयार्ड भी शामिल है । इसके अतिरिक्त, दो नए शिपयार्डों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

श्री सी० जनार्दनन : मंत्री महोदय ने बहुत ही सामान्य और भ्रमात्मक उत्तर दिया है । म यह जानना चाहता हूं कि इस देश में हमारी आवश्यकतायें क्या हैं, आगामी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य क्या होगा ; योजना में कितनी राशि व्यय की जायेगी और सरकार जहाज बनाने हेतु विश्व के विभिन्न देशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री राजबहादुर : श्रीमन्, आपकी अनुमति से.....

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये :.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने शपथ ले ली है तथा सदन में उनका परिचय करा दिया गया है तो मुझे आशा है कि हम उन्हें समझने के लिये थोड़ा समय देंगे।

श्री तेज़ियान : आप बहुत बुरा उदाहरण बना रहे हैं । यदि वह उत्तर नहीं दे सकते तो राज्य मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या आप ऐसा विशेषाधिकार किसी माननीय सदस्य को भी दे सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री पीलूमोदी : क्या इन्होंने यहां, सदन में शपथ ली है, मेरा तात्पर्य राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेने से नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शपथ लेने से पूर्व मंत्री महोदय का सदन में परिचय नहीं कराया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बी० एम० राना : भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा पांचवीं योजना के अन्त तक हमारा टन भार 97 लाख जी० आर० टी० तथा सरकार द्वारा 106 लाख जी० आर०टी० आंका गया है । इस प्रकार हमारी वार्षिक वृद्धि 11.40 लाख जी० आर० टी० आंकी 12.10 लाख जी० आर० टी० होगी । जहां तक बनाये जाने वाले दो शिपयार्डों का सम्बन्ध है, मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गयी तकनीकी-आर्थिक समिति दोनों नये शिपयार्डों के स्थानों के बारे में विचार कर रही है । उनका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही शिपयार्डों के स्थानों के बारे में निर्णय कर लिया जायेगा। ये दोनों शिपयार्ड जो छठी योजना के अन्त तक बनाये जाने हैं „एक विशेष क्षमता के बनाने होंगे। विश्व की मांग के अनुसार हम प्रत्येक शिपयार्ड में 50,000 जी० आर० टी० से 1 लाख टन तक के जहाज बनाने का विचार कर रहे हैं ।

श्री सी० जनार्दनन : कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड में सरकार अदूरदर्शिता तथा अनिर्णय प्रकट होता है । 20 वर्ष का समय इसमें लग चुका है परन्तु वहां अभी तक सिविल कार्य ही पूरे हो पाये हैं । गत वर्ष मंत्री महोदय ने सदन को बताया था कि कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड से पहला जहाज 1974 में उपलब्ध होगा। अब कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड के एडमिरल श्री कृष्णन ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा गया कि पहले जहाज का नौतल 1974 में बनाना आरम्भ किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड में क्या प्रगति हुई है और कोचीन शिप बिल्डिंग यार्ड से पहला जहाज कब तक उपलब्ध होगा ? क्या मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं ? मंत्री महोदय ने सदन में जो वायदा किया था क्या वे उसे पूरा करेंगे ?

श्री एम० बी० राना : नौतल 1974 में ही बनाया जाना आरम्भ होना है । जहाज पूरा होगा...

श्री कमलापति त्रिपाठी : स्थगित क्यों करते हैं। यदि प्रश्न को दोहराया जाये तो म उत्तर दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को स्थगित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि प्रश्न दोहराया जाये तो वह उत्तर दे सकेंगे। श्री जनार्दनन अपना प्रश्न दोहराइये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, It will take some time that the hon. Minister to acctimatized with this house.

Mr. Speaker : He will reply to it. Dont be impatient.

श्री सी० जनार्दनन : कोचीन शिपयार्ड का निर्माण कार्य 1950 में आरम्भ हुआ था। 20 वर्ष स अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस सदन में इस बारे में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। परन्तु अभी तक केवल सिविल कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो पाया है। समाचारों से पता चला है कि हाल ही में कुछ तकनीकी करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि शिपयार्ड से पहला जहाज 1974 में बाहर आयेगा परन्तु शिपयार्ड के प्रभारी अधिकारी का कहना है कि जहाज का नौतल 1974 में आरम्भ किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और पहला जहाज कब तक उपलब्ध होने की आशा की जा सकती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : कोचीन में पहले जहाज का नौतल सितम्बर 1974 में आरम्भ किया जायगा और जहाज के पूरा होने में 30 महीने का समय लगेगा।

श्री जनार्दनन : विलम्ब के विषय में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री जी० विश्वनाथन : हम इस प्रश्न को स्थगित कर देना चाहिए।

Shri Atal Bihari vajpayee : Mr. Speaker, Sir, may I request you to postpone this question. The notice of this question was given twenty one days advance. This is the first question of the list. The hon. Minister would have come well prepared. If he has not come prepared the minister of State may reply to it. Shri Raj Bahadur is passing a paper to him, but he even read that.

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamla Pati Tripathi) :—Mr. Speaker, Sir, I have quite recently taken charge of this Ministry and have gone through this question and its answer as well. If the hon. member does not object, he may ask supplementaries, I will try to answer.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस सदन के लिये नये व्यक्ति हैं। सामान्यतया, चाहे मंत्री हों या सदस्य सभी को अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगता है।

I may postpone this question for your convenience. We may take it next time.

श्री वयालार रवि : कोचीन शिपयार्ड का पूरा होना तथा जहाजों का निर्माण कार्य अच्छे श्रमिक सम्बन्धों पर निर्भर है.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कोचीन के बारे में नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री वयालार रवि : जहाज निर्माण से तात्पर्य अच्छे श्रमिक सम्बन्धों तथा अच्छे प्रबन्ध से है, परन्तु दुर्भाग्यवश कोचीन शिपयार्ड में ये सब उपलब्ध नहीं ह। इस तथ्य पर ध्यान रखते हुय क्या सरकार स्थिति को सुधारने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : वहां कार्य ठीक प्रकार चल रहा है । इसमें कोई कमी नहीं है और पहला जहाज 1974 के पश्चात् 30 महीने में तैयार होगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : 1974 के पश्चात् 30 महीने, इसका क्या अर्थ है ?

श्री जी विश्वनाथन : हमारे देश में जहाजों की कमी होने के कारण हमें बड़ी कठिनाई की स्थिति में विदेशी कम्पनियों को भुगतान करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय कहते हैं कि हम केवल 1990 में ही आत्मनिर्भर हो सकेंगे। म मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार भारतीय कम्पनियों तथा नौवहन निगम को और अधिक जहाज उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठा रही है और क्या भारतीय कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम से कोई छूट मिलेगी तथा सरकार और अधिक जहाज खरीदने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा किस प्रकार जुटायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : नये शिपयार्ड के निर्माण में पांच से छः वर्ष तक का समय लगेगा और इसी कारण हम इस विचार पर पहुंचे है कि नौवहन के मामले में छठी योजना के अन्त तक हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे ।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । वर्ष 1990 तक हमें जहाज किस प्रकार उपलब्ध होंगे ? विदेशी मुद्रा तथा अन्य कठिनाइयों का क्या होगा? एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से प्रतिबन्ध हैं ।

Mr. Speaker : The hon. Minister has told you the way. The arrangement is being made.

श्री जी० विश्वनाथन : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

Mr. Speaker : The hon. Minister may repeat again.

श्री कमलापपति त्रिपाठी : प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि 1990 तक जहाजों का निर्माण किस प्रकार पूरा होगा। विदेशी मुद्रा तथा अन्य संसाधनों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? उन्होंने यही कुछ पूछा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी :—ब्रिटिश कम्पनी के साथ सहयोग किया जा रहा है। जहां तक कोचीन शिपयार्ड का संबन्ध है, करार पर पहले ही हस्ताक्षर किये जा चुके हैं । क्रमादेश दिये जाते हैं और हम विभिन्न देशों से जहाजों का आयात करते हैं । इस प्रकार कमी की पूर्ति की जाती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जहाज तूफान से निकल गया है । अब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री के० लकप्पा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राशन में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं के मूल्य

*2 **श्री शशि भूषण :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में राशन में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं के मूल्य में देश के विभिन्न भागों में वृद्धि की गई है ;

(ख) मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है तथा उसका क्या औचित्य है; और

(ग) मूल्यों में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) हाल ही में घोषित अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि और आयातित खाद्यान्नों की लागत में वृद्धि से इस वर्ष निर्गम मूल्यों में बढ़ोतरी करना अनिवार्य हो गया ताकि राज सहायता का भार कम किया जा सके मूल्य बढ़ाने से पहले और बाद में निर्गम मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम की प्रासंगकि लागत और राज्य सरकारों की वितरण लागत की भारतीय खाद्य निगम और सरकार बराबर समीक्षा करती रहती है।

विवरण

मूल्य बढ़ाने से पहले और बाद में चावल, मोटे अनाज और गेहूं के निर्गम मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

	बढाने से पहले निर्गम. मूल्य	बढ़ाने के बाद निर्गम मूल्य
चावल		
शार्ट बोल्ड (कोर्स)	100.00	125.00
लांग बोल्ड (मध्यम)	111.00	140.00
मध्यम सलें० (बढ़िया)	120.00	150.00
बढ़िया वासमती (बहुत बढ़िया) को छोड़कर लांग सलेंडर शार्ट सलेंडर वर्ग खुशबुई सलेंडर चावल	128.00	160.00
मोटे अनाज		
ज्वार, बाजरा, मक्का और आयातित माइला	65.00	80.00
रागी	60.00	80.00
छोटी मिलेट (कोदों कुटगी)	52.00	60.00
गेहूं		
विशिष्ट बढ़िया किस्म	84.00	96.00
लाल देसी मेक्सिकन साधारण सफेद और आयातित गेहूं	78.00	90.00

नोट:—चावल और मोटे अनाजों के निर्गम मूल्य 1-11-73 और गेहूं के 8-11-73 से बढ़ाए गये हैं।

खाद्यान्नों के व्यापार की दोहरी पद्धति

*3. **श्री बी० वी० नायक**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खाद्यान्नों के व्यापार की **दोहरी** पद्धति के कार्यान्वयन में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या व्यापारी वर्ग ने सरकार को इस दोहरी नीति के कार्यान्वयन में सहायता दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गैर-सरकारी व्यापारी तथा सरकारी वितरण व्यवस्था की इस दोहरी प्रणाली के स्थान पर एक अकेले सरकारी अभिकरण की स्थापना का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उचित मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित कर ऊंचे मूल्यों से जनसंख्या के जरूरतमंद वर्गों की रक्षा करने और खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार की नीति सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने, विस्तार करने और उसमें सुधार करने की है। सरकारी क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों के विपणन में इसलिए प्रशंसनीय स्थान प्राप्त करना जरूरी है ताकि खाद्यान्न की ओर भी समान रूप से वितरण किया जा सके। इसलिए भारतीय खाद्य निगम, सहकारी संस्थाओं आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों से कहा गया है कि वे बिकाऊ अधिशेष पर कारगर नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें ताकि उसके परिणामस्वरूप होने वाली सट्टेबाजी और मूल्य और उपलब्धता के उतार चढ़ाव को दूर किया जा सके। प्राइवेट व्यापारियों की भूमिका को विनियमित करना है ताकि वे उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक होने के बजाय सहायक हों।

जहां तक हाल में गेहूं का थोक व्यापार लेने का संबंध है, सरकारी वितरण प्रणाली के अलावा, लाइसेंस शुदा खुदरा व्यापारियों को सौदा करने की अनुमति है लेकिन वे जो स्टाक रखेंगे अथवा सौदा करेंगे उन पर उचित प्रतिबंध है। उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, लाइसेंस शुदा खुदरा व्यापारियों को अधिकतम खुदरा मूल्य, जोकि अधिकांश राज्यों में सांविधिक आदेशों के अधीन निर्धारित किए गए हैं, को मानना होगा। इस प्रणाली के जारी रखने से उन लोगों को खाद्यान्न की सप्लाई सुनिश्चित करने में सहायता मिली है जोकि या तो चाहते नहीं हैं अथवा सरकारी वितरण प्रणाली से राशन लेने में समर्थ नहीं हैं या जिन्हें उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। कम स्टाक के प्रसंग में सरकारी वितरण प्रणाली पर भार को देखते हुए खुदरा व्यापारियों की प्रणाली से खुले बाजार में उपलब्धता में सुधार होने में सहायता मिली है। तथापि, सरकार के ध्यान में यह आया है कि इस मामले में व्यापारियों ने कुछ मामलों में पूर्णतया सहयोग नहीं किया है। सरकार प्राप्त अनुभव और चल रही स्थिति की दृष्टि में समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी।

खाद्यान्नों के वसूली तथा वितरण मूल्य

*4. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उचित दर पर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके वसूली मूल्यों और नीतियों में क्या परिवर्तन किये गये हैं और वितरण लागत तथा प्रबन्धों में क्या सुधार किये गये हैं; और

(ख) क्या लदान लागत तथा अन्य सम्बन्धित व्यय में बचत करके खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में कमी नहीं लाई जा सकती?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) खरीफ खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य और रबी खाद्यान्नों के साहाय्य मूल्य में इसलिए वृद्धि की गयी है ताकि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण करने के लिए खाद्यान्नों की अधिकतम अधिप्राप्ति करने के लिए किसानों

को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके । वितरण की लागत में किफायत बरतने के प्रश्न की सरकार बराबर समीक्षा करती रहती है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*5. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का वर्तमान दृष्टिकोण सफल नहीं रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वर्तमान दृष्टिकोण में सुधार करने के लिये कुछ व्यावहारिक उपायों को लागू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) परिवार नियोजन के प्रयत्नों को और तेज किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य, प्रसूति और बच्चों की देखभाल, पोषण तथा परिवार नियोजन सेवाओं को एकीकृत रूप में प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । कार्यक्रम में जनसमुदाय का और अधिक सहयोग लेने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे। जिन जिलों में जन्म दर और जनसंख्या का घनत्व अधिक रहा है, उनमें कार्यक्रम को भी तेज करने का प्रस्ताव है ।

Take Over of Rice Trade

*6. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have rescinded the decision to take over the rice trade after the kharif crop is ready this year;

(b) the reasons therefor; and

(c) the main features of the scheme formulated by the Government to make available to the public rice and other foodgrains at fair price?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) At present allocations of foodgrains are made to the State Governments from the Central Pool, built with intensive procurement, at Central Government issue prices and it is the responsibility of the State Governments to distribute the foodgrains so allotted by the Centre as also the quantities available from local procurement, through fair price shops/ ration shops at prices fixed by them. No change is anticipated in the present arrangements.

Statement

As the successful implementation of the policy of takeover of wholesale trade in rice required not only careful consideration of the operational details but also full involvement and cooperation of the State Governments and political parties, the Union Minister of Agriculture held a number of discussions with the State Chief Ministers/Governors and leaders of the opposition parties. At these meetings a number of difficulties envisaged in the implementation of the scheme were pointed out. In the absence of the buffer stocks and the requisite arrangements the policy regarding the takeover of the whole sale trade in rice from the coming kharif season required rephasing.

Keeping in view the above discussions and considering the need to substantially step up procurement of rice, it was considered advisable to leave the States free to adopt any system of procurement that would be best suited to the prevailing local conditions. Broadly, however, the State Governments were advised to adopt either graded levy on producers or levy on millers/traders or a combination of the two systems, bringing also the large number of hullers under their control and supervision. The State Governments, who were willing to take over wholesale trade in rice from 1973-74 Kharif season were allowed to do so. Accordingly, Assam State Government has taken over the wholesale trade in rice with effect from 1st November, 1973.

भारत-रूस गेहूं ऋण करार

*7. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 में भारत-रूस गेहूं ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सोवियत रूस सरकार द्वारा 20 लाख मी० टन खाद्यान्न का ऋण देने की पेशक के बारे में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ सरकार के साथ हुए करार की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) खाद्यान्नों की सभी मात्रा गेहूं के रूप में होगी ;

(ii) 20 लाख मी० टन गेहूं की कुल मात्रा के बारे में निम्नलिखित विभिन्न स्रोत होंगे :—

रूस	10.5 लाख मी० टन
कनाड़ा	4.5 „ „ „
आस्ट्रेलिया	5.00 „ „ „

(iii) सोवियत संघ से प्राप्त होने वाले 10.5 लाख मी० टन गहूं और कनाडा से प्राप्त होने वाले 5 लाख मी० टन गेहूं के परिवहन की लागत भारत तुरन्त वहन करेगा। कनाडा से सप्लाई की जाने वाली 4.5 लाख मी० टन गेहूं के परिवहन पर आने वाली लागत सोवियत संघ वहन करेगा।

(iv) गेहूं को वापस करते समय, भारत से सोवियत बन्दरगाहों तक 4.5 लाख मी० टन गेहूं की परिवहन लागत भारत वहन करेगा और भारत से सोवियत संघ को जाने वाली 15.5 लाख मी० टन गेहूं की परिवहन लागत सोवियत संघ वहन करेगा।

(v) निम्नलिखित मात्राएं प्राप्त होने की आशा है :—

(1) इस वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान 8.95 लाख मी० टन गेहूं जिसमें से लगभग 4.5 लाख मी० टन कनाडा और आस्ट्रेलिया से आएगी।

(2) जनवरी से मई, 1974 के दौरान आस्ट्रेलिया और कनाडा से लगभग 5 लाख मी० टन सहित 11.05 लाख मी० टन।

(vi) 20 लाख मी० टन खाद्यान्नों की वापसी भारत को उपर्युक्त मात्रा की अन्तिम सुपुर्दगी के पूरे होने के दो वर्षों के बाद शुरू होगी और उसके बाद 5 वर्षों के दौरान समान वार्षिक किस्तों (4 लाख मी० टन प्रत्येक वर्ष) में खाद्यान्न वापस कर दिए जाएगें।

Housing Programme in Fifth Five Year Plan

*8. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether any outline of the housing programme has been formulated in the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Bhola Paswan Shastri) : (a) and (b) The Fifth Five Year Plan, including the Housing Programme, is still in the process of formulation.

केरल में काजू के लिये अनुसन्धान संस्थान

*9. **श्री० ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केवल काजू के लिये एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का सरकार का विचार है जहां काजू के छिलके के तरल पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रियाओं पर प्रयोग करने तथा उन्हें उपयोग में लाने के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने संबन्धी व्यय के 50 प्रतिशत भाग को पूरा करने के लिए सहमत होने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) काजू के लिए अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) केरल सरकार के एक प्रतिष्ठान केरल राज्य काजू विकास निगम ने केवल काजू के लिए एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की योजना तैयार की थी। इसमें काजू के छिलके से तरल पदार्थ तैयार करने की प्रक्रियाओं पर प्रयोग करने तथा उन्हें उपयोग में लाने के संबन्ध में गहन अध्ययन किया जाना था। इस पर 63 लाख रु० अनावर्ती और 4.70 लाख रु० आवर्ती व्यय होने का अनुमान था। केरल सरकार ने यह सुझाव दिया था कि 63 लाख रु० का अनावर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार और काजू निर्यात संवर्धन परिषद् दोनों को करना चाहिये और आवर्ती व्यय काजू निर्यात संबर्धन परिषद् और केरल राज्य काजू विकास निगम दोनों को मिलकर करना चाहिये।

(ग) यह प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने काजू निर्यात संबर्धन परिषद् के परामर्श से इस सुझाव पर विचार किया। काजू परिषद् इस काम के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे सकी । आखिरकार वाणिज्य मंत्रालय ने नवम्बर, 1971 में केरल सरकार को यह सूचित किया कि काजू के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना संभव नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार इन संस्थानों के लिए स्वयं धनराशि की व्यवस्था न कर सके ।

खाद्यान्न का आयात

*10. **श्री पी० आर० शिनाय** :

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1973 में अक्तूबर के अन्त तक कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया है और किन देशों से; और

(ग) आयात की शर्तें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ग) अर्जेनटाइना, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से वाणिज्यिक आधार पर खरीदारी की गई है जबकि सोवियत रूस से उधार पर गेहूं लिया गया है।

विवरण

1-1-73 से 31-10-73 तक की अवधि के दौरान आयात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा तथा उनका मूल्य संबन्धी विवरण

(मात्रा लाख मी० टन में)

अनुमानित लागत तथा भाड़ा समेत मूल्य रुपयों में।

अनाज	देश	मात्रा	मूल्य	कैफियत
गेहूं	रूस . . .	0.50	?	?दिनांक 12-10-73 के करार के प्रति उधार पर।
	अमेरिका . . .	7.94	70.60	वाणिज्यिक खरीदारी
	कनाडा . . .	5.03	45.11	
	अर्जेनटाइना . . .	1.89	16.90	
कुल गेहूं		15.36	132.61	
माइलो	अमेरिका .	6.43	46.13	
	अर्जेनटाइना .	2.05	13.57	
कुल माइलो		8.48	59.70	
कुल खाद्यान्न		23.84	192.31	

परिक्षा प्रणाली में सुधार योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों का चयन

*11. **श्री पीलू मोदी :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार संबन्धी योजना के क्रियान्वयन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के कुछ विश्वविद्यालयों का चयन किया है;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वयन होने की संभावना है अथवा इसका पहले ही क्रियान्वयन हो चुका है ; और

(घ) इस नई योजना के प्रति अध्यापकों और छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार हेतु "कार्रवाई की योजना" को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों को चुना है :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
2. आंध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर ।
3. बड़ौदा का एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
4. पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ ।
5. गोहाटी विश्वविद्यालय गोहाटी ।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर ।
8. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
9. सागर विश्वविद्यालय, सागर ।
10. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
11. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।
12. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।

योजना की मुख्य मुख्य बातों का अनुबन्ध में उल्लेख किया गया है ।

उक्त योजना में निहित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उसे देश के सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में पारिचालित किया गया है और उनसे प्रश्न बैंक-विकास, आन्तरिक निर्धारण को प्रोत्साहित करने तथा इस प्रयोजनार्थ कर्मशालाओं और सेमिनारों को आयोजित करने के कार्यक्रमों में आयोग की सहायता के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ।

जिन 12 विश्वविद्यालयों को वि० वि० अनु० आयोग की "कार्रवाई की योजना" को कार्यान्वित करने के लिये चुना गया है, उनसे कहा गया है कि वे परीक्षा सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कार्यान्वयन समिति के परामर्श से समितियां नियुक्त करें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों की 'कार्यवाई की योजना' के प्रति प्रतिक्रिया अनुकूल है ।

विवरण

परीक्षा सुधार की मुख्य मुख्य बातें :

(1) जो पढ़ाते है, उन्हें जांच भी करनी चाहिये। इस प्रकार से परीक्षाओं को अध्यापन प्रक्रिया का एक 'आन्तरिक' और 'अभिन्न अंग' बनाना चाहिये ।

(2) क्योंकि सान्त्रिक अथवा लगातार मूल्यांकन में कठिन परिश्रम के लिये प्रेरणा और क्षमता, अभिप्रेरणा, उद्देश्य, संस्थापन और चिन्तन, नेतृत्व और सामूहिक कार्य करने के गुण तथा व्यक्तियों आदि का निपुणता पूर्ण प्रयोग जैसी कई अनिवार्य योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिनकी त्रैमासिक परीक्षा अथवा उपलब्धि परीक्षा मूल्यांकन नहीं करती है, इस प्रकार के मूल्यांकन को अलग से ग्रेड-शीट पर दर्शाया जाना चाहिये।

(3) प्रत्येक संस्था का स्तर अन्ततः उस (संस्था) द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के स्तर द्वारा अभिशासित होता है। इस प्रकार से प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेज को अपना स्तर बनाये रखना है। इसका अर्थ यह है कि उस संस्था/कालेज का नाम, जिसमें विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उसे जारी किये गये डिप्लोमाओं अथवा डिग्रियों या ग्रेड-शीट पर अंकित होना चाहिये।

(4) यदि डिग्री अथवा डिप्लोमा या परीक्षा का प्रदान किया जाना विद्यार्थी द्वारा कई पाठ्यक्रमों में किये गय निष्पादन कार्य पर आधारित हो, तो इन पाठ्यक्रमों का एक दूसरे से संबन्धविच्छेद किया जाना चाहिये ताकि यदि कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम विशष में ग्रेड बनाने में असफल रहे तो उसे इस असफलता के कारण अन्य पाठ्यक्रमों में दन्डित न किया जाये। इस तरीके से पाठ्यक्रमों के संबन्ध विन्छेदन से विद्यार्थियों को यदि आवश्यक हुआ तो एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने और अध्ययन के एक किस्म से दूसरे किस्म के अध्ययन में आने जाने की अनुमति मिल जायेगी।

(5) विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सुवितरित मध्यान्तरों के बाद होना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम की, जिसे एक वर्ष अथवा सत्र में पूरा कर लिया जाए, उसकी अन्तिम परीक्षा की प्रतीक्षा किये बिना वर्ष अथवा सत्र के अन्त तक अवश्य परीक्षा ले ली जानी चाहिये।

(6) विद्यार्थियों के निष्पादन का सही-सही और स्पष्टतया मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जिससे कि इसको अंकों में दर्ज किया जा सके और क्योंकि विभिन्न विषयों के लिए निर्णय के स्तर भिन्न भिन्न हैं, विद्यार्थियों को परीक्षाओं और मूल्यांकनों में ग्रेड प्रदान किये जाने चाहियें न कि अंक।

(7) किसी पाठ्यक्रम अथवा डिग्री में विद्यार्थियों के आवधिक निष्पादन को निर्धारित करने की परीक्षाओं अथवा उपलब्धि के मानदण्ड को, या तो सेवा अथवा अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं से अलग रखना चाहिये जो कि अंशतः अभिरुचियात्मक और भविष्यलक्षी हों। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संस्थाएं कुछ डिग्रियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती हैं उन्हें अपने अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न भाग के रूप में परीक्षाएं/मूल्यांकन का आयोजन करना चाहिये। दूसरी ओर संस्था के दाखिले के लिए आवेदकों की संख्या कुल स्थानों से अधिक है तो संस्था को अपनी प्रवेश परीक्षा/परीक्षण का आयोजन करना चाहिये ताकि विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी की योग्यता का एक सामान्य आधार पर निर्णय किया जा सके।

(8) केवल स्वैच्छिक आधार पर केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इस परीक्षा को सर्जनात्मक विचारधारा और विषय-वस्तु की व्यापकता की जांच करने के लिए तैयार किया जा सकता है ताकि यह सामान्यतः छात्रों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य-निष्पादन और उपलब्धि की राष्ट्रीय सूची के रूप में काम आ सके। परीक्षा सभी प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित की जानी चाहिये और इसके लिए एक आधुनिक पाठ्यचर्चा तथा प्रश्न पत्र निर्धारित करने की उत्तम प्राविधियां,

मूल्यांकन और अपरिष्कृत विषयों की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें केवल ग्रेड निहित हो उन भाग लेने वालों को जारी किया जाना चाहिये जो उच्च ग्रेड प्राप्त करें। इस परीक्षा में जो कोई भी बैठना चाहे, उसे ऐसा करने की खुली छूट हो।

(9) उन छात्रों के लिय जो किसी भी संस्थान में दाखिला पाने में असफल रह जाते हैं, आगे अध्ययन करने हेतु व्यापक रूप से पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इन पाठ्यक्रमों का आयोजन खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिये ताकि वे छात्र जो ऐसा करना चाहें, ऐसे विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय बोर्ड संचालित परीक्षाओं में बैठकर नामांकन अथवा उपस्थिति की औपचारिकताओं के बगैर भी डिग्री प्राप्त कर सकें।

बन्द पड़ी पश्चिमी तट कोंकन स्टीमर सेवा को फिर से आरम्भ करने के लिए आन्दोलन

*12. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द की गई पश्चिमी तट कोंकन स्टीमर सेवा को बिना किराये में वृद्धि किये फिर से प्रारम्भ करने के लिए 4 अक्तूबर, 1973 को कोई आन्दोलन चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो आन्दोलन चलाने वालों की मांगें क्या थी;

(ग) क्या आन्दोलन चलाने वालों ने सरकार को सूचित किया है कि यदि कोंकन स्टीमर सेवा के बारे में उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया गया तो गोवा से लेकर बम्बई तक के सभी बन्दरगाहों में यह आन्दोलन फैल जायेगा; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मालवान में एक आन्दोलन हुआ था और आन्दोलनकर्ताओं की मांगें निम्न प्रकार से हैं :—

(1) मालवान तथा स्टीमर सेवा का फिर से शुरू करना।

(2) किराये में वृद्धि न की जाए, और

(3) कोंकन स्टीमर सेवा का फिर से चालू करना।

(ग) राज्य सरकार के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने कोंकन यात्री जहाज (अधिग्रहण) अध्यादेश 1973 (1973 का 4) द्वारा दो जहाज एम० वी० "कोंकन सेवक" और एम० वी० "सरिता" प्राप्त किये हैं जिनसे मैसर्स चोगले स्टीमशिप्स लि० इस सेवा को चला रहे थे और जिसने बाद में जहाजों का स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र मे मुगल लाइन्स लि० को सौंप दिया है और जो कि सामान्य रूप से सेवा को "बिना लाभ और हानि के आधार पर" चालाएंगे। ऐसी आशा की जाती है कि सेवा निकट भविष्य में शुरू हो जाएगी। सभी संबन्धित बातों पर विचार करते हुए, मुगल लाइन्स लि० सेवाओं का कार्यक्रम तैयार करेंगे।

उर्वरकों की कमी

*13. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के उत्पादन में भारी कमी और आयात की अल्प सम्भावनाओं के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान रबी फसल के खाद्यान्नों के 680 लाख टन के उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में गंभीर शंकायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) रबी 1973-74 के मौसम में उर्वरकों और खासकर नाईट्रोजन की उपलब्धि में कुछ बाधाएं आने की सम्भावनाएं हैं। इस स्थिति का अनुमान लगाकर कृषि मंत्रालय ने उर्वरकों की कमी के उत्पादन पर असर कम करने की दृष्टि से विशेष उपाय किए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—कार्बनिक खाद और उपलब्ध उर्वरकों को उपायोग में लाने के लिए तेजी से अभियान चलाना, उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना, अधिक विद्यमान क्षमता और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना आदि आशा है कि ये विशेष उपाय करने से हम 1973-74 में रबी अनाज के 480 लाख मीटरी टन के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) उर्वरकों की उपलब्धि में कमी मुख्यत: देश में उत्पादन कम होने और संसार की मण्डियों में उर्वरकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण रही है।

(ग) उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1. देशी उर्वरक कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

2. क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों और देशी उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक समन्वित सप्लाई योजना तैयार की गई है। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए हैं। इनके जरिए देशी उत्पादकों के लिए कानूनी तौर पर यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे प्रत्येक राज्य को उतनी मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करें, जितनी मात्रा के लिए उन्होंने उक्त सम्मेलनों में प्रत्येक राज्य को सप्लाई का वचन दिया है।

3. राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सहकारी समितियों और खुदरा विक्रेताओं दोनों के गोदामों में उपलब्ध स्टाक की सूची ध्यानपूर्वक तैयार करें और इनपर अक्सर पुनर्विचार करें, ताकि उपलब्ध उर्वरकों का समय पर और समान रूप से वितरण किया जा सके।

4. उर्वरक निर्माताओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्पादन का यथासंभव अधिकतम भाग सहकारी संगठनों और अन्य सार्वजनिक ऐजेंसियों के माध्यम से वितरित करें, ताकि इसमें घांधली की कम से कम गुंजाइश रहे।

5. बहुत ऊंचे स्तर पर हर महीने पुनरीक्षण करके रेलों के वैगनों की उपलब्धि पर निगाह रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेल परिवहन में रुकावटों का उर्वरकों के संचलन पर कोई असर न पड़े।

6. यथा-संभव अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का आयात करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना

*14. **श्री झनरखंड राय**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दूस्तान टाइम्स' में डी० एम० एस० स्टिल इन मेस (दिल्ली दुग्ध योजना में गड़बड़ी) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाऐ हैं ; और

(ग) सरकार का दिल्ली के उन नागरिकों की शिकायतें किस तरह दूर करने का विचार है जिन्हे दूध-बूथों पर परेशान होना पड़ता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि वास्तविक टोकन होल्डरों को दुग्ध बूथों पर अनावश्यक प्रतीक्षा किये बिना ही नियमित रुप से दूध सप्लाई किया जाये। दूध की उपलब्धि में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अंशतः मौसम में सुधार और कुछ अशों तक दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध उत्पादकों की पहले की अपेक्षा अधिक दाम की पेशकश किये जाने के कारण हुई हैं। इसके साथ-साथ वर्तमान डेरी की दूध की क्षमता मौजूद 3 लाख लिटर की दैनिक क्षमता से बढ़कर 3.75 लाख लिटर की जा रही है। इससे उन लोगों की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी जिनके नाम दूध टोकनों की प्रतीक्षा सूची में हैं। 5 नवम्बर, 1973 से एक ही किस्म के दूध की सप्लाइ शुरू कर दिये जाने के कारण बोतलों के ढक्कन बदलने की वारदातों में काफी कमी हो जायेगी। आशा है कि कुछ डिपुओं को छोड़कर जिनमें कि दूध की कुछ कमी रहेगी, इसके बाद दूध के वितरण की स्थिति सामान्य हो जायेगी। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना दुग्ध डिपुओं की नियमित रूप से और अचानक जांच की व्यवस्था करती है और डेरी में ही एक शिकायत अनुभाग चोबीसों घंटे काम कर रहा है, ताकि स्थानीय समस्याओं की ओर तुरन्त ध्यान देकर उन्हें हल किया जाये। हालांकि में डिपों सलाहकार समिति के गठन को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है। इसमें टोकनधारी शामिल होंगे और ये अपने-अपने दुग्ध डिपुओं से दूध के सुचारू रूप से और समान वितरण में दिल्ली दुग्ध योजना की सहायता करेंगे इसके अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना के सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी प्रत्येक बड़े क्षेत्र में प्रातः और सायं दूध के वितरण का समय समाप्त होने के बाद बैठकर ग्राहकों की कठिनाइयों और शिकायतों को सुनगे ताकि इस संबंध में समुचित कार्यवाही की जा सके।

1974 के अन्त में दूसरी रिकाबाइनिंग दुग्ध डेरी के स्थापित कर दिये जाने से देश को राजधानी को दूध की आवश्यकता न्यूनाधिक पूर्णत पूरी की जा सकेगी।

सफदरजंग अस्पताल में जमीन पर पड़े रोगियों के लिए पलंगों की व्यवस्था करना

*15. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऐसे अनेक रोगी जमीन पर लेटे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रोगियों के लिये पलंगों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सफदरजंग अस्पताल के विकलांग विभाग में कुल 150 पलंग हैं किन्तु किसी एक समय में वहां इस से कहीं अधिक रोगी भरती किए जाते हैं । सार्वजनिक अस्पताल होने के नाते सफदरजंग अस्पताल में दाखिले की जरूरत वाले किसी भी रोगी के पलंगों को कमी के कारण दाखिले के लिए मना नहीं किया जाता । इसलिए, मजबूर होकर कुछ रोगियों को फर्श पर जगह देनी पड़ती है ।

पंजाब द्वारा सप्लाई किये गये गेंहूं का वजन कम होना

*16 **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री सी० के० जाफरशरीफ:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1973 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब द्वारा अन्य राज्यों को भेजा गया गेहूं वजन में कम था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ; और उसका क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सतर्कता विभाग द्वारा शुरू की गई जांच प्रगति पर है ।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण

*17. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्द) : (क) से (ग) सरकार की राष्ट्रीय बीज निगम की कर्मचारी यूनियन से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। अंतिम ज्ञापन जनवरी, 1971 में प्राप्त हुआ था। इन ज्ञापनों में कुछ मांगें शामिल थीं और निगम में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के दृष्टांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था । इनकी मुख्य मांग बोनस के भुगतान, मकान के किराये भत्ते में वृद्धि, स्टाक के स्थायी करने में पदोन्नतियां, आदि से संबंधित थीं। निगम के प्रबधकों के विरुद्ध बीजों के गलत प्रभागीकरण, घटिया किस्म के बीजों की खरीद, बीज संचलन के अनुपयुक्त नियोजन, आदि के बारे में आरोप भी लगाए गए थे और भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण भी पेश किए गए थे । सरकार ने श्री वी० एन० गाडगिल, सदस्य, राज्य सभा की अध्यक्षता में जो कि निगम के संचालक मंडल में संचालक भी हैं, कर्मचारियों की शिकायतों और कुप्रबन्ध के मामलों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

किसानों और कृषि श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग का सुझाव

*18. **श्री के० वकप्पा :**

श्री पुरुषौत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिये दो विकास कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों के कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के संबंध में हाल ही में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इस रिपोर्ट में दुर्बल वर्गों के लिए अब क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की संरचना में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है । उपर्युक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की मुख्य बातों से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) भारत सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

विवरण

1. लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक कार्यक्रमों को मिलाकर एक संयुक्त एजेन्सी बनाई जानी चाहिए। इन एजेन्सियों के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों में एक कम्पैक्ट क्षेत्र नीति अपनाई जानी चाहिए।

2. लाभानुभोगियों को अभिज्ञात करने के लिए छोटे किसानों के लिए जोत की अधिकतम सीमा 2 हैक्टार और सीमान्त कृषकों के लिए 1 हैक्टार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. छोटे और सीमान्त कृषको के विकास की मूल नीति का उद्देश्य सिंचाई, जल प्रबन्ध, भूमि विकास और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी फसल का उत्पादन बढ़ाना होना चाहिए। इन क्षेत्रों में बारानी खेती की तकनीकों और जल उपयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

4. दुग्ध उत्पादन, कुक्कट-पालन, भेड़-पालन और सूअर-पालन आदि सहायक धन्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम छोटे/सीमान्त कृषकों के इन संयुक्त कार्यक्रम के जिले के कार्यक्रमों के अतिरिक्त होने चाहियें और ये आयोग की एक अन्य रिपोर्ट में सुझाए गए सहायक कार्यक्रमों के अनुरूप होने चाहियें। सहायक धन्धों के लिए वित्तीय व्यवस्था स्वतःपूर्ण होनी चाहिए और यह राशि छोटे/सीमान्त कृषकों के विकास के लिए निर्धारित धनराशि में से नहीं ली जानी चाहिए।

5. लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस समय छोटे किसानों को दी जा रही 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों को दी जा रही 33⅓ प्रतिशत की सहायता पांचवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखी जानी चाहिए। परन्तु आयोग पंचायतों/

सहकारी संस्थाओं/ग्राम सभाओं द्वारा निर्धन वर्गों के लाभार्थ शुरु की गई सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत सहायता जारी रखने के हक में नहीं है। सीमान्त कृषकों को एक मौसम के लिए आदानों के लिए राज सहायता प्रदान करने और आदानों के परिवहन की लागत पर राज सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

6. जिन क्षेत्रों में स्तही जल योजनायें या बड़े पैमाने पर भूमि जल योजनायें सम्भव हैं वहां राज्यों को ऐसी सिंचाई योजनायें बनाने का उत्तरदायित्व सम्भाल लेना चाहिए जिनसे छोटे और सीमान्त कृषकों को प्रर्याप्त लाभ हो सके। राज्य सरकारों को चुने हुए जिलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त प्लान स्कीमें तैयार करके इस कार्य के लिए योजना में अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए। सिंचाई कार्यों के लिए चुने गए क्षेत्रों में चकबन्दी के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और छोटे किसानों की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिक नीति अपनाई जानी चाहिए वर्षा पर आश्रित रहने वाले क्षेत्रों में राज्य को लघु सिंचाई के सामान्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जल उपयोग की योजनायें शुरू करनी चाहियें और लाभानुभोगियों द्वारा उठाए गए लाभ के अनुसार ही उनसे वसूली की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य को स्वयं ही भूमि सुधार, भूमि संरक्षण आदि का कार्य काफी बड़े क्षेत्र में करना चाहिए। इन क्षेत्रों मैं गैर-सरकारी कुओं के लिए भी राज्य से सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

7. राज्य सरकारों को विपणन और परिसंस्करण एककों तथा राज्य योजना के अन्तर्गत मरम्मत सेवा एककों के लिए अपने राज्य क्षेत्र में योजनायें बनानी चाहियें और अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे विकास के लिए अभिकरण की धनराशि में से कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं की जानी चाहिये। ये अभिकरण मण्डी विकास और भज्डारण संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता दे सकते हैं ।

8. कार्यक्रम पांचवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि इसके अन्तर्गत वर्त्तमान 87 परियोजनाओं सहित 160 परियोजनायें लाई जा सकें। 70,000 कृषकों के हिसाब से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 110 लाख परिवार आ सकते हैं । प्रत्येक परियोजना में सामान्य तौर पर एक जिला एक अभिकरण का सिद्धान्त अपनाया जाए । छोटे और सीमान्त कृषकों का औसत अनुतपात 1:3 का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम में सीमान्त कृषकों के हित में अपेक्षित आधार बना रह सके । इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए जो राज्य योजना क्षेत्र में विस्तार कर्मचारियों और अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की लागत को पूरा करने के लिए उपलब्ध को जाने वाली 40 करोड़ रुपए की धनराशि के अलावा हो ।

9. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली अतिरिक्त यूनिटें लघु और सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या के राज्य वार वितरण के आधार पर अलाट की जायें। आयोग ने इसे दृष्टि में रखते हुए अस्थाई वितरण का सुझाव दिया है । कार्यक्रम को लागू करते समय सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों के चुनाव पर बल दिया जाना चाहिए । यह कार्यक्रम सूखे से प्रभावित रहने वाले जिलों में लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया है । सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम से भी सम्बन्धित क्षेत्रों में छोटे/सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को लाभ होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार करने के लिए कार्यवाही

*19. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) सरकार ने इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1973-74 में कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए दलों का चयन संबंधी राष्ट्रीय खेलकूद संघों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है । यह मंत्रालय इस चयन से सहयोजित नहीं होता है और इसकी, इन दलों के निष्पादन के लिए कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है ।

तथापि, सरकार, दलों के प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता, अर्हताप्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा प्रवीण प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं तथा दलों के यात्रा-खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि दलों के साथ अर्हताप्राप्त प्रशिक्षकों को भेजा जाए । यदि खेल का स्तर घटिया हो और दल के युक्तियुक्त अच्छे निष्पादन के अवसरों की आशा नहीं हो तो अखिल भारतीय खेल परिषद् ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति के लिए सिफारिश नहीं करती । अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सलाह पर, दलों के चयन और उचित प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएं निर्धारित की गई हैं और मार्गदर्शन के लिए उन्हें संघों को भेज दिया गया है।

सरकार खेलों के विकास और राष्ट्रीय आधार पर उपलब्धि के स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों पर भी विचार कर रही है । पांचवीं योजना के अन्तर्गत विनिधान का पता चलने के बाद ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(ख) 8.75 लाख रुपये ।

वनस्पति तेल कारखाने

*20. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में वनस्पति तेल के नये कारखाने स्थापित करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान पृथक-पृथक कितने आशय-पत्र जारी किये गये ;

(ख) आशय-पत्र जारी होने के पश्चात् वनस्पति तेल का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कोई ऐसे कारखानें भी हैं जो आशय-पत्र जारी होने के बाद भी वनस्पति तेल का निर्माण नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दो—दोनों निजि क्षेत्र में ।

(ख) से (घ) केवल आशय-पत्र जारी करने से ही किसी आवेदक को उत्पादन शुरू करने का हक प्राप्त नहीं हो जाता है । औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त होने पर ही केवल ऐसा किया जा सकता है ।

नई दिल्ली के बूथ न० 797 पर दूध की सप्लाई में अनियमितता

1. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली के दुग्ध डिपो नं० 797 के दुग्ध वितरण कर्ताओं को अनधिकृत व्यक्तियों को दुध सप्लाई करने की आदत है और अनेक बार उन आयाओं को लौटना पड़ता है, जो घर-घर जाकर संसद् सदस्यों को दूध की सप्लाई करती हैं और वे उचित रूप से दूध की सप्लाई करने में असमर्थ होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय का विचार ऐसी आदतों को समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारियों की अचानक दौरा करने के लिए तैनात करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के पास नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली के दुग्ध डिपो नं० 797 के कर्मचारियों द्वारा दूध की सप्लाई न करने, कम सप्लाई करने, बिना टोकन वालों को दूध की सप्लाई करने, सील बदलने, गाय के दूध की सप्लाई न करने तथा डिपो के कर्मचारियों के असंतोषजनक व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें पहुंची थीं । इन समस्त शिकायतों के विषय में तुरन्त जांच पड़ताल की गई थी इन शिकायतों तथा जांच पड़ताल के परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5651/73]

विशिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करने के अतिरिक्त, दिल्ली दुग्ध योजना उचित कार्य-संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र कर्मचारियों के माध्यम से डिपुओं की समय-समय पर अचानक जांच भी करती रहती है ।

मैसूर राज्य के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

2. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता देने के लिए मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में कीट-नाशक और मलेरिया निरोधी दवाइयां तथा गाड़ियां दे दी गई हैं ।

मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का आवंटन

3. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को डी०डी०ए० के फ्लैट आवंटित करने के लिए उनका दिल्ली में किन-किन स्थानों पर निर्माण किया जा रहा है और वर्ष 1974 और 1975 के दौरान अलग-अलग आवंटन के लिए किन-किन स्थानों पर उक्त फ्लैट तैयार हो जायगे;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लैटों की संख्या का मंजिल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1974 और वर्ष 1975 के दौरान उनके आवंटन की घोषणाओं की सम्भावित तारीखों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) तक अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

स्थान	फ्लैटों की संख्या	मंजिलों की संख्या	पूर्ण होने हस्तांतरण करने की प्रत्याशित तारीख
I वर्ष 1974			
1. प्रसाद नगर	304	4	दिसम्बर, 1974
2. कटवारिया सराय	66	2	जून, 1974
3. मुनीरका	350	3	मार्च, 1974
4. शेख सराय	108	3	दिसम्बर, 1974
5. ईस्ट आफ़ कैलाश	88	3	दिसम्बर, 1974
II वर्ष 1975			
1. राजौरी गार्डन	500	3	जून, 1975
2. वज़ीरपुर फेज III	500	3	जून, 1975
3. मालवीय नगर	580	396 4 184 3	दिसम्बर, 1975
4. पंखा रोड	324	3	जून, 1975
5. शेख सराय	400	अभी निर्णय करना है ।	इन फ्लैटों के निर्माण के आरम्भ होने की तारीख से लगभग 18 महीने में पूर्ण हो जाने की आशा है ।
6. कालका जी	750	-वही-	
7. लारेन्स रोड	1000	-वही-	
8. मुनीरका	500	-वही-	

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न आवास योजनाओं के डीज़ाइन बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष के आरम्भ में एक वास्तुकीय प्रतियोगिता की थी । इन में भी तीनों स्थानों पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण करने की व्यवस्था है:—

(i) दिलशाद गार्डन—4 मंजिले, 780 से 800 फ्लैट

(ii) मालवीय नगर—4 मंजिले, 528 से 568 फ्लैट

(iii) कालकाजी—3 मंजिले, 316 से 340 फ्लैट

ये फ्लट निर्माण कार्य आरम्भ होने की तारीख से 18 महीने की अवधि में पूर्ण किए जा सकते हैं बशर्ते कि वास्तुकीय नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया जाए जिनके लिए पुरस्कार विजेता प्रतियोगी चयन कर लिए गए हैं तथा सीमेंट, इस्पात आदि जैसी सामग्री उपलब्ध हो जाए ।

Proposed amendments to the Delhi Rent Control Bill

4. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Government of India had sent the Delhi Rent Control Bill to the Delhi Administration, which has been opposed by the Metropolitan Council;

(b) whether representatives of the Delhi Tenants Association had called on him;

(c) if so, the outcome of the talks held with them; and

(d) whether Government propose to make some changes in the said Bill?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) A draft Bill was sent to the Delhi Administration for the recommendations of the Metropolitan Council who made some changes in it.

(b), (c) and (d) : The representatives of the Delhi Tenants' Federation called on the Minister for Works and Housing. The Delhi Central Tenants' Association has also submitted Memoranda. The points made by them have been noted. No final decision has yet been taken regarding the changes to be made in the Rent Control Bill.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आय वर्ग योजना

5. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की निम्न आय वर्ग योजना के अधीन पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों को जुर्माने के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, जिनके नाम फ्लैटों के आवंटन के ड्रा के दौरान प्रत्याशियों की सूची में आ जाते हैं, परन्तु जो फ्लैटों को लेने से इंकार कर देते हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फ्लैटों के इस प्रकार के ड्रा के दौरान जिन व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में आ जाते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार दण्डित किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निम्न आय वर्ग योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन को स्वीकार न करने पर प्रतीक्षा सूची में दर्ज ऐसे व्यक्तियों को भी जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ती है, जिनकी आय "फ्लटों के लिए प्रतीक्षा" की अवधि के दौरान बढ़ गई है और जो मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने के हकदार हो गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) आवंटन के ड्रा में सफल घोषित किये जाने वाले आवेदकों को आवंटन स्वीकार नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ता है । लेकिन यदि आवेदक ड्रा से पूर्व अपने आवेदन किसी निश्चित तिथि तक वापस ले लेते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ता ।

(ख) यदि कोई व्यति फलैट की आफर भेजे जाने से पूर्व प्रतीक्षा सूचि से अपना नाम वापस ले लेता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यदि आवेदन आफर भेजने के बाद वापस लिया जाय तों जुर्माना देना पडता है।

(ग) यदि किसी व्यक्ति की आय, प्रतीक्षा सुची में उसका नाम आ जाने के पश्चात् बढ़ जाती है तो वह बिना जुर्माना दिए अपना नाम वापस ले सकता है बशर्ते कि वह अपना नाम आफर भेजे जानें से पूर्व वापस लेले।

वी एल० 480 योजना के अधीन गेहूं का वसूली मूल्य

6. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पी० एल० 480 योजना के अधीन गेंहूँ का प्रति टन अनुमानित वसूली मूल्य कितना है ;

(ख) उसकी ढुलाई, उतार, लदान और वितरण पर सरकार को अनुमानतः कितनी राशि खर्च करनी होती है ; और

(ग) उपभोक्ता को यह गेहूँ किस कीमत पर उपलब्ध होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) फिलहाल, पी० एल० 480 योजना के अधीन कोई भी गेहूँ आयात नहीं किया जा रहा है ।

राज्यों में गेहूं और चावल के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना

7. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में चावल और गेहूँ के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया है ताकि इन मदों का समान एवं उचित वितरण सम्भव हो सके ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों को भी ऐसे निर्देश जारी करने का विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्य (यों) के कमी वाले जिलों में गेहूँ की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्य के अन्दर गेहूँ के अन्तर-जिला संचालन पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर शायद कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। साथ ही, उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वे उत्पादकों के पास अब भी उपलब्ध खाद्यानों को निकलवाकर और अन्य पग उठाकर अधिशेष खाद्यानों की अधि प्राप्ति करें ।

चावल के थोक-व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में विरोधी दलों के नेताओं को दी गई प्रश्नावली

8. **श्री एम० कताभुतु :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के थोक-व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेने तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में विरोधी दलों के नेताओं में एक प्रश्नावली परिचालित की है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य प्रश्न क्या हैं और प्रत्येक विरोधी दल तथा नेताओं ने उन प्रश्नों के क्या-क्या उत्तर दिए हैं; और

(ग) उन उत्तरों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आठ विरोधी दलों से प्राप्त प्रश्नावली और उनके उत्तर संलग्न हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5652/73]

(ग) खरीफ खाद्यान्नों की नीति तैयार करते समय सरकार ने इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा है ।

दिल्ली में "75,000 चिल्ड्रन डिनाइड डेंली ब्रेड" संबंधी समाचार

9, **श्री एम०. कतामुतु :**

श्री हुकम चन्द्र कछवाय :

क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "75,000 चिल्ड्रन डिनाइड डेंली ब्रेड" शीर्षक से दिनांक 12 अक्तूबर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पोषाहार केंद्र के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अधीन स्कूल-पूर्व बच्चों को भोजन देने के लिए मार्डन बेक्रीज द्वारा निर्मित विशेष सपुष्ट डबल रोटी की प्रदाय ठीक प्रकार के सोया आटे के, जो डबल रोटी का अत्यावश्यक अंश है, न होने के कारण केवल 5 दिनों के लिए अर्थात 4 अक्तूबर, 1973 को तथा 8 अक्तूबर, 1973 से 11 अक्तूबर, 1973 तक बन्द रही । 15 अक्तूबर, 1973 को छुट्टियों के बाद प्रदाय फिर से शुरू कर दी गई थी ।

(ग) दिल्ली में इस कार्यक्रम का पूरा खर्च केंद्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है और कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया जाता है ।

वन सम्पदा के विस्तार की आवश्यकता

10. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री एस० ए० मरुगन्तम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वन सम्पदा के संवर्धन और विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वानिकी के क्षेत्र में अधिक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। योजना की निधि के अन्तर्गत 4 लाख हैक्टार क्षेत्र में वन लगाने और परती भूमि, पंचायती भूमि तथा वन क्षेत्रों आदि में मिश्रित किस्म के पेड़-पौधे लगाने और समाजिक वानिकी के विकास, जिसमें, निम्नकोटि के वन भी शामिल हैं, उनमें वृक्षारोपण के लिए 18 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मानव निर्मित वन-उत्पादन वानिकी और सामाजिक वानिकी संबंधी अपनी अन्तरिम रिपोर्टों में जो सिफारिशें की हैं उनके आधार पर पांचवीं योजना के अन्तर्गत राज्य तथा केन्द्र के क्षेत्र में वन सम्पदा बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की गई हैं। वन निगमों की स्थापना करके वन लगाने के कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है। कर्नाटक राज्य में पहले ही वनरोपण निगम की स्थापना कर दी है और कई अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के निगम स्थापित करने के लिए पहले ही प्राथमिक कार्यवाही की है। आशा है कि संस्थागत वित्त से पांचवीं योजना के अन्तर्गत लगभग 4 लाख हेक्टार क्षेत्र में मानव-निर्मित वन लगाए जायेंगे।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

11. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री एस० ए० मरुगनन्तम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिये संशोधन पेश करने पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे संसद के समक्ष कब तक लाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री श्री ए० के० किस्कु: (क) जी हां।

(ख) इसके मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) "खाद्य" शब्द का अर्थ विस्तार करना ताकि अन्य प्रकार के सभी खाद्य उनका नाम कुछ भी क्यों न हो, अथवा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार द्वारा घोषित सभी खाद्य पदार्थ इसकी परिभाषा में समाहित हो सकें।

(2) "खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारी" के क्षेत्र का विस्तार करना ताकि इसमें ऐसे अधिकारियों को सम्मिलित किया जा सके जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(3) राज्य सरकारों का "स्थानीय अधिकारी" घोषित करना।

(4) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति में व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा विक्रेताओं को और अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व देना।

(5) दूसरे प्रकार की खाद्य वस्तुओं को तैयार करने के लिये खाद्य वस्तुओं का भण्डार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित मानकों के अनुरूप न रखने को एक अपराध समझना।

(6) शीघ्र खराब हो जाने वाले उन खाद्यान्नों को जो खराब हो चुके हों निपटान करने के लिये स्वास्थ्य अधिकारी को "स्थानीय अधिकारी" की शक्तियां देना।

(7) खाद्य निरीक्षकों को जांच पड़ताल के प्रयोजन के लिये हिसाब किताब तथा अन्य सामग्री का निरीक्षण करने और पकड़ने की शक्तियां देना।

(8) खाद्य निरीक्षकों को संज्ञैय-अपराधों की छान-बीन करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156, 160 और 161 के अधीन शक्तियां प्रदान करना ताकि वे साक्षियों को समन भेज सकें और उनकी जांच कर सकें।

(9) बन्द डिब्बों से लिये गैये नमूनों को चार भागों में विभक्त करना।

(10) खाद्य निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये ऐसे खाद्य पदार्थों को जिन्हें मजिस्ट्रेट मिलावटी समझता हो, राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लेना।

(11) यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो गलत छाप वाले खाद्य वस्तुओं की किसी सुयोग्य व्यक्ति की देख रेख में पुनः जांच पड़ताल करना।

(12) निदेशक की अनुपस्थिति में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के अन्य अधिकारियों को विश्लेषण रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार देना।

(13) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को नमूने भेजने के लिये निश्चित अवधि निर्धारित करना यदि दोषी व्यक्ति ऐसा चाहता हो।

(14) उत्पादक निर्माता वितरक थोक अथवा फुटकर विक्रेताओं की लापरवाही या उनकी भूल-चूक यदि किसी से भिन्न अन्य कारणों से कोई खाद्य पदार्थ निश्चित मानकों के हिसाब से घटिया किस्म का पाया जाय तो उसे अपराध न माना जाय किन्तु ऐसा कारण सिद्ध करने का दायित्व बचाव पक्ष पर हो।

(15) अभियोग चलाने के लिये निश्चित अवधि तय करना।

(16) जहां केन्द्रीय सरकार के विचार से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हों कि तत्काल नियम बनाना आवश्यक है, वहां नियमों में संशोधन के पिछले प्रकाशन की शर्त को छः मास की अवधि के लिये छोड़ देना।

(17) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार और खाद्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों को मिली शक्तियों और कर्तव्यों को आगे स्थानीय अधिकारियों को न सौंपा जाना।

(ग) राज्य सरकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव उनके विचार प्राप्त करने के लिये उन्हें भेज दिये गये हैं । उनके विचार मिल जाने के उपरान्त उन्हें कानूनी शक्ल देने के लिये संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में चावल मिल मालिकों की लेवी में कमी

12. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अभी हाल में चावल मिल मालिकों पर लेवी 75% से 33$\frac{1}{3}$% तक घटा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान चावल मिल मालिकों पर किस अनुपात में लेवी लागू की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शन्दे) : (क) और (ख) कुल मिलाकर खुले बाजार के मूल्यों को कम करने की नीति के एक भाग के रूप में राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से लेवी कम कर दी है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान मिल मालिकों पर लगाई गई लेवी की प्रतिशतता राज्य के विभिन्न भागों में, जिनको चावल की अधिप्राप्ति के प्रयोजन हेतु खण्डों में बाँटा गया है, 25 से 75 तक भिन्न भिन्न है ।

केरल में तीसरे कृषि फार्म की स्थापना में प्रगति

13. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि** मंत्री त्रिवेन्द्रम (केरल) में तीसरे कृषि फार्म की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में 30 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8558 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में तीसरे कृषि फार्म की स्थापना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विशेषज्ञ दल ने इस परियोजना के स्थान तथा अन्य मुख्य बातों के बारे में फैसला कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस में केन्द्रीय सहायता कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह फार्म किस स्थान पर स्थित होगा, इस संबंध में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) तथा (ग) विशेषज्ञों के दल ने तीसरे सामूहिक फार्म के स्थान के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट में दिये गये ब्यौरों की राज्य सरकार जांच कर रही है । और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा । राज्य सरकार ने योजना आयोग से भी इस राज्य में इस फार्म तथा अन्य सामूहिक फार्मों को चलाने के लिये योजना के बाहर वित्तीय सहायता देने के लिये अनुरोध किया है ।

कोचीन शिपयार्ड

14. **श्री बायलर रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री कोचीन शिपयार्ड की लागत के बारे में 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस परियोजना के काम में कितनी प्रगति हुई है और क्या सरकार ने इस की वित्तीय स्थिति का कोई पुनर्विलोकन किया है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ; और

(ख) इस परियोजना के पूरा होने के बारे में लगने वाले समय का क्या अनुमान है और वर्ष 1973-74 के लिए नियतन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) भूमि-अधिग्रहण, सुधार कार्य परियोजना सड़कों, जल प्रदाय पद्धतियों (प्रथम चरण) और जल निकास की सुविधाओं की व्यवस्था (प्रथम चरण) जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिये गये हैं । पेंट स्टोर, तेल स्टोर, प्रयोगशाला, मुख्य आदान केन्द्र और प्रशिक्षण स्कूल (दुकान और कार्यालय) का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है । निर्माण और मरम्मत गोदियों के लिए खुदाई का कार्य चल रहा है और शीटपाइल ठोकने का कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेगा । हलशाप, आउट फिटिंग, वेयरहाउस, जनरल स्टोर अनुरक्षण शाप, मोल्ड लाफ्ट, कम्प्रेसर रूप और रेलवे साइडिंग का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है । ट्रांसफार्मरों, केबलों और स्विच गियर आदि के लिए आर्डर दे दिये गए हैं। 53.5 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया गया है । वित्तीय स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है । परियोजना की अनुमानित लागत के 45.42 करोड़ रुपये से बढ़कर 74.29 करोड़ रुपये हो जाने की प्रत्याशा है ।

(ख) बाद में पूरे किये जाने के लिए निर्धारित कुछ छोटे छोटे कार्यों को छोड़कर परियोजना की सितम्बर, 1975 तक पूरा हो जाने की संभावना है । चालू वर्ष के लिए 8 करोड़ रुपये का आबंटन है । इस आवंटन के 12 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए कार्यवाई की गई है ।

राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम दिल्ली में गबन की जांच का परिणाम

15. **श्री सतपाल कपूर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम, दिल्ली में धन के गबन की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके निषकर्ष क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त ब्यूरो कब तक जांच पूरी कर लेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वनस्पति का उत्पादन करने वाले उद्योगों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा उसके उत्पादन में कमी

16. **श्री सतपाल कपूर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में वनस्पति उत्पादक उद्योगों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वास्तव में वनस्पति का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) वनस्पति के उत्पादन में कमी के विशेष कारण कौन से हैं और पूरा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और कब तक वनस्पति का लाइसेंस दी गई क्षमता के अनुसार उत्पादन शुरू हो सकेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 1972-73 के दौरान मूंगफली की पैदावार में भारी गिरावट आने और साथ में विश्व की मंडियों में खाद्य तेलों की कमी होने के कारण देश में कच्चे तेलों की उपलब्धता न होने से वनस्पति का औसत मासिक उत्पादन 1972 के लगभग 50,000 मी० टन से गिरकर 1973 (अक्तूबर तक) के दौरान 37,224 मी० टन पर आ गया था ।

अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं:—(1) बिनौले, सरसों और चावल की भूसी के तेलों जैसे वैकल्पिक देशी तेलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना (2) विदेशी मुद्रा में अधिक मूल्य देकर भी आयात करने में तेजी लाना; और (3) अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगने वाली क्षमता को निरुत्साहित करना ।

नवम्बर, 1973 में मूंगफली का नया सीजन शुरू होने और फलस्वरूप कच्चे तेलों की बढ़ी हुई उपलब्धता से यह आशा की जाती है कि बिल्कुल निकट भविष्य में वनस्पति का उत्पादन सामान्य स्तर पर होने लगेगा ।

विवरण

(आंकड़े मी० टन में)

क्रम संख्या	राज्य	लाइसेंस शुदा क्षमता प्रति मास	उत्पादन जनवरी-अक्तूबर, 1973 औसत प्रति मास
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,400	2,622
2.	असाम	2,500	—
3.	बिहार	6,250	1,480
4.	गुजरात	12,500	3,699
5.	हरियाणा	7,750	718
6.	जम्मू तथा कश्मीर	625	—
7.	कर्नाटक	2,450	334
8.	केरल	750	8
9.	मध्य प्रदेश	10,625	1,425
10.	महाराष्ट्र	26,925	6,861
11.	पंजाब	12,000	4,009
12.	राजस्थान	12,500	2,007
13.	तमिल नाडु	5,513	700
14.	उत्तर प्रदेश	18,625	5,708
15.	पश्चिमी बंगाल	14,425	3,559
16.	दिल्ली	6,325	4,094
		1,44,163	37,224

राज्यों में भूमिहीन किसान परिवार

17. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने भूमिहीन किसान परिवार हैं; और

(ख) उनका राज्यवार, पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जुलाई, 1960 से जून, 1961 तक हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें राउण्ड के अनुसार भूमिहीन परिवारों की संख्या ।

राज्य	भूमिहीन परिवारों* (ग्रामीण) की संख्या (हजार)	कुल परिवारों की तुलना में भूमिहीन परिवारों की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	644	10.77
असम	608	29.43
बिहार	1045	13.27
गुजरात	642	24.43
जम्मू तथा काश्मीर	43	9.01
केरल	819	31.94
मध्य प्रदेश	532	9.75
तमिलनाडु	1304	22.26
महाराष्ट्र	796	16.64
मैसूर	614	18.22
उड़ीसा	294	9.91
पंजाब	443	12.95
राजस्थान	96	3.23
उत्तर प्रदेश	411	2.93
पश्चिम बंगाल	649	13.92
संघ राज्य क्षेत्र**	88	21.62
समस्त भारत	9028	12.98

*परिवार का अभिप्राय "उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य तौर पर इकट्ठे रहते हैं और एक ही रसोई से खाना खाते हैं ।" उपलब्ध नवीनतम आंकड़े 1960-61 से सम्बन्धित हैं और यहां परिवार का आशय उपर्युक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले परिवार से है न कि भूमिहीन कृषि परिवारों से ।

**संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी आवास अलाट करने के बारे में जांच करने के लिए उप-समिति

18. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि वह कम और अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास अलाट करने में समयान्तर दूर करना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मकानों की अलाटमेंट की जांच करने हेतु एक उप-समिति बनाने पर विचार करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह समिति बना दी गई है और उसके निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) तथा (ख) 6 फरवरी 1973 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि अन्य बातों के साथ इस विषय में जांच करने के लिए परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति का गठन किया जाए। तथापि, विस्तृत रूप से विचार करने पर सरकार ने ऐसी उप-समिति बनाने की आवश्यकता नहीं समझी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी बनाये गये जूनियर इंजीनियर (विद्युत)

19. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**: या **नर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम नवम्बर, 1973 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुल कितने जूनियर इंजीनियर (विद्युत) काम कर रहे थे;

(ख) इनमें से कितनों को स्थायी बनाया गया है; और

(ग) क्या जूनियर इंजीनियरों को अधिक संख्या में स्थायी बनाने की घोषणा की जाएगी और यदि हां, तो इसके लिए कितनों को अर्हता प्राप्त घोषित किया जा रहा है, और इन में से कितनों को वास्तव में स्थायी बनाया जाएगा और कब ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) 1-11-73 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 987 कनिष्ट इंजीनियर (बिजली) हैं।

(ख) अप्रैल, 1973 में किये गये पिछले पुनरीक्षण के अनुसार 610 कनिष्ठ इंजीनियर स्थायी घोषित किये गये थे।

(ग) 17 और पद उपलब्ध हैं। अगला पुनरीक्षण अगले वर्ष मार्च में किसी समय किया जायेगा।

स्नातक जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की मांगों के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

20. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक जूनियर इंजीनियर ऐसोसिएशन पदोन्नति के लिए पृथक कोटा निश्चित करने और उनके लिए पृथक वेतन-क्रम और पदाली बनाने और श्री रमैया द्वारा दाखिल की गई लेख्य याचिका के

कुप्रभावों का निराकरण करने की अपनी मांगों के समर्थन में कानूनी अड़चन दूर करने के लिए दिनांक 26 सितम्बर, 1973 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की वे मुख्य बातें क्या हैं जो स्नातक इंजीनियरों और विभाग के पक्ष में है और जिससे कानूनी पहलू स्पष्ट होंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी हां । जम्मू तथा कश्मीर राज्य और त्रिलोक नाथ खोसा एवं अन्य व्यक्तियों के बीच मुकदमें में 1972 की सिविल अपील सं० 2134 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26-9-73 को दिये गये निर्णय की एक प्रति स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के काडर के सम्बन्ध में इसकी कानूनी अड़चनों पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

Excavation of Idols, Ornaments and Utensils in Pawapuri

21. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether 70 idols, ornaments and utensils worth Rs. 3 lakhs have been found during excavation in Pawapuri;

(b) whether these articles belong to Budha period; and

(c) if so, the full facts thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) (b) and (c) 4 Jaina images and 3 Brahmanical images a nd some earthenware utensils and a gun are known to have been found at Pawapuri during digging operations by the Jain Svetambara Pawapuri Tirth Vyavasthapaka Samiti in connection with the renovation of the temple. The objects do not belong to the Buddhist affiliation.

Adulteration in Mustard Oil

22. **Shri Bhagirath Phanwar :**

Shri Biswanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards the news regarding adulteration in mustard oil ;

(b) whether this adulterated oil can cause dropsy to a great extent;

(c) what action has been taken by Government to let the people know about the adulteration of oil; and

(d) what action has been taken so far by Government against this adulteration ?

The Minister of state in the Ministrv of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir,

(b) Yes, when mustard oil is adulterated with argemone oil even in traces.

(c) Immediately on receipt of reports, towards the middle of September, 1973, linking the incidence of dropsy, in the suburbs of Delhi, with the consumption of adulterated mustard oil, a Press release was issued alerting the public as well as the medical profession in this regard, and advising the people to purchase mustard oil only from authorised and reliable sources. All hospitals and dispensaries in Delhi were separately aaddressed on the same lines.

(d) (i) Measures to check adulteration of mustard oil were intensified.

(ii) The possibilty of developing a more sensitive test for detection of argemone oil in edible oils than the existing ferric chloride test is being examined.

दिल्ली स्कूल टीचर्ज कोआपेरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता और चुनाव सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव

23. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्ज को-आपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड दिल्ली के निवासियों को निलंबित करने के बारे में 20 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्ज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड दिल्ली के सदस्यों की सूची की रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच कर ली गई है और उन्हें अद्यतन बता दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या कितनी है और क्या सरकार का विचार सूची के अनुसार सोसायटी जिसके 1966 से निश्चित नहीं हुए हैं के मामलों को विनियमित करने के लिए निर्वाचन कराने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सदस्यों के हितो के संरक्षक के लिए जितने नाम सोसायटी के सभी दस्तावेजों में भ्रष्ट पदाधिकारियों के कदाचारों के कारण विद्यमान नहीं है क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । चुंकि दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली की सदस्यता से संबंधित मूल कागजात अभी तक जांच अधिकारी जो सोसाइटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच कर रहे हैं को उपलब्ध नहीं किए गए हैं अतः सदस्यों की सूची की जांच अभी तक नहीं की जा सकी है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसके बाद की कार्यदिशा जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करेगी जिसके लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड

24. **श्री जगनाथ मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 26 फरवरी 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 928 के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्ज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि० दिल्ली को अलाट की गई कुल भूमि के 41.9 प्रतिशत भाग पर प्लाटों की अनुमति दी गई है जबकि अन्य सोसायटियों को सकल भूमि के 53 प्रतिशत भूमि पर प्लाट बनाने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां तो इस विषमता का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सोसाइटी के प्लाट क्षेत्र को बढ़ा कर अन्य सोसायटियों के समान करने का है विशेषकर जबकि प्लाटों की संख्या सोसायटी के सदस्यों की अपेक्षा कहीं कम है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) समिति ने स्वयं एक ले-आउट प्लान दिया जिसमें रिहायशी प्लाटों के लिए क्षेत्रफल कुल भूमि का 44.3 प्रतिशत दिखाया गया था(जिसमें 2 प्रतिशत सैनिक कर्मचारियों के लिए शामिल है). यह प्रतिशतता दिल्ली की बृहत योजना में नियत की गई कुल सघनता के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। शहादरा में जहां इस समिति को भूमि आवंटित की गई है रिहायशी प्लाटों के लिए निर्धारित क्षेत्रफल कुल भूमि का 45.8 प्रतिशत है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

दिल्ली में पी० जी० टी० ग्रेड में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड से वंचित करना

25. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 26 फरवरी 1973 के दिल्ली में पी० जी० टी० के रूप में कार्य कर रहे टी० जी० टी० अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड से वंचित रखना अतारांकित प्रश्न संख्या 817 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मामले पर कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है और यदि हां तो क्या; और

(ख) क्या हाल ही में यह मामला दिल्ली के उच्च न्यायालय में ले जाया गया था और यदि हां तो क्या उच्च न्यायालय के निर्णाय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उन प्रशिक्षित-स्नातक अध्यापकों को जिन्हें स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में स्थायी कर दिया गया है प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। उन अध्यापकों को जो स्थानापन्न स्नातकोत्तर अध्यापकों के रूप में काम कर रहे हैं प्रवरण ग्रेड दे दिया गया है।

(ख) जी हां। उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 5653/73]

दिल्ली में मूलचन्द अस्पताल से ग्रेटर कैलाश जाने वाली सड़क पर बिजली

26. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री मूलचन्द अस्पताल से ग्रेटर कैलाश जाने वाली सड़क पर बिजली की व्यवस्था के बारे म 26 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4561 के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) इस सड़क पर बिजली व्यवस्था प्रदान करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सारा काम कब तक पूरा हो जाएगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० बी० राना) : (क) और (ख) सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने की लागत का अनुमान पहले ही तैयार कर लिया गया है और दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक निमार्ण विभाग ने दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम के पास लागत पहले ही जमा कर दी है जो सामग्री उपलब्ध होने पर, लगभग अगले चार महीनों में कार्य पूरा कर देंगें।

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजना के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध

27. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने के लिए 1.46 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां,। केरल सरकार से मार्च, 1973 से आगे निकल गई आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1.46 करोड़ रु० की सहायता की राशि निर्मुक्त करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) चालू वर्ष में अधिक साधन उपलब्ध न होने के कारण भारत सरकार ने राज्य सरकार का यह अनुरोध स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

नारियल, काजू, सुपारी और मसालों सम्बन्धी परिषदों को मिलाकर एक कर देना

28. **श्रीमती भार्गवती तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन् नायर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है की काजू, नारियल, सुपारी और मसालों संबंधी वर्तमान परिषदों को मिला कर बागान फसलों के लिए एक परिषद् बना देनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि सिफारिश को क्रियान्वित न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह निश्चय किया गया है कि उन परिषदों की वर्तमान स्थिति में कोई हेर-फेर न किया जाए।

केरल में मत्स्यपालन के विकास के लिए बृहद् योजना

29. **श्रीमती भार्गवती तनकप्पन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से मत्स्यपालन के विकास के लिये कोई वृहद योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने वर्ष 1969 में मीन उद्योग विकास के लिये एक वृहद योजना तैयार की थी। इस योजना के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के दौरान 305.29 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस योजना का सम्बन्ध प्रत्येक क्षेत्र (केन्द्रीय, राज्य, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र) में जुटाई जाने वाली किसी धनराशि के प्रश्न से नही है। अतः केरल सरकार को सलाह दी गई थी कि इन प्रत्येक क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले संसाधनों का मूल्यांकन करना और इस मूल्यांकन के आधार पर ठोस कार्यकारी योजनायें तैयार करना आवश्यक है। विस्तृत कार्यकारी योजनायें ऐसे कार्यक्रमों के लिये ही तैयार की जा सकती हैं, जिनके लिये धनराशि निर्धारित की जा चुकी है या जिनके विकास या विनियोजन के लिये धनराशि उपलब्ध होने की सम्भावना है; इस आधार पर पुनः तैयार हुई कोई वृहद योजना प्राप्त नहीं हुई है। राज्य की चौथी पंच-वर्षीय योजना में मीन उद्योग के विकास के लिये 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, परन्तु चौथी योजना के अन्त तक वास्तव में 6.25 करोड़ रुपये की राशि के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये पंचम योजना में और विकास करने का विचार है। कई विकासात्मक परियोजनायें, जिन्हें विस्तृतरूप से तैयार करके केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया है, वृहद योजना में ली गई परियोजनाओं में दी गई है। 1971 में स्वीकृत हुई कोचीन मीन बन्दरगाह जिसके लिये 272 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा वेलियापतनम, पोन्नानी तथा पोपला की खाड़ी में बन्दरगाहों की सुविधाओं की व्यवस्था करना इन परियोजनाओं में शामिल है इन परियोजनाओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार की पंचम योजना के प्रस्तावों में वृहद योजना के कुछ कार्य भी आते हैं जिनमें यंत्रीकृत जलयानों की सहायता से मछली पकड़ने के कार्य का विस्तार करना, मछली पकड़ने के बड़े जलयानों का प्रारम्भ करना, बर्फ उत्पादन तथा भंडारण की क्षमता को बढ़ाना और मरम्मत तथा रख-रखाव केन्द्रों, जाल बनाने के संयंत्रों, औद्योगिक सम्पदा तथा मीन आहार संयंत्रों की स्थापना करना शामिल है।

नियंत्रित मूल्यों पर गेहूं बेचने के लिए दिल्ली में लाइसेंस

30. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नियंत्रित मूल्यों पर गेहूं बेचने के लिये दिल्ली में कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) जारी किये गये लाइसेंसों में से कितनी दुकानें वास्तव में काम कर रही हैं और निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को गेहूं सप्लाई कर रही हैं;

(ग) क्या ऐसे लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिये थे परन्तु काम नहीं कर सके और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ये लाइसेंसधारी गेहूं को चोर-बाजार में न बेचें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क): 17-7-1973 तक 8492।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) छापे मारे जा रहे हैं। कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर उसकी तुरन्त जांच की जाती है। 31-10-73 तक 65 मामले पकड़े गये थे।

Indo-Belgium Agreement

32. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the main features of the exchanges contemplated under the agreement concluded between India and Belgium; and

(b) the main benefits to be accrued to both the countries as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) :

(a) The Indo-Belgium Cultural Agreement, signed in Brussels in September, 1973 provides for co-operation between the two countries in the realms of culture, art, science and technology. It envisages co-operation between universities and other institutions of higher education, scientific and artistic associations, academies, museums and libraries through exchange of professors, educationists, members of scientific bodies, writers, artistes and other experts, exchange of books, magazines and other publications, grant of scholarships to nationals of each other's country, dissemination of knowledge of each other's culture through radio, press, television and similar mass media, exchange in the field of sports and physical education, establishment of cultural institutes in each other's territory and promotion of tourism. Copy of the Agreement is available in the Parliament Library.

(b) The Agreement will enrich both the countries and further strenghten and consolidate the existing coultural relations and friendship between them.

भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध आरोपों की सी० बी० आई० द्वारा जांच

33. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के बारे में भ्रष्टाचार तथा अन्य प्रकार के अनेक आरोपों की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों से कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण ब्यौरे का कब तक पता चल जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे**) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कुछेक आरोपों की जांच की है और उन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है। अन्य मामले अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित पड़े हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

34. **श्री मोहन राज :** क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 4550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की अब क्या स्थिति है·

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को इस समयोपरि भत्ते की बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा और इसका भुगतान किस तारीख से किया जायेगा; और

(ग) अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय की सलाह से यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दिन भर खुले रहने वाले स्टालों के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है।

दिल्ली महानगर परिषद् के पार्षदों के पास जाने वाले दुग्ध वितरण अधिकारियों तथा सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों को सवारी

35. **श्री मोहन राज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध, वितरण अधिकारियों/सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों को पार्षदों एवं महानगर परिषद के सदस्यों के पास दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य के बारे में उनकी राय जानने के लिये भेजने का अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों को किन परिस्थितियों में दिया गया;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा ऐसी भेटों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है; और

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों को उस अतिरिक्त जिम्मेदारी पर भेजे जाने के लिये कोई यातायात की सुविधा दी जाती है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय इस तथ्य की दृष्टि में लिया गया था कि नगर पार्षद अपने अपने वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं और उस हैसियत में यह स्वाभाविक रूप से वे अपने संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं के कार्य में रुचि रखते हैं तथा दुग्ध डिपुओं की कारगर व्यवस्था में उनका सहयोग प्राप्त करना वांछनीय समझा गया था।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। फील्ड अधिकारी अपने सामान्य निरीक्षण के दौरान स्थानीय नगर पार्षदों से सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं।

(घ) जी नहीं। दुग्ध वितरण अधिकारियों को सरकारी यात्रा के लिये स्टाफ कार प्रयोग करने की अनुमति होती है। सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी परिवहन पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिये नियमों के अनुसार एक निश्चित मात्रा में निर्धारित यात्रा भत्ता पाने के पात्र होते हैं। चूंकि उपर्युक्त फील्ड अधिकारियों को अपनी सामान्य ड्यूटी के एक भाग के रूप में ही दुग्ध डिपुओं की जांच करनी होती है, अतः सामान्य तौर पर सम्बन्धित क्षेत्रों के नगर पार्षदों को मिलने में कोई अतिरिक्त दूरी नहीं तय करनी पड़ती।

विदेशों में तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी

36. **श्री मोहन राज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण अथवा अन्य कार्यक्रमों के लिये फ्रांस भेजा गया था और यदि हां, तो उनके पद क्या हैं, और वे किस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिनके लिये इनका चयन हुआ है और उनका चयन किस प्रकार किया गया;

(ख) ऐसे अधिकारियों की फ्रांस यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई और ऐसे प्रशिक्षण से दिल्ली दुग्ध योजना को ऐसे अधिकारियों के व्यवसायिक कार्य निष्पादन से क्या लाभ पहुंचा;

(ग) क्या इनमें से कुछ अधिकारियों को इनके विदेशों में भेजे जाने के समय प्रतिनियुक्ति के लिये चुना गया था और यदि हां, तो उनके विदेश भेजे जाने का क्या कारण था; और

(घ) अन्य प्रतिष्ठानों को भेजे जा रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां । भारत-फ्रांस, सांकृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1971-73 के अन्तर्गत पशु पालन तथा डेरी के क्षेत्रों में नवीनतम विकास कार्यों का अध्ययन करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धक (वितरण) को 3 अन्य अधिकारियों के साथ मई, 1973 में 4 सप्ताह की अवधि के लिये फ्रांस भेजा गया था ।

यह चयन सम्बन्धित व्यक्तियों की योग्यता सम्बन्धी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये अध्ययन क्षेत्र का ध्यान रखते हुये तथा जिस संस्था से ये व्यक्ति सम्बद्ध हैं उसके लिये ऐसे अध्ययन की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुये किया गया था।

(ख) भारत सरकार को श्री चक्रवर्ती के भेजने पर कोई विदेशी मुद्रा वहन नहीं करनी पड़ी।

यह अध्ययन सम्बन्धित अधिकारी तथा दिल्ली दुग्ध योजना दोनों के लिये लाभकारी था, क्योंकि संस्था को अधिकारी के अध्ययन के दौरे के विस्तृत ज्ञान से लाभ होगा।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्धक (वितरण) मार्च, 1973 के अन्त में आई० डी० सी० भेजने के लिये चुना गया था, जबकि उन्हें फ्रांस भेजने के लिये उनके नामांकन के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1972 में फ्रांस सरकार को सूचित किया गया था और इस सम्बन्ध में फ्रांस सरकार की स्वीकृति फरवरी, 1973 में प्राप्त हुई थी। इस अध्ययन के दौरे का उद्देश्य यह था कि फ्रांस में पशु पालन तथा डेरी-उद्योग के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नवीनतम प्रणालियों से संबंधित अधिकारी को परिचित किया जाये। इस बात को दृष्टि में रखते हुये दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्धक (वितरण) विदेश भेजा गया।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना की कर्मचारियों सम्बन्धी नीति

37. **श्री मोहन राज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने उन्हें गत बजट सत्र के अन्त में किसी समय दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अपनाई जाने वाली कर्मचारियों सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण नीति तथा आल-डे-मिल्क स्टालों के कुछ मैनेजरों के स्थानान्तरण को रद्द किये जाने के बारे में लिखा था ;

(ख) क्या कुछ मैनेजरों को ए० एम० डी० ओ० के रूप में पदोन्नत कर दिया गया जबकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक तथा अन्य मामले चल रहे थे;

(ग) यदि हां, तो पत्र में क्या बातें उठाई गई थीं; और

(घ) मामलों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क), (ग) और (घ) दिल्ली दुग्ध योजना में कुछ पदों के लिये अपेक्षित अर्हताओं/अनुभव तथा उनकी भर्ती की पद्धति के बारे में संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुये थे। सरकार के सम्बन्धित विभागों के परामर्श से इन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) दिन भर खुले रहने वाले स्टालों के मैनेजरों और सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों की हाल ही में की गई पदोन्नतियां संबंधित भर्ती नियमों के अनुरूप थीं। ये चुनाव विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उनके सेवा के रिकार्ड के आधार पर और कुछ संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध बकाया कुछ जांच पड़ताल पर विचार करने के पश्चात् किये गये थे।

दिल्ली दुग्ध योजना सारे दिन खुले रहने वाले स्टालों और संसद भवन में चल रहे मिल्कबार में दुग्ध उत्पादों की बिक्री

38. **श्री मोहम राज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद भवन, नई दिल्ली में सारा दिन खुले रहने वाले मिल्क स्टाल और मिल्क बार से 1 जनवरी, 1973 से 31 अक्तूबर, 1973 (उत्पाद वार) दुग्ध उत्पादों की प्रतिमास कितनी बिक्री हुई और प्रत्येक स्टाल के रखरखाव पर, कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय आदि के रूप में कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या प्रत्येक स्टाल के सम्बन्ध में लाभ और हानि का कोई हिसाब रखा जाता है, और यदि हां, तो उसका स्टाल-वार/मिल्क-बार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस अवधि में संसद भवन में इन स्टालों/मिल्क वारों के कार्यकरण में कोई हानि हुई है तो उसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) संसद भवन में दिन भर खुला रहने वाले स्टाल और दुग्ध बार में दुग्ध उत्पादों के बिक्री प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० 5654/73]

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना सामान्यतः प्रत्येक स्टाल के लाभ तथा हानि का हिसाब नहीं रखती। फिर भी, 1-1-73 से 30-10-73 तक की अवधि का हिसाब तैयार किया गया है और संलग्न है (अनुबन्ध 2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5654/73]

(ग) दुग्ध स्टाल तथा दुग्ध बार में कर्मचारियों की संख्या कुछ कम कर दी गई है और 5-11-1973 से विभिन्न प्रकार के दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विक्रय मूल्य उचित रूप से बढ़ाये गये हैं, ताकि इन स्टालों को न लाभ 'न हानि' के आधार पर चलाया जा सके।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में केन्द्रीय विधेयक

39. **श्री सी० जनार्दनन** :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार ने एक केन्द्रीय विधेयक तैयार कर लिया है; और

(ख) इसे कब तक पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा से संबंधित केन्द्रीय विधेयक को पेश करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

निरक्षरता उन्मूलन

40. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में निरक्षरता का उन्मूलन करने हेतु सरकार ने कितना धन व्यय किया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं; और

(ग) कितने लोगों को इससे लाभ हुआ है तथा उनकी प्रतिशतता कितनी है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को देश में प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के उनके प्रयासों में मदद करने के लिये 80.67 लाख रुपये की राशि मुख्यतः अनुदान के रूप में खर्च की गई है।

(ख) इस उद्देश्य के लिये, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कोई स्कूल नहीं चलाया जा रहा है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों और अन्य कार्यक्रमों के प्रयासों से लाभान्वित व्यक्तियों के अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान, किसान कार्यात्मक साक्षरता कक्षाओं के जरिये, 1.50 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाये जाने का अनुमान है।

प्राथमिक शिक्षा

41. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक गारन्टी के अनुसार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं तथा इनमें कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यद्यपि, सभी राज्य तथा संघीय क्षेत्र, प्राथमिक स्तर पर, राज्य स्कूलों में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं किन्तु सभी राज्यों में वास्तविक स्थिति शत-प्रतिशत नहीं है जैसा कि अनुबन्ध से स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त, अनिवार्यता लागू नहीं की जा रही है, क्योंकि जनता के कमजोर वर्गों को इससे परेशानी होगी । पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के 'प्रारूप दस्तावेज' (अप्रोच पेपर) में, पांचवी आयोजना के अन्त तक 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों और 11–14 वर्ष आयु वर्ग के 75 प्रतिशत बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5655/73]

(ख) 30-9-72 तक प्राथमिक स्तर पर 5,08,605 स्कूल देश में थे । (4,14,406 प्राथमिक और 94,199 मिडिल स्कूल) । कक्षा 1 से 5 तक में दाखिला 755.04 लाख था ।

नई सब्जी मण्डी, दिल्ली में दुकानों का निर्माण

42. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली में कितनी दुकानों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) क्या अधिकांश दुकानदार धन-राशि के अभाव के कारण दुकानों का निर्माण नहीं करा पाए हैं और इन दुकानों के निर्माण हेतु वित्त देने के लिए कोई अभिकरण नहीं है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 122 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 162 दुकाने निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ख) दुकानदार अपनी भूमि बैंकों के पास में रेहन रख कर निर्माण कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

दिल्ली में बासमती चावल की सप्लाई

43. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से उचित दर दुकानों के माध्यम से दिल्ली के राशन कार्ड-धारियों को बासमती चावल सप्लाई नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 के दौरान अब तक कितनी अवधि के लिए दिल्ली के राशन कार्डधारियों को बासमती चावल की सप्लाई नहीं की गई ; और

(घ) बासमती चावल की पुनः सप्लाई कब से होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बासमती चावल उपलब्ध न होने के कारण, यह अगस्त, 1973 से दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों से नहीं सप्लाई किया जा रहा है ।

(ग) नवम्बर, 1972 से अप्रैल, 1973 और अगस्त, 1973 से अक्तूबर, 1973 के दौरान बासमती चावल नहीं दिया गया था ।

(घ) दिल्ली में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में जब भी इस किस्म के चावल का कुछ स्टाक उपलब्ध हो जायेगा तभी बासमती चावल की सप्लाई शुरू कर दी जायेगी ।

भारत की जनसंख्या को उत्पादन के साथ सम्बद्ध करना

44. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक किस वर्ष तक हो जायेगी ;

(ख) उस समय खाद्य पदार्थों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ;

(ग) उक्त जनसंख्या की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताएं क्या होंगी ; और

(घ) क्या जनसंख्या को खाद्य-पदार्थों के उत्पादन से सम्बद्ध करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और यदि हां, तो किस मंत्रालय द्वारा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) यह कहना संभव नहीं है कि भारत की जनसंख्या कब एक अरब से अधिक हो जाएगी क्योंकि वास्तविक धारणा के साथ दीर्घावधिक पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते । जनसंख्या पूर्वानुमान संबंधी विशेषज्ञ समिति ने जनसंख्या के सरकारी अनुमान अब तक केवल 1981 तक के ही लगाए हैं । इस समिति के अनुसार 1981 में अनुमानित जनसंख्या 657,329,000 हो जाएगी ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी हां, खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा प्रयास किए गए हैं।

ए० पी० जे० लाइन्स द्वारा पोतों की बिक्री

45. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान "ब्लिटज" के 13 अक्तूबर, 1973 के संस्करण की ओर दिलाया गया है जिसमें ए० पी० जे० लाइन्स पर गम्भीर आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन्स के तीन पोतों की बिक्री के बारे में वास्तविक तथ्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी ने इस कारण से दो जहाजों को विदेशों में बेचने के लिए नौवहन के महानिदेशक से अनुरोध किया था कि उनका चलाना अब लाभप्रद नहीं रह गया है । सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

आन्ध्र प्रदेश में बेघर गरीब खेतीहर मजदूरों के लिए आवास स्थल

46. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बेघर गरीबों और खेतीहर मजदूरों को मकानों के विकसित स्थल देने की योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन और सहायता देने के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और जिलावार कितने स्थल दिये जायेंगे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत संशोधित परियोजना के प्रस्ताव आन्ध्रप्रदेश शासन से मार्च, 1973 से प्राप्त हो रहे थे । निम्नलिखित कारणों से किसी भी परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकार करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है:—

(i) राज्य सरकार ने आन्ध्र क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को उन आवास स्थलों के, जिन पर इस समय उनके मकान/झुग्गियां बनी हुई हैं, वास भूमि के अधिकार देने के बारे में अभी तक कानून नहीं बनाया है । यह शर्त, इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तों में से एक है।

(ii) योजना को देश भर में कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1973-74 में 5.00 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी थी जिसे मितव्ययता के उपाय के रूप में घटा कर 3.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है । वर्ष 1972-73 में अनुमोदित परियोजनाओं के सम्बन्ध में लगभग 12 करोड़ रुपये की बची हुई बचनबद्धताओं की तुलना में 3.5 करोड़ रुपये की यह घटायी गयी राशि अपर्याप्त समझी जाती है । इसे देखते हुए, इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में आन्ध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार की नई परियोजनाएं स्वीकृत करके नयी बचनबद्धता करना उपयुक्त नहीं समझा गया है ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	दिए जाने वाले आवास स्थलों की संख्या	अनुमानित लागत
			(लाख रुपयों में)
1.	करनूल	97,065	265.93
2.	नेल्लोर	65,625	195.86
3.	अनन्तपुर	71,565	174.10
4.	कृष्णा	1,16,963	401.77
5.	श्रीकाकुलम	1,00,067	285.19
6.	ओंगोल	70,795	215.54
7.	कुड्डापाह्	53,584	128.60
8.	पूर्वी गोदावरी	1,15,503	400.21
9.	विशाखापटम्	66,104	188.40
10.	चित्तूर	77,294	199.99
11.	गन्तूर	1,43,694	482.82
12.	पश्चिमी गोदावरी	1,18,463	426.46
13.	अदीलाबाद	41,592	94.00
14.	वारंगल	65,087	158.79
15.	हैदराबाद	38,099	104.15
16.	खम्मम	53,663	122.53
17.	करीमनगर	71,305	166.59
18.	नलगोडा	52,865	128.46
19.	मेडक	55,271	133.74
20.	महबूबनगर	81,544	179.62
21.	निजामाबाद	34,369	115.48
	जोड़ . .	15,90,517	4568.23

भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विदेशों में फैलोशिप

47. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष तथा अगले वर्ष भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्पित फैलोशिप विदेशों में उपलब्ध होंगे ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विषयों में "कार्डियोलौजी" विषय भी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

आन्तरिक जल परिवहन की योजनाओं का विकास

48. **श्री के० कोंडडा रामी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक जल परिवहन के विकास पर उनका मंत्रालय विशेष बल दे रहा है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा कितना धन मांगा गया है और योजनाओं के, राज्यवार, नाम क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में 100 करोड़ रु० (71 करोड़ रु० केन्द्रीय योजना तथा 29 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए, जिसमें चौथी योजना की आगे ले जाई गई योजनाएं शामिल हैं) की व्यवस्था करने का सुझाव दिया । तत्पश्चात् इस मामले पर फरवरी, 1973 में हुई केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की पहली बैठक में चर्चा की गई और राज्य सरकारों से 126 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए और योजना आयोग को विचारार्थ भेजे गये । योजना आयोग का कहना था कि प्रस्तावित कार्यक्रम बड़े विस्तृत थे और राष्ट्रीय विकास परिषद् के निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार, केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम का न्यूनतम आकार रखने की आवश्यकता है और केवल उन चुनी हुई योजनाओं को, विशेषकर जो प्रयोगात्मक किस्म, अन्तर्राज्यीय प्रकृति तथा राष्ट्रीय महत्व की हो, केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाये । योजना आयोग के सुझावों के आधार पर पांचवीं योजना कार्यक्रम की समीक्षा की गई और 60 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक संशोधित कार्यक्रम (केन्द्रीय योजनाओं के लिए 39 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 21 करोड़ रुपये जिनमें चौथी योजना की आगे ले जाई गई योजनाएं भी शामिल हैं) योजना आयोग को विचारार्थ पुनः भेजा गया । केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु राज्यवार योजनाओं का एक ब्यौरा संलग्न (परिशिष्ठ) है । योजना आयोग ने संशोधित कार्यक्रम पर विचार किया जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय

जल परिवहन के विकास के लिए 45 करोड़ रुपये की (31 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं, तथा 14 करोड़ रुपये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए जिसमें आगे लाई गई योजनाएं भी शामिल हैं) अनुमानित व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया। [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल०टी० 5656/73]

काकीनाडा पत्तन के विकास पर प्रतिवेदन

49. **श्री के० कोंडडा रामी रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ने काकीनाडा पत्तन के बारे में अपना तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कार्य की प्रगति क्या है और उस पर अब तक कितना धन स्वीकृत तथा व्यय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 20 अक्तूबर, 1973 को भारत सरकार को लिखा है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ऋण सहायता के लिये वह भारत सरकार से ठोस प्रस्ताव करेंगे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में रोगों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

50. **श्री के० कोंडंडा रामी रेड्डी :**
डा० गोविन्द दास रिछारिया :
क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि मलेरिया, चेचक, हैजा और पोलियो जैसे रोग भारत में बड़े पैमाने पर पुनः फैल रहे हैं ;

(ख) इन ऐसे रोगों के पुनः फैलने के क्या कारण है, जिनका एक बार पूर्णतः उन्मूलन हो गया था ;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य में ये रोग कहां-कहां फैले और इनसे कितने व्यक्ति पीड़ित हुए तथा मरे ; और

(घ) इन विमारियों को रोकने और पूर्णतः समाप्त करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) मलेरिया, चेचक, हैजा और पोलियो का अभी तक देश से उन्मूलन नहीं हुआ है।

(ग) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5657/73]

(घ) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट II में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० [5657/73]

"मारेक्स" रोग के लिए टीके की दवा का आयात

51. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों को 'मारेक्स' रोग से बचाने के लिए टीके की दवा का आयात अनियमित और अपर्याप्त रहा है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1972-73 के दौरान तथा उसके बाद कितने पक्षी उक्त रोग से मरे ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। देश की प्रारंभिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए मारेक्स रोग के लिए 7.5 लाख टीके आयात करने का निर्णय किया गया था । रोग के प्रभाव का पुनरीक्षण करने के पश्चात 106 लाख टीकों के आयात का निर्णय किया गया है । इनमें से 60 लाख टीके गैर सरकारी क्षेत्र के लिए होंगे तथा 46 लाख टीके सरकारी क्षेत्र के लिए । इस निर्णय का उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं को भली भांति पूरी करना है । 12 लाख टीके आयात किए जा चुके हैं । और शेष टीकों के आयात के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Likely Kharif Production and Target of Procurement

52. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Kharif produce this year is likely to be more than that of last year;

(b) if so, Government's estimate thereof;

(c) the quantity of rice and paddy which Government propose to procure out of it and State-wise targets of procurement; and

(d) whether prices of rice and paddy are likely to come down in the coming months?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Yes, Sir. According to available indications, the production of foodgrains as well as all major commercial crops during the current Kharif season is expected to be substantially higher than the output in the kharif season last year. The target in respect of Kharif foodgrains is likely to be fully achieved. In the case of jute, cotton and groundnut record or near record outputs are expected. It is, however, too early at this stage to give firm estimates of production.

(c) A statement is attached.

(d) As in the previous year, with the marketing of Kharif crops, prices of paddy rice are expected to show seasonal fall during the months October to December.

STATEMENT

Targets of procurement by the State Governments during 1973-74 Kharif marketing season as provisionally adopted and intimated to the State Governments.

(In '000 tonnes)

State	Target of rice for procurement.
1. Andhra Pradesh	600
2. Assam	150
3. Bihar	100
4. Gujarat	50
5. Haryana	350
6. Jammu & Kashmir	50
7. Kerala	125
8. Madhya Pradesh	600
9. Maharashtra	200
10. Karanataka	275
11. Orissa	400
12. Punjab	950
13. Rajasthan	—
14. Timal Nadu	350
15. Uttar Pradesh	300
16. West Bengal	500
	5000

Scheme for Slum Improvement in Patna

53. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have received the scheme for improving the slums in Patna from Government of Bihar;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the amount Government propose to spend on it and the date from which it will be implemented ?

The Minister of State in the Deptt. of Parliamentary Affairs and in the Ministry of works and Housing : (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir

(b) and (c) Do not arise.

विश्वविद्यालयों में लेक्चररों तथा डिमोंस्ट्रेटरों के वेतनमान

54. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए वेतनमानों की सिफारिश की है और पांचवीं योजना अवधि में उनकी क्रियान्विति के लिये वे शिक्षा मंत्रालय को भेज दिये गये हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लेक्चररों के वेतनमानों को 300—600 रुपये/400—950 रुपये से 700—1600 रुपये और डिमोंस्ट्रेटरों के 250—400 रुपये/300—400 रुपये से 300—600 रुपये तक ही बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो लेक्चररों के मामले में 400 रुपये/300 रुपये और डिमोंस्ट्रेटरों के मामले में केवल 50 रुपये या बिल्कुल नहीं बढ़ाने की अनुमति देने के लिये क्या आधार या युक्तियां हैं; और

(घ) शिक्षा मंत्रालय उपरोक्त वेतनमानों को कब और किस तारीख से क्रियान्वित करेगा ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों (वर्तमान निर्देशकों/अनुशिक्षकों सहित) के वेतनमानों में सुधार करने के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकारों द्वारा गेहूं के कोटे की वसूली में विफलता

55. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने अपने गेहूं की वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुछ राज्य उनके लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की वसूली क्यों नहीं कर सके हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य के निर्धारित परिचालनात्मक लक्ष्य और 31-10-1973 तक अधिप्राप्त की गई गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण-1 सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) सभा के पटल पर विवरण-2 रखा जाता है।

विवरण 1

1973-74 के दौरान 31-10-73 तक गेंहू की अधिप्राप्ति

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्रम सं०	राज्य	लक्ष्य 1973-74	अधिप्राप्ति
1.	असम	20	0.9
2.	बिहार	600	49.8
3.	गुजरात	150	नगण्य
4.	हरियाणा	1300	584.2
5.	हिमाचल प्रदेश	60	1.8
6.	जम्मू तथा कश्मीर	40	18.9
7.	मध्य प्रदेश	400	191.6
8.	महाराष्ट्र	--	10.9
9.	उड़ीसा	18	0.3
10.	पंजाब	3300	2709.3
11.	राजस्थान	300	146.5
12.	उत्तर प्रदेश	1800	799.6
			+16.6@
13.	पश्चिमी बंगाल	100	0.4
14.	दिल्ली	30	0.2
15.	चण्डीगढ़	--	0.3
		8118	4514.7
			+16.6@
			4531.3

@उत्तर प्रदेश में भारत रक्षा नियम के अधीन 16618 मी० टन जब्त किया गया।

विवरण 2

चालू विपणन मौसम के दौरान गेहूं की अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूं की कम सप्लाई होने के कारण हुई है। यह आमद पिछले दो वर्षों से अपेक्षाकृत कम रही है जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कुछ राज्य सरकारों के मतानसार उन्होंने 1972-73 में पहले जो पूर्वानुमान लगाया था उससे गेहूं का उत्पादन कम हुआ।

(2) किसानों ने इस भावना से कि अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्यों की तुलना में गेहूं का 76 रुपये प्रति क्विंटल का मौजूदा अधिप्राप्ति मूल्य बहुत ही कम है, गेहूं रोक लिया;

(3) पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की उत्पादिकता में वृद्धि होने से किसानों की स्टाक रोकने की क्षमता बढ़ गई है। किसान अपनी न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं को चना, जौ आदि जैसी अन्य फसलों, को बेचकर पूरा कर लेता है। इन जिन्सों के अच्छे दाम मिल रहे हैं।

(4) कम आमद के मौसम में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य कमाने की प्रत्याशा में उत्पादकों की खाद्यान्नों को रोक लेने की प्रवृत्ति;

(5) जनसाधारण में सामान्य कमी की मनोभावना का होना। इससे न केवल उत्पादकों बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने भी बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की जमाखोरी की;

(6) खुले बाजार में खाद्यान्नों की सामान्य कमी साथ में सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का सीमित वितरण;

(7) थोक व्यापारियों और अन्य स्वार्थी पक्षों का इस नई नीति का जमकर विरोध और उसके विरुद्ध प्रचार;

(8) फसल की कटाई के समय बाजार में विभिन्न उपभोक्ता-वस्तुओं विशेषकर वनस्पति, चीनी, सीमेंट, डीजल आदि की कमी। इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि ने किसान में रोष पैदा किया। उसकी नज़र में केवल उसके माल पर ही मूल्य नियंत्रण लागू किया जा रहा है; और

(9) पंजाब, हरियाणा और बिहार राज्यों में विरोधी दलों का गेहूं का थोक व्यापार लेने की नीति के विरुद्ध प्रदर्शन।

भारत की खाद्य स्थिति का अध्ययन करने के लिए जापानी फार्म विशेषज्ञों का दौरा

56. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को खाद्य स्थिति का अध्ययन करने के लिए अक्तूबर, 1973 में जापानी फार्म विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि-मंडल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चस्तरीय तकनीकी समिति द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच

57. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कार्यों की जांच करने के लिये किसी उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन से होंगे तथा उसके निदेश-पद क्या होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इ० के० किस्कू) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने यह सुझाव दिया है कि पिछली पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये जिस उप-समिति का गठन किया गया था वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये दो या तीन विशिष्ट वैज्ञानिकों को सहयोजित करें। इस उप-समिति में परिषद् के उपाध्यक्ष (स्वास्थ्य सचिव), वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक हैं।

Evaluation of Text Books Containing Objectionable Matter

58. **Shri M. C. Daga :**

Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Editorial Note published under the caption Certifying Text Books in the Hindustan Times dated 10th September, 1973;

(b) if so, Government's reaction thereto and the steps being taken to solve this problem; and

(c) whether the Government of Tamil Nadu have raised objections to the evaluation of certain text books and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme of evaluation of school text books has been undertaken by the National Council of Educational Research and Training in consultation with State Governments. Such a review will now be a continuous process.

(c) No, Sir. The Tamil Nadu Government has agreed to take part in the scheme.

Admission of American Scholars to India

Shri M. C. Daga Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have recently decided to receive only 20 American Scholars and if so, the basis of this; and

(b) whether 11,000 Indian students are receiving education in America and if so, to what extent this decision is justified in view of the above figures ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) There is no such restriction on the number of foreign scholars coming to India for research/ studies.

(b) Reliable statistics about the number of Indian students studying in American institutions are not available as every student studying abroad is not necessarily required to obtain prior approval of the Government of India, and many do not register with ou Missions abroad.

Participation of students in Drought relief works

60. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether students participated in famine relief works in the country last year and if so, the names of places where they volunteered themselves for such work and the number thereof;

(b) the main jobs performed by them in various districts, district-wise; and

(c) whether Rs. 4 were spent on providing food to each of them daily in lieu of their "shramdan" ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House. [placed in the Library, Sec No. L.T. 5658/73]

Burning of D.T.C. Buses by students in September 1973

61. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether students burnt some of the buses of the Delhi Transport Corporation hijacked by them on the 7th September, 1973 in Delhi;

(b) if so, the amount of loss suffered by the Delhi Transport Corporation; and

(c) the action taken against the students who had hijacked and burnt the buses and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir. On 7th September, 1973, students of Bhagat Singh College burnt two of the 11 hijacked D.T.C. buses. Damage was caused to other 9 buses.

(b) The loss suffered by the Corporation has been estimated at Rs. 82,920 /-.

(c) A case was registered by the police and 28 students were taken into custody. The case is, at present, under investigation.

कन्नानौर जिला केरल में एक सर्कस इंस्टीट्यूट की स्थापना

62. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कन्नानौर जिले में एक सर्कस इन्स्टीच्यूट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा नहीं। किन्तु, केरल सरकार के केरल के कन्नानौर जिले में एक सर्कस इंस्टीच्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) उक्त योजना की विशेष बात तय नहीं की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में कपूरथला प्लाट

63. **श्री ए० के० गोपालन** : – क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद पुलिस/सुरक्षा दल ने नई दिल्ली स्थित कपूरथला प्लाट के एक भाग को, जो कि केरल सरकार का है खाली नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसको खाली करने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) पुलिस/सुरक्षा दल को कपूरथला प्लाट के एक भाग से स्थानांतरित करने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया है और उनके साथ प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

मैसूर के नगरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार करना

64. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना इस समय में किन-किन नगरों में चल रही है; और

(ख) क्या यह योजना मैसूर (कर्नाटक) राज्य के कुछ नगरों में आरंभ की जाएगी और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना इस समय दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, मेरट, कानपुर, कलकत्ता और नागपुर शहरों में चलाई जा रही है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहर में भी लागू करने का विचार है।

मंगलौर बन्दरगाह को गहरा बनाने के लिए वृहत योजना

65. **श्री पी० आर० शिनाय: क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह को गहरा करने के लिए एक वृहद योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974-79 के दौरान योजना के किस भाग का क्रियान्वयन किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० राना) : (क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के लिए तैयार की गई मास्टर योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है क्योंकि बन्दरगाह के अभिन्यास के लिये नमूना परीक्षण अभी तक पूरे नहीं हुये हैं।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतनमान

66. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में अध्यापकों को केन्द्रीय वेतनमान दिये जाते हैं और अन्य कर्मचारियों को राज्य में दिय जाने वाले वेतनमान दिये जाते हैं;

(ख) क्या ये क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जो कि स्वायन निकाय है, इस भेदभाव को स्वयं दूर कर सकते हैं; और

(ग) क्या इस भेदभाव को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के संयुक्त सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया जाता है। इनका सारा खर्च ये सरकारें देती हैं। अतः इन कालेजों का संचालन इनकी स्थापना की योजना द्वारा किया जाता है और योजना में अनुमोदित समय-समय पर संशोधित सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों को नहीं अपनाया जा सकता।

(ग) इस मंत्रालय को कालेज के शासी मंडल के अध्यक्ष को संबोधित कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज सूरतकाल के गैर-अध्यापक कर्मचारी-संघ से ज्ञापन दिनांक 1-4-1973 की एक प्रति मिली थी जिसमें केन्द्रीय वेतनमानों की मंजूरी सहित उनकी मांगे निहित थी। मंत्रालय को, माननीय सदस्य श्री पी० आर० शिनाय से भी एक पत्र मिला था जिसका उत्तर उन्हें भेज दिया गया है।

नौवहन कम्पनियों द्वारा कमाया गया लाभ और पश्चिम तट कोंकण यात्री नौवहन द्वारा सेवाओं का चलाना

67. **श्री मधु दण्डवते : क्या परिवहन और नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्रों की नौवहन कम्पनियां लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा कितना लाभ कमाया जा रहा है; और

(ग) इन लाभों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र की इन नौवहन कंपनियों से भाड़े में वृद्धि किए बिना पश्चिम तट कोंकण यात्री नौवहन सेवाओं को चलाने के लिए अनुरोध करेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) जी हां।

(ख) मुगल लाइन लि० को 1971 में 1.07 लाख रुपये का लाभ हुआ। शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को 1971-72 में 8.07 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। मुगल लाइन लि० और शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के 1972-73 के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने दो जहाजों को पहले ही प्राप्त कर लिया जिनसे कोंकण तट पर यात्री जहाज सेवा चलाई जा रही थी। ये मुगल लाइन लि० के स्वामित्व में हैं। बिना किराया बढ़ाये इस सेवा को चलाने से काफी हानि होगी।

महाराष्ट्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

68. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1973 से महाराष्ट्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों से निरन्तर अभाव का सामना करना पड़ रहा है, केन्द्रीय सहायता जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सहित सभी सूखाग्रस्त राज्यों को सूचित किया गया है कि 1972 में पड़े सूखों की दृष्टि से शुरू किए गए सूखा राहत कार्यों को 30 सितम्बर, 1973 तक बन्द कर दिया जाए और उस तारीख से केन्द्रीय सहायता समाप्त कर दी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) स वर्ष महाराष्ट्र में संतोषजनक वर्षा होने से सूखे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जिससे सामान्य रूप से कृषि कार्य पुनः शुरू हो पाया है। इसको तथा राज्य सरकार को भारी मात्रा में दी गई वित्तीय सहायता को देखते हुए और खर्च को कम करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए महाराष्ट्र के इस सुझाव को कि 30-9-73 के बाद भी और सहायता दी जाए, नहीं माना गया है।

चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु कदम

69. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष 56 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में धान की वसूली मूल्य को 70 रुपये से 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) वसूली मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप अक्तूबर, नवम्बर, 1973 से बाजार में खरीफ फसल आने के बाद चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) धान की मानक किस्म का अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ाकर 70 रुपये करने से चावल की विभिन्न किस्मों के निर्गम मूल्यों में भी 1-11-73 से वृद्धि कर दी गई है । धान का अधिप्राप्ति मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 49 रुपये से 58 रुपये के बीच था ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान तथा मोटे अनाज की वसूली

70. **श्री** रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्याशित भारी उत्पादन के कारण किसानों द्वारा अनाज को मजबूर होकर कम मूल्यों पर बेचने को रोकने के लिये उन सभी राज्यों जिनमें भारतीय खाद्य निगम का कार्य चल रहा है निगम ने धान तथा मोटे अनाज के वसूली कार्य को आरम्भ करने के लिए अपनी व्यवस्था को तेज कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वसूली का लक्ष्य किस समय तक प्राप्त होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष खरीफ की प्रत्याशित भरपूर फसल के संदर्भ में सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों ने अपनी मशीनरी को तेज कर दिया है ताकि खरीफ के खाद्यान्नों का अधिकतम अधिप्राप्ति मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और सरकार द्वारा निर्धारित किया गया अधिप्राप्ति मूल्य किसानों को दिया जा सके । इस संबंध में कुछेक जो पग उठाए गए हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) संबंधित राज्य सरकारों के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों का कार्यक्षेत्र साफ साफ निर्धारित किया गया है ताकि किसी गड़बड़ को रोका जा सके और मूल्यों को प्रभावकारी समर्थन प्रदान किया जा सके ।

(2) राज्य सरकारों के परामर्श से भारी संख्या में अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए हैं और आवश्यक स्टाफ लगाया गया है ताकि किसानों को अपनी पैदावार को अपने गांव से काफी दूर न ले जाना पड़े । अधिप्राप्ति एजेंसियों ने सब-एजेन्ट, जोकि अधिकांशतः सहकारी समितियां हैं, इसलिये नियुक्त किये हैं ताकि वे किसानों से अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीफ के खाद्यान्न खरीद सकें ।

(3) विक्रेता को तुरन्त भुगतान करने के प्रबन्धों को सुदृढ़ कर दिया गया है ।

(4) अधिप्राप्ति केन्द्रों और मंडियों से अधिप्राप्त किए गए स्टाक को तुरन्त भिजवाने के लिए पग उठाये गये हैं ताकि और आमद को स्थान प्रदान करने के लिए मंडी यार्डों/मंडियों में भीड़-भाड़ को रोका जा सके ।

(5) अधिप्राप्ति एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार छापे मारने की व्यवस्था की गई है ताकि अधिप्राप्ति कार्य ठीक-ठाक चलता रहे और यह भी सुनिश्चित किया जा सके

कि किसानों को सभी स्थानों पर ठीक मूल्य मिलें । ये अधिकारी स्थल पर ही कार्यचालन संबंधी विवादों की जांच करेंगे और अड़चनों को, यदि कोई हों, दूर करेंगे ।

(6) भारत सरकार ने कार्यचालन के दौरान महत्वपूर्ण खरीफ अधिप्राप्ति राज्यों का दौरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भी नियुक्ति की है ताकि वे सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है और किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए खाद्यान्नों की खरीदारी के लिए पर्याप्त प्रबंध किये जाते हैं ।

(ग) आशा है कि अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा ।

समुद्र पार व्यापार हेतु भारतीय जहाजों में ले जाए गए माल के हिस्से में कमी

71. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के समुद्र पार व्यापार में जहाजों के कार्य करण में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1969-70 में भारतीय जहाजों द्वारा ले जाए गए माल की 21.43 प्रतिशत मात्रा आगे के दो वर्षों में कम होकर क्रमशः 19.87 प्रतिशत और 16.31 प्रतिशत रह गई, और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) इसका मुख्य कारण, भारतीय नौवहन का आरपार व्यापार में अधिक भाग लेना तथा कुछ हद तक कुछ अनेमी जहाजों तथा तेल वाहकों का अस्थायीरूप से तटीय व्यापार की ओर मोड़ना है जो 1971-72 के दौरान व्यापार की स्थिति के कारण आवश्यक हो गया था । साथ साथ 1971-72 के दौरान भारतीय नौवहन की समस्त कमाई में लगभग 14 करोड़ रु० की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकलांग रोगियों का इलाज

72. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के विकलांग वार्डों में (एक) निम्न आय समूह, (दो) मध्य आय समूह, (तीन) उच्च आय समूह के कुल कितने रोगी हैं;

(ख) क्या सफदरजंग अस्पतान के वार्ड नम्बर 29 में दाखिल हुए निम्न आय समूह के रोगियों का, अस्पताल के कर्मचारियों विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ द्वारा, ठीक तरह से उपचार नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन निर्धन रोगियों की शिकायतों पर ध्यान देने हेतु एक निष्पक्ष अधिकारी नियुक्त करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भरती किये गये रोगियों के बारे में आय के आधार पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भरती करते समय उनसे आय मालूम नहीं की जाती है ।

(ख) नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

1972-73 में आयोजित छात्र संसद्

73. **श्री आर० एन० बर्मन :**

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 से मार्च 1973 तक कुल कितनी छात्र संसद् आयोजित की गई;

(ख) इन पर कुल कितना धन खर्च हुआ ।

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ऐसी कोई संसद् आयोजित नहीं की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में, वर्ष 1972-73 में, 43 छात्र संसद् आयोजित की गई ।

(ख) 1972-73 के दौरान 6117.20 रुपये खर्च किए गए ।

(ग) और (घ) राज्यों में युवा संसद् प्रतियोगिताओं का आयोजन केन्द्र में संसदीय कार्य विभाग नहीं करता । दिल्ली में प्रचलित 'युवा संसद्' प्रतियोगिता योजना को, इस विभाग ने, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल राज्य सहित) को, अपने अपने राज्यों में, इसी प्रकार की योजना तैयार करने और अपनी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली में की जा रही प्रतियोगिताओं के नमूने पर युवा संसद् प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए, परिचालित किया था । पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की शिक्षण संस्थानों में युवा संसद् प्रतियोगिता योजना को आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापकों को वेतन

74. **श्री आर० एन० बर्मन :**

क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों को देय ब्रिधि पर अपना मासिक वेतन नहीं मिल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सामान्यतः अध्यापकों को उनका वेतन निर्धारित तारीख तक अर्थात् प्रत्येक मास की 10 तारीख को मिल जाता है और यदि कोई देरी हो जाए, तो तत्परता से उसकी जांच की जाती है और उसे दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में संचित आयातित गेहूं मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त

75. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री लालजी भाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा हुआ 28 लाख रुपये के मूल्य का आयातित गेहूं मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था और यह नगर के विष्ठा डालने के स्थान पर फैंक दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) से (ग) सत्यकमल जलपोत, जिसमें लगभग 22000 मी० टन अमेरीकन गैहूं लाया जा रहा था, को खुले समुद्र में खराब मौसम का सामना करना पड़ा था और उसके फलकों में पानी दाखिल हो गया था । इसके परिणामस्वरूप जब जलपोत खाद्यान्न उतारने के लिए विशाखापत्तनम रुका तब 3800 मी० टन गैहूं क्षतिग्रस्त पाया गया । गैहूं को साफ करने के बाद भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की एक समिति ने जब गैहूं की जांच की तब उन्होंने 3800 मीटरी टन में से 2796 मीटरी टन गैहूं बिल्कुल क्षतिग्रस्त पाया गया । इस क्षतिग्रस्त गैहूं को, जिसका मूल्य 218 लाख रुपये बैठता है (जिसका 78.00 रुपये प्रति क्विंटल के निर्गम मूल्य की दर से हिसाब लगाया गया है), नगरपालिका के गड्डों में डाल दिया गया था ।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून

76. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी कानून बनाये हैं ;

(ख) राज्यों में कम से कम भूमि की कितनी सीमा रखी गई है और कितनी भूमि की अधिकतम सीमा ज्यादा से ज्यादा रखने की अनुमति दी गई है; और

(ग) दिसम्बर, 1972 से अगस्त, 1973 तक कितने कृषि श्रमिकों को भूमि दी गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) केवल नागालैण्ड और मेघालय को छोड़कर, जिनमें भूमि स्वामित्व सामुदायिक है, अन्य सभी राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून बना लिये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु तथा काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने हाल ही में अपनी जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में संशोधन किया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम लागू करने के बाद भी विभिन्न कार्यविधियों में से गुजरना पड़ेगा तभी फालतू भूमि इकट्ठी करके वास्तव में पात्र व्यक्तियों में वितरित की जा सकेगी।

विवरण

राज्य	जोत की न्यूनतम सीमा	जोत की अधिकतम सीमा	बाहरी सीमा
1. आन्ध्र प्रदेश	4.05 हैक्टर	21.85 हैक्टर	निर्धारित जोत की सीमा का दुगना
2. असम	50 बीघा और उद्यान का वास्तविक क्षेत्र, बशर्ते कि उद्यान के अन्तर्गत का क्षेत्र 15 बीघा से अधिक न हो ।		
3. बिहार	15 एकड़	45 एकड़	अधिकतम जोत की सीमा का 1 1/2 गुना
4. हरियाणा	7.25 हैक्टर	21.8 हैक्टर	निर्धारित जोत की सीमा का दुगना
5. हिमाचल प्रदेश	10 एकड़	70 एकड़	"
6. जम्मू व कश्मीर	9.1 एकड़	22.2 एकड़	--
7. केरल	6 एकड़	20 एकड़	20 एकड़
8. मध्य प्रदेश	10 एकड़	45 एकड़	54 एकड़
9. उड़ीसा	10 एकड़	45 एकड़	अधिकतम जोत की सीमा का 1 4/5 गुना ।
10. पंजाब	7 हैक्टर	20.5 हैक्टर	अधिकतम जोत की सीमा का 1 3/5 गुना ।
11. राजस्थान	18 एकड़	17.5 एकड़	निर्धारित जोत की सीमा का दुगना
12. तमिलनाडु	12 एकड़	60 एकड़	निर्धारित जोत की सीमा का दुगना
13. उत्तर प्रदेश	7.30 हैक्टर	18.25 हैक्टर	24.25 हैक्टर
14. पश्चिम बंगाल	5 हैक्टर	7 हैक्टर	7 हैक्टर

12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव

77. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने देश भर के स्कूलों में 12 वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम बनाये जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बार शीघ्र ही निर्णय करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 18-19 सितम्बर, 1972 को हुए अपने 36वें सत्र में अपनी पिछली इस सिफारिश को दोहराया कि देश में 10 वर्ष की प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक और तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की एकसमान पद्धति अपनाई जानी चाहिए ।

(ख) योजना के वे मुख्य-मुख्य ब्यौरे जिन पर के०शि०स० बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 13-6-1973 को हुई बैठक में विचार किया गया था, लोक सभा के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध कार्यवाहियों की मुद्रित रिपोर्ट के पृष्ठ 46–48 पर दिये गये हैं ।

(ग) के०शि०स० बोर्ड की सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति का प्रतिवेदन

78. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजेन्द्रगडकर समिति ने कृषि अनुसंधान प्रक्रिया, विशेष रूप से आलू और गेहूं के बारे में कुछ अनियमितताओं का पता लगाया है ;

(ख) क्या समिति को पता लगा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में आलू के संबंध में किये गये एक प्रयोग के फील्ड रिकार्ड अव्यवस्थित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अप्पासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं । कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है ; लेकिन कुछ कमियों को नोट किया गया है । सलाहकारों के पैनल की सलाह पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति ने "रिले कापिंग" के प्रयोगों में आलू के बीजों के आकार तथा शरबती सोनरा के प्रोटीन तत्वों के संबंध में कुछ टिप्पणियां देते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं ;

(1) आलू : (i) प्रयोगों में बड़े आकार के आलू के बीजों का उपयोग जानबूझ कर नहीं किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा प्रयोग होने वाली किस्मों से सामान्यत: बड़े आकार

के आलू उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है वह उस किस्म की विशेषता है।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अपनाई गई बीज दर अधिक मालूम नहीं होती।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किये गये प्रयोगों से प्राप्त हुई उपज की उत्तर प्रदेश में किये गये राष्ट्रीय प्रदर्शनों तथा पंजाब के किसानों के अनुभव द्वारा पुष्टि हुई है।

2. गैहूं : गैहूं के प्रोटीन तत्व के सम्बन्ध में समिति ने अनुभव किया कि यह अत्यधिक परिवर्तनशील है, जो मुदा एवं जलवायु की परिस्थितियों तथा प्रयोग होने वाले उर्वरकों पर निर्भर करता है। यह परिवर्तनशीलता प्रकाशित परिणामों के अनुरूप है। तथापि परिवर्तनशीलता के वावजूद भी प्रोटीन तत्व के संबंध में शरबती सोनरा, स्पष्टत : सोनरा-64 तथा कल्याण सोना से श्रेष्ठ प्रतीत होता है परन्तु लाइसिन तत्व के संबंध में संभवत: श्रेष्ठ नहीं है।

(ख) सलाहकारों के पैनल ने अनुभव किया है कि आलू का प्रयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं द्वारा क्षेत्र नोट-बुक व्यवस्थित ढ़ंग से नहीं अपितु घसीट में लिखे हुए कागजों के रूप में थी। इन पुस्तिकाओं में लिखी गई उपज प्राय: प्रकाशित आंकड़ों से मेल खाती थी। पैनल ने प्रयोगों का क्रमबद्ध पूर्ण तथा विस्तृत रिकार्ड, रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पैनल ने विशेषकर प्रत्येक प्रयोग के लिये अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसे रिकार्डों पर परियोजना के प्रभारी वैज्ञानिक के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के समस्त संस्थानों के वैज्ञानिकों को अनुदेश दिए गए हैं कि इस उद्देश्य के लिये तैयार प्रोजेक्ट फाइलों में सब आंकड़े साफ ढ़ंग से रखे जाने चाहिए। जहां तक अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं का संबंध है सब आंकड़ों का संकलन परियोजना समन्वयक करता है। इन आंकड़ों का संख्यिकी रूप से विश्लेषण किया जाता है और उन्हें वार्षिक विचार गोष्ठियों में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की धान्य की कोटि संबंधी प्रयोगशाला में शरबती सोनरा में लाइसिन तत्व के विषय में एक स्थान पर आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है। सम्भवत: यह लाइसिन विश्लेषक की प्रयोगात्मक गलती के कारण हुआ है और इसका पता हाल ही में चला है। बाद में ये आंकड़े न मिलने पर इन्हें गोष्ठी एवं अनुसंधान कागज-पत्रों और वर्ष 1971 में प्रकाशित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के "रिसैन्ट रिसर्च आन दी इम्प्रोवमेंट आफ प्रोटीन एन्ड न्यूट्रेटिव प्रोप्रटीज आफ फुड एण्ड फीड प्लान्ट्स" संबंधी अनुसंधान बुलेटिन नं० 6 से निकाल दिया गया। नमूने लेने, प्रोटीन तथा लाइसिन तत्व के परीक्षण की क्रियाविधियों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कीटि-परीक्षण प्रयोगशाल में प्राप्त हुए परिणामों की वैज्ञानिकों के पैनल के सदस्य डा० जे० एस० पटेल ने, जांच की थी। उनकी राय में ये तकनीकें उचित निर्धारित स्तर की हैं और उनकी शुद्धता संतोषजनक है। अत: रासायनिक अनुमानों के संबंध में विशिष्ट अनुदेश जारी करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

बारानी भूमि में कृषि और काली मिट्टी पर अनुसंधान परियोजना

79. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या **कृषि**-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बारानी भूमि में कृषि और 'हैवी' काली मिट्टी पर 'आपरेशनल' अनुसंधान परियोजना आरम्भ की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पाचवीं योजना के प्रस्ताव के अनुसार इंदौर के काली मिट्टी के क्षेत्र में बारानी खेती करने के विषय में बारानी खेती की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अभिन्य अंग के रूप में एक इंडोब्रिटिश आप्रेशनल अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पूर्ण जल क्षेत्र के आधार पर 2-3 गांवों की लगभग 2000 हैक्टर भूमि चुनी जायेगी। समाजार्थिक पहलुओं, भूमि उपयोग, फसली मौसम, खेती के प्रतिमानों तथा सस्य विज्ञान संबंधी प्रणालियों, आदि के संबंध में जानकारी सहित मूल संसाधनों की पूर्ण सूची बनाई जायेगी। ब्रिटिश दल के विशेषज्ञों के सहयोग से जल-क्षेत्र के विकास तथा व्यवस्था के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जायेगी। आपरेशनल कार्य योजना में भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा निकासी, अपवाह जल के पूर्ण उपयोग, आदानों की सामयिक सप्लाई के लिये भण्डारण की सुविधाएं, विभिन्न श्रेणी की भूमि के लिये फसल योजनाएं, पशु सुधार एवं चरागाह विकास आदि शामिल होंगे। स्थानीय प्रयाग केन्द्रों से उपलब्ध सब अनुसंधान जानकारी की जांच की जायेगी और उनको अपनाने के लिये उचित क्षेत्रीय प्रणालियां निर्धारित की जायेंगी। कृषकों तथा गांव वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी सामाजार्थिक परिस्थितियों के सुधार के लिये चुने हुए जल क्षेत्रों में वैज्ञानिक कृषि तथा पशुओं के विकास के लिये उपलब्ध संसाधनो के उपयोग संबंधी मूल्यांकन हेतु प्रयास किये जायेंगे। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों से पूरा सहयोग प्राप्त किया जायेगा ताकि लाभानुभोगी इससे अपना ही कार्यक्रम समझें। आपरेशनल जलक्षेत्रों में अपनाई गई प्रणालियों का आर्थिक आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा और सामने आये परिवर्तनों पर उचित ढंग से नज़र रखी जायेगी। परियोजना के महत्व तथा उसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने पांचवीं योजना के प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने तक चालू वर्ष के दौरान परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिये परिषद् के राजस्व से अधिक से अधिक 2.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

कम्पोस्ट और कार्बनिक खाद का उपयोग

80. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कम्पोस्ट और कार्बनिक खाद के उपयोग संबंधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शहरी कूड़ा खाद, ग्रामीण कूड़ा-खाद, गन्दे पानी/नाली के पानी की उपयोगिता के स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जो स्टेट प्लान स्कीमों के रुप में अखिल

भारतीय आधार पर योजना अवधि में चलाई जा रही है, के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य को तेज किए जाने करने के उद्देश्य से देश में खाद्य सबंधी संसाधनों का पता लगाने के लिए पांचवीं योजना के तु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पांचवीं योजना में कुछ मुख्य योजनाएं शुरु करने का प्रस्ताव है, वे हैं :—

1. शहरी कूड़े से आर्गनिक खाद तयार करने के लिये यंत्रीकृत मिश्रित संबंधी खाद की स्थापना करना ।

2. कृषि उत्पादन के लिए गन्दे/नाली के पानी की उपयोगिता ।

3. शहरी कूड़े करकट से खाद तैयार करने के विषय में अच्छा काम करने वाले स्थानीय निकायों को इनाम देना ।

4. ग्रामीण कूड़े करकट की खाद के संबंध में अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को इनाम देना ।

5. किसान संघों द्वारा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन करना ।

चौथी योजना के अंत तक स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्वानुमानित उपलब्धियों और पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :–

	चौथी योजना के अंत तक प्रत्याशित उपलब्धि	पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावित लक्ष्य
1. शहरी कूड़ा-खाद का उत्पादन (मिलियन टन)	84.8	7.5
2. ग्रामीण कूड़ा खाद का उत्पादन (मिलियन टन)	170.0	350.0
3 गन्दा/नाली वाले पानी से सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टरों में)	20,000	8,000 (अतिरिक्त)
4. हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र (मिलियन हैक्टर)	6.0	*

*बहुद्देश्यीय फसल और सघन खेती कार्यक्रम के शुरु होने से हरी खाद की गुंजाइश सीमित हो गई है । अत: पांचवीं योजना में हरी खाद के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है फिर भी वाणिज्यिक या मोटे अनाज की फसल को हानि से बचाते हुए सस्य चक्रों में हरी खाद/फलीदार फसलों को शामिल करके हरी खाद तैयार करने पर जोर दिया जाता रहेगा ।

दिल्ली के स्कूलों के लिये सेलैक्शन ग्रेड के अध्यापकों की सूची

81. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के स्कूलों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के अध्यापकों की सूची से सम्बन्धित 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलेक्शन ग्रेड के लिये पात्र टी०जी० अध्यापकों (पुरुष तथा महिलाएं दोनों) की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा; और

(ग) जिन प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है उन्हें उनकी बकाया राशि कब तक दे दी जायेगी चूंकि उनके मामलों में पहले ही काफी विलम्ब हो गया है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) राजकीय स्कूलों के बारे में वरण ग्रेड के लिये पात्र प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की एक सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है । सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए कदम उठा रहा ।

गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच मोटे अनाज के लाने ले जाने पर रोक

82. **श्री अरविन्द एम० पटेल**

श्री डी० पी० जर्देजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश के बीच मोटे अनाज के लाने-ले जाने पर लगी रोक में ढील देने का सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) इनमें कौन-कौन से अनाज शामिल किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चालू वर्ष में वसूल किया गया चावल और धान

83. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जर्देजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत सरकार ने राज्यवार कुल कितना चावल और धान वसूल किया है; और

(ख) किस्मवार कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 5659/73]

Licences for setting up Vegetable Ghee Factories

84. **Shri Arvind M. Patel :**

Shri D.P. Jadeja :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of applications received for the grant of new licences for setting up new vanaspati ghee factories during the last three years ;

(b) the number out of them received for setting up factories in private and co-operative sectors separately ; and

(c) the decision taken by Government on these applications ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) 69

(b)	Private	66
	Cooperative	3
(c)	Licensed	19
	Rejected	30
	Under consideration	20

गुजरात को बाढ़ राहत कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता

85. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में इस वर्ष बाढ़ से अनुमानतः कितने अनाज की क्षति हुई, और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए कितनी सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बाढ़ के कारण उचित दर की दुकानों में खाद्यानों तथा अन्य जिन्सों की लगभग 52,245.15 रु० की क्षति हुई है ।

(ख) राज्य सरकार का इस क्षति की प्रति-पूर्ति करने और केन्द्र से सहायता का दावा करने का कोई विचार नहीं है ।

Production of Spurious Drugs at Ghaziabad

86. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a big factory engaged in the production of spurious drugs has been unearthed in Ghaziabad ;

(b) whether drugs worth more than three lakhs of rupees have been seized from this factory; and

(c) the stringent measures proposed to be taken by Government to discourage such practices ?

The Deputy Minister in the Ministery of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku)

(a) Yes.

(b) The value of the materials seized is yet to be determined by the State Drug Control Authorities.

(c) The following steps have already been taken to combat the manufacture and sale of spurious and sub-standard drugs :—

The Drugs and Cosmetics Act, 1940, contains penal provisions for prevention of manufacture and sale of adulterated drugs. To eliminate unlicensed manufacturers of drugs who usually indulge in manufacture and sale of spurious drugs, an " All India List of Licensed Drug Manufacturers has been printed and made freely available to all concerned at nominal price. The States have been advised to maintain close liaison with the police authorities for intensive campaign against spurious drugs and to augment their Drugs Inspectorates and testing facilities. The help and co-operation of Associations representing the interests of drug manufacturers and dealers are being enlisted to ensure maximum compliance with good manufacturing and sale practices and for compaign against spurious drugs. Besides this, the activities of the State Drug Control Authorities are being supplemented by the Central Drug Inspectors of the Zonal Offices. A planned programme of sampling of essential and life-saving drugs moving in inter-State commerce has been arranged by the Zonal Offices of the Central Drug Control Organisation throughout the country.

वनस्पति घी में खनिज तेल की मिलावट

87. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर के 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सीलबन्द बनस्पति में खनिज तेल की मिलावट पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मिलावट किस स्तर पर की गई; और

(घ) उक्त मामले में किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ)] पंजाब सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

केरल को सप्लाई किये गये चावल की किस्म तथा मात्रा

88. **श्रीमती भार्गवी तमकप्पन:**

श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार को चावल की अलग-अलग किस्मों में से प्रत्येक किस्म की कितनी मात्रा किस दर पर दी गई और जनवरी, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक, महीनेवार, उसने कितनी मात्रा की मांग की थी ; और

(ख) क्या बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी राज्य सरकार को अपेक्षित-मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई न किये जाने के कारण केरल के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पड़ रहा है, और [यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य सरकार की सामान्य आवश्यकता लगभग 60 से 80 हजार मी० टन चावल प्रति मास होती है । केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को कोई विशिष्ट किस्म का चावल आवंटित नहीं किया गया था । किस्मों का ख्याल किये बिना उपलब्धता के अनुसार सप्लाई की व्यवस्था की जाती है । केन्द्रीय पूल से केरल को सप्लाई किए गए चावल की विभिन्न किस्मों के लिए केन्द्रीय सरकार के निगम मूल्य 100 रुपये से लेकर 128 रुपये प्रति क्विंटल तक है । जनवरी, 1973 से अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में केरल सरकार को आवंटित चावल और गेहूं की मासिक मात्राएं इस प्रकार थीं :—

(हजार मी० टन में)

महीना	आवंटन		
	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी	70	7	77
फरवरी	60	7	67
मार्च	60	7	67
अप्रैल	67	7	74
मई	53	30	83
जून	50	35	85
जुलाई	45	35	80
अगस्त	55	30	85
सितम्बर	45	30	75
अक्तूबर	45	30	75

(ख) केरल की खाद्य-सप्लाई स्थिति जटिल है । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार इसकी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई कर रही है । इसके अलावा, केरल सरकार को यह भी अनुमति दी गई है कि वे केन्द्रीय सप्लाई में बढ़ोतरी करने हेतु राज्य से राज्य के आधार पर अधिशेष राज्यों से कुछ चावल खरीदें ।

बाल आहार की कमी

90. **श्री बक्शी नायक**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल आहार की लोकप्रिय किस्मों की पूरे देश में कमी है ;

(ख) क्या व्यापारी बाल आहार के बहुत अधिक मूल्य ले रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान 26 अगस्त, 1973 के 'इकनोमिक टाइम्स' में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के कुछेक भागों से बाल आहार की कमी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) ऊंचे मूल्य लेने के बारे में कोई विशेष मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) जी हां । इस कमी को बाल आहार के निर्माताओं के ध्यान में लाया गया है ताकि वे उसमें सुधार लाने के लिए कार्यवाही करें ।

दल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी और मक्खन की बिक्री बन्द किया जाना

91. **श्री बक्शी नायक:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने गत चार महीनों के दौरान घी और मक्खन की बिक्री पूर्णतया बन्द कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां । जुलाई, 1973 के प्रथम सप्ताह के बाद सप्लाई बंद कर दी गई थी ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना का मुख्य उद्देश्य तरल दूध को इकट्ठी करना, उसका परिसंस्करण करना तथा उसे दिल्ली के नागरिकों में वितरण करना है । दुग्ध योजना घी, मक्खन तथा दुग्ध उत्पादों का निर्माण तथा विक्रय सभी करती है जबकि उसे फालतू दूध प्राप्त होता हो । गर्मी तथा वर्षा के मौसम में दूध की उपलब्धि काफी कम हो जाती है । अतः जाड़े के मौसम में तैयार हुए घी तथा मक्खन के स्टाक के समाप्त होने पर दिल्ली दुग्ध योजना इन उत्पादों को विक्रय के लिये उपलब्ध नहीं कर सकती । यह उपलब्धि तभी शुरू हो सकती है जबकि इनका निर्माण फिर से शुरू हो जाए । इस वर्ष सख्त तथा लम्बी गर्मी पड़ने और 1972 में कई दुग्ध क्षेत्रों में सूखे की परिस्थितियों की मौजूदगी के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में दूध की उपलब्धि सामान्य से काफी कम रही है । दिल्ली दुग्ध योजना मत गर्मी के मौसम के दौरान शहर की केवल तरल दूध की आवश्यकता को ही पूरा कर सकी है और किसी प्रकार का मक्खन या घी तैयार नहीं कर सकी । तथापि, इन दोनों उत्पादों का निर्माण अभी फिर से शुरू किया गया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, मक्खन और घी के मूल्यों में वृद्धि

92. **श्री बक्शी नायक:**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का दूध, मक्खन और घी के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतें 5 नवम्बर, 1973 से संशोधित की गई हैं ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध, मक्खन और घी की संशोधित कीमतें इस प्रकार हैं :—

विशेष टोन्ड दूध (3.5 प्रतिशत वसा एवं 8.5 प्रतिशत अन्य ठोस पदार्थों से मुक्त)	प्रति लिटर	1.30 रुपये
डबल टोन्ड दूध	प्रति लिटर	0.70 रुपए
घी	1 किलो का डिब्बा	21.00 रुपए
	2 किलो का डिब्बा	41.00 रुपए
	4 किलो का डिब्बा	81.00 रुपए
नमकीन मक्खन (टेबल बटर)	25 ग्राम का पैकेट	0.50 रुपए
	100 ग्राम का पैकेट	1.90 रुपए
	250 ग्राम का पैकेट	4.50 रुपए
	500 ग्राम का पैकेट	8.50 रुपए
सादा मक्खन	250 ग्राम का पैकेट	5.00 रुपए
(व्हाइट बटर)	500 ग्राम का पैकेट	9.50 रुपए

(ग) पिछले कई महीनों के दौरान यह देखा गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को अपने निकटवर्ती राज्यों के दुग्ध--क्षेत्रों से होने वाली ताजे दूध की उपलब्धि में कमी होती जा रही थी। गर्मी के महीनों में सूखा आदि अनेक कारणों से ताजे दूध की उपलब्धि में भारी कमी हुई है। अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने और किसानों को अधिक दूध पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध अधिक अधिप्राप्ति मूल्यों में 6.5 प्रतिशत वसा और 9 प्रतिशत एस० एन० एफ० से युक्त भैंस के दूध के लगभग 104 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य को बढ़ाकर लगभग 130 रुपए प्रति क्विंटल करना आवश्यक हो गया। दिल्ली दुग्ध-योजना न-लाभ न-हानि के आधार पर कार्य करता है और इसका लगभग 80 प्रतिशत वार्षिक व्यय कच्चे दूध, दुग्ध चूर्ण, मक्खन और मक्खन-वसा खरीदने पर होता है, अतः इसके अनुरूप विक्रय मूल्य बढ़ाना आवश्यक हो गया।

Ghee Manufactured from Tallow of cows

95. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in 'Hindustan' dated the 27th September, 1973 to the effect that ghee is being manufactured from tallow of cows;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the conclusions reached as a result of the investigations made in this regard; and

(d) the action proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku):

(a) Yes.

(b), (c) and (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Expenditure incurred on Medical Facilities for Central Government Employees

96. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Central Government on medical facilities provided to its employees during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) the approximate expenditure likely to be incurred under this head during the financial year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) In accordance with the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and orders issued thereunder, the amounts due to Gazetted Officers on acoount of reimbursement of medical expenses incurred on their own treatment and the treatement of members of their family are to be drawn by them on Salary Bills, and those due to non-gazetted Government servants on the establishment pay bills and paid over to them. Drawing of charges on account of medical attendance and treatment is debitable, under the existing rules, to the sub-head "Allowances and Honoraria" in Salary and Establishment pay bills which is controlled by the respective Heads of Department/Offices. As there is no separate sub-head for the prupose of debiting exclusively the expenditure on account of medical reimbursement allowed to Government servants, it is not possible to know the exact incidence on this account on the Central Exchequer.

भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

98. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:**

श्री वयालार रवि:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम वसूली अभियान में बुरी तरह असफल रहा है और इसकी वर्तमान वितरण व्यवस्था त्रुटिपूर्ण तथा अदक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रशासनिक ढांचे का पुर्नगठन करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) अधिप्राप्ति में कमी होने के कई एक कारण हैं । भारतीय खाद्य निगम, जोकि सरकारी एजेन्सियों में से एक है, ने चालू रबी मौसम में गेहूं की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए आवश्यक पग उठाए थे । भारतीय खाद्य निगम और सरकार निगम की कार्यकुशलता में सुधार लाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

कुवैत को बासमती चावल का निर्यात

99. **श्री पी० ए० स्वामीनाथन:**

श्री वी० मायावन:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1973 के अहमदाबाद से प्रकाशित 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'बासमती राइस एक्सपोर्टस टू कुवैत जस्टीफाइड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुवैत को बासमती चावल का निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं जबकि देश में उसकी भारी कमी है, और

(ग) कुवैत को कितने चावल का निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) सस्ते खाद्यान्न खरीदने के लिए अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु केवल बढ़िया बासमती चावल ही निर्यात किया जा रहा है ।

(ग) लगभग 1000 मीटरी टन ।

डाक्टरों में व्याप्त असन्तोष पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य स्वास्थ्य मन्त्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन

100. श्री पी० ए० सामिनाथन:

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टरों में व्याप्त असंतोष के बारे में विचार विमर्श करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन सम्भवत: कब तक आयोजित किया जाएगा; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी कारखानों में चीनी का उत्पादन तथा उत्पादन आंकड़ों की जांच करने के लिए व्यवस्था

101. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु तथा देश के अन्य राज्यों में चीनी कारखानों में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या देश भर में चीनी कारखानों द्वारा दर्शाए गए उत्पादन आंकड़ों की जांच करने के लिये कोई उपयुक्त सरकारी व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि जांच के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तो उत्पादन आंकड़ों की जांच करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) 16 चीनी उत्पादक राज्यों में से, तमिल-नाडु सहित 11 राज्यों में पिछले मौसमों की तुलना में 1972–73 में चीनी की कम वसूली हुई थी ।

(ख) मौसमी और अन्य कारणों जैसे कम वर्षा, सूखे की स्थिति, गन्ने की घटिया किस्म और पेराई पहले शुरू होने और उसके देर तक जारी रहने से 1972–73 में वसूली में कमी हुई । तमिल-नाडु में दिसम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में तीव्र वर्षा हुई और बाढ़ें आयीं, जिससे गन्ने की किस्म पर प्रभाव पड़ा होगा ।

(ग) और (घ) जी हां । केन्द्रीय आबकारी कानून के अन्तर्गत चीनी कारखानों से कच्चे माल के प्रयोग और वसूली की प्रतिशतता आदि सहित चीनी की पैदावार के बारे में प्रत्येक दिन सांविधिक विवरणियां तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । केन्द्रीय आबकारी विभाग के तकनीकी विंग द्वारा इनकी जांच की जाती है ताकि चीनी की चोरी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में हानि होती है, न होने पाए । इसके अलावा, केन्द्रीय राजस्व रासायनिक सेवा के तकनीकी अधिकारी कुछेक कारखानों पर अचानक छापे मारते हैं और उपयुक्त परीक्षणों द्वारा वसूली की जांच करते हैं ।

तमिलनाडु में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के दिये गये मूल्य

102. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिल नाडु में चीनी कारखानों में कारखानेवार 1972–73 की गन्ने की फसल के लिये गन्ने का वास्तव में कितना मूल्य देना स्वीकार किया गया ;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में इन मूल्यों में भारी अन्तर है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सभी कारखानों ने किसानों को वही मूल्य दिये हैं जो स्वीकार किये थे और यदि नहीं, तो दोषी कारखानों के नाम क्या हैं तथा उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है ; और

(घ) दोषी कारखानों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य

103. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के चीनी कारखानों द्वारा, जहां तमिल नाडु की तुलना में वसूली कम है, 1972–73 की फसल के दौरान दिये गये मूल्यों की तुलना में तमिलनाडु के चीनी कारखाने ने गन्ने के 30.00 रुपया प्रति टन के हिसाब से कम मूल्य दिये ?

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) क्या सरकार तमिल नाडु के चीनी कारखानों को वही मूल्य देने का आदेश देगी जो हरियाणा और पंजाब में 1972–73 की फसल में दिये गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां, सामान्यतया ऐसा ही है । 1972-73 के दौरान मद्रास की तुलना में हरियाणा में वसूली अच्छी हुई थी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार केवल चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करती है। दिया जाने वाला वास्तविक मूल्य उत्पादकों और चीनी कारखानों के बीच तय किया जाता है जोकि मुख्यतः गन्ने की सप्लाई और मांग की स्थिति के संदर्भ में न कि वसूली की प्रतिशतता के संदर्भ में तय किया जाता है । तथापि तमिल नाडु सरकार ने 25 जून, 1973 को चीनी कारखानों को परामर्श दिया था कि वे उत्पादकों को जितना पैसा पहले दे रहे थे उससे 5 रुपये प्रति मीटरी टन अधिक दें जोकि 90 रुपये प्रति मीटरी टन से कम नहीं होना चाहिए ।

चीनी उद्योग जांच आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन

104. **श्री ए० आर० लक्ष्मीनारायणन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीनी उद्योग जांच आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषिमंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी नहीं । चालू वर्ष के अन्त तक अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि मजदूरों के बच्चों का कुपोषण

105. **श्री जगदीश भट्टाचार्य**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों के बच्चों के कुपोषण और अन्य पोषण की समस्या को हल करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उनके लिए शीघ्र ही कोई योजना बनाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) जी, हां ।

भारत सरकार निम्नलिखित पोषहार कार्यक्रम कार्यान्वित करती है :—

(1) स्कूलों के 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक बच्चे आते हैं ;

(2) शहरी गंदी बस्तियों और आदिमजातीय क्षेत्रों में 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल–पूर्व बच्चों तथा दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम, जिस के अन्तर्गत लगभग 38 लाभ प्राप्तकर्त्ता आते हैं ;

(3) 3–5 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालवाडियों/दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम, जिस के अन्तर्गत लगभग 2 लाख लाभ प्राप्तकर्त्ता आते हैं ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य साधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु स्वंय-सहायता कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक पोषहार कार्यक्रम, जिस के अन्तर्गत 1101 खण्ड आते हैं ।

(5) प्रायोगिक पोषाहार कार्यक्रम के पोषाहार शिक्षा प्रयत्न को मजबूत करने के लिए बनाया गया स्त्रियों और स्कूल-बच्चों के लिए मिला जुला पोषाहार कार्यक्रम, जिस के अन्तर्गत प्रशिक्षणाधीन 3,000 सम्बद्ध महिला कार्यकर्त्ता और प्रदर्शन फीडिन्ग में 800 बालवाडियां आती हैं ।

(6) बच्चों तथा माताओं की रक्त-क्षीणता पर नियन्त्रण करने और विटामिन 'ए' की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम, जिन के अन्तर्गत क्रमशः लगभग 66.31 लाख तथा 43 लाख लाभप्राप्तकर्त्ता आएंगे ।

यद्यपि इन में से कोई भी कार्यक्रम केवल कृषि मजदूरों के लिए नहीं है, तो भी सभी योजनाओं का आधार ग्रामीण है और उन से कृषकों के बच्चों को काफी लाभ पहुंचना है ।

बच्चों को समेकित सेवाएं, जिन का मूल आधार अनुपूरक भोजन होगा, प्रदान करने के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक योजना (समेकित बाल देखभाल सेवाएं परियोजना) बनाई हैं । ये सेवाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुपूरक पोषहार ;

(2) पोषहार शिक्षा ;

(3) स्वास्थ्य की जांच ;

(4) निर्देशक सेवाएं ;

(5) स्कूल-पूर्व शिक्षा ।

आशा है कि पांचवीं योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 571 आदिमजाति विकास खण्ड 926 ग्रामीण खण्ड तथा 248 नगर/कस्बे आएंगे । इस कार्यक्रम का आधार विशेषतया ग्रामीण होगा और इसे शहरी गंदी बस्तियों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा । इस पर इस समय योजना आयोग विचार कर रहा है ।

प्रत्येक राज्य से वसूल किया गया गेहूं

106. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से गेहूं की वसूली के आकड़े उपलब्ध हो गये हैं,

(ख) यदि हां, तो अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के दौरान प्रत्येक राज्य से कुल कितना गेहूं वसूल किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) रबी अधिप्राप्ति मौसम 1973–74 अभी भी चल रहा है और मौसम की समाप्ति से पूर्व गेहूं की अधिक से अधिक मात्रा अधिप्राप्त करने के सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विवरण

अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के दौरान प्रत्येक राज्य से अधिप्राप्त की गई गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण ।

(आंकड़े हज़ार मी० टन में)

राज्य का नाम	के दौरान अधिप्राप्त की गई मात्रा			31 अक्तूबर 1973 तक प्रगामी अधिप्राप्ति.
	अगस्त, 73	सितम्बर, 73	अक्तूबर, 73	
असम .	0.1	—	—	0.9
बिहार .	0.4	—	—	49.8
गुजरात .	—	—	—	—
हरियाणा	4.2	7.2	5.3	584.2
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	1.8
जम्मू तथा कश्मीर	0.4	0.7	0.5	18.9
मध्यप्रदेश	0.1	0.2	—	191.6
महाराष्ट्र	—	—	—	10.9
उड़ीसा	—	—	—	0.3
पंजाब .	44.5	46.1	25.9	2709.3
राजस्थान	0.8	—	—	146.5
उत्तर प्रदेश	12.1 +10.8*	23.3 +5.3*	3.2 +0.5*	799.6 +16.6*
प० बंगाल	0.1	—	—	0.4
दिल्ली .	—	—	—	0.2
चण्डीगढ़	—	—	—	0.3
कुल	73.5	82.8	35.4	4531.3

*उत्तर प्रदेश में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत पकड़ी गई मात्रा ।

उत्तर प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

107. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की कटौती को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को गेहूं की सप्लाई में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर और अक्तूबर, 1973 में कुल कितना गेहूं सप्लाई किया गया; और

(ग) जुलाई और अगस्त, 1973 में सप्लाई किए गए गेहूं की तुलना में यह मात्रा कितनी न्यूनाधिक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) केन्द्रीय पल में गेहूं की समूची उपलब्धता और कमी और सूखे/बाढ़ों से प्रभावित अन्य राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार को सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के महीनों के लिए गेहूं का आवंटन किया गया था । उत्तर प्रदेश सरकार को जुलाई से अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान गेहूं की सप्लाई इस प्रकार रही है :—

महीना	की गई सप्लाई (हज़ार मी० टन में)
जुलाई, 1973 .	40.1
अगस्त, 1973	43.5
सितम्बर, 1973 .	27.0
अक्तूबर, 1973	25.0 (आवंटन)

जमा खाद्यान्नों को बाहर निकालने में राज्यों द्वारा सहायता

108. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में छुपाए गए खाद्यान्नों को बाहर निकालने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों को बाहर निकालने के अभियान में कोई सहायता की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जमाखोरी निरोधक विभिन्न उपाय, जो कि उन्हें समय-समय पर बताए जा चुके हैं, करने में तेजी लाएं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स

109. श्री दिनेश जोरदर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री भारत स्काउट्स एण्ड गाइडस के बारे में 13 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संगठन के लेखों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(ख) क्या लेखों और रसीदों की वास्तविक स्थिति को छिपाने अथवा गलत जानकारी दिये जाने के बारे में उनको पता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां । इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में । महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, भारत स्काउट्स और गाइड्स के लेखों की लेखा-परीक्षा प्रति वर्ष करते हैं ।

(ख) और (ग) हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को भोज दी गई थी तथा उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे भारत स्काउट्स और गाइड्स के लेखों की एक विशेष लेखा-परीक्षा करें । महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व ने बताया है कि वे इसका प्रबन्ध कर रहे हैं ।

Shortage of Vegetable Ghee

110. **Shri Shrikrishna Agarwal :**
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in some regions, especially in Northern region, scarcity of vegetable ghee is being experienced due to fixation of different prices thereof in different regions and due to the shortcomings in its distribution system;

(b) if so, whether Government propose to fix uniform price throughout the country and make improvement in the distribution system; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government to meet the shortage in the scarcity regions ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) :

(a) Shortages of vanaspati were reported from some regions in recent months, but these were mainly due to the steep fall in the production of vanaspati arising from the reduced availability of raw oils. In the case of the Northern region, the position was aggravated by the closure of two large factories in the region due to labour trouble in September-October; one of the factories has since re-started.

(b) Does not arise.

(c) With the onset of the new groundnut season in November, the availability of raw oils has since improved, and this is expected to be reflected in a corresponding improvement in the production and supply position of vanaspati.

Opinions of State Governments re. increase in procurement price of paddy

111. **Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether opinion of States has been elicited on the increase of procurement price of paddy and whether a decision has been taken thereon;

(b) if so, the opinion expressed by each State in this regard; and

(c) whether procurement price has been increased with unanimity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (Shri Annasaheb P. Shinde)

(a) Yes, Sir.

(b) Most of the State Governments with the exception of Andhra Pradesh, Orissa and Tamil Nadu have expressed the views in the Chief Ministers' Conference in favour of increasing the procurement prices.

(c) Keeping the consensus in view, the procurement prices have been increased.

दिल्ली दाल (विक्रेताओं को लाइसेंस देना) आदेश, 1973 को क्रियान्विति

112. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री शशि भूषण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाल-काण्ड के पता लगने के पश्चात् 10 सितम्बर, से प्रभावी होने वाले दिल्ली दाल (विक्रेताओं को लाइसेंस देना) आदेश, 1973 को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1973 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने दाल-विक्रेताओं को फिर से छूट दे दी है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दिल्ली दाल (क्रेताओं को लाइसेंस देना) आदेश, 1973 की क्रियान्विति को सुनिश्चित कराने के लिए क्या कड़े कदम उठाये गये है ताकि जन साधारण को राहत मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) दिल्ली दाल (व्यापारी लाइसेंसिंग) आदेश, 1973 को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि इस मामले पर भारत सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि उनकी मजूरी प्राप्त की जा सके ।

(ग) जी हां ।

(घ) दाल के व्यापारियों को छोड़ने के बारे में समाचार पत्र में लगाए गए आरोप ठीक नहीं हैं क्योंकि यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

केरल में आफ सैट प्रेस को दिये गये कागज का दुरुपयोग

113. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण भारत सरकार के माध्यम से केरल के परिवार नियोजन विभाग द्वारा आफ-सैट प्रैस को दिये गये कागज का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) परिवार नियोजन के लिये पोस्टर गैर सरकारी प्रेसों में क्यों छप रहे हैं यद्यपि उपरोक्त प्रैस चल रहा है ; और

(घ) प्रेस के प्रभारी अधिकारी को क्या कोई दंड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा): (क) जी नहीं, तथापि केरल सरकार से यह पता चला है कि पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है और सरकारी कागज के कथित दुरुपयोग के लिए श्री रवीन्द्रन, फोरमैन को गिरफ्तार कर लिया है।

(ख) श्री रवीन्द्रन को राज्य सरकार द्वारा पहले ही मुअतल कर दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

(ग) सितम्बर, 1973 में आफ सेट मशीन के चालू होने के बाद से निजी प्रेसों में पोस्टर नहीं छपाय जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

राम चरित मानस की चतुर्थ शताब्दी समारोह

114. **श्री आर० के० सिन्हा**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री, रामचरित मानस की चतुर्थ शताब्दी समारोह के बारे में 13 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामचरित मानस के चतुर्थ शताब्दी समारोह हेतु गठित राष्ट्रीय समिति में फैजाबाद के एक व्यक्ति को भी शामिल किया गया है, और यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ;

(ख) फजाबाद में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) अयोध्या में प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या विशिष्ट प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) ऐसा पता चला है कि फैजाबाद क्षेत्र से किसी सुविख्यात व्यक्ति को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव, रामचरित मानस-चतुष्शती राष्ट्रीय समिति के विचाराधीन है। समिति ने अयोध्या में महोत्सव कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 12,500 रुपये की धन राशि भी मन्जूर कर दी है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अयोध्या में मन्दिरों का निरीक्षण करने के लिये कारवाई आरम्भ कर दी गयी है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि इनमें से कौन-कौन मन्दिरों को संरक्षण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय महत्व का समझा जा सकता है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही इससे सम्बन्धित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के फ़ैजाबाद तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय

115. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री नये विश्वविद्यालय खोलने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के बारे में 23 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय खोलने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है·

और प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा तथा ऐसा विश्वविद्यालय फैजाबाद में सम्भवतः कब तक स्थापित कर दिया जायगा; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालय खोलने के कुछ दूसरे प्रस्तावों पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी नहीं, प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ख) उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी कुमाऊ और गढ़वाल प्रत्येक प्रभाग में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था। इन पर आयोग द्वार विचार किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश से चावल प्राप्त करने में मैसूर को सहायता

116. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मैसूर राज्य को अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं का मुकाबला करने हेतु आंध्र प्रदेश से चावल प्राप्त करने में सहयता दी है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में मैसूर को केन्द्र से कितनी मात्रा में चावल मिला तथा उसकी आवश्यकता कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) मैसूर सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य से राज्य के अधार पर 5,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने के लिए सीधे पत्र-व्यावहार किया था और केन्द्रीय सरकार से इस द्विपक्षीय सौदे के लिए अनुमति देने हेतु अनुरोध किया था। जांच करने पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि वे केवल 3,000 मी० टन चावल सप्लाई करने के लिए सहमत हैं लेकिन शर्त यह है कि उन्हें केन्द्रीय भंडार से 3,000 मी० टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया जाए। तदनुसार आन्ध्र प्रदेश को गेहू का अतिरिक्त आवंटन कर दिया गया ताकि वे मैसूर को 3,000 मी० टन चावल सप्लाई कर सकें। तथापि बताया जाता है कि चावल के लिए उल्लिखित ऊचें मूल्य के कारण इस सौदे का कार्य फलीभूत नहीं हो पाया है और इसलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को किए गए 3,000 मी० टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को मैसूर सरकार को भेज दिया गया।

Seizure of foodgrains in Andhra Pradesh

117. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in 'Nav Bharat Times' dated the 4th August regarding the seizure of 61 thousand quintals of foodgrains in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the names of the persons involved and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

News-item captioned "Token Strike in Hindu College"

118. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Nav Bharat Times' dated the 4th August, 1973 under caption 'Token strike in Hindu College';

(b) whether students have taken this decision to protest against the irregularities prevalent in the college; and

(c) if so, the findings of enquiry conducted in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the information furnished by the Delhi University, a certain section of the students of the College indulged in pressurizing tactics for reinstatement of the College Care-taker who had been dismissed on charges of gross misconduct and indiscipline. A regular inquiry was conducted by the Administrative Affairs Committee of the College Staff and thorough investigation into each of the allegations, listed by the students section leading the agitation, was made. The verdict of the Inquiry Committee was that all the charges were unfounded. The Chairman of the Governing Body offered to appoint an independent and impartial one-man Inquiry Committee to go further into the matter but the students concerned withdrew the charges and requested that the matter be considered as closed.

Trachoma Research Centre, Aligarh

119. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Trachoma Research Centre, Aligarh has been closed after 10 years of functioning;

(b) whether Government started this research scheme without any proper examination; and

(c) if so, the reasons for its closure?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) In July, 1956, the Government of India started a Trachoma Control Pilot Project, in collaboration with the World Health Organisation and U.N.I.C.E.F. under the administrative control of the Indian Council of Medical Research, after complete feasibility studies. In 1967, a Reviewing Committee constituted to review the working of the Indian Council of Medical Research projects recommended that this Centre should confine its work to clinical epidemiology and therapeutic aspect of Trachoma. In 1969, the Expert Committee of the Council which considered the progress of work at the Centre recommended that the project may be closed from the 31st March, 1970 .

News item captioned 'Blackmarketing in Urea Fertilizer'

120. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards the news item published in 'Pradip' of 28th August, 1973 under the caption "Black marketing in urea fertilizer";

(b) whether by creating artificial scarcity retailers are selling it as Rs. 60 and Rs. 80 per bag; and

(c) if so, the steps being taken by Government to sell the fertilizer to the retailers a reasonable rates?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) As regards retailers creating artificial scarcity and selling Urea at Rs. 60/- and Rs. 80/- per bag, a report has been called for from the Government of Bihar.

(c) In order to make fertilisers available to the cultivators at reasonable rates, the maximum prices at which Urea, Calcium Ammonium Nitrate, and Ammonium Sulphate can be sold to the consumers have been statutorily fixed under the Fertiliser (Control) Order, 1957. The maximum retail prices of other fertilisers imported and distributed by the Central Fertiliser Pool are also fixed at reasonable levels by the Government and these prices influence the prices of similar fertilisers produced in the country.

सूखे से प्रभावित राज्यों के संसाधनों का पता लगाने के लिए समिति

121. **श्री एस० एन० मिश्र:**

श्रीमती कृष्ण कुमारी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में बार-बार पड़े सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति की गहनता का पता लगाने तथा निरन्तर सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में संसाधनों का विकास करने हेतु उपयुक्त नीति बनाने के लिये एक समिति गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, योजना आयोग में एक कृतिक दल ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास की समस्याओं का अध्ययन किया था। इस कृतिक दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के वकास की नीति में जिन महत्वपूर्ण तत्वों की सिफारिश की है वे ये हैं :– सिंचाई संसाधनों का विकास और प्रबंध भूमी और आर्द्रता संरक्षण तथा वनरोपण, फसल की पद्धतियों की पुनर्व्यवस्था और चरागाह विकास सस्य-विज्ञान सम्बंधी पद्धतियों में परिवर्तन पशुधन विकास, पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था तथा लघु/सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों का विकास।

उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

122. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1972 के दौरान इन केन्द्रों के अन्तरंग रोगी विभागों तथा बाह्य रोगी विभागों में कितने रोगीयों का उपचार किया गया ;

(ग) वर्ष 1972 में भारत सरकार ने इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की; और

(घ) अगले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की एक सूची सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 1972 के दौरान भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई खर्च नहीं किया। वैसे 1972-73 के दौरान भारत सरकार ने उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो मलेरिया अनुरक्षण चरण में प्रवेश कर गये हैं, मूल स्वास्थ्य सेवा स्टाफ की नियुक्ति के लिये 34.00 लाख रूपये की व्यवस्था कर दी है।

(घ) 1973-74 के दौरान 29 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने की सम्भावना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

123. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों पर इसबीच विचार कर लिया गया है तथा उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है : और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय तथा अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट किये गये विचारों तथा देश में वैज्ञानिक संस्थानों के संगठन तथा प्रबन्ध पर समग्र रूप से विचार करने के बाद मंत्रियों के दल की सलाह पर इस जांच समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में हाल ही में खास-खास निर्णय लिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का विवरण सभा-पटल पर शीघ्र ही रख दिया जायेगा। सरकार के निर्णयों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को नया रूप देना

124. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को नया रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय की बैठक में यह सुझाव दिया गया है कि पिछली पुनरीक्षण-समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये जिस उप-समिति का गठन किया गया था वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये दो या तीन विशिष्ट वैज्ञानिकों को सहयोजित करें।

भारत-फ्रांस सांस्कृतिक करार

125. **श्री एम० एस० संजीवी राव:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-फ्रांस सांस्कृतिक करार पर अक्तूबर 1973 में हस्ताक्षर किये गये हैं और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) भारत और फ्रान्स सरकारों के बीच संस्कृतिक, तकनीकी और तकनीकी और वैज्ञानिक सहकारिता के करार को अक्तूबर, 1973 के पहले सप्ताह में पैरिस में अन्तिम रूप दिया गया और उस पर हस्ताक्षर किये गए।

(ख) उक्त कार्यक्रम में शिक्षा, भाषा, अध्यापन, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेडियों तथा टेलीविजन फिल्म खेलकूद और युवक कार्यकलापों के क्षेत्रों में सहकारिता और आदान-प्रदानों की परिकल्पना है। पैरिस में 1 और 2 अक्तूबर, 1973 को आयोजित भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

126. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए नियुक्त उच्च स्तरीय बोर्ड को सिफारिशें देने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की है ; और

(ख) समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समिति क्षेत्र की योजना निधियों की व्यवस्था क्षेत्र के इलाके में वृद्धि करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों पर विचार करेगी और उच्च सत्ता प्राप्त बोर्ड को उन विषयों पर उचित सिफरिशें करेगी जिन पर उसने विचार कर लिया है। यह एक स्थायी समिति है जो समय-समय पर उठाने वाले मामलों पर विचार करती है।

भारत-ईरान सन्धि, 1973

127. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ईरान संधि पर अक्तूबर, 1973 में हस्ताक्षर हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अक्तूबर 1973 में शिक्षा मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नियमित आदान-प्रदान के कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से चर्चा हुई थी। ऐसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए दोनों ही पक्ष सिद्धान्तत: सहमत हो गए थे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पड़े हुए पद

128. **श्री एम० एस० संजीवी राव:**

श्री नवल किशोर शर्मा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा उसके सहयोगी संस्थानों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा कब से ये पद रिक्त पड़े हुये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) जनवरी, 1973 के अन्त में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय और इसके संबंधित अनुसंधान संस्थानों में 325-575 रु० तथा इससे ऊपर के वेतनमानों में लगभग 1200 वैज्ञानिक और तकनीकी पद रिक्त पड़े थे। ये पद एक वर्ष से 2½ वर्ष तक की अवधि के लिए रिक्त रहे हैं। इनमें से अधिकांश स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अक्तूबर, 1972 में जारी किये गये अनुदेशों के कारण रिक्त पड़े थे। इसके द्वारा केवल ऐसे मामलों पर ही भर्ती करने को कहा गया था जिनमें कि प्राथमिकता वाले समयबद्ध अनुसंधान/शैक्षिणक परियोजना/कार्यक्रम में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पद का भरा जाना अत्यावश्यक हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक अन्य पदों के भरने की मनाही की गई थी।

Deaths due to collision of D T.C. Buses with walls of Kashmiri Gate

129. **Shri Chandu Lal Chandrakar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a number of youths have been crushed to death by colliding with the walls of Kashmiri Gate, Delhi from time to time while travelling in the buses of Delhi Transport Corporation;

(b) the number of persons deprived of their lives by collision with these walls so far; and

(c) the action taken by Government to check the recurrence of such accidents in future?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rane) : (a) and (b) Only one case involving a D.T.C. bus has occurred so far (i.e. on 20-8-73) when a passenger travelling on the foot-board of the bus fell down after colliding with the side walls of Kashmiri Gate. He was rushed to the hospital where he was declared dead.

(c) In order to avoid possibilities of mishaps, the following instructions have been issued by the D.T.C. :—

(1) Conductors of buses proceeding towards Kashmiri Gate must ensure that nobody travels on the foot-board of the buses.

(2) Conductors of the buses approaching Kashmiri Gate must announce that they will be passing through Kashmiri Gate and no one should peep out or project any part of his body through the windows.

राज्यों में औषध नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने सम्बन्धी योजना

130. **श्री वी० मायावन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृत्रिम और निम्न स्तर की औषधियों को रोकने के लिए राज्यों में औषध नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने की एक योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या ह ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

131. **श्री वी मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी बेहतर वेतनमानों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के इस आन्दोलन से वसूली के समय भारतीय खाद्य निगम के कार्य में बिगाड़ हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले को तुरन्त निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बताया जाता है कि कुल मिला कर, कार्य-सामान्य रूप से हो रहा है।

(ग) निगम के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और सेवा की शर्तों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में एक वेतन समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

रबी फसलों की उत्पादन नीति के सम्बन्ध में कृषि अधिकारियों की बैठक

132. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी फसलों की उत्पादन नीति पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य कृषि अधिकारियों की बैठक सितम्बर, 1973 में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस में भाग लिया ; और

(ग) उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां

(ख) 12 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित राज्य ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 1-9-73 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों और कृषि निदेशकों की बैठक में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के लक्ष्यों और 1973-74 के रबी की उत्पादन सम्बन्धी नीति के बारे में विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक में राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन के लक्ष्यों के आधार पर 1973-74 के रबी के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का अखिल भारतीय लक्ष्य 480 लाख मीट्रो टन निश्चित किया गया था। रबी के मौसम के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने और उपाय ढूढ़ने के बारे में भी इस बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर भी विचार किया गया था:—

(1) सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में साधारण तथा अधिक उत्पादनशील किस्मों के ज़िलेवार लक्ष्यों में गिरावट आना,

(2) किस्मों का उचित चयन, बुवाई का समय और माइक्रो पोषण तत्वों सहित उपलब्ध उर्वरकों का उपयुक्त प्रयोग करना,

(3) आदानों, विशेषकर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की उपलब्धि में आने वाली रुकावट को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पेकेज पद्धतियों का विकास करना,

(4) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए आर्गेनिक खाद के प्रयोग को और अधिक उपज की प्राप्ति के लिए फार्सफेट तथा पोटासयुक्त उर्वरकों के अधिक से अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना,

(5) विस्तार कार्यकर्त्ताओं और किसानों को प्रशिक्षण देना तथा बीज उपचार सामयिक बुवाई, उर्वरक प्रयोग के तरीकों, सिंचाई जल आदि के सामयिक प्रयोग आदि के बारे में प्रदर्शन आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों के विशेषज्ञों के दलों द्वारा ग्रामों का दौरा करना,

(6) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान्ड क्षेत्रों में रबी के अनाजों की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना,

(7) खरपतवार नियंत्रण,

(8) एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गेहूं और अन्य रबी फसलों की उत्पादकता में भारी असमानता के कारणों का पता लगाना और प्रयासों को बढ़ा कर और आदानों की निश्चित सप्लाई करके पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादन सम्बन्धी प्रयासों को केन्द्रित करना,

(9) समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाना,

(10) आगामी वर्ष के लिए बीजों की मांग को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करना,

(11) कार्यक्रम पर नियमित रूप से पुनर्विचार करना और उसका मूल्यांकन।

परीक्षा सम्बन्धी सुधारों हेतु कार्यक्रम बनाने के लिये उपकुलपतियों की बैठक

133. **श्री वी० मायावन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षा सुधारों के हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए नई दिल्ली में उपकुलपतियों की बैठक होने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ; और

(ग) परीक्षा सुधारों को लागू करने के लिए कितने राज्य सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) इस तथा अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिये अगले वर्ष किसी समय कुलपतियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है ।

(ग) परीक्षा सुधार के लिये "कार्रवाई आयोजना" को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों को चुना है :—

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
(2) आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल टेयर।
(3) बड़ौदा का एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
(4) पंजाब विश्वविद्यालय, चंण्डीगढ़।
(5) गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी।
(6) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
(7) यादवपुर विश्वविद्यालय, यादवपुर।
(8) पूना विश्वविद्यालय, पूना।
(9) सागर विश्वविद्यालय, सागर।
(10) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर।
(11) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
(12) कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट।

इस प्रयोजन के लिये किसी राज्य को नहीं चुना गया है।

पांचवीं योजना के दौरान शिक्षा का विकास

134. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि के दौरान विकास की नीति पूर्व योजनाओं से मुख्य रूप से भिन्न है और इसमें विकास के स्थान पर वितरण न्याय पर बल दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 जून, 1973 को हुई अपनी बैठक में, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रस्ताव किये थे। प्रस्तावित योजना अभी तक आयोजना आयोग के विचाराधीन है।

पंजाब में किसानों को बोनस प्रोत्साहन

135. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के किसानों को जिन्होंने तीन सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचा है, बोनस प्रोत्साहन के रूप में 13.50 करोड़ रुपया दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, बोनस प्रोत्साहन की राशि सहित गेहूं की प्रति क्विंटल लागत क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार 13.50 करोड़ रुपये के कुल बोनस प्रोत्साहन में से 5.50 करोड़ रुपये देगी और शेष राशि पंजाब सरकार वहन करेगी; और

(घ) क्या अन्य राज्य सरकारों को भी इस प्रकार की प्रोत्साहन योजना लागू करने की अनुमति दी गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) गेहूं विपणन मौसम के लिए मंजूर की गई बोनस योजना के अधीन, 31 अक्तुबर, 1973 से पहले केन्द्रीय पूल को सप्लाई की गई मात्रा के लिए गेंहूं उत्पादक राज्य क्रमिक आधार पर बोनस के हकदार है । पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अधिप्राप्त की गई और केन्द्रीय पूल को दी गई मात्रा के आधार पर राज्य सरकार लगभग 9 करोड़ रु० का बोनस प्राप्त करने की हकदार होगी। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने किसानों को 76 रुपये प्रति क्विंटल के अधिप्राप्ति मूल्य मे 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिक नकद प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित सड़क विकास के सम्बन्ध में निवेश

136. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्रों की सड़कों सम्बन्धी उप-दल ने, पांचवीं योजना अवधि में उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिये 1200 करोड़ रुपये सहित केन्द्रीय क्षेत्रों में सड़क विकास पर 1,537 करोड़ रुपये के निवेश की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के अन्तर्गत किस-किस श्रेणी की सड़कें आती हैं; और

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सड़कों के लिये किसी धनराशि की भी सिफारिश की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) जी, हां।

(ख) उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिये उप-दल की सिफारिश के अनुसार 1200 करोड़ रुपये के विस्तृत योजनावार ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) संवैधानिक रूप से, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर घोषित सड़कों के लिये जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सभी सड़कें और पिछड़े हुये इलाकों के विकास के

लिये सड़कों के सुधार का आम प्रश्न, राज्य के क्रियाकलापों सम्बन्धी क्षेत्र में मुख्य रूप से है। अतः जबकि पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के सम्बन्ध में उप-दल ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम, विशेष क्षत्र विकास योजनाओं आदि जैसे विभिन्न केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथासम्भव इन इलाकों की मांगों का ख्याल रखा जायेगा।

विवरण

उच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत पांचवीं योजना के लिए उप-दल द्वारा सिफारिश किये गए निवेशों का विस्तृत विवरण

	उच्च प्राथमिकता
	रुपये करोड़ों में
1. राष्ट्रीय राजमार्ग:	
(क) आगे लाये गये	254.00
(ख) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये निर्माण कार्य (1) 1-4-69 को मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माणकार्य .	
1. चार गलियों तक सड़कों का चौड़ा करना	300.00
2. दूसरी योजनायें	250.00
(2) चतुर्थ योजना में शामिल किये गये नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य	30.00
(ग) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों का शामिल करना	40.00
(घ) मशीनरी सम्बन्धी आवश्यकतायें	50.00
	924.00
2. सामरिक महत्व की सड़कें:	
(क) आगे लाई गईं 46.00 ⎫	76.00
(ख) नये निर्माणकार्य 30.00 ⎭	
3. अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें:	
(क) आगे लाई गईं 20.00 ⎫	50.00
(ख) नये निर्माण कार्य 30.00 ⎭	
4. विशेष क्षेत्र विकास योजनायें और केन्द्रीय मंत्रालयों की आवश्यकतायें	40.00
5. राजमार्ग अनुसन्धान विकास और योजना अध्ययन	10.00
कुल जोड़	1100.00
जोडिये : सामरिक महत्व के सीमान्त क्षेत्रों में सड़क संचार	100.00
	1200.00

देश में 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० मालवाहक पोत

137. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित 21,500 डी० डबल्यू० टी० मालवाहक पोत दूसरे सबसे बड़े बहुप्रयोजनीय बल्क कैरियर एवं सामान्य मालवाहक जहाज को गत जुलाई में समुद्र में उतारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास सेवा करने वाले इस वर्ग के माल वाहक पोतों की संख्या कितनी है, और

(ग) क्या इण्डियन शिपिंग कम्पनी के पास इस वर्ग का कोई मालवाहक पोत है तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना): (क) दो ऐसे जहाजों को कील बिछाई गई है एक 11 सितम्बर, 1972 को और दूसरा 30 अगस्त, 1973 को।

(ख) कोई भी नहीं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

निरक्षरता की प्रतिशतता घटाने के लिये पांचवीं योजना में प्रावधान

138. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 जनगणना के अनुसार समूचे देश में निरक्षरता को प्रतिशतता 71 था,

(ख) यदि हां, तो क्या निरक्षरता की प्रतिशतता में कमी लाने के लिये पांचवीं योजना में कोई प्रावधान किया गया है? और

(ग) यदि हां, तो इसकी राशि कितनी है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) निरक्षरता की प्रतिशतता, शिशुओं और बच्चों सहित कुल जनसंख्या का 70.55 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान राज्य में मेडिकल कालेजों का सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता

139. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:**

श्री के लकप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में मेडिकल कालेजों का सुधार करने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई सहायता दी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य सूचना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने स्नातकपूर्व मेडिकल शिक्षा देने के लिये राज्य के मेडिकल कालेजों में सुधार करने हेतु भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी है।

फिर भी, राजस्थान सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा के विकास की केन्द्र चालित योजना के अधीन एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर के शरीर क्रिया और नेत्र विज्ञान विभागों का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अधीन जिन विभागों का दर्जा बढ़ाया जाता है, उनके लिये इमारतें बनाने, उपकरण और अन्य साज सामान जुटाने पर होने वाले अनावर्ती खर्च तथा अतिरिक्त स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृतियां देने पर होने वाले आवर्ती खर्च की पूर्ति के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में इन विभागों के लिये इस राज्य सरकार को जितनी-जितनी केन्द्रीय सहायता दी गई अथवा आबंटित की गई, वह इस प्रकार है:—

वर्ष	दी गई राशि
	(लाख रुपयों में)
1. 1969-70	4.00
2. 1970-71	4.00
3 1971—72	4.00
4 1972-73	1.00
5. 1973-74	1.10 (अनन्तिम)

चौथी योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में संभावित कमी

140. **श्री पुरुषोतम काकोडकर :**

श्री कें० लक्कप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी पदों के लक्ष्यों में कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, विभिन्न खाद्यान्नों में कितने प्रतिशत कमी की सम्भा ना है; और

(ग) अलग-अलग फसलों के सम्भावित उत्पादन और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे): (क) से (ग) चूंकि 1973-74 का फसल वर्ष जो कि चौथी योजना का अंतिम वर्ष है अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः चौथी योजना

के कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में कितनी कमी रही है, अभी यह बता सकना सम्भव नहीं है। तथापि, चौथी योजना के लक्ष्य का ब्यौरा और 1973-74 की वार्षिक योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :–

फसलें	इकाई	लक्ष्य	
		चौथी योजना	वार्षिक योजना (1973-74)
खाद्यान्न	लाख मीटरी टनों में	1290	1150
तिलहन	"	105†	94
गन्ना (गुड़)	"	150	135
कपास	लाख गांठों में	80	65
जूट	लाख गांठों में	74	56‡

†पांच प्रमुख तिलहन।

‡प्राप्त संकेतों के अनुसार 1973-74 में जूट की भरपूर फसल हुई है और इस वर्ष का जूट उत्पादन इस वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से काफी अधिक है।

शिक्षा सर्वेक्षण में हुई प्रगति

141. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा सर्वेक्षण के बारे में 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सर्वेक्षण सम्बन्धी कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): सर्वेक्षण में सम्मिलित विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों अर्थात स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन व पर्यवेक्षण और सांस्कृतिक शिक्षा के लिये उप समितियों का गटन किया गया है। सर्वेक्षण करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। सभी सरकारों से स्टाफ नियुक्त करने तथा सर्वेक्षण करने के लिये अपेक्षित मशीनरी का विकास करने का अनुरोध किया गया है। कुछ राज्यों में स्टाफ की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। सर्वेक्षण के लिये कार्यों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सर्वेक्षण के आयोजन, आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण की प्रक्रियाओं तथा रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये रा० शि० अ० प्र० प० द्वारा राज्य सरकारों के सर्वेक्षण अधिकारियों के लिये 20 नवम्बर, 1973 से दस दिन के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

आदिवासियों के कब्जे में भूमि

142. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासीयों की कृषि योग्य बहुत सारी भूमि गैर-आदिवासी लोगों के कब्जे में है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी आदिवासी भूमि पर गैर-आदिवासियों का अधिकार है; और

(ग) इन भूमियों को वापिस कराने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं अथवा क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

143. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों से देश में शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो गया है क्योंकि ये पुरस्कार मुख्य तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों अथवा मुख्याध्यापकों को दिये जाते हैं;

(ख) क्या पात्रता खण्ड में यह विहित है कि केवल उसी शिक्षक को पुरस्कार देने पर विचार किया जायेगा जो 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समूची प्रणाली में परिवर्तन करने और पुरस्कार देने की वर्तमान प्रणाली को जारी न रखने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये अध्यापकों को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा सिफारिश किये गये नामों में से चुनती है । पुरस्कारों के लिये सिफारिश किये गये अध्यापकों की संख्या सामान्यत: प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या से दुगुनी होती है। यह ठीक है कि अब तक प्राथमिकता तथा मिडिल स्कूलों के प्रधानों सहित स्कूलों के प्रधानों को ही अधिकतर पुरस्कार दिये गये हैं और जिसकी वजह से अध्यापकों ने समय-समय पर नाराजगी प्रकट की है। स्कूलों के प्रधानों को अधिकतर पुरस्कार दिये जाने के कारणों में से एक कारण यह है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिये कम से कम 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिये और इस अवधि तक एक धारण कोटि के अध्यापक को भी स्कूल का प्रधान बनने की संभावना होती है। तथापि कक्षा के अध्यापकों को अब तक दिये गये पुरस्कारों से और अधिक पुरस्कार देने के लिये पात्रता की अवधि घटा कर 15 वर्ष करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

गुरुकुल कांगड़ी में एक प्रोफेसर की मृत्यु

144. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक विद्यार्थी ने गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर ओम प्रकाश सिन्हा को गोली मार कर हत्या कर दी थी;

(ख) क्या गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों से इस घटना के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस घटना के बारे में ब्यौरा जानने के लिये एक वरिष्ठ शिक्षाबिद को नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा मृतक के परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क), (ख) और (घ) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। तथापि, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) जी नहीं। आयोग का इस मामले से सम्बन्ध नहीं है।

विदेशी विद्वानों के प्रवेश पर रोक

145. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विद्वानों के प्रवेश पर लगी रोक हटा ली गई,

(ख) क्या विदेशी विद्वानों के लिये अब भी मूल्यांकन के लिये अपने अनुसन्धान भारतीय पर्यवेक्षकों को प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(ग) क्या विदेशी छात्रों के वीजा के लिये आवेदनों की जांच की जायेगी;

(घ) क्या राजस्थान नहर जैसे सीमावर्ती मरुस्थली क्षेत्रों को हराभरा करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में से विदेशी विद्वानों द्वारा अनुसन्धान विषयों के चयन पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ङ) यदि इस समय विदेशी विद्वानों के लिये कोई मार्गदर्शन सिद्धान्त लागू हैं तो वे क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ङ) भारत में विदेशी अध्येताओं को प्रविष्टि पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। तथापि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कुछ रूपरेखा निर्धारित की गई है कि भारत में विदेशी शैक्षिक कार्यकलाप अधिक लाभदायक तरीके से आयोजित किये जाते रहें और इससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अतः विदेशी अध्येताओं की सीमावर्ती क्षेत्रों से सम्बन्धित विषयों सहित कुछ विषयों में अनुसन्धान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक अनुसन्धान परियोजना का शैक्षिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से योग्यताओं के आधार पर जांच की जाती है और फिर उसे अनुमोदित किया जाता है। विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में एक नियमित पी० एच० डी० छात्र के रूप में पंजीकृत विदेशी छात्र को अपना शोध निबन्ध मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होता है, किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० डिग्री के लिये पंजीकृत जो छात्र अल्पकाल के लिये अनुसन्धान करने हेतु भारत आना चाहे, उन्हें भी भारतीय विश्वविद्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराना होता है और विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी प्रोफेसर के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करना होता है। भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिल विदेशी विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों की समीक्षा, सामान्य वीजा विनियमों पर निर्भर करती है।

बम्बई-कलकत्ता राजमार्ग पर विवेकानन्द पुल से गुजरने वाली मोटर गाड़ियों पर चुंगीकर

146. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-बम्बई राजमार्ग तथा जी० टी० रोड के उपमार्ग (राजपथ संख्या 2) विवेकानन्द पुल और कलकत्ता को जाने वाली जी० टी० रोड से गुजरती है;

(ख) क्या नियमानुसार सरकार, एक ही पुल से गुजरने वाली गाड़ियों से चुंगी कर लेना समाप्त करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब कार्यवाही करेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) से (ग) कलकत्ता के निकट विवेकानन्द पुल अब तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग नगर योजक (वेलघेरिया एक्सप्रेसवे) पर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भाग पर पथ-कर लगाने की व्यवस्था नहीं है। इस योजक सड़क के विकास तथा अनुरक्षण के लिये दिसम्बर, 1972 में भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुये करार में भी निश्चित किया गया था कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि आरपार यातायात पर चुंगी अथवा कोई अन्य सीमा कर तथा पथ-कर न लगे। जैसे ही यह पता चला कि इस करार के बावजूद राज्य सरकार अभी तक पथ-कर वसूल कर रही है, जो उसने पहले उस समय लगाया था जब पुल राष्ट्रीय राजमार्ग की नगर योजक सड़क के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं था, तो मामला राज्य सरकार के साथ गया और इस पर अभी पत्र-व्यवहार चल रहा है।

देश भर में अस्पतालों में हड़ताल

147. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों या केन्द्र से सहायता प्राप्त अस्पतालों में डाक्टरों, अस्पताल में रहने वाले डाक्टरों, नर्सों और केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हड़तालें की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में होने वाली ऐसी हड़तालों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार ने अस्पताल के कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) से (ग) जहां तक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति इस प्रकार है:—

दिल्ली के मेडिकल कालेजों और अस्पतालों के जूनियर/रेजीडेंट डाक्टरों ने महाराष्ट्र के रेजीडेंट मेडीकल डाक्टरों मे सहानुभूति स्वरूप 5 सितम्बर, 1973 को 48 घंटों की हड़ताल की।

इन संस्थाओं के नर्सिंग स्टाफ ने 16 अगस्त, 1973 से एक से दो दिन की हड़ताल की। उनकी मुख्य मांग धुलाई भत्ते और वर्दी भत्ते की रकम को बढ़ाने के बारे में थी। सरकार ने पहली अगस्त, 1973 से धुलाई भत्ते की रकम 4.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति मास करने की मंजूरी दे दी है। जहां तक वर्दी भत्ते का सम्बन्ध है, सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल नई दिल्ली के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने 17 अक्तूबर, से 20 अक्तूबर 1973 तक हड़ताल की। इन कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सरकार ने जो कार्यवाही की है, वह इस प्रकार है :—

(1) पहली अप्रैल, 1973 से कर्मचारियों की भविष्य निधि राशियों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(2) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अलाट करने के लिये लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल को टाइप I के पच्चीस क्वाटर दे दिये गये हैं।

(3) चौथी श्रेणी के जिन कर्मचारियों को पहले अस्पताल साइड में थोड़े-थोड़े समय के बाद ड्यूटी देनी पड़ती थी, उन्हें 8 घंटों की एक ही पारी की ड्यूटी देने के बारे में सहमति हो गई है। अस्पताल साइड के चौथी श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष में 82 दिन की छुट्टी देने पर भी सहमति हो गई है।

कुछ मांगें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

बम्बई गोदी और मिडस्ट्रीम में जहाजों को रोक लेने के कारण दक्षिणी जोन में खाद्यान्नों की कमी

148. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौभरकों द्वारा हड़ताल करने से बम्बई गोदी और 'मिडस्ट्रीम' में अनाज के जहाजों को रोक लेने से दक्षिणी जोन राज्यों को खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) सामान्य कार्य में बाधा पड़ने के बावजूद, पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को भारत सरकार द्वारा दिये गये मासिक आवंटनों के प्रति आपूर्ति तथा देशी खाद्यान्नों में से संतोषजनक रूप से खाद्यान्नों की सप्लाई को बनाए रखा गया है।

(ख) बम्बई बन्दरगाह के नौभरकों और अन्य मजदूरों ने 24-10-73 (दूसरी पारी) से हड़ताल बापस ले ली थी और तब से सामान्य रूप से कार्य चल रहा है।

भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये गेहूं और चावल के व्यापारी

149. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और चावल के कुछ व्यापारियों को भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया था,

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और व्यापारियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सामाजिक दृष्टि से और सरकार के कानून के अधीन उन्हें क्या सजाएं दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चावल के थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के इच्छुक राज्य

150. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पहले ही यह व्यापार अपने हाथ में लिया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने चावल के थोक व्यापार के अधिग्रहण का विरोध किया है; और

(घ) सरकार चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के अपने वचन को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) असम सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है। कोई भी राज्य चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण के सिद्धांततः विरुद्ध नहीं है। तथापि, कुछ राज्य सरकार यह महसूस करती हैं कि कुछेक परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं जिन पर काबू पाना है। इस तथ्य की दृष्टि में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गयी है कि अपने कार्यक्रम तैयार कर और राज्य की स्थितियों के अनुसार उपयुक्त बढ़िया प्रणाली के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य तेज करें ताकि पर्याप्त स्टाक तैयार करने और सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरत पूरी करने के लिए चावल की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इससे न केवल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलेगा बल्कि सरकारी एजेंसियां उपभोक्ताओं विशेषतया जन संख्या की जरूरतमन्द वर्गों को उपयुक्त मूल्यों पर चावल सप्लाई कर सकेंगी।

पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

151. **श्री श्रीकिशन मोदी:**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नई परियोजनाओं और नई योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई योजनाओं तथा गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ग) क्या भूमिहीन व्यक्तियों को मकानों के लिए भूमि देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) इस मंत्रालय ने योजना आयोग को कुल 1083.45 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है।

(ख) इस मंत्रालय ने योजना आयोग को निम्नलिखित परिव्यय का प्रस्ताव किया है :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई की योजनाएं	550.00 करोड़ रुपये
(2) गन्दी बस्ती सुधार योजना	102.40 करोड़ रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामिण क्षेत्रों में भूमीहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं तथा दी गई निधियों का विवरण (जैसा कि 7-11-73 की स्थिति है।)

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आवास-स्थलों की संख्या	अनुमोदित लागत	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
					(लाख रुपये में)
1.	बिहार	39	23,872	45.82	11.45
2.	गुजरात	85	1,62,676	306.58	76.65
3.	हरियाणा	1	053	0.08	0.02
4.	हिमाचल प्रदेश	5	430	0.64	0.16
5.	केरल	960 पंचायतें	96,000	677.76*	205.44
6.	महाराष्ट्र	83	1,08,962	164.56	41.14
7.	मैसूर	109	1,72,597	239.38	59.84
8.	उड़ीसा	2	3,349	8.40	2.10
9.	पंजाब	3	12,082	31.68	7.92
10.	राजस्थान	20	8,141	11.24	2.81
11.	तामिलनाडु	36	33,692	75.51	18.88
12.	उत्तर प्रदेश	27	19,808	30.85	7.71
13.	पश्चिमी बंगाल	12	11,166	19.39	4.85
	कुल	1,382	6,52,828	1,611.89	438.97

*1972-73 के लिए स्वीकृत राशियां 273.92 लाख रुपये

1973-74, 1974-75 के लिए दी जाने वाली राशियां 403.84 लाख रुपये

कुल **677.76 लाख रुपये**

टिप्पणी : यह अभी मालूम नहीं है कि यह स्कीम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी।

शिक्षा की सम्भावनाएं

152. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी योजना वर्षों में शिक्षा की सम्भावनाएं अनिश्चित हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या उनके मंत्रालयों पर योजना आयोग के साथ चर्चा की गई थी, यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम रहे, और

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा विकास कार्यक्रमों के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) 18, 19 सितम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पांचवी योजना में शिक्षा के विकास के लिए लगभग 3200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की रूपरेखा स्वीकृत की थी। उसने यह भी निर्देश दिया कि योजना आयोग के साथ इन प्रस्तावों पर चर्चा आरंभ की जाए और यदि उपलब्ध वास्तविक आवंटन इस राशि से कम हो तो प्राथमिकताओं के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर एक संशोधित योजना तैयार की जाए।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति पांचवी योजना के प्रारूप मसौदे में शिक्षा और संस्कृति के लिए 2200 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रास्तवित था। तदनुसार पांचवी योजना में शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के संशोधित प्रस्ताव तैयार किये गये जिन्हें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा 13 जून, 1973 को उसकी बैठक में सामान्य रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। योजना आयोग के साथ प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पारे वाले बीजों की तथाकथित बिक्री

153. श्री श्रीकिशन मोदी:

श्री एम० सुदर्शनम्:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने एक करोड़ रुपये के पारे वाले बीज वाणिज्यिक मंडी (रटार्चे) निर्माताओं को बेचे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि इनको खाद्यान्न के रूप में न बेचा जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने 1969-70 से 1972-73 तक एक करोड़ रुपये के मूल्य के बीज रद्द घोषित किये थे। इन बीजों का उपचार केवल गैर-पारायुक्त फुफंदनाशियों और कीटनाशियों से ही किया जाता है। रद्द घोषित किए गए इन बीजों का निपटान करते समय ग्राहकों से इस आशय की लिखित अभिस्वीकृति

ले ली जाती है कि वे इस बात से परिचित हैं कि उन्हे बेचे गये बीजों का रासायनिक उपचार किया गया है और यह वास्तव में अखाद्य प्रयोजनों के लिए ही है। रद्द किए गए बीजों के निपटान के लिए निविदायें प्रस्तावित करने पर भी यह तथ्य कि बीजों का रासायनिक उपचार किया गया है और यह खाद्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाने चाहिएं, स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का भण्डार

154. **श्री श्री किशन मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गेहूं के भण्डार में अभी हाल में काफी कमी हुई है,

(ख) यदि हां, तो इसके गोदामों में गेहूं के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इसकी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों के पास पहली अक्तूबर, 1973 को कुल 15 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक स्टाक था। गेहूं के स्टाक को भरपाई करने के लिए वाणिज्यिक आधार पर गहूं की कुछ मात्रा के आयात करने के प्रबन्ध किए गए हैं। इसके अलावा, सोवियत रूस सरकार से उधार पर 20 लाख मीटरी टन गेहूं लिया गया है।

रबी फसल के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य.

155. **डा० हरिप्रसाद शर्मा:**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या आगामी रबी फसल में विभिन्न प्रकार के गेहूं के सम्बन्ध में समर्थन मूल्य के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो निश्चित किये गये समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है और मूल्य निश्चित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ; और

(ग) क्या इस वर्ष के वसूली कार्य सम्बन्धी अनुभवों को इस बारे में ध्यान में रखा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) देशी लाल गेहूं का साहाय्य मूल्य 80 रुपये प्रति क्विंटल और मैक्सिकन और देशी साधारण सफेद किस्मों की गेहूं का 85 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये मूल्य आदानों के मूल्यों में वृद्धि और उत्पादकों आदि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता जैसे संगत तत्वों और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं।

(ग) जी हां।

आगामी शरद ऋतु की फसल के लिये उर्वरक की आवश्यकता

156. **डॉ० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी शरद ऋतु की फसलों के लिए उर्वरकों की सप्लाई कम मात्रा में की जा रही है और किसानों के आर्थिक साधनों से बहुत बाहर है;

(ख) यदि हां, तो शरद ऋतु की फसलों के लिए राज्यवार तथा कुल कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग का अनुमान है और उन्हें किन मूल्यों पर किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) रबी 1973-74 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धि में कुछ रुकावट पड़ने की सम्भावना है।

यूरिया अमोनियम सल्फेट तथा कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट नामक तीन महत्वपूर्ण नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के वैधानिक अधिकतम मूल्य उचित ढंग से निश्चित किए गए हैं। केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरित होने वाले आयतित उर्वरकों के मूल्य भी उचित ढंग से निश्चित किए जाते हैं। इसका देश में तैयार हुए इसी प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है।

(ख) रबी 1973-74 के मौसम में देश में उर्वरकों की राज्यवार जरूरत प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। उर्वरकों की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों का मूल्य प्रदर्शित करने वाला दूसरा विवरण अनुबंध II में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 5660/73]

(ग) (1) यथा संभव अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक आयात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) देशीय उर्वरक एककों की उत्पादन क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) संचलन में आने वाली रुकावटों को दूर करके और विनिर्माताओं से सहकारी तथा राज्य एजेन्सियों के माध्यम से यथासम्भव अधिकाधिक मात्रा में उर्वरकों को बेचने का अनुरोध करके उर्वरकों की वितरण की पद्धति को सुधारने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

गत रबी फसल के दौरान गेहूं के उत्पादन में कमी

157. **डा० हरिप्रसाद शर्मा**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत रबी फसल में गेहूं के उत्पादन का अनुमान वर्ष 1971-72 के स्तर की तुलना में भी कम लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की मात्रा कितनी है; और

(ग) कम उत्पादन के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अनुमान लगाया गया है कि देश में वर्ष 1972-73 के दौरान गेहूं का उत्पादन लगभग 249.2 लाख मीटरी टन होगा जबकि 1971-72 में यह उत्पादन 264.1 लाख मीटरी टन था। कुछ राज्यों से प्राप्त अनुमानों की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है, अतः इस अनुमान में संशोधन हो सकता है।

(ग) बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मौसम के अन्तिम भाग में गर्म हवायें चलने और विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बिजली और उर्वरकों की कमी आदि के कारण वर्ष 1972-73 के दौरान गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

राजस्थान में राष्ट्रीय रेगिस्तानी पार्क योजना की प्रगति

158. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क स्थापित करने की स्थिति अब भी अनिश्चित है और पक्षियों और पशुओं की दुर्लभ नस्लें तेजी से समाप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय पार्क योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विषय में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में शामिल दुर्लभ पशुओं और पक्षियों की राजस्थान में 1 सितम्बर, 1973 से इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रक्षा की जा रही है। इस तारीख से पहले इन पशुओं की राजस्थान वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत रक्षा की जा रही थी।

राजस्थान वन विभाग के एक अध्ययन दल ने रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रस्तावित सभी क्षेत्रों का उपयुक्त क्षेत्र के चुनाव के लिए दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट उनके विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्य में ह्रास एवं भ्रष्टाचार

159. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या इस निगम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और स्वयं कृषि मंत्री ने इसे स्वीकार किया है और क्या इस बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 2 अक्तूबर, 1973 के अंक में 'अनलिमिटेड करपशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार भी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को अवैध धन देती है, और क्या इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में भी ऐसी आरोप लगाए गये थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को अवैध धन देना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो बढ़ते हुए इस भ्रष्टाचार को रोकने और भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में ह्रास को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं। लेकिन भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में विभिन्न स्तरों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

(ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। भारतीय खाद्य निगम सरीखे बहुत बड़े संगठन जिसका ढांचा विकेन्द्रित है, में विभिन्न प्रकार के कदाचार की वारदातें होने से पूर्णतया इन्कार नहीं किया जा सकता है। निगम में कदाचार की वारदातें रोकने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) इस वक्तव्य की जांच पड़ताल करवायी गई थी कि महाराष्ट्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को रिश्वत दे रही है। यह मालूम हुआ था कि निगम के नियमित कर्मचारी ऐसी कोई रिश्वत की न तो मांग कर रहे थे अथवा ले रहे थ। तथापि, निगम के विभागीयुक्त मजदूर खाद्यान्नों के उस ट्रक के लिए 51 रुपये की मांग करते थे जिसके साथ मजदूर नहीं होते थे। उनका यह विचार था कि निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली मजदूरी में ट्रक पर बोरियां लगाने के लिए मजदूरी शामिल नहीं थी। जब अत्यधिक माल की निकासी हुई तो यह राशि बढ़ा दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धक इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि ये मजदूर न तो रिश्वत की मांग करें और न ही उसे स्वीकार करें। महाराष्ट्र सरकार ने ये अनुदेश जारी किए हैं कि पुलिस वर्दी और सफेद कपड़ों में घूम कर इसे रोकने के लिए सतर्क रहें।

उत्तर प्रदेश के बारे में इसी प्रकार की मांग के संबंध में सरकार के ध्यान में कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

(घ) निगम में सतर्कता तथा सुरक्षा संगठनों को सशक्त किया जा रहा है। इस कार्यविधि में सुधार लाने और इस पर निगरानी रखने और निगम के प्रशासनिक तन्त्र में अधिक अनुशासन लाने के लिए पग उठाए गए हैं।

खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण एजेंसियां रखने वाले राज्य

160. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की खाद्यान्न व्यवस्था की रूपरेखा में काफी परिवर्तन हुये हैं और बिहार, तमिलनाडु तथा मसूर ने खाद्यान्नों की वसूली एवं वितरण के लिए अपनी एजेंसियां खोल ली हैं तथा उन्होंने केन्द्र की मंजूरी लेने की भी परवाह नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत खोली गई एजेंसियां वही कार्य करेंगी जो भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया था;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम की राज्य उपशाखाएं, जो अपनी अपनी राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होंगी, खोलने की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इन सभी परिवर्तनों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन सभी मामलों के लिए स्वीकृत फार्मूला बनाने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकारें समवाय अधिनियम के अधीन निगमों की स्थापना के लिए सक्षम है। बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित कुछ राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य आवश्यक जिन्सों का सरकारी व्यापार शुरू करने के लिए समवाय अधिनियम के अधीन निगमों की स्थापना की है। तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार ने खाद्य निगम अधिनियम के अधीन राज्य निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी निगम स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ विवरण संबंधी विचार-विनिमय किया जा रहा है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों के नियतन में कमी करना

161. **श्री पी० एम० मेहता :**

श्री प्रभू दास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य के आवंटन में सितम्बर-अक्तूबर के दौरान 19 लाख टन की कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के मामले में कमी 30 हजार टन थी; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण थे और कमी को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

कृषि मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिव पी० शिन्दे) : (क) सितम्बर-अक्तूबर के महीनों के दौरान आवंटन में कटौती अगस्त, 1973 के आवंटनों की तुलना में लगभग दो लाख मीटरी टन तक थी।

(ख) सितम्बर और अक्तूबर के महीनों के दौरान कटौती 15,000 मीटरी टन से 20,000 मीटरी टन तक थी।

(ग) केन्द्रीय पूल में समूची उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष मांगों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। खरीफ की फसल के आने से राज्यों की जरूरतों में गिरावट आएगी।

देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ पद की समानता सम्बन्धी डाक्टरों की मांग

162. **श्री पी० एम० मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामिनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के डाक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ पद की समानता तथा वेतनमानों में वृद्धि की मांग के लिये लड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां; तो क्या प्रधान मंत्री, जिन्होंने डाक्टरों के मामले पर पूरा विचार करने का आश्वासन दिया था, की अपील पर डाक्टरों का यह आन्दोलन वापिस ले लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने मंत्रालय के परामर्श से इस प्रश्न को सुलझाने के लिये एक ऐसा फार्मूला बनाया है जो दोनों पक्षों के लिये मान्य हो; और

(घ) यदि हां, तो मान्य फार्मले की मुख्य बातें क्या हैं; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी संघ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बराबर का दर्जा तथा अपने वेतनमानों में वृद्धि की मांग कर रहा है।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय श्रेणी-1 की सेवाओं के जिनमें आई० ए० एस० के साथ साथ मेडिकल सर्विसेज और अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी शामिल हैं, संशोधित वेतन के ढांचे संबंधी वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। चिकित्सा अधिकारियों के संघ की मांगों पर भी यथोचित विचार किया जायेगा। समस्या की जटिलता को देखते हुए सरकार को अंतिम निर्णय लेने में संभवतः कुछ और समय लग जायेगा।

Supply of Standard Milk by Delhi Milk Scheme

163. **Shri G. P. Yadav :**

Shri Sukhdev Prasad Verma:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Delhi is facing acute shortage of milk and the D.M.S. are suppling only toned milk;

(b) whether Government had said that toned milk would be supplied only for a few days, whereas its supply is continuing for the last two months; and

(c) the time by which standard milk is likely to be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No reliable information regarding shortage or otherwise of liquid milk in Delhi city at present is available. The Delhi Milk Scheme has been supplying toned milk in lieu of standardised milk since August 1973 on account of temporary shortage of butter fat due to delay in arrival of shipment of butter oil from abroad.

(b) Towards the end of July, 1973, it was notified by Delhi Milk Scheme that for some time, Toned Milk would be distributed in place of Standardised Milk. It was expected at that time that adequate consignments of butter oil would soon be received from abroad and also that the availability of fresh milk and white butter would improve. However, there was further delay in the arrival of butter fat shipments, and white butter was also not available despite all possible efforts, to the extent required. Therefore, the supply of Toned Milk had to be continued for sometime longer than originally expected.

(c) As a matter of policy, the Delhi Milk Scheme has started supply of Special Toned Milk containing 3.5% fat and 8.5% S.N.F. in place of Standardised and Toned Milk with effect from 5th November, 1973.

Branches of Super Bazar in Areas Inhabited by Poor

164. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open branches of Super Bazar in areas inhabited by poor persons; and

(b) if so, the areas where these branches are proposed to be set up and when ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Proposals in this respect are under consideration of the Cooperative Store Limited, New Delhi, which runs the Super Bazar and its branches.

(b) The Super Bazar has approached the Delhi Development Authority for allotting suitable places for opening branches, particularly in colonies to be developed by them for low income groups.

Posts of Principals and Teachers lying vacant in Delhi Higher Secondary Schools

165. **Shri G. P. Yadav:**

Shri Vikram Mahajan:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether many posts of Principals and Teachers are lying vacant in most of the Higher Secondary Schools in Delhi ; and

(b) the reasons for not filling up these posts so far and the time by which these posts are likely to be filled up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b) The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Procurement price of Wheat

166. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Agricultural Prices Commission has suggested the procurement price of wheat at Rs. 80, 85 and 90 per quintal for the new crop ;

(b) whether Government consider the above price as farmers incentive price;

(c) whether the Indian Farmers Association has asked for Government to fix the prices of wheat at Rs. 115 to Rs. 125 per quintal ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d) The APC suggested these prices as guaranteed prices and not procurement prices for the 1974-75 marketing season to provide adequate incentive to the farmers. However, several farmers' bodies demanded higher procurement prices. Government after careful consideration of all relevant factors have already announced guaranteed support prices for 1974-75 wheat marketing season, only for indigenous red and common white varieties as recommended by the Agricultural Prices Commission.

Culvert on National Highway No. 31

167. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether there is no culvert between Vihpur and Kharik Nangachhia on a National Highway No. 31;

(b) if so, whether Government propose to construct a culvert near Tenlghee Gram and Wagri in Nangachhia Section ; and

(c) whether crop in thousands acres of land is destroyed during rainy season in the absence of any culvert at the said place ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (c) The requisite information has been called for from the State Government of Bihar and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों द्वारा ढोये जाने वाला माल

168. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाजों द्वारा ढोये जाने वाले माल का टनों में लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इस लक्ष्य से देश की आवश्यकतायें कहां तक पूरी होंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये नौवहन टन भार का लक्ष्य 86 लाख जी० आर० टी० और आर्डर पर 10 लाख जी० आर० टी० अस्थायी तौर पर निश्चित किया गया है।

(ग) 86 लाख जी० आर० टी० नौवहन टन भार होने पर, आशा है कि भारतीय टन भार कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादन सम्बंधी देश के समुद्रपार व्यापार का 100 प्रतिशत, जापान के लिये लौहायस्क निर्यात का 50 प्रतिशत यूरोप को 100 प्रतिशत लौहायस्क निर्यात और अन्य वस्तुओं के लाइनर व्यापार का लगभग 50 प्र० श० तथा व्यापार का 100 प्र० श० वहन करने हेतु पर्याप्त होगा।

मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के बंगलों/फ्लैटों की की गई मरम्मत पर वार्षिक व्यय

169. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रियों के बंगलों और संसद् सदस्यों के बंगलों/फ्लैटों की मरम्मत पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय हुआ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक मंत्री के बंगले की मरम्मत पर अलग अलग कितना व्यय हुआ ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) मंत्रियों की कोठियों तथा संसद् सदस्यों की कोठियों/फ्लैटों की की गई मरम्मत पर गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नलिखित था :—

वर्ष	मरम्मत पर किया गया व्यय	
	मंत्रियों की कोठियों पर	संसद सदस्यों की कोठियों पर
1970-71	6,28,403	23,53,684
1971-72 . .	5,84,649	17,78,868
1972-73	6,32,195	16,59,696

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्चे का ब्यौरा मंत्री-वार संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5661/73]

कृषि मंत्रालय के विभाग के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

170. **श्री बसंत साठे :**

[**श्री डी० डी० देसाई :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की मुख्य सिफारिशों—विशेषकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को एक सरकारी कृषि अनुसंधान विभाग में परिवर्तित करना है—के बारे में कोई निर्णय किया है और जिनके विरुद्ध समिति ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं क्या उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) जिन्होंने विज्ञान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसा कि समिति द्वारा प्रकट किया गया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की प्रमुख सिफारिशों पर निर्णय लिये गये हैं। जांच समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में लिए गए सरकार के निर्णयों तथा समिति ने जिन मामलों के संबंध में विपरीत टिप्पणी की है उन मामलों के बारे में सरकार के विचारों का विवरण यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा।

गायों का आयात

171. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

[**श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से काफी संख्या में गायों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी गायों का आयात करने का प्रस्ताव है, किन किन देशों से आयात किया जायेगा और कितनी विदेशी-मुद्रा खर्च होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में दूध का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से संकर प्रजनन कार्यक्रम को तेज करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पशुओं का आयात करने की आवश्यकता है। इस पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होगी। विदेशी मुद्रा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार राज्यों/संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सहायता या उपहार कार्यक्रमों के जरिए विदेशी पशुओं के आयात की व्यवस्था करती रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पशुओं के आयात के लिए एक और प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) अलग अलग देशों से विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकतम संख्या में विदेशी पशु उपहार के तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि कितने विदेशी पशुओं का आयात किये जाने की संभावना है, ऐसे आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और यह आयात किन किन देशों से किया जायेगा।

खाद्यान्नों के गैर-सरकारी व्यापार पर प्रतिबन्ध

172. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) खाद्यान्नों के गैर-सरकारी व्यापार पर कितने राज्यों ने प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) अन्य राज्यों द्वारा ऐसे प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गेहूं का थोक व्यापार 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लिया गया है। शेष राज्यों में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये राज्य गेहूं पैदा करने वाले राज्य नहीं हैं। तथापि, सभी राज्यों में लाइसेंस-शुदा खुदरा व्यापारियों को गेहूं का व्यापार करने की इजाजत दी गयी है लेकिन स्टाक पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लागू किए गए हैं। लाइसेंस-शुदा खुदरा व्यापारियों को अधिकतम खुदरा मूल्यों का अनुपालन करना होता है। ये मूल्य अधिकांश राज्यों में सांविधिक आदेशों के अधीन निर्धारित किए गए हैं।

असम सरकार ने चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है। अन्य राज्यों ने या तो मिल मालिकों पर क्रमिक लेवी/व्यापारियों पर लेवी अथवा दोनों प्रणालियां अपनाई हैं ।

रबी की फसल के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि पर खेती

173. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें 1972-73 के दौरान रबी फसल की खेती के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि लाने में असफल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित धन राशि का उपयोग राज्य सरकारों ने किस प्रकार किया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1972-73 के दौरान गेहूं की खेती का क्षेत्र कुछ बढ़ा हैं जब कि अन्य रबी खाद्यान्नों के क्षेत्र में कुछ कमी हुई हैं। रबी खाद्यान्नों के क्षेत्र में कमी होने का कारण समय पर बुवाई न होना और मुख्य रबी ज्वार उत्पादक राज्यों में लम्बे समय तक सूखा पड़ना था।

(ख) तथा (ग) आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जो धनराशि निर्धारित की गई वह मुख्यत: लघु सिंचाई विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों और कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋणों के रूप में थीं। इस कार्यक्रम के लागू होने से सिंचाई क्षमता और कृषि आदानों के प्रयोग में वृद्धि हुई।

Provision of Fund for repairs of Khajuraho Temples in M.P.

174. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken to provide fund for carrying out repairs to Khajuraho Temples in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Yes, Sir.

(b) The provisions for the Annual Maintenance and Special structural repairs are respectively Rs. 35,000 and Rs. 30,000. Apart from this, Rs. 60,000 for development of gardens and Rs. 26,000 for chemical treatment of monuments have been provided.

Pilot Projects for Tribal Areas of Madhya Pradesh

175. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether his Ministry received a Resolution from the Madhya Pradesh Government for starting any pilot projects during the Fourth Plan in the tribal areas of Madhya Pradesh;

(b) if so, the amount earmarked for each pilot project; and

(c) whether allocation of funds will be made, blockwise, according to the projects in force and if so, the number of blocks to be covered by a pilot project ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) The decision to set up two Pilot Projects for Tribal Development in the Bastar district of Madhya Pradesh during the Fourth Plan period was taken by the Government of India in consultation with the State Government.

(b) The Plan outlay for each Pilot Tribal Development Project is Rs. 1.5 crores for the Core programme of economic development and Rs. 0.50 lakhs for arterial roads.

(c) Allocation of funds is made to each Project as a whole and not block-wise. In the Dantewada Projects four Blocks i.e. Dantewada, Geedam Kuakonda and Kate Kalyan and in the Konta Project three Blocks i.e. Sukma, Chhindgarh and Konta—are being covered.

Enquiry into Land Grabbing in M.P.

176. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Central Government have received any report regarding land grabbing from Madhya Pradesh;

(b) if so, whether Central Government have received any report regarding land grabbing from Madhya Pradesh;

(c) if so, whether Central Government propose to hold any enquiry in the matter; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

Dairy and Feeder Farm Scheme in Madhya Pradesh Under Operation Flood

177. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the dairy and feeder farm scheme in Madhya Pradesh also comes under "operation flood" programme and if so, the locations thereof;

(b) the specific places where official machinery has been set up to implement these schemes; and

(c) the progress made in this regard so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) and (b) No Sir. This is not covered under operation flood, but under the Fifth Plan, proposals are under consideration for setting up the Exotic Cattle Breeding Farms in the Centrally sponsored Sector. It is contemplated that these farms should also serve as centres for extension in the field of fodder cultivation. The locations of these farms have not yet been decided.

(c) Does not arise.

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षित और पेय जल की व्यवस्था

178. **श्री मान सिंह भोरा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में यह दावा किया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक 90 प्रतिशत गांवों में संरक्षित और पेय जल की व्यवस्था कर दी जायेगी ;

(ख) क्या प्राक्कलन समिति ने यह शिकायत की है कि देश में 25 वर्ष के उपरांत भी 567,000 गांवों में से 455,000 गांव पानी के लिये पुराने साधनों पर निर्भर हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उन ग्रामों में पेय जल का प्रबन्ध करने के लिये पांचवीं योजना में 573 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रत्याशित है जहां उचित दूरी के भीतर जल उपलब्ध नहीं है या जहां उपलब्ध जल स्वास्थ्य आदि के लिये हानिकारक हैं। आशा है कि इनमें से 90 प्र० श० कठिनाई वाले तथा समस्याग्रस्त गांवों को पांचवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया जायेगा ।

(ख) तथा (ग) जी, हां। परन्तु यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ग्रामीणों को सुरक्षित जल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपों द्वारा पानी देना ही एक मात्र साधन नहीं है। हैण्ड पम्पों के साथ नल-कूप तथा स्वच्छ कूप भी सुरक्षित जल सप्लाई के पर्याप्त साधन हैं। निम्नलिखित सारणी में चौथी योजना के अन्त तक ग्रामीणों को विभिन्न तरीकों से दी जाने वाली पेय जल सप्लाई का मोटा अनुमान दिया गया है :—

ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (1971	जलपूर्ति का साधन
0.39 लाख	2.0 करोड़	हैण्ड पम्पों सहित नलकूपों तथा नलों द्वारा जलपूर्ति-सुरक्षित।
2.39 लाख	20.2 करोड़	साधारण कुओं तथा हैण्ड पम्पों द्वारा पर्याप्त और पूर्ण रूप से सुरक्षित जलपूर्ति। कुछ ग्रामों में नलों द्वारा भी जल की पूर्ति की जाती है जो सुरक्षित है।
1.85 लाख	16.0 करोड़	साधारण कुएं।
1.13 लाख	5.6 करोड़	समस्याग्रस्त ग्रामों में अभी जलपूर्ति की व्यवस्था करनी शेष है।
5.76 लाख	43.8 करोड़	

कलकत्ता बन्दरगाह के गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में मतभेद

179. **श्री आर० आर० सिंह देव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह के गोदी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में केन्द्रीय नौवहन मंत्रालय और केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के बीच गंभीर मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो वे मतभेद क्या हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) **प्रश्न नहीं** उठते

स्थानीय महत्व के बीजों का उत्पादन करने के लिए बीज निगम की स्थापना

180. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि स्थानीय महत्व के उन बीजों का उत्पादन करने के लिए जिनका उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही एजेंसियां नहीं कर रही हैं, विभिन्न केन्द्रों में बीज निगम स्थापित किये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य सिफारिशें और सरकार के निर्णय क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने मंत्रालय के पास बीज निगमों की स्थापना के बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य सरकारों के परामर्श से राजकीय बीज निगमों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय बीज निगम ऐसे निगमों का शेयर-होल्डर बन कर उनकी सहायता करेगा। कृषि मंत्रालय ने स्थापित किये जाने वाले इन निगमों में राष्ट्रीय बीज निगम को शेयर-होल्डर बनाने के लिए पांचवीं योजना में इसे सहायता देने की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय बीज निगम के परामर्श से इन बीज निगमों की स्थापना करने की योजना संबंधी ब्यौरे तयार किये जा रहे हैं। इन निगमों से आशा की जाती है कि ये राज्यों की अच्छी किस्म के बीजों की आवश्यकता पूरी करेंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने पर रोक लगाना

181. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने पर पूरी रोक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के संबंध में कोई निर्णय किया है जिन्होंने बने-बनाए मकानों को खरीदने के लिये राज्य आवास बोर्डों में अपने नाम पंजीकृत करा रखे हैं; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां। आर्थिक स्थिरीकरण के लिए अल्पावधिक कार्यवाही के भाग के रूप में सरकारी व्यय में कटौती करने के एक उपाय के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये नये ऋणों की स्वीकृतियों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी रोक लगा दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

पांचवीं योजना के दौरान अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का परिष्करण

182. **श्री एम० एस पुरती :**

श्री जी० वाई कृष्णन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का परिष्करण करने के विस्तृत कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनका क्षेत्र कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से विशिष्ट प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है, ये प्राप्त होने पर इन्हें अंतिम रूप दिया जायेगा।

संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में विनियमों संबंधी समिति की नियुक्ति

183. **श्री अन्ना साहिब गोटखिंडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4829 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं;

(ख) समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले को विधि मंत्रालय को सौंपा गया था, और यदि हां, तो उक्त मंत्रालय के विचार क्या हैं; और

(घ) विनियमों का उचित संशोधन कब तक कर दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नुरुल हसन) : (क) समिति का विचारार्थ विषय इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना था। कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाई जाने वाली किसी संस्था का अपना कानूनी अस्तित्व होना चाहिए।

(ख) स (घ) समिति की बैठक 9 फरवरी, 1973 को हुई थी। उसका यह अभिमत था कि प्रत्येक कालेज का या तो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन एक संस्था के रूप में अथवा केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या संस्थापित एक निगमित निकाय के रूप में अथवा

एक ट्रस्ट के रूप में जिसके ट्रस्टियों को विनियमों के अनुसार नियुक्त और अधिकार प्रदान किए जाएं, अब अपना अलग कानूनी अस्तित्व होना चाहिए मामले की विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र को अक्तूबर, 1973 के लिए खाद्यान्न की सप्लाई

184. **श्री अन्ना साहिब गोटखिंडे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1973 के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कितने खाद्यान्न की सप्लाई के लिए कहा है;

(ख) उक्त अवधि के लिए कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है; और

(ग) यदि सप्लाई कम की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मास अक्तूबर, 1973 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई खाद्यान्नों की मात्रा, आवंटित मात्रा और वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा इस प्रकार है :—

मांगी गई मात्रा . .	250,000 मी० टन
आवंटित मात्रा	180,000 मी० टन*
सप्लाई की गई मात्रा . . .	173,000 मी० टन*

(ग) केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता और सूखे/बाढ़ों से प्रभावित राज्यों तथा कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवंटन के समय मराराष्ट्र राज्य की उचित आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। माइलों के मामले में वास्तविक सप्लाई में कुछ कमी हुई थी जो कि 11 से 17 अक्तूबर तक गोदी मजदूरों की पूर्ण हड़ताल होने, 18 से 23 अक्तूबर तक गोदी मजदूरों की आंशिक हड़ताल रहने, गोदी में चार छुट्टियों पड़ने और कुछ दिनों तक भारी असामयिक वर्षा होने के कारण हुई थी।

(*इसमें नवम्बर, 1973 के लिए अग्रिम रूप से आवंटित 10,000 मी० टन गेहूं की मात्रा शामिल है।)

पांचवीं योजना में मिट्टी तथा जल व्यवस्था (साउल एण्ड वाटर मैनेजमैंट)

185. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिट्टी तथा जल व्यवस्था (साउल एंड वाटर मैनेजमेंट) के लिए मंत्रालय द्वारा एक हजार करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं जिनके अधीन यह राशि खर्च की जाएंगी; और

(ग) क्या इस योजना को योजना आयोग द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) मिट्टी तथा जल व्यवस्था के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित व्यय करने का विचार है :—

(क) भूमि तथा जल संरक्षण भूमि सुधार आदि . . 370 करोड़ रुपये

(ख) बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग, इसमें समेकित विकास कार्यक्रम जल-निकास और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल हैं । 645 करोड़ रुपये

भूमि तथा जल व्यवस्था के कार्यक्रम और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन पर होने वाले परिव्यय के संबंध में योजना आयोग ने पहले ही अस्थाई आधार पर कुछ निर्णय लिए हैं । तथापि अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय का प्रतीक्षा है।

दिल्ली में मिट्टी एवं जल परिरक्षण के संबंध में हुआ सम्मेलन

186. श्री आर० बी० स्वामीनाथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी एवं जल परिक्षण योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों पर खर्च करने के लिये 20 सितम्बर को नई दिल्ली में एक त्रिदिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कौन-कौन से निर्णय किए गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मुद्रा और जल संरक्षण के संबंध में 17 से 19 सितम्बर, 1973 तक नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय और राज्य अधिकारियों के सम्मेलन में सुधरी भूमि और जल प्रबन्ध से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय किए गए थे :—

1. सिंचित और विशेषकर नहरी सिंचित क्षेत्रों में उक्त जल प्रबन्ध की व्यवस्था करना ताकि शीघ्र ही कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। ऐसे क्षेत्रों में जलग्रस्तता और लवणता से उर्वर भूमि की और क्षति रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था भी अवश्य ही की जानी चाहिए।

2. यदि निरन्तर सूखे के संकट का सफलतापूर्वक सामना करना है तो रुक्ष तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के सुधार से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में भूमि और जल संरक्षण संबंधी उपाय अवश्य ही शामिल किए जाने चाहिये। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा आदि के समस्त जल का स्थानीय तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए और अपवाह के लिए केवल वही जल छोड़ा जाना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकता से अधिक हो। ऐसे उपाय अवश्य ही किए जाने चाहिए और सम्मिलित एजेन्सियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना उन्हें पूर्णतः उप-स्रवण क्षेत्रों के आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

3. समस्त वन-विरहित भूमि में (चाहे वे रेगिस्तानी और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हो या शिवालिक और हमारी नदियों के किनारों की अपेक्षाकृत नमी वाले क्षेत्रों की उबड़-खाबड़ भूमि में) धीरे-धीरे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए। ऐसी नीति अपनाने से प्राकृतिक रूप से पेड़-पौधे उगने, वनारोपण और/घास उगने को कारगर ढंग से बन्द किया जा सकेगा। जहां संभव हो फल और अन्य लाभप्रद किस्मों के वृक्ष ऐसे वनारोपण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में लगाए जाने चाहिये।

4. आदिवासी क्षेत्रों में सूक्ष्म खेती को समाप्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर मृदा संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त ढंग से उपचारित भूमि पर और उस भूमि पर जिसमें यथा संभव सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हों, सुनियोजित कृषि प्रारंभ करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के त्वरित कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ।

5. जलाशयों के स्रवण-क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अपक्षरित भूमि में गहरी गाढ़-मिट्टी की समस्या के तुरन्त समाधान के लिए नहर बन्द करने और रोकविधि लगाने आदि के इंजीनियरी कार्य किए जाने चाहिये ऐसे कार्य ऐसी नदियों के स्रवण-क्षेत्रों में शुरू किए जाने चाहिए, जिनमें निरन्तर बाढ़े आती रहती हैं और उबड़-खाबड़ है ।

6. नई सिंचाई परियोजनाओं के भारी विनियोजन को सुरक्षित करने की दृष्टि से सन् 1961 में भुवनेश्वर में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार उनके स्रवण-क्षेत्रों में परियोजना के एक भाग के रूप में भूमि संरक्षण संबंधी उपाय किए जाने चाहिए।

7. जलग्रस्त और क्षारीय भूमियों के सुधार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक इस विषय में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे सुधार की लाभप्रद और तकनीकी सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए समस्त राज्यों में मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की जानी चाहिये।

8. पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण से काफी भू-रक्षण होता है, अतः संबंधित परियोजनाओं में भू-संरक्षण नियंत्रण संबंधी व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. जल प्रबन्ध, भूमि संरक्षण, सुधार और अन्य भूमि विकास संबंधी कार्यक्रमों की दक्षता को सुनिश्चित करने और अपव्यय को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी समस्त परियोजनायें सावधानी पूर्वक किए गए मृदा सर्वेक्षणों पर आधारित हों। इस उद्देश्य को देखते हुए समस्त राज्यों में मृदा सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

10. भूमि प्रबन्ध की समस्याओ पर निरन्तर रूप से पर्याप्त ध्यान देने और विभिन्न संबंधित संस्थाओं के बीच कारगर ढ़ग से आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च अधिकार प्राप्त भूमि उपयोग मण्डल स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे मण्डलों की अध्यक्षता मुख्य मंत्रियों को करनी चाहिए ।

11. वित्तीय संस्थानों से भूमि-निवेश के लिए उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिए प्रत्येक राज्य में एक भूमि विकास निगम की स्थापना करने की आवश्यकता है। ऐसी धनराशि के उपयोग से भूमि विकास के कार्यक्रमों पर वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से प्रभाव पड़ेगा और इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि वे सुनियोजित ढंग से बनाए और क्रियान्वित किए जा सकें।

12. इस समय मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जनता को बहुत कम ज्ञान है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय दबाव के कारण वर्तमान वन भूमि का संरक्षण करने में भी कठिनाई हो रही है। यदि वर्तमान वनों का पर्याप्त संरक्षण करना है और नए वन-विरहित विस्तृत क्षेत्रों का और अधिक अच्छे ढंग से उपयोग करना है तो अहाते, नियंत्रित चराई और वनों की कटाई तथा किसी निश्चित भूखण्ड के अनुसार पशुओं, भेड़ों और बकरियों की संख्या की सीमा निर्धारित करने के संबंध में पर्याप्त जनमत तैयार करना आवश्यक है। यह कार्य राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय आदि समस्त स्तरों पर जनमत के नेताओं के सक्रिय सहयोग और सहायता से ही किया जा सकता है।

छोटे किसानों को ट्रैक्टरों की सप्लाई करने के लिए सीमा शुल्क केन्द्र

187. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे किसानों को किराए पर ट्रैक्टरों को सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सीमा शुल्क सेवा केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने ट्रैक्टर किसानों को सप्लाई किए जा चुके हैं;

(ग) क्या किसानों ने यह शिकायत की है कि योजना के अन्तर्गत सप्लाई किए गए ट्रैक्टर त्रुटिपूर्ण थे और बार-बार खराब होने के कारण वे ट्रैक्टर उन्हें काफी महंगे पड़े; और

(घ) ये केन्द्र किन राज्यों में स्थापित किए गए थे और ब्याज की दर कितनी ली गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) छोटे किसानों को किराए पर ट्रैक्टरों की सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सीमा शुल्क सेवा केन्द्र की स्थापना करने हेतु कोई योजना नहीं बनाई है। फिर भी भारत सरकार ने राज्य कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से किसानों को किराये पर ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनरी देने के लिए 184 कृषि मशीनरी किराया केन्द्र स्थापित किए हैं। उद्यमी इंजीनियर द्वारा स्थापित किए गए कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी कस्टम हायरिंग सर्विस उपलब्ध की जाती हैं। कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की यह योजना दो उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है। एक उद्देश्य यह है कि किसानों को तकनीकी सेवाएं (जिनकी उनको बड़ी जरुरत है) प्रदान की जा सकें और उन तकनीकी कर्मचारियों को, जिन्हें इस कार्य में प्रशिक्षित किया जाता है रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। सरकार मशीनरी खरीदने के लिए बैंकों द्वारा तकनीकी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर बैंक की सामान्य दर और 5 प्रतिशत के अन्तर के बराबर राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दे रही है। अब तक विभिन्न राज्यों में 807 कृषि-सेवा-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) ऐसे ट्रैक्टर सप्लाई नहीं किए गए, अत: यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) निम्नलिखित राज्यों में संबंधित राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा कस्टम सर्विस सेन्टर स्थापित किए जा चुके हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थापित हुए केन्द्रों की सं०
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	7
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	11
5.	पंजाब	11

1	2	3
6.	राजस्थान	9
7.	तमिल नाडु	7
8.	उत्तर प्रदेश	31
9.	पश्चिम बंगाल	16
10.	हरियाणा	14
11.	केरल	6
12.	महाराष्ट्र	2
13.	मैसूर	22
14.	मध्य प्रदेश	8
15.	उड़ीसा	3
	योग	184

ये कस्टम हायरिंग सेन्टर किराए के आधार पर ट्रैक्टर देते हैं, अतः सूद लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी गेहूं का आयात और उसे भारत में भेजे जाने में विलम्ब

188. **श्री आर० बी० स्वामिनाथन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस और चीन द्वारा अमरीकी गेहूं की भारी खरीद का भारत जैसे छोटे खरीदारों पर काफी भार पड़ा है, यदि हां, तो इससे भारत किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या भारत ने वाशिंगटन स्थित अपने क्रय मिशन को यह अनुदेश दिया है कि वह गैर-सरकारी दलालों से गेहूं के दैनिक क्रय के बारे में बातचीत करे जिनकी कीमतें अत्यधिक बढ़कर लगभग 200 डालर प्रति टन हो गई हैं;

(ग) क्या पहले की गई व्यवस्था के अनुसार जुलाई-अगस्त में 5 लाख टन खरीदा गया गेहूं भारत में अक्तूबर के अन्त तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन जहाज में भेजे जाने संबंधी कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका; और

(घ) क्या भारत खाद्यान्नों को देश में लाने के लिए पूर्णतया विदेशी जहाज कम्पनियों पर आश्रित है, यदि हां, तो इस बारे में स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और नवम्बर, 1973 के प्रारम्भ तक गेहूं से लदे कितने अमरीकी जहाज भारत पहुंचे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बहुत से बड़े आयातक देशों द्वारा भारी मात्रा में खरीदारी करने से गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात मूल्यों पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन यह बताना मुश्किल है कि भारत या अन्य किसी देश की खरीदारी के बारे में इसका प्रभाव पड़ा है ।

(ख) भारत ने अमरीकी गेहूं का उच्चतम मूल्य केवल 140.10 डालर प्रति मी० टन और कनाडा की गेहूं का 166.86 क. डालर प्रति मी० टन दिया था ।

(ग) जी नहीं । जुलाई-अगस्त, 1973 के दौरान केवल लगभग 18 लाख मी० टन खाद्यान्न खरीदे गए थे ।

(घ) जी नहीं । जब भारतीय जहाज उपलब्ध नहीं होते हैं केवल तभी भारत विदेशी जहाजों का प्रयोग करता है । अक्तूबर, 1973 के अन्त तक संयुक्त राज्य अमेरिका से 9.82 लाख मी० टन गेहूं ला रहे 52 जहाज भारत पहुंचे थे ।

दिल्ली में मलेरिया के मामले

189. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री ई० वी० विरवे पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में मलेरिया के मामलों में काफी वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण हैं और मलेरिया के बढ़ते हुए मामलों की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1971 और 1972 के मलेरिया संबंधी आंकड़ों की तुलना में जुलाई, 1973 तक मलेरिया के रोगियों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि रिकार्ड किए गए मलेरिया के मामलों के एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुछ राज्यों में पाजिटिव मामलों की संख्या बढ़ गई है ।

(ख) देश के कुछ भागों में मलेरिया के मामले बढ जाने का कारण मुख्यत: राज्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और निगरानी कार्य में ढील देना है । इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से चलाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे इस प्रकार हैं :-

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की चौथी योजना में एक केन्द्रीय पोषित योजना बना दिया गया है जिसके लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । इस योजना के के अन्तर्गत भारत सरकार जितने खर्च के लिए वचनबद्ध है उसके अतिरिक्त वह इस योजना के संचालन के खर्च को भी वहन करती है । आक्रमण और समेकन चरण वाले एककों के लिए राज्यों को जो भी सामान और उपकरण दिया जाता है उसकी लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है । राज्यों में मुख्यालय/मण्डल स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए भी आंशिक सहायता दी जाती है ।

(2) ऐसे क्षेत्रों में, जो अब अनुरक्षण चरण में आ गए हैं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(3) कीटनाशकों को अग्रिम रूप में प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि विभिन्न राज्यों को छिडकाव कार्यों के लिए ये कीटनाशक समय पर दिये जा सकें ।

(4) चौथी योजना में आक्रमण और समेकन चरण वाले एककों की पुरानी और बेकार गाड़ियों को एक निश्चित ढंग से नई गाडियों में बदला जा रहा है ।

(5) छिड़काव कार्यों और रासायन चिकित्सा उपायों के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक और मलेरिया रोधी दवाइयां दी जाती हैं ।

(6) ऐसे क्षेत्रों में जहां मच्छर वेक्टर में डी०डी०टी०/बी०एच०सी० को सहन करने की शक्ति पैदा हो गयी है, वहां बी०एच०सी० और मलेथियन जैसे अन्य कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है ।

(7) जिन क्षेत्रों में रोग का संचरण निरन्तर बना हुआ है उनमें विशेष अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं ।

(8) जिन कस्बों में मलेरिया की समस्या ने गम्भीर रूप ले लिया है वहां 1971–72 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलेरिया योजना को अनुमोदित पैटर्न पर एक केन्द्र पोषित योजना के रूप में आरम्भ कर दिया गया है । चौथी पंचवर्षीय अवधि में इस योजना को 28 कस्बों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम के विविध व्यय तथा खर्च में कटौती की जांच के लिए समिति का प्रतिवेदन

190. श्री विक्रम महाजन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के विविधि व्यय तथा इस बात की, कि लागत वाले मदों संबंधी व्यय को किस हद तक कम किया जा सकता है, जांच के लिए गठित अधिकारियों की समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिश की हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि नहीं तो समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) अधिकारियों की समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ और समय लेगी क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के फील्ड कार्यालयों से प्राप्त किए जाने वाले संबंधित आंकड़ों, जो कि बहुत विस्तृत हैं, का विधायन लागत लेखाकारों और तकनीकी उप-समिति द्वारा किया जाता है ।

समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :–

1–सचिव, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)	–	अध्यक्ष ।
2–सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	–	सदस्य ।

3–सचिव, योजना आयोग	सदस्य ।
4–प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम	सदस्य सचिव ।

चीनी उद्योग जांच आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच

191. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री सरजू पाण्डे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आयोग द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन कब तक सरकार को दे दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) चीनी जांच आयोग ने दो अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जोकि इस प्रकार हैं:—(1) गन्ना मूल्य नीति और चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने की सप्लाई स्थिर करने और (2) चीनी उद्योग का युक्तियुक्त और कुशल संगठन ।

पहली अन्तरिम रिपोर्ट में मुख्य मुख्य कुछ सिफारिशें इस प्रकार थीं अर्थात् गन्ने के मूल्य के लिए उपलब्धि का मूल्य स्तर और पूर्ण अनुपातिकता के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारण । ये सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गयी हैं । शेष सिफारिशों पर भारत सरकार के संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से विचार विमर्श हो रहा है ।

आयोग की दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट में चीनी उद्योग के युक्तियुक्त और कुशल संगठन के प्रश्न पर चर्चा की गई है जिसमें उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भी चर्चा की गयी है । सरकार इस रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों की जांच कर रही है ।

(ग) आयोग की अन्तिम रिपोर्ट चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

भारतीय खाद्य निगम में काम कर रहे स्टाफ और श्रमिक संघ

192. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर कितने कर्मचारी, मजदूर तथा अन्य स्टाफ तथा श्रमिक संघ काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं ; और

(ग) क्या कर्मचारियों, स्टाफ तथा मजदूर अथवा श्रमिक संघों के बीच कोई समन्वित प्रयास अथवा समन्वित निकाय स्थापित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारतीय खाद्य निगम में तीस संघ/यूनियनें कार्य कर रही हैं जिनमें 18 संघ नियमित स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं जबकि शेष 12 संघ पत्तनों/डिपो/संयत्रों पर कार्य कर रहे विभागीय/अस्थायी और फैक्ट्री के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं । इन 30 संघों में से 5 अखिल भारत स्तर पर और शेष 25 स्थानीय/राज्य स्तर पर कार्य करने का दावा कर रहे हैं ।

(ख) हालांकि नियमित स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी संघ/यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है फिर भी भारतीय खाद्य निगम उनमें से चार को प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर वास्तविकता के आधार पर मानता रहा है। विभागीय श्रमिकों की मांगों और अन्य मामलों के बारे में वार्ता करने के लिए एक श्रमिक यूनियन के अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता दी गई है और सात को वास्तविकता के आधार पर दी गई है ।

(ग) जी नहीं । मान्यता के लिए निगम द्वारा अपनाई जाने वाली नीति विचाराधीन है ।

1964 के भारतीय खाद्य निगम अधिनियम की धारा 13 को क्रियान्वित करना

193. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 13 के कार्यक्षेत्र को क्रियान्वित किया गया है अथवा उसका प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री के अलावा, भारतीय खाद्य निगम ने वनस्पति तेलों के उत्पादन, चावल और चावल की भूसी की मिलों, मक्का मिलिंग संयंत्र, सोयाबीन विधायन संयंत्र आदि जैसे विधायन यूनिट स्थापित करने का कुछ काम भी शुरु किया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

194. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के बाद से अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित न करने के कारण क्या हैं; और

(ख) क्या उच्च तथा नीची जाति के विद्यार्थियों में शिक्षा की समानता तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, भारत सरकार के संकल्प (1968) में यथाविधि प्रलेखित कर दिया गया है, जिसमें उस नीति में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार देश में शिक्षा के विकास को प्रोन्नत करने का प्रस्ताव है। संकल्प की प्रतियां, जो कि संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थीं, संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

दिल्ली में मसालों, बेसन और औषधियों में मिलावट के मामले

195. **श्री सतपाल कापूर** :

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1973 में अब तक मसालों, बेसन तथा औषधियों में मिलावट के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और मिलावट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) दिल्ली में 1973 के दौरान मिलावट के आरोप पर कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन में से कितने निर्माता थे व कितने डीलर; और

(ग) मिलावटी माल की बिक्री को पूरी तरह से रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जाने हैं और उक्त कदम कब तक उठाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मिलावट के जितने मामले पकड़े गये, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

मसाले	55
बेसन . .	86
औषधियां . .	कोई नहीं

अपराधियों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये या चलाये जा रहे हैं ।

(ख) पहली जनवरी से 30 सितम्बर, 1973 की अवधि में 176 व्यक्तियों को कैद की सजा दी गई । निर्माताओं और डीलरों के बारे में अलग-अलग आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए निम्नांकित स्टाफ लगा रखा है :—

दिल्ली नगर निगम

16 पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक

2 मुख्य सफाई अधीक्षक

नई दिल्ली नगर पालिका

3 खाद्य निरीक्षक

1 मुख्य खाद्य निरीक्षक

छावनी बोर्ड

2 सफाई निरीक्षक

1 सफाई अधीक्षक

मिलावट के इस धन्धे को खतम करने के लिये जनता और अन्य सूत्रों से प्राप्त शिकायतों की छान-बीन करने के निमित्त स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में पांच खाद्य निरीक्षकों के एक विशेश दस्ते की व्यवस्था कर दी गई है ।

भारत सरकार द्वारा जो अन्य कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) 1964 में संबंधित अधिनियम में संशोधन कर दण्ड की व्यवस्था और कड़ी कर दी गई थी तथा अन्तर-राज्य स्तर के साथ-साथ निर्माताओं थोक व्यापारियों अथवा अन्य स्तरों पर, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार को अपने खाद्य-निरीक्षक और सरकारी विश्लेषक नियुक्त करने की समवर्ती शक्तियां दे दी गई थीं ।

(2) गाजियाबाद में एक नई खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है ।

(3) प्रशिक्षित एवं अनुभवी विश्लेषकों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम चालू कर दिये गये हैं । आन्ध्र विश्वविद्यालय में खाद्य विश्लेषण का काम सीखने वाले छात्रों के लिए वजीफे मंजूर कर दिये गये हैं ।

दवाओं में मिलावट की रोकथाम

(1) दिल्ली में औषधि निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या 8 से बढ़ा कर 14 कर दी गई है । इस समय 7 औषधि निरीक्षक तो काम कर ही रहे हैं, 7 की और नियुक्ति होने की संभावना है ।

(2) दवाइयां बनने और बिकने के स्थानों का नियमित निरीक्षण करके बाजार में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(3) समय-समय पर दवाओं के नमूने ले ले कर उनकी क्वालिटी ठीक रखी जा रही है ।

(4) दिल्ली औषधि नियंत्रण प्रशासन स्थानीय पुलिस से सम्पर्क बनाये हुए हैं और संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

छिपाये गये खाद्यान्नों का पता लगाने के लिए दिल्ली में छापे

196. श्री सतपाल कपूर :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत 6 महीनों में सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी दलों एवं राजनैतिक दलों ने छिपाये गये खाद्यान्नों का पता लगाने के लिये कितने छापे मारे;

(ख) कितने गोदामों को सीलवन्द किया गया और गोदाम मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इन छापों के परिणामस्वरूप दिल्ली में दालों आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में कितनी गिरावट आई, मूल्य कितनी अवधि तक के लिए कम रहे और मूल्यों में फिर से वृद्धि के क्या कारण हैं और खाद्यान्नों, दालों, मसालों आदि के मूल्य में गिरावट लाने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतें

197. श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों से उक्त अस्पताल में एक स्त्री के शील भंग के बारे में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध 14-10-73 तथा अन्य तिथि को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 14 फरवरी, 1973 की तारीख को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अलबत्ते 7 अक्तूबर, 1972 और 28 मई, 1973 की शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं ।

(ख) 7 अक्तूबर, 1972 की शिकायत में इस महिला कर्मचारी ने यह आरोप लगाया था कि जब वह बाह्य रोगी विभाग की प्रयोगशाला में 3, 5 और 6 अक्तूबर, 1972 की रात को ड्यूटी दे रही थी, तो एक प्रयोगशाला तकनीशियन उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता था ।

28 मई, 1973 की दूसरी शिकायत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध थी, जिसमें एक महिला रोगी ने कहा था कि 28 मई, 1973 को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार किया ।

(ग) पहली शिकायत की जांच-पड़ताल विलिंग्डन अस्पताल के सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई थी और उसकी सिफारिश पर संबंधित प्रयोगशाला तकनीशियन को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह बेकार के बहानों पर अपने ड्यूटी के स्थान को न छोड़े और न अस्पताल के कर्मचारियों को डराए ।

जहां तक 28 मई, 1973 की दूसरी शिकायत का संबंध है, यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया था और पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था । यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन पड़ा है और इस कर्मचारी को मुअतिल कर दिया गया है ।

जहाज निर्माण कारखानों की संख्या बढ़ाना

198. श्री डी० डी० देसाई : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोचीन और विशाखापत्तनम कारखानों के अतिरिक्त दो अन्य कारखाने स्थापित करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन स्थापना स्थलों पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या सरकार कांडला अथवा सौराष्ट्र तट क्षेत्र पर जहाज निर्माण कारखाने का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां।

(ख) अपने अपने राज्यों में नये शिपयार्डो को स्थापित करने के लिए कई समुद्रवर्ती राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। विचाराधीन निर्माणस्थल हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, कारवाड़, मारभुगाव, नहावाशेवा/मुरुद-जिनजीरा, ताप्ती और विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह हैं।

(ग) जी नहीं। राज्य सरकार ने शिपयार्ड के निर्माणार्थ ताप्ती का सुझाव दिया है।

'कल्याण सोना' के जीवन के बारे में डा० नार्मन के विचार

199. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० नार्मन बार्लो ने सितम्बर, 1973 में अपनी भारत यात्रा के दौरान यह बताया था कि "कल्याण सोना का" लाभदायक जीवन लगभग पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं में हरित क्रांति को चालू रखने के लिए सरकार किन वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1. भारतीय गेहूं अनुसंधान कर्ताओं ने ब्राउन तथा पीले रतुओं के प्रति अतिसंवेदन शील होने वाले कल्याण सोना के स्थान पर गेहूं की कुछ नई किस्मों का विकास किया है। दिल्ली में सितम्बर में हुए अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कर्ताओं के पिछले सम्मेलन में ऐसी 29 किस्मों का पता लगा है। इन नई किस्मों को बीज उगाने वाली एजेंसियों की सहायता से 1973–74 के दौरान बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। आगामी मौसम तक नई किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कर दिए जायेंगे।

2. उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ियों में गेहू का रतुआ रोही किस्मों की खेती की सिफारिश की गई है। ये पहाड़ियां रतुआ रोग के केन्द्र हैं। यदि इन पहाड़ियों में रतुआ रोधी गेहूं उगाया जाए तो रतुओं की सख्या बहुत कम हो जायेगी और इस प्रकार मैदानी भूमि में रतुआ महामारी के अवसर हट जायेंगे।

3. अखिल भारतीय रोग सर्वेक्षण पिछले दो साल से कार्य कर रहा है और यह किसानों को रतुआ महामारी के बारे में चेतावनी देता रहा है। सर्वेक्षण ग्रुप द्वारा पाक्षिक बुलेटिन जारी किये जाते हैं। रतुए से होने वाली हानि को कम करने वाले जिंक तथा मैंगनीज जैसे रसायनों का पता लगाया जा चुका है।

4. यदि कल्याण सोना की नवम्बर के मध्य से पहले बुआई की जाए तो वह रतुए से होने वाली हानि से बच जाती है। जहां नवम्बर के मध्य के बाद बुआई की जाती है वहां सोनालिका आदि जल्दी परिपक्व होने वाले गेहूं की बुआई की सिफारिश की जाती है। अतः बुआई की तिथियों के अनुसार किस्मों को बदलना होगा। विस्तार एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है।

5. हमारे गेहूं के अनुसंधान कर्ताओं द्वारा कल्याण सोना की अनेक किस्मों का विकास हो रहा है । ये किस्में कल्याण सोना जैसी ही दिखायी देती हैं किन्तु इतना जरूर है कि ये रतुआ प्रतिरोधी है । अब इनका अन्तिम रूप से परीक्षण तथा वर्धन शुरू किया जा रहा है ।

पश्चिम गोदावरी जिला के काल्लेरा क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि के वितरण के लिए प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

200. **श्री के० सूर्य नारायण:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 32 संसद सदस्यों ने अप्रैल, 1973 में प्रधान मन्त्री को ज्ञापन देकर यह अनुरोध किया है कि आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिला में कोल्लार क्षेत्र की लगभग 40,000 एकड़ सरकारी भूमि भूमिहीन गरीबों में वितरित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी चावल मिलों का कार्य

201. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश की सहकारी चावल मिलें काम नहीं कर रही हैं और गत तीन वर्षों से बेकार पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके बेकार पड़े होने के कारण सहकारी समितियों को कितना घाटा हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) अनेक सहकारी चावल मिलों के खाली रहने/उनकी क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--

(1) आंधी और सूखे की स्थिति जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान का मूल्य चढ़ गया और मिलों द्वारा धान की अधिप्राप्ति करना अलाभकर था ।

(2) राज्य सरकार द्वारा उगाही गई मिलर्स लेवी और जिला प्राधिकारियों द्वारा लेवी-मुक्त चावल की बिक्री पर लगाई गई रोक के कारण मिलों की अर्ध-व्यवस्था पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव ।

(3) निज़ी चावल मिलों, जिनमें से कुछ भ्रष्टाचार में भाग लेती हैं, से मुकाबला करने की असमर्थता ।

इन सोसायटियों के खाली रहने/इनकी क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण हुई हानि, यदि कोई है, के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिन्दमहासागर में अमरीकी नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति के समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्रीमान्, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति के समाचार"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 29 अक्टूबर, 1973 को अमरीकी सरकार ने यह घोषणा की कि संसार में सर्वत्र अमरीकी फौजों को सतर्क रखने के एक अंग के रूप में वह हिन्दमहासागर में अपनी एक विमान वाहक टास्कफोर्स भेज रही है । लेकिन सतर्कता की इस कार्यवाही के समाप्त हो जाने के बावजूद यह टास्कफोर्स वापिस नहीं बुलाई गई। अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार उनकी यह कार्यवाही मध्यपूर्व संकट में दूसरे राज्यों के कार्यवाही के संदर्भ में एक एहतियाती कार्यवाही है। इसके बाद इस कायवाही को न्यायोचित बताने के लिए और भी कारण बताये गये हैं जैसे कि मलक्का जलडमरु मध्य में अपने नौवहन के अधिकार के दावे की स्थापना, भूमध्य सागर में सोवियत संघ की नौसैनिक वृद्धि को संतुलित करना, मध्य पूर्व से तेल मार्गों की सुरक्षा करना आदि आदि।

हमारे लिए यह ठीक-ठीक समझना आसान बात नहीं है कि अमरीकियों के मन में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने तथाकथित टास्कफोर्स की आवश्यकता समझी।

2. 1 नवम्बर को हिन्द महासागर के विषय में हमने अपनी नीति के उद्देश्य को दुहराया था यानि यह हमने कहा था कि हमारी नीति इस बात का सुनिश्चय करना है कि हिन्द महासागर बड़े राष्ट्रों की प्रतिबन्दता से मुक्त एक शांति क्षेत्र बना रहे। किसी भी बड़े राष्ट्र की नौसेना का बड़े पैमाने पर और मुखर उपस्थिति से दूसरे बड़े राष्ट्रों की नौसेनाओं का आकर्षित होना अवश्म्भावी है। इस तरह की प्रतिद्वन्दता से तटवर्ती देशों में समस्याएं खड़ी हो सकती है जिनमें से प्रायः सभी हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना चाहते हैं। भारत सरकार ने 16 दिसम्बर 1971 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है जिसमें कि हिन्दमहासागर को हमेशा-हमेशा के लिए एक शांति क्षेत्र घोषित किया है और बड़े राष्ट्रों से कहा गया है कि हिन्दमहासागर में वे अपनी सैनिक उपस्थिति का और अधिक प्रसार-विस्तार करना बन्द कर दें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में और अन्यत्र किये जाने वाले प्रयासों में सक्रिय सहयोग दिया है। इस संदर्भ में हिन्द महासागर में किसी बड़े राष्ट्र की नौसैनिक उपस्थिति के विस्तार पर हमारी चिन्ता स्वाभाविक है।

श्री के० लकप्पा : विदेश मंत्री अमरीकी बेड़े की उपस्थिति का समाचार सुनकर चकित हुये और उन्होंने इस बारे में वक्तव्य भी दिया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमरीकी बेड़े की गति-विधियों का उद्देश्य विश्व शक्तियों के बीच स्पर्धा पैदा करना है।

इसके पीछे एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। मध्य पूर्व संकट तथा पश्चिम एशिया युद्ध भी इसी षडयंत्र के परिणाम हैं।

अमरीका जानबूझ कर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहा है। अमरीका जानबूझ कर ऐसा कर रहा है क्योंकि भारत ने इसरायली-अरब युद्ध में अरब देशों का साथ दिया है। अमरीका सातवें बेड़े के विमानवाहक जलपोत हेनकौक तथा पांच डेस्ट्रोयरज़ को हिन्द महासागर में भेजने की उद्देश्य भारतीय तथा बंगलादेश सरकारों को अरबों को समर्थन देने के लिये दंडित करना तथा अतंकित करना है।

अमरीका की गतिविधियों का एक दूसरा पहलू भी है। अमरीका ने श्रीलंका से 100 मील दूर डाइगो गारसिया द्वीप की मोर्चाबन्दी कर दी है और वहां अणु-शस्त्र और युद्ध विमान जमा कर लिये हैं।

ऐसे भी समाचार मिले हैं कि सातवें बेड़े के कुछ अन्य जहाज भी इस क्षेत्र के लिये तैनात किये जा रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां भारत और बंगलादेश के लिये घातक हैं।

क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इस देश में कुछ कम्पनियां जासूसी का कार्य कर रही हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अमरीका से विरोध प्रकट करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है? क्या इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचना में लाया गया है? इन प्रश्नों का मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने हमें बहुमूल्य सूचना दी है। डाइगो गारसिया के अड्डे के बारे में अमरीकी सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह 23 मार्च, 1973 के बाद काम शुरू करने लग गया है।

पश्चिम एशिया युद्ध के बारे में भी माननीय सदस्य ने चर्चा की है। यह बात सच है कि इस युद्ध के दौरान कार्यदल हिन्द महासागर में उपस्थित था। अब जबकि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो गई है, तो उस कार्यदल का इस खण्ड में रहना औचित्यपूर्ण नहीं है।

बंगलादेश संकट के दौरान सातवें बेड़े द्वारा खाड़ी बंगाल की ओर बढ़ने का भी माननीय मंत्री ने जिक्र किया है। हमारी सूचना के अनुसार कार्यदल मारीशस के निकट डाइगो-गारसिया गया है **(व्यवधान)**। इस स्थिति में घबराना नहीं चाहिये। इसके साथ हमें राष्ट्र संघ और अन्य संस्थाओं में हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखने और बड़ी शक्तियों को द्वेष भावना से मुक्त रखने का प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा गुट निर्पेक्ष सम्मेलन के माध्यम से हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखने के संबंध में हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे।

श्री एस० एम बनर्जी (कानपुर) : अमरीकी साम्राज्यवादियों के कार्यों की जानकारी मंत्री महोदय को हमारी अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। उनके घृणाजनक कार्यों की जानकारी सब देशों को है, बंगलादेश युद्ध के दौरान भी उन्होंने अपना सातवां बेड़ा भेजा था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या अमरीका अपने सातवें बेड़े द्वारा हिन्द महासागर में टोंकिन खाड़ी की स्थिति पैदा करना चाहता है? मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वे उस कार्यदल के कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। उसका कार्य युद्ध का विस्तार है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की उपस्थिति के बारे में कोई विश्व मत तैयार किया गया है?

श्री स्वर्ण सिंह : हिन्द महासागर एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। किसी जहाज़ के इस बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने पर विरोध प्रकट करने की अब तक कोई भी परम्परा नहीं रही है। विरोध भी प्रकट करें तो किससे ? हमने अमरीकी सरकार से सातवें बेड़े की हिंद महासागर में उपस्थिति के बारे में कहा था और मैंने स्वयं भी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था। हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों के बीच विश्व मत बना रहे हैं कि विदेशी नौसैनायें बहुत संख्या में यहां न आयें।

तंजानिया जैसे कुछ देशों ने नौसैना की उपस्थिति के बारे में आवाज़ उठाई है। मुझे आशा है कि हिन्द महासागर के इर्दगिर्द के देश अवश्य इसकी प्रतिक्रिया करेंगे।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): For the last few years big powers are trying to demarcate the sphere of their activities and that is why they are now increasing their activities in the Indian ocean. Their policies and diplomacy is detrimental to the interest of the smaller nations. They have been competing in the field of arming one or the other country. I want to know the naval strength of these two powers in the Indian ocean ? Also I want to know the activities of American naval fleet in Asia ?

Also I want to know whether our Government has tried to negotiate with other countries of the Indian ocean against the increasing activities of super powers in this region so that a common policy could be adopted.

श्री स्वर्ण सिंह : बड़ी शक्तियों ने हमें प्रभावित करने का कोई भी प्रयत्न क्यों न किया हो परन्तु हमने प्रारम्भ से ही इसकी अवहेलना की है और हम इस संबंध में और किसी अन्य संबंध में भी उनसे प्रभावित नहीं होंगे।

हिंद महासागर में किसी देश की "नेवल स्ट्रेन्थ" के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अनेक देशों के जहाज आते रहते हैं और जाते रहते हैं।

आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री द्वारा भारत के दौरे का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। हमने उनसे भी वार्ता की थी और वे भी इसी पक्ष में थे कि हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखा जाये।

इन्होंने यह भी पूछा है कि क्या हमने अरब देशों से इस संबंध में बात चीत की है। अरब देश अभी हाल के युद्ध से पैदा समस्याओं में उलझे हैं। अरब देशों से इस सम्बन्ध में हमारी कोई सीधी वार्ता नहीं हुई है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हिंद महासागर हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शांति के इस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की नौसैनिक गतिविधियों से खतरा पैदा हो रहा है। भारत बड़ी शक्तियों से इस सम्बन्ध में विरोध प्रकट करता आ रहा है लेकिन सरकार को अभी तक अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में गंम्भीरता से काम नहीं ले रहे। 7 जुलाई, 1969 के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड के अनुसार कलकत्ता में एक संवाददाता के प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारा समुद्र किसी भी मित्र देश के लिये खुला है। इसी प्रकार 11 अगस्त, 1973 के हिन्दुस्तान टाईम्ज़ के अनुसार रूस के 15 जहाज प्रशांत महासागर से हिन्द महासागर में आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री पी० एम मेहता: यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम एक देश को अनुमति देते हैं तो अन्य देश भी वहां आ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर विचार करने के लिये तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन्होंने तटवर्ती देशों के सम्मेलन का प्रश्न उठाया है जिसके लिये मेरा उत्तर यह है कि सब निकटवर्ती देशों का दृष्टिकोण समान नहीं है।

लुसाका सम्मेलन और अल्जीयर्स सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने को बड़ा महत्व दिया गया था तथा वहां स्वीकृत संकल्प और घोषणा की मूल भावना थी। यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भी लाया गया था। महा सभा में यह संकल्प पारित किया जा चुका है कि हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखा जाये तथा इसे बड़ी शक्तियों के नौसैनिक अड्डों और नौसैनिक स्पर्धा से मुक्त रखा जाये।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरे वक्तव्य को गलत ढंग से प्रकाशित किया गया है। मैंने "मित्र देशों के जहाज" नहीं बल्कि "कोई जहाज" कहा है। मैंने यही कहा है।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानार्कषण प्रस्ताव की सूचनाएं आदि प्राप्त हुई हैं और मैंने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश करने की सहमति दे दी है। श्री एस० एम० बनर्जी के प्रस्ताव को बैलट में प्रथम स्थान मिला है। श्री बनर्जी सभा की अनुमति ले सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर) : मैं सभा से अपने स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिये किसी को भी आपत्ति नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हमें इस बारे में आपत्ति है कि क्योंकि इसका अर्थ निंदा प्रस्ताव है। इस विषय पर चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के रूप में हमें आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं।

50 सदस्यों से अन्यूनतम सदस्य खड़े हैं। अतः अनुमित दी जाती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को रद्द करना

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एच० एच० मोहसिन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत जारी की गयी दिनांक 8 नवम्बर, 1973 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 492 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा को रद्द किया गया।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये/संख्या एल०टी० 5638]

प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) अध्यादेश तथा कोंकण यात्री जहाज (अधिग्रहण) अध्यादेश

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 2), जो राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर, 1973 को प्रख्यापित किया गया था ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 3), जो राष्ट्रपति द्वारा 2 नवम्बर, 1973 को प्रख्यापित किया गया था ।

(3) कोंकण यात्री जहाज (अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 4), जो राष्ट्रपति द्वारा 7 नवम्बर, 1973 को प्रख्यापित किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5639/73]

फसल बीमा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन, गुजरात कृषि उद्योग निगम, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा उपज उपकर अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) फसल बीमा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5640/73]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1971–72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5641/73

(3) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उपज उपकर (संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 432 (ङ) में काशित हुए थे।

(दो) सा० सां० नि० 433 (ङ) जो भारत क राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी मिल में एक कलेण्डर मास के दौरान पेरे गये तिलहनों से एक क्विंटल से कम तेल निकलने की दशाओं में इस तरह निकाले गले तेल पर उपकर के संदाय की छूट दी गयी है ।

(तीन) सा० सां० नि० 454 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थें तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1969 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 884 में कतिपय संशोधन किये गये हैं '।

(चार) सा० सां० नि० 455 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1968 की अधिसूचना सा० सां० नि० 2241 तथा दिनांक 11 मार्च, 1969 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 813 रद्द कर दी गयी हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5642/73]

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) राजस्थान नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 411 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) राजस्थान नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 412 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) दादरा और नगर हवेली नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 414 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(4) वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) दादरा और नगर हवेली नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 415 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(5) वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) त्रिपुरा नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूंबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 466 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(6) वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) त्रिपुरा अधिनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 467 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5643/73]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के बारे में अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 885 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5644/73]

देश में बाढ़ की स्थिति

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad): I beg to lay on t he Table a statement (Hindi and English versions) on the flood situation in the country.

[Placed in Library. See No. Lt. 5645/73]

वास्तुविद परिषद (संशोधन) नियम, 1973 तथा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता 1971-72, तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल, 1971-72 तथा विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यकारिणी, 1971-72 ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वास्तुविद परिषद् (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1104 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5646/73]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5647/73]

(तीन) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यकारिणी का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5647/73]

———

कच्चे तेल के मूल्य और पूर्ति सम्बन्धी स्थिति के बारे में वक्तव्य
Statement Re. Price and Supply Position of Crude Oil

अध्यक्ष महोदय : श्री देवकांत बरुआ कच्चे तेल के मूल्य और सप्लाई की स्थिति पर वक्तव्य देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I rise on a point of order. The Government has increased the price of Kerosene oil and petrol by issuing an ordinance when the Parliament was not in session. This method of increasing the price through issue of ordinances is totally against parliamentary and democratic conventions. To impose a tax by issuing an ordinance or an executive order is highly improper. No tax can be imposed without the approval of the representative of the people.

Mr. Speaker: This issue is coming up at 2 P.M.

No tax can be imposed without the consent of the representatives of the people.

Mr. Speaker: I have noted the point of order. Now adjournment motion is being discussed.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Last time also this point was raised. At that time it was said that no tax should be raised by issuing a notification and this time taxes have been raised by promulgating an ordinance. This is disrespect to the House.

Mr. Speaker: I will examine it and I tell you about my decision in this regard.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आप यथाशीघ्र अपने निर्णय के बारे में सभा को सूचित करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विधि मंत्री को इस बात को स्पष्ट करने के लिये कहना होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह सिद्धान्त की बात है। आप को विधि मंत्री को कल सभा में इस बात को स्पष्ट करने के लिये कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये कुछ समय निर्धारित करूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं कि आप विधि मंत्री को परामर्श दें कि वह कल ही अपने विचार स्पष्ट करें।

Shri Madhu Limaye (Banka): I want you to clear this point also in your ruling that when excise duty can be raised by issuing an ordinance, whether Finance bill can also be passed by it.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : ऐसा लगता है कि इन करों को पहले ही लागू कर दिया गया था। यह बहुत ही अनुचित बात है। सरकार को इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये संसद के सत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और इस प्रकार सीधे ही इन करों को नहीं लगाना चाहिये था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आवश्यक बात है, जिसके लिये आप विधि मंत्री से सहायता चाहते हैं कि वह सभा में स्थिति को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : कई बार मुझे कई बातों का अध्ययन करना होता है। इस स्थिति में भी मैं विधि मंत्री के विचार जानना चाहूंगा। इससे समूची सभा का ही लाभ है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि हर बार मंत्री स्थिति को स्पष्ट करते रहे, तो इससे निर्णय देने में और अनावश्यक विलंब होगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सरकार की सामान्य प्रथा यह है कि वह एक अध्यादेश जारी करते समय अथवा एक विधेयक अधिनियमित करते समय सबसे पहले विधि मंत्री से परामर्श करती है। जो सलाह विधि मंत्री ने पहले दी है, वह वही सलाह आपको भी देंगे। आप इस मामले के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें और इसके पश्चात् इस मामले पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम अवश्य ही अन्तर्संसदीय संघ में प्रक्रिया संबंधी प्रश्न पूछेंगे।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : क्या मैं सभा पटल पर वक्तव्य रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ऐसा कर सकते हैं। आप वक्तव्य न दें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक है।

श्री शाहनवाज खां : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

विश्व की तेल संबंधी स्थिति में हाल ही की घटनाओं से माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता हुई होगी। अतः मैं इस माननीय संसद को विश्वास में लेने का प्रथम अवसर प्राप्त कर रहा हूं। विश्व मूल्यों में वृद्धि तथा तेल का उत्पादन करने वाले अरब देशों द्वारा लगाई गई रोक तथा कटौतियां इस प्रश्न के दो पहलू हैं, जिन्होंने हमें चिन्ता में डाल दिया है। पश्चादवर्त्त के बारे में मैं पहले कहूंगा।

उन देशों, जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है और जो उनके न्यायसंगत अधिकारों का दावा करने तथा इजरायली आक्रमण द्वारा कब्जे में किये गये उनके इलाके को स्वतन्त्र करवाने में अरब देशों का विरोध करते रहे हैं, पर दबाव डालने के लिये अरब देशों द्वारा तेल का एक सोद्देश्य कार्यवाही बनाने के बारे में संसद को जानकारी है। पिछले 25 वर्षों से भारत द्वारा अरबों के आन्दोलन में दिये गये दृढ़ तथा युक्तिसंगत समर्थन के बारे में भी माननीय सदस्यों को जानकारी है; हाल ही के युद्ध में हमने फिर अरबों का साथ दिया है और अरब देशों ने हमारे इस निर्णय की व्यापक रूप से सराहना की है। अतः भारत तथा अरब देशों के बीच मित्रता तथा सहयोग के संबंध पर संदेह नहीं किया जा सकता और वे उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं जो हमारी विदेश नीति के कुछ निदेश-चिन्हों में से हैं।

28 अक्तूबर को "पैट्रोलियम इन्टेलीजेंस वीकली" नामक पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिस में उन 9 देशों की सूची दी गई थी जिनको सऊदी अरब द्वारा लगाई गई तेल की कटौतियों से छूट दी गई थी। यह पत्रिका तेल के मामलों में तकनीकी तथा सामयिक सूचना का माध्यम है और विश्व के तेल क्षेत्रों में इस का वितरण व्यापक है। एस्सो नामक तेल कम्पनी जो अपनी बम्बई स्थित शोधनशाला के लिये साउदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती है, ने उसी समय कटौतियां, जो उनके अनुसार लगाई गई थीं, के बारे म सरकार को सूचित किया था और असमर्थता प्रकट करते हुये, आयात में लगभग 25 प्रतिशत (लगभग प्रतिमास 25,000 मीटरी टन) तक की कटौती अधिसूचित कर दी थी। यह समाचार बाद में विश्व प्रेस को भेज दिया गया था और भारत में घबराहट हो गई क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत को एक विरोधी देश की श्रेणी में रखा गया था।

मेरे प्रतिष्ठित साथी सरदार स्वर्ण सिंह ने सऊदी अरब के बिदेश मंत्री को एक पत्र भेजा और अन्य अरब देशों से राजनयिक पूछताछ की गई। अरब देशों के उत्तर से बहुत ही आश्वासन मिला है। उनके नेताओं ने भारत के विरुद्ध इस प्रकार की भेदमूलक कार्यवाही हुई है इस पर आश्चर्य प्रकट किया है। उन्होंने भारत के साथ अपनी मित्रता तथा हमारी नीतियों के प्रति अपने विश्वास का फिर से समर्थन किया है। साऊदी अरब के महामहिम महाराजा ने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्वयं एक संदेश भेजा था, जो शुक्रवार, 9 नवम्बर, को विदेश मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत को की जा रही तेल की सप्लाई में कोई कटौती नहीं होगी और सप्लाई पहले की भांति जारी रहेगी। अन्य देशों से आयात के बारे में तेल की कटौतियों की कोई अधिसूचनाएं नहीं हुई हैं। जहां तक सरकार का संबंध है, यह सब कुछ होने के बावजूद, हम मित्रता की कदर करते हैं जिसके लिये अरब देशों ने आश्वासन दिया है और हमें इसका पूर्ण रूप से एहसास है, यह एक ऐसी मित्रता है जिसे हम अपनी नीतियों एवं कार्यों द्वारा दृढ़ करेंगे।

कालटैक्स तथा बर्मा-शैल ने भी हमें सूचित किया है कि तेल का उत्पादन करने वाले अरब देशों द्वारा उत्पादन में की गई भारी क टौतियों के परिणामस्वरूप उन की कच्चे तेल की कुल उपलब्धि में कमी हो जाएगी। हमारे पूछने पर, कालटैक्स ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि वे भारत में ईराक से कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो भी इस क्षेत्र में अपनी सम्बद्ध कम्पनियों तथा ग्राहकों के लिये वे खाड़ी के अन्य देशों से भारी मात्राओं का आयात कर रहे हैं और कि उपलब्धता को सख्ती से अनुपात में बांटा जायेगा ; उन्होंने यह भी बताया है कि कच्चे तेल की उपलब्धि के किसी भी अंश को भारत तथा अन्य देशों की कीमत पर अमरीका को नहीं भेजा जायेगा। हमें अब कालटैक्स से सूचना प्राप्त हुई है कि शायद कोई क टौती न हो क्योंकि अपनी समस्त उपलब्धि को पूरा करने के लिये वे अन्य स्रोतों से कच्चे तेल की सप्लाई करने में समर्थ हो सकेंगे।

जहां तक बर्मा-शैल का प्रश्न है, उन्होंने बताया है कि उन की समस्त उपलब्धि में कमी सख्ती से अनुपात में बांटी जायेगी, ब्रिटेन तथा सिंगापुर में स्थित उन की शोधनशाला में उसी प्रतिशतता मे कटौती की जाएगी जिस से भारत में स्थिति उन की शोधनशाला में की जाएगी और कि वे कोई भी कटौती न करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। बर्मा-शैल ने अभी तक कच्चे तेल के आयात में कोई कमी नहीं की है। मद्रास शोधनशाला के लिये नेशनल यूनियन आयल कम्पनी से फ्रांस की एक कम्पनी के साथ हुए वर्तमान करार के अन्तर्गत कोचीन शोधनशाला के लिये ईरान से कच्चे तेल के आयात तथा ईराक से आयात में भी कोई कमी नहीं हुई है ।

जहां तक तेल के मूल्यों का संबन्ध है इस विषय पर इस संसद में कई बार वार्तालाप हुआ है। गत तीन वर्षों में कीमतें तीन गुणा अर्थात् 1970 में 1.28 डालर प्रति बैरल से इस समय 3.86 डालर प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं ।

तदनन्तर, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं में गत वर्ष 200 करोड़ रुपये से चालू वर्ष में 500 करोड़ रुपये से कुछ कम की अत्यधिक वृद्धि हुई है। केवल मात्र तेल के संबंध में बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा में इस प्रकार की अत्यधिक वृद्धियां स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। अतः हमें व्यक्तिगत प्रयोग हेतु तेल उत्पादों की खपत को कम करने के लिए उपाय अपनाने हैं। जो उपाय हमने अपनाये हैं उनसे निसन्देह रूप में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न होंगी किन्तु नैफ्था हाई स्पीड डीजल तेल, लाइट डीजल तेल, भट्टी का तेल इत्यादि के रुप में ईंधन तथा सम्भरण सामग्री, जो कि अत्यावश्यक आर्थिक निवेश है, की निरन्तर उपलब्धि को बनाए रखने के लिये देश को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। जो निर्णय हमने

लिया वह सरल नहीं है। किन्तु हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम इन उत्पादों का राशन कर सकते थे किन्तु उस से अनेक और समस्याएं उत्पन्न होतीं। उदाहरण के रूप में पैट्रोल एक आधारभूत आवश्यकता नहीं है तथा आधारभूत आवश्यकता न होने वाली वस्तुओं का सामान्य रूप से राशन नहीं किया जाता। कई राज्य इसके विरोधी थे। इस के अतिरिक्त हम आगामी 5 अथवा 10 वर्षों में कटौतियों की आवश्यकता समझते हैं और इतनी लम्बी अवधि के लिये राशन करना अवांछनीय होगा। मैं आशा करता हूं कि अपनी निजी गाड़ी रखने वाले व्यक्ति इसे स्वीकार करेंगे और उपभोग को अत्याधिक मात्रा में कम करेंगे। बचत किये गए पैट्रोल के प्रत्येक लिटर की मात्रा से हमें नैफ्था उपलब्ध होगा जिसे हमारे उर्वरक कारखाने यूरिया में परिवर्तन करेंगे नैफ्था की कमी विश्वव्यापी है जब तक हम पैट्रोल के उपभोग में कमी नहीं करते हम अपने उर्वरक कारखानों को पूर्ण क्षमता में चलाने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। तथापि यदि पैट्रोल के उपभोग में कमी नहीं हो पाती तो हमें इच्छा के विरुद्ध राशनिंग लागू करना होगा। बहुत से देशों ने पहले ही ऐसा कर दिया है। हम सरकारी कार्यों एवं उद्योग घरानों के द्वारा कारों के उपयोग में त्रुटियों को रोकने के लिये भी प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, हमने राज्य सरकारों से परामर्श लिया जिन्होंने बतलाया कि कई राज्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड डीज़ल तेल के साथ मिट्टी के तेल के मूल्यों को बराबर किये बिना राशनिंग लागू नहीं कर सके क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी के तेल, जो कि हाई स्पीड डीज़ल तेल की अपेक्षा 20 पैसे प्रति लिटर सस्ता था को हाई स्पीड डीज़ल तेल में मिश्रित किया जा रहा था। आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार मिश्रित किये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा का अनुमान मिट्टी के तेल की कुल बिक्री का .45 लगाया गया है, अर्थात् लगभग 1.8 मिलियन मीटरी टन मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप कठिनाइयां अवश्य आएंगी और इस के लिये हमने 2 नवम्बर की मूल्य वृद्धि के बाद उत्पाद शुल्क में कुछ समायोजन किया है जिससे मिट्टी के तेल की उपभोक्ताओं तथा हाई स्पीड डीज़ल तेल के उपभोक्ताओं पर भी पड़ने वाले भार में कमी आएगी। हमने हाई स्पीड डीज़ल तेल के साथ मिट्टी के तेल के मिश्रण की सम्भावनाओं को दूर करके प्रथम बार ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि जिस से देश भर में नियंत्रित मूल्यों पर मिट्टी का तेल खुले रूप में उपलब्ध हो सकेगा। मिट्टी के तेल की वह समस्त मात्रा जिसे हाई स्पीड डीज़ल तेल के साथ मिश्रित किया जा रहा था अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिये उपलब्ध हो सकेगी। अब तक लगभग 70% मिट्टी के तेल का उपभोग बड़े शहरों में हो रहा था अथवा उसे हाई स्पीड डीज़ल तेल के साथ मिश्रित किया जा रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में 30% से अधिक नहीं पहुंच पाता था। हम अब अधिकतम संख्या में वर्तमान पैट्रोल पम्पों पर इस की बिक्री के लिये क्रैश उपायों की व्यवस्था कर रहे हैं। देश में अधिकतर छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे पम्पों की संख्या 11,000 है। यह बिक्री के वर्तमान माध्यमों के अतिरिक्त होगा। हाई स्पीड डीज़ल तेल के मूल्य में कमी से कृषकों को जो कि हाई स्पीड डीज़ल तेल की कुल खपत के 30% भाग का उपभोग करते हैं, लाभ होगा। हमने इसकी खुले रूप में उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु इसके उत्पादन में वृद्धि के लिये कदम उटाए हैं। इसका वर्तमान भंडार पहले की अपेक्षा अधिक है।

आप इससे सहमत होंगे कि तेल उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण स्थूल रूप मे उस मूल्य पर होना चाहिये जिस पर हम अशोधित तेल का आयात कर सकें। इसी के साथ हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये साधनों को गतिशील बनाना होगा। अतः हमारे लिये उत्पाद शुल्क को घटाकर अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धियों को मिलाना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक साधारण उपभोक्ता को जब तक

कि वह उर्जा के लिये वास्तविक लागत का भुगतान नहीं करता बचत के लिये प्रोत्साहन कम मिलेगा। अशोधित तेल के मल्यों में निरंतर होने वाली वृद्धियों की इस राष्ट्रीय समस्या को अपनी योग्यताओं के लिये चुनौती समझकर, सुलझाना होगा। कटौतियों के अतिरिक्त जिन्हें कि और भी अधिक सघन बनाना होगा, हमें उर्जा के अन्य स्रोतों को भी विकसित करना होगा। इस सम्बन्ध में एक व्यापक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसे क्रेश आधार पर लागू किया जाएगा।

भारत में खाद्य और कृषि सम्बन्धी स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REG. FOOD AND AGRICULTURAL SITUATION IN INDIA

अध्यक्ष महोदय : श्री अण्णासाहिब शिन्दे।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मद संख्या 12 के सम्बन्ध में मेरा एक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे यहां उठाना चाहते हैं, तो आपको अग्रिम नोटिस देना चाहिये, जैसाकि वाजपेयी जी ने किया है।

श्री वयालार रवि : मैं दुर्भिक्ष ग्रस्त राज्य से आता हूं। यह एक बहुत ही प्रासंगिक तथा उचित मामला है। मंत्री महोदय ने खाद्य स्थिति के बारे में वक्तव्य देना है। केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को चावल के मूल्य को 25 प्रतिशत बढ़ाने अर्थात् 1 रुपये दस पैसे से 1 रुपया 25 पैसे कर देने का निदेश दिया है, जबकि एक सामान्य श्रमिक की मजूरी केवल 2 रुपये प्रति दिन है। केरल में लोग भूखे मर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय केरल की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**) व्यवस्था के प्रश्न पर आप सब उठ कर खड़े क्यों हो जाते हैं, जबकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालार रवि : इस समय केरल की खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई बात उठाना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख कर भेजिये।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : क्या मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

विवरण

जैसाकि सदन को मालूम है, 1972 में देश में खाद्य स्थिति पर काफी दबाव पड़ा। इसका कारण 1971-72 में खाद्यान्नों की पैदावार कम हुई और इसके अलावा, देश के कई भागों में अनियमित तथा थोड़ी वर्षा होने और सूखे की स्थिति रहने के परिणामस्वरूप 1972-73 की खरीफ फसलों की भारी क्षति हुई थी। सूखे से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ भाग थे।

सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने तुरन्त तथा प्रभावी पग उठाए। बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने के अलावा, वर्ष 1972 के दौरान खाद्यान्नों का सरकारी

वितरण काफी अधिक बढ़ा दिया गया था ताकि विशेषकर जनसंख्या के जरूरतमन्द वर्गों के उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम किया जा सके । इन कठिनाइयों के बावजूद, 1972 और 1973 के वर्षों के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का वितरण पिछले दो वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक किया गया था ।

देश का बहुत बड़ा भाग अभूतपूर्व सूखे से प्रभावित होने के बावजूद, केन्द्रीय और राज्य सरकारें अधिकतर अपने स्टाक और वाणिज्यिक आधार पर आयात किए गये स्टाक से सरकारी वितरण प्रणाली को दृढ़ता के साथ चलाती रही है । इतने पर भी, विश्व की मण्डियों में खाद्यान्नों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होने और अत्यधिक कम उपलब्धता होने के कारण स्थिति कठिन थी । इस नाजुक अवधि में सोवियत संघ ने 20 लाख मी० टन गेहूं की सद्भावपूर्ण पेशकश की । यह गेहूं अत्यधिक अनुकूल शर्तों पर उधार पर दिया गया है इन शर्तों को हमने साभार स्वीकार कर लिया है ।

चालू वर्ष के दौरान, देश भर में मौसम की स्थिति प्रायः अनुकूल रही है । विशेषतया उत्तर पूर्वी भारत में मानसून-पूर्व वर्षा होने से शरत धान और पटसन की फसलों की बुवाई करने में मदद मिली थी । दक्षिण-पूर्वी मानसून मौसम के दौरान भी सामान्य रूप से वर्षा हुई है । अक्तूबर मास में सामान्यतया वर्षा के अच्छे छींटें पड़े हैं जिससे न केवल खरीफ की फसल को फायदा हुआ बल्कि रबी की बुवाई में भी सुभीता मिली। देश के कुछ भागों में बाढ़ों से खड़ी फसलों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है । यद्यपि कुछेक महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता के बारे में कुछ कठिनाइयां रही हैं, फिर भी कुल मिलाकर इस वर्ष खरीफ की फसलों की सम्भावनाएं बहुत अच्छी हैं । अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर, सिंचाई साधनों का प्रभावी उपयोग कर और उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग कर तथा ऋण की व्यवस्था कर खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए देशव्यापी विशेष प्रयत्न किए गए थे । इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा खाद्यान्नों की पैदावार विशेषतया चावल, पटसन और कपास की पैदावार काफी अधिक होने की आशा की जाती है । खरीफ के तिलहनों विशेषतया मूंगफली की पैदावार की सम्भावनाएं भी बहुत उत्साहवर्धक हैं । यद्यपि मूल्यों में बराबर वृद्धि होती रही, लेकिन फसल की सम्भावनाओं में सुधार होने से कुछेक खाद्यान्नों के मूल्यों विशेषतया बाजरा तथा मक्का जैसे मोटे अनाजों के मूल्यों में नरमी की प्रवृत्ति आनी शुरू हो गई है : कुछेक केन्द्रों पर खरीफ के तिलहनों के मूल्यों में भी गिरावट का रुख आया है ।

किसानों को लाभकारी मूल्य देने और उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने चालू मौसम के लिए खरीफ के अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया था । अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप, निर्गम मूल्यों में भी उचित संशोधन कर दिया गया है ताकि राजसहायता और घाटे की अर्थव्यवस्था के भार को कम किया जा सके । फसल की सम्भावनाएं अच्छी होने से और खरीफ की मूल्य नीति की घोषणा करने से खरीफ के अनाजों की मंडी में आमद, पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अच्छी बतायी जाती है । अधिप्राप्ति का चालू रुख भी पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक उत्साहवर्धक है । हमें आशा है कि अपने ठोस प्रयत्नों और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से इस वर्ष अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करना सम्भव होना चाहिये ।

फसल की सम्भावनाएं बेहतर होने से बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार होने जा रहा है और निस्सन्देह इससे खाद्य अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में काफी अधिक विश्वास की भावना

पैदा हो जाएगी । कमी वाले राज्यों की आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्टाक का सूझ-बूझ के साथ उपयोग करना होगा लेकिन इसके साथ-साथ सरकारी वितरण के क्षेत्र में हमें अपने सर्वोत्तम फायदे के लिए खाद्यान्नों के स्टाक के संरक्षण और प्रयोग में सावधानी और सर्तकता बरतनी होगी । खाद्य स्थिति में काफी सुधार होने से इस आशावाद को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयत्न करने ही होंगे ताकि सामान्य अर्थ-व्यवस्था पर इसका प्रभाव समाँन रूप से अनुभव किया जा सके ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* GOVERNMENT DECISIONS ON THE REORGANISATION OF ICAR

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : 1 अगस्त, 1973 को लोक सभ में दिये गये वक्तव्य में कृषि मंत्री ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि जून 1972 में भारत सरकार द्वारा बनायी गयी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भा०कृ०अ०प०) के वर्तमान संगठन ढांचे में कुछ बड़े परिवर्तनों का सुझाव दिया है । समिति के सुझावों पर निर्णय लेते समय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के गठन और व्यवस्था के पूर्ण संदर्भ में कृषि अनुसंधान की स्थिति को विस्तृत रूप से ध्यान में रखना पड़ा है इसलिए मंत्री मण्डल ने जांच समिति की सिफारिशों की जांच पड़ताल करने के लिए मंत्रियों के एक दल की नियुक्ति की । वक्तव्य के अन्त में कृषि मंत्री ने माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि भारत सरकार मामले की तात्कालिकता और महत्व से पूर्णतया अवगत है और भा०कृ०अ०प० की मुख्य सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए उचित कदम यथा-शीघ्र उठाये जा रहे हैं ।

तदनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर 3 अगस्त, 1973 को रखी गयी ।

मैं अब यह सूचित करना चाहता हूं कि जांच समिति की सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय और अन्य सुविख्यात वैज्ञानिकों के विचारों को और देश भर में वैज्ञानिक संस्थानों के गठन व व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंत्रियों के दल की सलाह के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर हाल में जो परिवर्तन सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् में किये हैं उनके आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया जाये ताकि परिषद् को और अधिक स्वायतता तथा उसके कार्यक्षेत्र तथा व्यवस्था में अधिक लचीलापन दिया जा सके साथ ही जहां आवश्यक समझा जाये वहां उक्त प्रणाली में सुधार किये जायें ।

(2) अविलम्ब ही कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग की स्थापना की जाये ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से आवश्यक सम्पर्क कर सके और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी

सम्पर्क स्थापित कर सके । इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक साथ ही भारत सरकार के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के सचिव भी होंगे ।

(3) कृषि वैज्ञानिकों के लिए भरती का एक विशेष बोर्ड स्थापित किया जाये जिसके माध्यम से एक आपतकालीन भरती प्रणाली चालू की जाये । उक्त मण्डल का अध्यक्ष पूरे समय काम करने वाला एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हो । अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री-मण्डल की स्वीकृति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की जाये । उक्त मण्डल लगभग 1200 रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक स्वतन्त्र भरती करने वाले तन्त्र के रूप में काम करेगा । यह मण्डल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में लगभग 1200 वर्तमान रिक्त स्थानों के लिए भरती का काम करेगा, परिषद् के इन रिक्त स्थानों के पदों का वेतनमान 700--1250 रुपये तथा इससे अधिक है ।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों को यह अधिकार दे दिया जाये कि वे 400 से 950 रुपये वेतनमानों के पदों के लिए वर्तमान कार्यविधि के अनुसार जिसे जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित कर लिया गया हो, नियुक्त कर सकें । यह नियुक्तिचयन नामिकाओं की सिफारिशों, जिन्हें कृषि वैज्ञानिक भरती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो, पर आधारित होनी चाहिए ।

(5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह अधिकार दिया जाना कि मुख्यालय में वर्तमान रिक्त वरिष्ठ पदों को विभागीय चयन समिति, जिसका गठन कर्मचारी वर्ग विभाग की सलाह से किया गया हो, द्वारा स्थानान्तरण/प्रतिनियोजन से भरा जाये ।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए एक नयी कर्मचारी वर्ग प्रणाली तैयार की जाये जिसके अन्तर्गत बार-बार आवेदन पत्र देने और प्रतियोगिता की आवश्यकता न रहे और विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और परमाणु ऊर्जा विभाग में लागू सम्बन्धित कार्याविधि के अनुसार सीधे तौर पर भरती की जाने की व्यवस्था हो ।

(7) वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार और भारत सरकार की अन्य वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन होना चाहिए ।

(8) अनुसंधान संस्थानों में आधिशासी और व्यवस्था सम्बन्धी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए । जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को विस्तृत आधार मिल सके और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सके और सभी श्रेणियों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाये ।

मैं, जांच समिति की मुख्य पसफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख रहा हूं ।

अन्त मे, मैं अपनी और भारत सरकार की ओर से डा० पी० बी० गजेन्द्र गडकर और जांच समिति के उनके अन्य सहयोगियों के प्रति अभार प्रकट करता हूँ । कि उन्होंने निर्धारित अवधि मे ही काम पूरा किया और इतनी वृहद रिपोर्ट प्रस्तूत की ।

संसद भवन के सेंट्रल हाल में बिजली के कुछ उपकरण लगाये जाने के बारे में

RE. CERTAIN ELECTRICAL INSTALLATIONS IN CENTRAL HALL OF PARLIAMENT HOUSE

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमान् जी ! मैं यह बताना चाहता हूं कि सदस्यों के मत में ऐसी भावना व्याप्त है कि संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में हाल ही में जासूसी की जाने लगी है । इस बात की शंका अथवा सन्देह का मुख्य कारण केन्द्रीय कक्ष में लगाये गये यन्त्र की जटिल व्यवस्था से लगाया जाता है । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कारण बताया जाता है कि ऐसी व्याख्या की सुविधा के लिये किया गया है । यह आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा समूचे केन्द्रीय कक्ष में जासूसी यन्त्र लगाये गये हैं । सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पूर्व यह आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय कक्ष में जासूसों का जाल बिछा हुआ है । श्री दिनेश सिंह के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों से यह बात सिद्ध हो गयी है ।

केन्द्रीय कक्ष सीधे अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें सदस्यों को यह विश्वास दिलाने के लिए, कि वहां किसी प्रकार के जासूसी यन्त्र नहीं लगाये गये हैं, सदस्यों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Some responsible Journalists have reported in the newspapers that a mini tape-recorder was used in the Central Hall to record the talks of the members and was demonstrated in the forum of a Party. If you allow us, we can show you the tape-recorder. If this happens, this would be the end of democracy. I support this demand that you should constitute a Committee to inquire into the whole matter.

श्री एच० एन० मुकर्जी : यदि आप सभा को आश्वासन दें कि आपकी व्यक्तिगत सूचनाओं के अनुसार समाचार पत्रों आदि में लगाये गये सभी आरोप गलत हैं, तो सब कुछ ठीक हो जायेगा । इसमें मंत्री महोदय ने क्या करना है ?

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह शरारत आपकी अनुपस्थिति में हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं हुआ ।

श्री एस० ए० शमीम : टेप रिकार्डरों का उपयोग किया गया है, इस समाचार को आपने विदेश यात्रा के दौरान समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा । इस विशेष समय में इस सबको शुरू करने की क्या आवश्यकता थी ।

श्री समर गुह : प्रो० मुखर्जी ने कहा है कि आपके निर्देश के अनुसार ऐसा किया गया है । इस बात में कोई सन्देह नहीं है । किन्तु यह काम किन इंजीनियरों ने किया ? यह काम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया गया है । सन्देहों को दूर किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जासूसी अमरीका में हो सकती है । यहां नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : साथ-साथ अनुवाद करने के लिये ऐसे उपकरणों की व्यवस्था की गयी । किसी भी मेकेनिकल विशेषज्ञ से इसकी जांच करायी जा सकती है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : एक समिति की नियुक्ति क्यों न की जाये ?

अध्यक्ष महोदय: एक समिति की कोई आवश्यकता नहीं है । सन्देहों को दूर करने के लिये आप किन्हीं विशेषज्ञों से इन उपकरणों की जांच करा सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: ऐसा कराना मेरे साधनों से बाहर है ।

अध्यक्ष महोदय: ऐसी बातों में इस संसद तथा सभा के शुभ नाम को नहीं लाया जाना चाहिये। इस सभा में साथ-साथ अनुवाद करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is any member allowed to bring a tape-recorder here?

Mr. Speaker: You have mentioned about the wiring which has been installed for simultaneous interpretation. If anybody has brought a tape-recorder here, it should be told separately.

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह केवल साथ-साथ अनुवाद करने का यन्त्र ही है। यदि आप इसे नहीं चाहते, तो हम इस व्यवस्था को हटा सकते हैं । कई वर्षों से मांग की जा रही थी कि केन्द्रीय कक्ष में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: We are not opposing the simultaneous translation.

Mr. Speaker: If you find some bugs, show these to me.

टेप रिकार्ड करना एक भिन्न बात है । आपने नये उपकरणों के लगाने की बात की है । आप उसकी जांच कर सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: हम साथ-साथ अनुवाद की सुविधा के विरुद्ध नहीं है । किन्तु सरकार द्वारा इस अवसर का उपयोग जासूसी के यन्त्र लगाने में किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास उस सम्बन्ध में कोई सूचना है, तो आप किसी विशेषज्ञ से इसकी जांच प्रसन्नता से करा सकते हैं । इस सभा में हमें किसी विषय पर बोलने की पूरी स्वतन्त्रता है । अतः इस प्रकार के उपकरण के लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्तर भोजन के लिये दो बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर 33 मिनट म० प० पर पुन समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-three Minutes past Fourteen of the Clock.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

स्थगन प्रस्ताव--(जारी)
Motion for adjournment—contd.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

श्री एम० एम० बनर्जी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सभा को अब स्थगित किया जाए" ।

मेरे स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सभा को मालूम है । मेरा पहला स्थगन प्रस्ताव सरकार द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण कर पाने में असफलता के बारे में था पर इस बार सरकार ने स्वयं न केवल चावल, गेहूं इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अपितु पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य भी बढ़ा दिए हैं और इसके लिए वह सूखा, बाढ़, बंगलादेश अथवा अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप को दोषी नहीं ठहरा सकते ।

मुझे मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़कर आश्चर्य होता है । उन्होंने बाढ़ के बारे में कुछ घिसी पिटी दलीलें फिर दुहरा दी हैं ।

आज कीमतें इस सीमा तक बढ़ गई हैं कि साधारण जनता का जीना दूभर हो गया है । आये दिन हम उड़ीसा महाराष्ट्र में आत्म हत्याओं के बारे में सुनते रहते हैं । अक्तूबर के अन्त में समाचार-पत्रों में आया कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश की आर्थिक दशा का सबसे खराब समय बीत गया है तथा अगले महीने आर्थिक दशा सुधर जाएगी पर प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के बाद खाद्यान्नों, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और गैस के मूल्य बढ़ गए । पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई । यह अनुमान लगाया गया है कि इस मूल्य वृद्धि के द्वारा उत्पादन शुल्क के रूप में सरकार को 212 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे ।

मैं पहले खाद्यान्नों के मूल्यों को लेता हूं । सभी आवश्यक पदार्थों जैसे सब्जी, मांस, मछली, अण्डे इत्यादि की कीमत बढ़ गई हैं । गेहूं, चावल की कीमत भी दो बार बढ़ी है । सभी राज्य सरकारों को कीमतें बढ़ाने के लिए कहा गया है ।

हिन्दुस्तान लीवर को डालडा के मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी गई । उन्होंने गाजियाबाद में अपना उत्पादन बन्द कर दिया, पर फिर भी भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया । साबुन के मामले में उन्होंने उसका आकार भी छोटा कर दिया है और मात्रा भी घटा दी है पर कीमत बढ़ा दी है । स्थिति यह है कि हर वस्तु की कीमतें बढ़ गई हैं पर मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में कहते हैं कि स्थिति सुधर गई है । पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के समय कुछ अधिकारियों ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण विशेषकर पश्चिम एशिया को पेट्रोल की खपत में भारी कमी करनी पड़ेगी । पर आप इसके लिए पेट्रोल का राशन कर सकते थे । आपने एक रूपय 7 पैसे प्रति लिटर कीमत क्यों बढ़ा दी ।

अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस समस्या के समाधान के लिए गम्भीर है । अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका में यह बताया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बड़े व्यापार गृहों को सट्टेबाजी के लिए रुपया उधार दिया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी काले धन को बाहर निकलवाने में सफल नहीं हुए । सरकार स्वयं काले धन को बनाए रखना चाहती है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने देश की आर्थिक दशा का बड़ा ही शोचनीय चित्र प्रस्तुत किया है । वर्ष 1972-73 के दौरान समस्त मूल्य सूचकांक 21.5 प्रतिशत बढ़ा । यह वृद्धि असाधारण थी । कीमतों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जनता की दशा असहनीय हो गई है । जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र के 20,000 कर्मचारी इस महीने की 8 तारीख से हड़ताल पर हैं और इस महीने की 15 तारीख से भिलाई इस्पात संयंत्र के भी 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं । वे 20 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे हैं । वह अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं रियायती दरों पर चाहते हैं । 28 लाख केन्द्रीय कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं वेतन आयोग की सिफारिशें तथा उनके द्वारा दिए गए वेतनमानों से वह सन्तुष्ट नहीं हैं ।

मूल्यों के स्थिर होने का अब कोई संकेत नहीं दिखाई देता । औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1971-72 में 192 था जोकि बढ़कर 1972-73 में 214 हो गया । अन्य शब्दों में सूचकांक 1972-73 में 11.00 प्रतिशत बढ़ गया जबकि 1971-72 में यह 3.2 प्रतिशत बढ़ा था। शहरों में शारीरिक श्रम न करने वालों के औसत मूल्य सूचकांक में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि ई जबकि 1971-72 में यह 4 प्रतिशत थी । सरकार मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोक सकती क्योंकि इसकी घाटे की अर्थव्यवस्था है । 1972-73 में सरकार का घाटे का बजट 252 करोड़ रुपये था किन्तु बाद में यह बढ़ कर 882 करोड़ रुपये हो गया ।

सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली बकाया राशि को बैंक में जमा करने के लिए कह रही है क्योंकि यदि नगद रुपया उनके हाथ में दे दिया गया तो इससे कीमतों के और बढ़ने की संभावना है पर सरकार विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है, अपितु इसके विपरीत यह कहकर अपनी ही जनता को दण्ड दे रही है कि उन्हें खपत कम करनी चाहिये। इसी कारण सरकार ने तेल के मूल्य में वृद्धि की है । व्यापार-गृह तो 212 करोड़ या 206 करोड़ अथवा 200 करोड़ रुपये का भार आसानी के उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है । वह दबाव में आई है और यह उसकी परिवर्तित नीति से स्पष्ट होता है ।

सरकार द्वारा गेहूं का थोक-व्यापार अपने हाथ में लेने का हमने स्वागत किया। किन्तु सरकार कुछ निहित स्वार्थों के दबाव में आ गई और यह कहकर उसने चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में नहीं लिया कि सरकार के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त तेल नहीं है । उन्होंने यह अपूर्ण निर्णय क्यों लिया है ?

मैं सरकार से यह स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि क्या वह इन बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय काम में ला रही है । काले धन का पता लगाने के लिए सरकार को एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये। सरकार मूल्यों को रोकने में असफल रही है, अतः उसकी निन्दा की जानी चाहिये सभी महत्वपूर्ण नगरों में राशनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और यहां तक कि इसे गांवों में भी लागू किया जाना चाहिये। तत्पश्चात् जमाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा नफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। आवश्यक वस्तुओं के जमा स्टाक का पता लगाया जाना चाहिये और लोक समितियों की देखभाल में उसका वितरण किया जाना चाहिये ।

बड़े-बड़े जमींदारों तथा एकाधिकार स्टाकधारियों पर खाद्यान्नों की वसूली के लिए अनिवार्य शुल्क लगाया जाना चाहिये। गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार पूरी तरह सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। तत्पश्चात् गैर-सरकारी अधिकरणों तथा खाद्यान्नों के जमाखोरों से बैंक ऋणों की बकाया राशि वापस ले ली जानी चाहिये और थोक विक्रेताओं तथा सभी आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वालों गैर-सरकारी अधिकरणों को बैंक ऋण देने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये ।

मैं इस सरकार पर जमाखोरों और कालाबाजार करने वाले के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाता हूं ।

Shri A. P. Sharma (Baksar): Mr. Deputy Speaker, Sir, it cannot be denied that prices of all essential commodities have shot up considerably.

The increase in the price of petrol is due to the increase in its price by those countries which are supplying it to us. It is wrong to say that it has affected the common man. It is also wrong to charge the Government for increase in the price of petrol.

The hon. Member Shri S. M. Banerjee in his speech has referred to the increase in the price of petrol but has not suggested any measures as to how this increase could have been checked. Recently the Government has accepted the recommendations of Pay Commission and have thus added 86 crore rupees in the salaries bill of Central Government employees. But the hon, Member has found it disappointing. The opposition-members criticise the Government for the sake of criticism only.

So far as the rise in prices of wheat and rice is concerned, there is criticism that Government are paying a very low procurement price to farmers but now when it has been increased with a view to help the farmers, there is again a criticism for the rise in price. Such criticism with a partisan attitude has no meaning.

There can be no two opinions about the fact that production must be increased but the present situation is that the opposition leaders are instigating people to resort to strikes and Bandhs day in and day out, which hampers the production of goods in the Country, They should, instead, exhort the labour class not to resort to strikes and hamper the production. The opposition leaders should give up this policy of inciting labourers to press for new demands every day and hamper the production on the one hand and condemn the Government for all the shortages and scarcities on the other.

With these words, I oppose the adjournment motion moved by Shri S. M. Banerjee.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पुर्व) : कांग्रेस के 26 वर्षों के शासन में यदि जनता के किसी वर्ग को लाभ पहुंचा है तो वह वर्ग है तो वह पूंजीपतियों, एकाधिकारियों, काला बाजारियों और जमाखोरों का सरकार इनकी मित्र और सर्वसाधारण की शत्रु है।

प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तु की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई हैं। सरकार ने हाल में अनाज की वसूली कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की है। चावल के लिए यह 111-119 रु० प्रति क्विंटल, मक्का, ज्वार और बाजरा के लिए 70-72 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार का विचार दालों के निर्गमन मूल्य में वृद्धि करने का भी है। इससे जनता पर और बोझ पड़ेगा।

हमने मांग की थी कि सरकार को अनिवार्य वसूली मूल्य निर्धारित करना चाहिये और जिन भू-स्वामियों के पास 10 एकड़ सिंचित भूमि और 20 एकड़ असिंचित भूमि है उनके पास बाजार में बेचने लायक जितना अतिरिक्त अनाज है उसे अनिवार्य रूप से वसूल किया जाए। परन्तु सरकार ने खरीफ फसल का केवल 7 करोड़ मीटरी टन मात्रा खुले बाजार से खरीदने का निश्चय किया है। उनका विचार प्रत्येक वयस्क को 250 ग्राम राशन प्रति दिन देने का है सरकार लोगों को बाध्य कर रही है कि वह बाकी राशन काले बाजार से खरीदें।

सरकार ने जूट का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने से इंकार कर दिया है। जूट की उत्पादन लागत 60 रुपये से 65 रुपये प्रति मन है। परन्तु उत्पादन को केवल 25 रुपये से 30 रुपये प्रति मन ही मिल पाता है पिछले 25 वर्षों में इस सरकार ने 25 परिवारों को 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लूटने की अनुमति दी। इस समय जबकि जूट उत्पादक जूट बहुत कम दामों में बेच रहे हैं ; यह उपयुक्त समय है कि सरकार उन्हें उचित मूल्य दे।

प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस के इस शासन में जनता को राहत नहीं है। लोगों को पता होना चाहिये कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। ये इसलिए बढ़ रही हैं कि सरकार को चुनावों के लिए पैसा चाहिये। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनाव के लिए धन चाहिये। इसी कारण वह पूंजीपति वर्ग को अधिक धन कमाने का अवसर दे रही हैं ताकि वह उसका अस्तित्व बनाए रखे।

पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क 8 करोड़ रुपये से बढ़कर 140 करोड़ रुपया हो गया है । सरकार के अनुसार पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो मोटरों का उपयोग करते हैं । इसका सर्वसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यह तर्क ठीक नहीं हैं । आटो रिक्शा, बसों और टैक्सियों के किराये बढ़ेंगे और क्या इससे साधारण जनता प्रभावित नहीं होगी ?

कुछ लोग कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि की जाए पर यदि उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उसमें से श्रमिक वर्ग को अपना उचित अंश भी प्राप्त होना चाहिये जो इस समय उसे नहीं मिल रहा है । इसलिए ये आवश्यकता पर आधारित मजूरी चाहते हैं, जिससे सरकार ने उन्हें वंचित रखा है । यदि उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो श्रमिक वर्ग, किसान और सर्वसाधारण अपनी शिकायतों और दुखों को जाहिर करने के लिए हड़तालें करेंगे जिससे सरकार उनकी मांगें मानने के लिए बाध्य हो जाये । उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिये और अपनी संगठन शक्ति से उन्हें सरकार का तख्ता उलटने के लिए क्रांति करने में भी समर्थ होना चाहिये ।

एक ओर गरीब जनता भूख से मर रही है और दूसरी ओर सत्ताधारी दल के सदस्य आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं और लगभग सभी राज्यों में गुटबाजी हो रही है । इसलिए भारतीय जनता को उन लोगों के विरूद्ध विद्रोह करना चाहिये जो उनसे उनका अधिकार छीनते हैं । यदि सरकार इस संकट को दूर करना चाहती है, तो उसे उचित दर की दुकानों से सर्वसाधारण को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई करनी चाहिये ।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद): मूल्यों में वृद्धि कई आर्थिक कारणों के परिणामस्वरूप होती है । यह मूल्य वृद्धि शारीरिक ज्वर की भांति हैं । इसके लिए एक अथवा अनेक भीतरी या बाह्य कारण उत्तरदायी हो सकते हैं । जैसे ज्वर के इलाज के लिए उसके कारणों का इलाज करना पड़ता है, उसी प्रकार मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों का उपाय करना होगा ।

यह सही है कि हमारी स्थिति बहुत विकट है और दिन प्रतिदिन मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है पर हमें यह देखना है कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं । हमारे जैसे विकासशील देश में यदि खाद्य उत्पादन में गिरावट आ जाए, जिसका परिवारिक बजट में मुख्य स्थान है, तो इससे मूल्यों में अधिक वृद्धि हो जाती है । खाद्यान्नों के मामले में मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यदि अच्छी फसल हो जाए, तो फिर मूल्यों में गिरावट आ जाएगी । अतः मुख्य बात सप्लाई की है । अतः अपने देश की तुलना विकासशील देशों से करना उचित नहीं है । यदि सम्पूर्ण विश्व में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है । किन्तु मांग का तत्व भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । बढ़ते हुए रोजगार तथा बढ़ती हुई आमदनियों के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ी है और इसका असर फिर आगे चलकर मूल्यों पर पड़ा है ।

हमें यह देखना है कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां किस सीमा तक मूल्यों के स्थिरीकरण में सहायक हुई हैं । यदि आप सभी नीतियों को देखें तो पता चलेगा कि सरकार ने एक बड़ी विकट परिस्थिति को मोड़ दिया है । किन्तु स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है । प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का कि हमारा सबसे खराब समय गुजर गया है और अब हम अच्छे समय की ओर देख सकते हैं; का माननीय सदस्य श्री एम० एम० बनर्जी ने गलत अर्थ लगाया है । उन्होंने ऐसा खाद्यान्नों के संबन्ध में

कहा था, वह कोई उनका सामान्य वक्तव्य नहीं था। आज स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए आप एक सप्ताह, एक महीना अथवा एक वर्ष ले लीजिए। 1 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुए सप्ताह म मूल्य सूचकांक में 0.6 प्रतिशत की कमी हुई। अगस्त के महीने में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 1.9 प्रतिशत की कमी हुई। औद्योगिक कच्चे माल की कीमत 4 प्रतिशत गिर गई है। खाद्य तेलों के मूल्य भी 4 प्रतिशत तक कम हुये हैं। बाजरे की कीमत में भी 18.4 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार दालों के मूल्य भी 18.4 प्रतिशत गिरे हैं। ये आंकड़े रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के प्रकाशनों से लिये गये हैं।

अतः, मेरा कहना यह है कि सरकार द्वारा अपनाई गयी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये विभिन्न पगों के फलस्वरूप पहली बार कई महीनों से मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। मुख्य रूप से बहुत अच्छी फसल होने की आशा से मूल्य, विशेष रूप से मूंगफली के तेल, डालडा या खाद्यान्नों और यहां तक कि कपास के मूल्यों में भी गिरावट होने लगी है और इसके परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने लगा है। अतः प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि संकट की घड़ी गुजर चुकी है।

जब तक बिजली, खाद्य, उर्वरक कोयला और परिवहन जैसे नाजुक क्षेत्रों में उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता, तब तक इन क्षेत्रों में सुधार नहीं लाया जा सकता।

सरकार ने सीमेंट, कागज, चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिय प्रयास किये है। जब तक हम उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिये गंभीरता से नीति का पालन नहीं करते तब तक हम मूल्यों में स्थिरता लाने में समर्थ नहीं हो सकते।

मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिये अपनी सस्थागत तथा संगठनात्मक प्रबन्धों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सरकार की नीति कृषि क्षेत्र, कृषि कार्यो, सरकारी परिवहन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करना है और केवल उन्होंने लोगों पर आर्थिक भार डालना है, जो उसे वहन कर सकें। अतः, हमें ऐसी नीति अपनानी है जो कि सुव्यवस्थित हो तथा अच्छे परिणाम देने वाली हो। इसे इस ढंग से नियमित किया जाना चाहिये ताकि यह समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में समर्थ हो।

मेरे विचार में एक कठिन स्थिति का सामना करने के लिये सरकार को बधाई दी जाती चाहिये। मुझे आशा है कि श्री बनर्जी अपने स्थगन प्रस्ताव को वापस ले लेगें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Shri Bhagat has claimed that grain condition is not prevailing in the country and the Government have successfully overcome over the grain conditions. But the facts do not confirm this claim. The loss of production due to crop failure resulting from recent drought is only to the extent of 4 percent whereas the price rise is to the extent of 24.1 per cent. Therefore it is wrong to say that the recent rise in prices is due to factors like drought, the Bangla Desh struggle or the war with Pakistan. We have recovered more money from the Public than the money spent on displaced persons of Bangla Desh.

The main reason for the price rise is the increase in the money supply. There has been 18 per cent rise in the money supply whereas there has been only 1½ per cent rise in G.N.P. There is no check on deficit financing and the unproductive expenditure of the Government. If such things are done, nobody can check the rise in prices.

We had demanded that the Reserve Bank should be converted into an independent monetary authority. The Parliament of the country should be consulted before resorting of deficit financing. The recommendations of the Reserve Bank are not implemented. Huge amount of money is allowed to be freely pumped into market, because of which scarcity of consumer goods have been effected. When the production of luxury goods has been increased by 30 per cent, the production of the consumer goods has fallen. A parallel economy of black money has been working.

The prices of rice, wheat etc. from Fair Shops have been increased on the plea of the rise in the procurement price to the farmers. Government itself is responsible for increasing many essential commodities. The procurement price of Jowar in Maharashtra has been raised by 15 per cent, whereas the issue price has been raised by 44 per cent. Similarly, there has increase in the production of cloth and sugar during this year, the manufacturers have been allowed to increase the prices of both the products whereas there was no justification for this.

The prices of coal also have been increased. After nationalisation of coal, the production should have been increased, but it has been decreased, while its prices have gone up. Similarly fertilizers are in short supply, but its prices have gone up. This would also effect adversely on the production of wheat next year. Who is responsible for this.

The Government are playing with the lives of the people. They have repeating this thing in taking over of the wholesale trade of wheat, although its decision in this regard was wrong. It is good that the decision of rice take over has not been implemented.

If we want to improve our economy, we should create conditions for increased production. I warn that discontentment is being created, it can turn into a very ugly situation and can endanger even the democracy.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): It is true that there has been rise in the prices of consumer goods and because of this a serious situation is prevailing in the country. We are passing through very complex conditions. The crisis in the international sphere have also got its effect on the country. The recent rise in petrol was an example of this over which Government had no control.

We should admit that there are certain antisocial elements in the society which have exploited the present situation and created conditions of artificial scarcity and thus created difficulties for the people. We should create a strong public opinion against such people and we should also take stringent action against them.

Although the production of a number of articles have increased but their prices have gone up. This clearly shows that we would have to revise our present priorities.

We see that even now the effluent sections of the society have got much more, while there are still a large section of our population who are still unable to make both ends meet. Therefore it is necessary for a developing country like ours that there should be an efficient and effective distribution system so that the poor man may get in time the consumer goods at fair price.

We should demand that until we are in position to give the minimum wage to a poor man, no one should be allowed any increase in his pay. Government should take all possible steps to crush black money otherwise it would have adverse effects on our economy.

We should reconsider about deficit financing. There should be some control on the production of non-essential goods and for that we would have to reallocate our priorities. The distinction system would have also be streamlined and strengthened. We would have to play certain loopholes in the take over of wholesale foodgrains trade. although we have no doubts about this policy of the Government.

No doubt the situation was complex, but there should be no cause of panic. In spite of this complex situation Government has made all efforts to tackle this situation and I am confident that would be able to overcome the present crises and thus they would have full control over this rise in price.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : आज देश तेल संकट का सामना कर रहा है । यह प्राकृतिक संकट नहीं है, अपितु एक कृत्रिम संकट है । देश पहले ही आर्थिक उथल पुथल में से गुजर रहा है । गरीब और भी गरीब होता जा रहा है । देश की आर्थिक प्रगति लगभग रुकी हुई है । प्रत्येक वस्तु का अभाव है । न तो उचित उत्पादन हो रहा है और न ही समान वितरण किया जा रहा है ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

गत एक वर्ष में थोक मूल्य 20 प्रतिशत बढ़े हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 95 प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं । सरकार कहती है कि हमें युद्ध लड़ना पड़ा तथा बंगलादेश से आये शरणार्थियों के खर्च का भार भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान में, जिसके साथ हमारा युद्ध था, गत दशक में मूल्य केवल 45 प्रतिशत बढ़े है, जबकि हमारे यहां 95 प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं । देश की 40 प्रतिशत जनता का जीवन निर्वाह निर्धनता बिन्दु से भी कम है । हमें समाजवाद का वचन दिया गया था, किन्तु उसे पूरा नहीं किया गया है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ गये हैं । ऐसा एक अध्यादेश द्वारा किया गया है । यह एक तरह से कराधान का मामला है । पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संघ ने कच्चे तेल का मूल्य 17 प्रतिशत बढ़ा दिया है । इसका अर्थ यह हुआ कि पेट्रोल का मूल्य 7 पैसे प्रति लिटर और मिट्टी के तेल का 8 पैसे प्रति लिटर बढ़ना चाहिये था। परन्तु पेट्रोल का मूल्य 1.07 रुपये प्रति लिटर बढ़ाया गया है मिट्टी के तेल का 28 पैसे प्रति लिटर। भारत को इस मूल्य वृद्धि से प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये अधिक देने होंगे, किन्तु सरकार को प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की आय होगी।

कुछ लोगों का यह विचार है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है । शीघ्र ही चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं । इसके अतिरिक्त बहुत से उपचुनाव रुके हुये हैं । चुनाव अभियान के लिये सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त संसाधन हैं और लोगों का विचार है कि वह विरोधी दलों को चुनावों में कठिनाई में डालना चाहता है, क्योंकि विरोधी दल पेट्रोल के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो जाने से अधिक जीपों तथा अन्य गाड़ियों का उपयोग करने के लिये अधिक धन व्यय करने में समर्थ नहीं हो पायेंगी। पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने का क्या औचित्य है ।

सरकार यह तर्क प्रस्तुत करती है कि यह वृद्धि पेट्रोल के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिये की गयी है । इससे खपत में कमी होने की बात गलत है । सड़क यातायात की लागत बढ़ जाने से सब्जियों सहित सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। यदि सरकार पेट्रोल की खपत को कम करना चाहती है, तो उसे इसका राशन कर देना चाहिये ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठन सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमें अभी भी 160 लाख टन कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, हालांकि देश में पर्याप्त क्षमता विद्यमान है । हमारे एक अधिकारी ने कहा कि गहरे समुद्र तट पर एक

लाख वर्ग मील के क्षेत्र में तेल निकाला जा सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंण्डिया इस बारे में क्या कर रहे हैं? जब हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, तब हम तेल में आत्मनिर्भर होने के लिये उनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?

ईधन नीति समिति का क्या हुआ? सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तथा मालविया समिति ने कई पग उठाने के लिये सिफारिशें की हैं। सरकार को कम से कम अब तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये।

सरकार तेल की खोज करने तथा आयातित तेल का मूल्य निश्चित करने में नितान्त असफल रही है। मूल्य वृद्धि को रोकने की बजाय वह स्वयं इन्हें बढ़ा रही है। इसलिये मेरे विचार में इस सरकार की सार्वजनिक रूप से निन्दा की जानी चाहिये।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : यह स्वाभाविक है कि वित्त मंत्री महोदय माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई मुख्य बातों का उत्तर देंगे। किन्तु मैंने यह सोचा कि माननीय सदस्यों द्वारा कृषि मंत्रालय के संबंध में उठायी गई कुछ बातों का उत्तर मुझे देना चाहिये।

जैसा कि सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में मूल्य वृद्धि का एक प्रमुख कारण कृषि उत्पादन की कमी है। मैं यह नहीं कहता कि इसका केवल यही एक कारण है। इसके अन्य आर्थिक तथा वित्तीय कारण भी हैं। किन्तु इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकमात्र कारण देश के बहुत बड़े भाग पर पड़ा गम्भीर सूखा है।

सौभाग्यवश इस वर्ष सरकार के प्रयत्नों, प्रकृति के अनुकूल होने और अन्य कारणों से बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना है। गतवर्ष, जो मूल्य वृद्धि के कारण थे, वे इस वर्ष नहीं रहे। खरीफ फसल बहुत अच्छी होने की सम्भावना है। जहां तक देश की कृषि संबंधी स्थिति का संबंध है, मेरे अनुमान के अनुसार यह वर्ष स्वतन्त्रता के बाद के बहुत अच्छे वर्षों में से एक है। इस वर्ष रुई तथा तिलहनों की फसल भी अच्छी हुई है। इससे मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

बेशक वसूली की स्थिति भी बेहतर है। अच्छी फसल के आधार पर हमने 50 लाख टन चावल और 16 लाख टन मोटे अनाज की वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। देश के कुछ भागों में चावल बाजार में आने लगा है। वसूली के काम को बहुत ही उत्साहजनक होने के कारण यह पता चलता है कि कृषि के द्वारा हमारी अर्थ व्यवस्था को बल प्राप्त होगा।

किन्तु जहां तक कृषि उत्पादन की मूल्य नीति का संबंध है यह बहुत ही सुदृढ़ है। यह कृषि उत्पादन संबंधी नीति इस सभा के समर्थन से अपनायी गयी है।

मेरे माननीय मित्र श्री बाजपेयी का यह अनुमान गलत है कि इस वर्ष मूल्य 1966–67 की अपेक्षा अधिक बढ़े हैं। यह वर्ष एक भिन्न वर्ष रहा है। तथ्य यह है कि 1966–67 में जितने खाद्यान का का आयात हमने किया था उतना इस वर्ष नहीं हुआ। 1966–67 में हमने 100 लाख टन का खाद्यान्न का आयात किया जबकि इस वर्ष 27 लाख टन से अधिक नहीं हुआ। इतने सीमित आयात के बावजूद भी मूल्य उस सीमा तक नहीं बढ़े हैं जितने 1963–67 में बढ़े थे। 1966–67 की तुलना में 1972–73 में कुल मूल्य वृद्धि कम ही हुई है। यह बात सच है कि हम अपने प्रयासों में अधिक निर्भर रहे हैं और हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत बहुत अधिक आयात करने का प्रयास भी नहीं किया।

ऐसी बात नहीं है कि कठिनाइयां नहीं थी, कठिनाई तो रही। किन्तु देश के इतिहास में पहली बार हमने अपने प्रयत्नों पर भरोसा करके खाद्य संबंधी अर्थ व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया है तथा हम कमी वाले राज्यों को एक काफी सीमा तक सहायता देने में सफल हुये हैं।

गत 4 या 5 वर्षों की तुलना में 1973 में सबसे अधिक खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण पद्धति के द्वारा दिया गया। यह भी हमारी कम सफलता नहीं है, क्योंकि हमने अपनी स्थानीय वसूली में निर्भर रहे हैं और कम आयात करने का प्रयास किया है।

यहां यह भी कहा गया है कि मूल्यों में, जो वृद्धि की गई वह सर्वथा अनुचित और अनावश्यक थी। इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि इस सभा में लगभग सभी सदस्यों ने यह मांग की थी कि वसूली के मूल्यों को अनिवार्य रूप से बढ़ा दिया जाये।

सरकार ने किसानों को उचित और लाभप्रद मूल्य देने का निर्णय लिया है। यदि सरकार केवल वसूली मूल्य बढ़ाती है और बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाती तो सरकार को बहुत बड़ी राज सहायता देनी पड़ती अथवा उसे घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ता और यह निर्धन वर्ग के हित में नहीं होता अतः सरकार ने वसूली मूल्य बढ़ा दिया है। इससे वसूली की मात्रा ही नहीं बढ़ी बल्कि उत्पादन का रुख भी बदला है। मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय आवश्यक और राष्ट्रीय हित में हैं। यदि सरकार वसूली मूल्य न बढ़ाती तो वह अपने कर्तव्य न निभा पाती।

ऐसा भी कहा गया है कि कि बिक्री मूल्य वसूली मूल्य के अनुरूप नहीं बढ़ाया गया है। यह बात सच नहीं है। बताया गया है कि कुछ राज्यों ने अधिक मूल्य पर अनाज बसूल किया है जिसका भारत सरकार के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है हम देश भर में समान मूल्यों पर अनाज की बसूली करते हैं। चावल और मोटे अनाज दोनों का बिक्री मूल्य भी समान ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मारकिट में गेहूं के मूल्य 180 से 190 डालर के बीच है और हम राज्य सरकारों को गेहूं 78 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देते हैं जिसके फलस्वरूप बहुत मात्रा में राज सहायता देनी पड़ती है और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। अतः सरकार ने सारे निर्णय सब बातों पर विचार करने के बाद लिये हैं। यह वर्ष कृषि के लिये एक अच्छा वर्ष है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सरकार ने डावांडोल कर दी है। इसे चलाने में जिम्मेदारी की भावना नहीं अपनाई जा रही है मुद्रास्फिति बढ़ती ही जा रही है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुये कोई भी माननीय वित्त मंत्री त्याग पत्र दे देता। देश की इस प्रकार की स्थिति सरकार के ही कारण है।

सरकार जो कुछ भी कहती है कार्य उसके विपरीत ही करती है। सरकार के नियंत्रण के बावजूद भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। दूध, चावल और गेहूं के मूल्य बढ़ गये हैं। सरकार ने पहिले अधिक बसूली मूल्य क्यों नहीं दिया? यदि देश में मूल्य बढ़ा दिया जाता तो फिर खाद्यान्नों के लिये हमें 85 डालर की जगह 100 डालर नहीं देना पड़ता। सरकार को उस समय विरोधी पक्ष की बात पर ध्यान देना चाहिये था। किन्तु यह सरकार किसी की नही सुनती।

पेट्रोल तथा मिट्टी तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। मिट्टी के तेल के मूल्य वृद्धि द्वारा करोड़ों लोग प्रभावित हुये हैं। ट्रोल के मूल्य में 60 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसका अर्थ यह है कि अन्य

राजनैतिक दल चुनाव आदि के लिये जीपें तथा मोटरकारों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास काला धन नहीं है । यदि सरकार यह चाहती है कि पैट्रोल की खपत समाप्त की जाये तो फिर इसका एकमात्र तरीका यही है कि इसकी राशनिंग कर दी जाये सरकार इसका राशनिंग नहीं करेगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि विरोधी दल भी सत्तारूढ़ दल के समकक्ष हों जिसके पास बड़ी मात्रा में कालाधन है ।

1966 में किये गये निर्णय के अनुसार समुद्र तल से तेल की खोज का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है । यदि 1966 में टेनेको के साथ किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाता तो हम समुद्र तल से तेल निकालने की स्थिति में होते ।

जो तरीके आज अपनाये जा रहे हैं उनके द्वारा खपत कम नहीं की जा सकती क्योंकि 50 प्रतिशत खपत सरकारी परिवहनों द्वारा की जाती है और इसके अतिरिक्त इसकी अधिकांश खपत उन लोगों द्वारा की जाती है किनके पास कालाधन है तथा वे जितना चाहें पैट्रोल रख सकते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं दो अथवा तीन मिनटों में समाप्त कर लूंगा ।

सभापति महोदय : मैंने इन्हें 15 मिनट दिये थे जबकि केवल पांच ही मिनट दिये जाने चाहिये अब श्री अन्नीकृष्णन् बोलें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लेकिन मुझे अपना भाषण समाप्त करना होगा ।

सरकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं का भी मूल्य बढ़ाया है जिसका सारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा । इस्पात तथा परिवहन के मूल्य में वृद्धि कर दी है । इसका कई प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार की आशा के अनुसार रबी की फसल नहीं होगी क्योंकि बिजली और उर्वरकों की कमी होने जा रही है ।

सरकार क्या यह चाहती है कि लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुऐं उचित मूल्यों पर जनता को उपलब्ध हों ? देश को इस बात का पता चलना चाहिये कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय उत्पादन तथा मुद्रा सप्लाई के बीच संतुलन बनाता है अथवा नहीं ।

सरकार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या कर रही है ? सरकार को आवश्यक वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना चाहिये ।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार सौ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण करने से क्यों संकोच कर रही है यदि सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास सौ रुपये के नोटों की भरमार है ।

श्री के० एो० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : प्रो० श्यामनंदन मिश्र ने बहुत सी गलत बातें कही हैं । इन्होंने संसदीय संस्थाओं का समर्थन करने की बजाय प्रजातंत्र और समाजवाद के लिये प्रधान मंत्री को चुनौती दी है (**व्यवधान**) ।

इस सदन में किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि स्थिति इतनी गम्भीर है (**व्यवधान**)

विरोधी दल देश की अर्थ व्यवस्था का राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। समूचे विपक्ष का कार्य विवादपूर्ण रहा है।

जब वसूली कीमतों में 30 से 32 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो स्वभावतः निर्गमन मूल्यों को भी बढ़ाना पड़ता है और फिर हमें कहा जाता है कि "आपने निर्गमन मूल्यों को बढ़ा दिया है"। मैं सदन से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के लिये निर्गमन मूल्यों में वृद्धि करने के अतिरिक्त और क्या विकल्प हो सकता था।

काले धन के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से काला धन और बढ़ेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से कौन डरता है? केवल 500,000 मोटरगाड़ी वाले लोग जिन पर आप उनके समर्थन के लिए निर्भर हैं। मैं इस सरकार के साहस का स्वागत करता हूं जिसने पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर विशिष्ट वर्ग की पेट्रोल खपत को रोकने के लिए कदम उठाया है और आर्थिक नीति को नया रूप दिया है।

ग्रामीण जनता मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करती। मिट्टी के तेल तथा डीजल के मूल्यों में लगभग 40 प्रतिशत का अन्तर है और यही काले धन का वास्तविक स्रोत है। इस नीति का अंतिम लक्ष्य काले धन को निकालना है। पेट्रोल का राशन करने का सुझाव दिया गया है पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। पेट्रोल पर लगाए गए इस कर से सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क प्राप्त होगा। इससे संसाधनों को जुटाने में सहायता भी मिलेगी यह उचित दिशा में एक उचित कदम है। यदि आप योजना सफल बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के कठोर निर्णय हमें अपनाने होंगे।

माननीय सदस्य श्री ए० पी० शर्मा ने हड़तालों के प्रश्न का उल्लेख किया। इस देश में श्रमिकों में भी एक नई सामन्तशाही विकसित हो रही है। वे श्रमिक वर्ग को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें समाजवाद के दुश्मन बना रहे हैं। वास्तव में वे वास्तविक श्रमिक वर्ग के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने स्थिति के इसी पहलू का कल हमारे दल की बैठक में उल्लेख किया था कि हमारा नया दृष्टिकोण होना चाहिये तथा नई श्रम नीति होनी चाहिये। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि श्रमिक वर्ग के नेता साहस करें और कहें कि जो कुछ मिल रहा है, वह पर्याप्त है।

आज मुख्य समस्या संसाधन जुटाने की गति बढ़ाने की है। बढ़ाए गए वसूली मूल्य से किसानों को 300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यदि ऐसा है, तो फिर राज समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने का कोई कारण नहीं हो सकता। पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों के हाथों में अत्यधिक धनराशि आएगी। हम निश्चित ही यह नहीं चाहते कि उनके हाथ में जो धन आये वे उसे यों ही फिजूलखर्ची में उड़ा दें। इसके लिये समाज के सभी वर्गों में वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। यह सब कुछ सामाजिक वर्गों के हितार्थ किया जा रहा है ताकि हमारे समाज के पुनर्निर्माण के लिये प्रयास किये जा सकें और अधिक प्रगति की जा सके। मैं आशा करता हूं कि इसके लिये सामूहिक प्रयास किये जाएंगे और मैं अपने मित्रों से इस महान कार्य में सहयोग देने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : स्थगन प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव होता है और मैं समझता हूं कि सभा सरकार की असफलताओं के लिये इसकी निन्दा करना चाहती है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

पिछले सत्र में हमने मूल्यों की वृद्धि की समस्या पर तीन चार बार चर्चा की और इस पर हमें फिर चर्चा की आवश्यकता इस कारण पड़ रही है क्योंकि मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यह सरकार मूल्यों को कम करने या स्थिर करने के लिये कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को एक लेखा भेजा है पर चूंकि इसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से नहीं है, मुझे आशा नहीं है कि वह उनके द्वारा पढ़ा भी गया हो।

सबसे पहली चीज है कि बचत की जाये। आप प्रशासन सम्बन्धी व्यय को कम करके तथा गैर-उत्पादन योजनाओं को बंद करके बचत कर सकते हैं। फालतू कर्मचारियों विशेष रूप से सुरक्षा कर्मचारियों से छुटकारा पाना चाहिये। इनकी संख्या दुगुनी चौगुनी दर से बढ़ रही है।

दूसरी बात उत्पादन के संबंध में है। उन लोगों पर से प्रतिबन्ध हटा देने चाहिये जो कि उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए। हम इसके लिये पिछले दशक से चिल्ला रहे हैं। ऐसी अवस्था में जबकि देश में इतनी भुखमरी है तो हमें उन लोगों को जोकि उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहिये।

किसी भी प्रकार की वस्तु का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। सरकार सरकारी क्षेत्र को तो अछूता छोड़ देती है, चाहे उसकी कोई भी परियोजना कितनी ही अलाभदायक क्यों न हो, चाहे वहां जितनी भी धोखाधड़ी हो रही हो और चाहे वहां की प्रबन्ध व्यवस्था कितनी ही असक्षम क्यों न हो। आंकड़ों को देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। सरकारी क्षेत्र में यदि सरकार 100 रुपया लगाती है तो उसे केवल 56 रुपये ही प्राप्त होते हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था कदापि नहीं होनी चाहिये। सरकार अब अधिक भार सहने की स्थिति में नहीं है। सरकार जिन नोटों को छापती है, उस पर भी विदेशी मुद्रा व्यय होती है क्योंकि नोट आयातित कागज पर छापे जाते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के करों को कम किया जाना चाहिये। निर्धन लोगों को खाने की वस्तुओं पर जो अप्रत्यक्ष कर लगाये गए हैं उन्हें वापिस ले लिया जाना चाहिये। छूट की सीमा 12,000 रुपये कर दी जानी चाहिये।

सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है किन्तु इस निर्यातक को जो विदेशों में जाकर आपके लिये मंडिया खोजता है आप 12 रुपये के डालर को $7\frac{1}{2}$ रुपये में बेचने के लिये कहते हैं और उस व्यक्ति को जिसे आप लाइसेंस देते हैं, 12 रुपये का डालर $7\frac{1}{2}$ रुपये में दे देते हैं। यह कैसी तुक है?

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। वहां की अर्थव्यवस्था में अब कोई जान नहीं रही है। देश के प्रत्येक जिले में संरक्षण योजना होनी चाहिये।

राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के बल पर ही हो सकता है। शिक्षा का बजट न केवल दुगुना तिगुना ही किया जाए अपितु इसे चौगुना कर दिया जाना चाहिये। शिक्षा पर व्यय की गई प्रत्येक राशि एक अच्छा निवेश है।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या आप यह सब कुछ करने में समर्थ हैं? उत्तर है, नहीं। अतः निष्कर्ष रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार शासन करने के योग्य नहीं है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को केवल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि तक सीमित रखूंगा। कच्चे तेल के मूल्य मे हुई वृद्धि के कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी है। 1970 से कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होती रही है किन्तु गत छः महीनों में कुछ अधिक ही वृद्धि हुई है। इस वर्ष फरवरी में यह 2 डालर 6 सैंट प्रति बैरल थी आज कल यह 3 डालर 86 सैंट प्रति बैरल है। अतः परिणामस्वरूप हमें कच्चे तेल को अधिक ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ा। गत वर्ष कच्चे तेल के आयात के लिए हमें 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी और इस वर्ष यह 500 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा देश निर्धन है और विदेशी मुद्रा के मामले में तो स्थिति और अधिक खराब है। अतः अब हमें यह सोचना है कि क्या हम अभी भी बढ़े हुए मूल्य पर अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीद सकते हैं अथवा नहीं।

तत्पश्चात् कच्चे तेल की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने आती है। क्योंकि हम कच्चा तेल पश्चिम एशिया के देशों, मुख्यतः अरब देशों और ईराक से खरीदते हैं। इन सब देशों ने संगठित होकर यह निर्णय किया है कि वे अब कच्चे तेल का अधिक मूल्य लेंगे। अतः वे अब एकपक्षीय रूप से इसका मूल्य बढ़ा रहे हैं। पहले कम्पनियां तथा सरकार मूल्य के बारे में द्विपक्षीय तौर पर निर्णय लेती थी। पर अब तेल उत्पादित करने वाले सभी देशों ने मिलकर एकपक्षीय निर्णय करने का फैसला किया है और उन्होंने कीमत को एक डालर से बढाने का निर्णय किया। 16 तारीख की सुबह इसकी कीमत 265 सैंट प्रति बैरल थी और 17 तारीख की सुबह यह बढ़कर 365 सैंट प्रति बैरल हो गयी।

मूल्य वृद्धि का राजनीतिक दबाब से कोई संबन्ध नहीं है। समाचारपत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए कि सऊदी अरब हमें तेल की सप्लाई कम कर रहा है जिससे हमें अशंका हो गई। किन्तु यह गलत सिद्ध हुआ क्योंकि महामहिम शाह फैजल ने स्वयं आदेश जारी किया कि भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। जहां तक मूल्य का संबन्ध है, वे सभी देशों से एक ही मूल्य ले रहे हैं। अरब देशों के साथ मित्रता होने के कारण हमें तेल की सप्लाई वैसी की वैसी बनी हुई है। दुर्भाग्य से हमारे जसे निर्धन देश क लिए हमें विचार करना चाहिये कि क्या हम इस बढ़ते मूल्य तथा आयात की बढ़ती हुई मात्रा खरीद सकते हैं ? चूंक मूल्य बढ गये हैं और हम इन मूल्यों पर अधिक मात्रा में तेल नहीं खरीद सकते, अतः हमें अपनी खपत में कमी करनी होगी।

अरब देशों के साथ हमारी मित्रता के कारण उन्होंने हमें तेल की सप्लाई में कमी नहीं की जब कि ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई में कमी की गई है। जापान को सप्लाई किये जाने वाले तेल में भी कमी की गई है, जबकि उनके सारे उद्योग तेल पर निर्भर हैं।

मूल्य वृद्धि कोई नई बात नहीं है। 1970 में शांति लाल शाह समिति ने यह बात स्वीकार की थी कि कच्चे तेल के मूल्यों का प्रभाव पेट्रोलियम उत्पादों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा और फार्मूला था कि 10 सैंट प्रति बैलर में वृद्धि से पेट्रोलियम उत्पादों में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी किन्तु इस बार हमारी समस्या थोड़ी भिन्न है। मूल्यों में वृद्धि हुई है और इसलिए हम अधिक तेल खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। हमें अपनी खपत में कमी करनी होगी।

पेट्रोल से बनी हुई वस्तुएं विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है और कुछ पेट्रोल उत्पाद ईंधन तेल, डीजल तेल और हल्का डीजल तेल आदि कृषि तथा औद्योगिक विकास के प्रयोग में लाए जाते हैं। देश में 90 प्रतिशत परिवहन कार्यों के लिए जैसे बसों, ट्रकों आदि में डीजल का प्रयोग

होता है इसलिए हमने सोचा कि हम डीजल का मूल्य न बढ़ाए। दो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है । एक मिट्टी का तेल है 30 लाख टन तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है बाकी 800,000 टन तेल हम आयात करते हैं तथा दूसरा पेट्रोल है । जहां तक मिट्टी के तेल का संबन्ध है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 40 से 45 प्रतिशत डीजल के साथ मिट्टी के तेल का मिश्रण किया जाता है । डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्य में 20 पैसे का अन्तर है । अतः मिट्टी के तेल को डीजल के तेल के बराबर मूल्य पर बेचना जनता के लिए लाभदायक होगा। ऐसे मिश्रण कार्यों से काला धन बढ़ता है । जब डीजल और मिट्टी के तेल का मूल्य समान होगा तो किसी भी व्यक्ति को दोनों के अपमिश्रण के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यही सोचकर हमने मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि की है ।

जहां तक पेट्रोल का संबन्ध हैं, इस देश में 5.40 लाख कारें तथा 70,000 टैक्सियां हैं । यह सही है कि पेट्रोल के मूल्य में हुई वृद्धि से कई लोग प्रभावित होंगे । 5.40 लाख कारों में से आधी से कुछ कम कारें सरकारी क्षेत्र या कम्पनी क्षेत्र में होगी। अतः जो लोग सीधे प्रभावित होंगे उनकी संख्या लग-भग $2\frac{1}{2}$ लाख होगी। हमारे सामने समस्या बहुत सीधी है कि क्या हम 60 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रख अथवा $2\frac{1}{2}$ लाख अमीर लोगों का ?

विदेशी मुद्रा बचाना और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करना राष्ट्रीय समस्या है । यह उन सभी देशों की राष्ट्रीय समस्या है जो पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं । अतः इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये । पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने से वसूल हुए धन का अथवा उसके एक बढ़े भाग का उपयोग शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विकास में किया जाएगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार पेट्रोल का राशन क्यों नहीं कर देती। मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : मंत्री महोदय ने पेट्रोल के राशन के बारे में कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): The hon. Minister has not given any satisfactory reply to various points in his speech. He says that there is no problem in importing the crude oil but we are short of foreign exchange.

[**Shri K. N. Tiwari in the chair**
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

The hon. Minister has stated that the increase in the price of petrol will not affect the common man. He has himself admitted that more than 50 per cent of the total consumption of petrol is done by the Government and the public sector. This price rise will certainly affect the common people.

It has been claimed that there are ample oil resources in the country. The Government has miserably failed so far as exploration of oil is concerned. The Government deserves condemnation for this failure.

The Government has reduced the newsprint quota and increased the price of petrol with an eye on U.P. elections. These increases will not affect the ruling party because it has got enough money but it will have an adverse effect on the opposition parties because their resources are limited.

The Finance Minister has said time and again that with the increased production the prices will fall. In our country there is price rise even when production increases. In 1972-73 season sugar production increased by 7 lakh tonnes but the price of sugar is 1½ or 2 times the price which prevailed last year.

Price of cloth has also increased.

The prices of cotton yarn went up two times and 2½ times. Seventy lakhs of weavers could not get the cotton yarn in time. Generally the index number is based on the prices of controlled cloth, but the prices of 90% of cloth has gone up between 30 to 70 per cent. The prices of all the commodities including sugar, kerosene and petrol have gone up.

The hon'ble Minister of Steel and Mines has stated that the production of Coal during the current year is more than that of the last year. Then what is the reason for cancellation of 250 trains and not only that some of the power stations are not getting coal in sufficient quantity. The reason for shortage of the Coal is due to a big scandal in allotment of wagons and people are earning nearly Rs. 2 lakhs daily due to this scandal. The search for oil could not cope with the distribution programme and that is why this programme has not been a complete success.

The excise duty over Jute was either reduced or was completely abolished and as a result, there would be a net loss of at least 18 crores of rupees. The prices of Jute goods also went up.

Shri Shinde has stated that the price increase of foodgrains in 1966-67 was higher as compared to 1972-73.

The rationing articles are sold in the black market. The shopkeepers have to pay a sum of Rs. 7/- and Rs. 15/- as bribe per bag of wheat and sugar respectively. There are three types of prices in the country—one at the fair price shops, the other statutory prices and third one, the actual prices.

The actual prices of tyres are double than the listed prices. When an industrialist was asked to pay collections for election funds, he offered 500 trucks as there is 10 to 15 thousand of rupees premium on each truck.

In January 1971, I had alleged that 550 jeeps were diverted to Congress Party from Defence Department and I had proved it also.

The black money income of five nylon yarn manufacturing Companies is ten lakhs of rupees a day. The reports of the four Tariff Commissions were suppressed for three years.

The prices could not be checked until there is a triangle of corruption i.e. Bureaucracy, politics and capitalism. The Government should check the wasteful expenditure. A building for D.G.S. & D. has been hired in South Extension at a rent of Rs. 22,000/- and a post of O.S.D. has been created for a retired Govt. officer so that he could streamline the D.G.S.&D. Not only that D.G.S.&D. has allowed 60% profit to the Defence contractors. If we are really interested in checking prices, the vicious circle of wasteful expenditure and profiteering should be done away with.

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : No body would deny the fact that there has been a price rise and decline in the production. But strikes, closure of factories, arson or adjournment motion are not the solution of price rise. We should unitedly and collectively think and find out the solution.

The price rise of food grains, Coal, Cement, Cloth and kerosene oil has put a heavy burden on the common man. The rise in prices of petrol would bring out the black money. The reactionary people are criticising the socialistic policies of the Government.

The people would have to adopt the way of simple living. If want to achieve the stability in our economy, there should be more production than the demand. The black money should be abolished and the Government should not be tempted to spend more. We should find a solution without indulging in party politics.

Shri P. G. Mavalankar (Ahmedabad): The present adjournment motion is regarding the price rise. In most of the speeches that are made here, there is always criticism of the Government, but no suggestion is put forward. It is our right to move adjournment motion and to criticise the Government, but we should also make certain suggestions.

The increase in the price of petrol would hit hard the middle class and the poor. The rich and the persons in authority may continue to consume the petrol as usual. The price like of petrol would adversely affect the prices of all the commodities as the transportation charges would go up.

The democracy can not be strengthened if the middle class is finished. The middle class has always been the backbone of any Community. The middle class has been hit very hard as a result of rising prices.

I would like to ask the Minister of Finance to tell the house about the measures which the government is going to take to check the rising prices, instead of telling about the world situation.

Whenever there is a price rise, the Government assures to stabilise the prices at that level, but the prices are not stabilised and that is why there is a continuous fall in the standard of living of the people.

I would like to ask every body here as to how much they spend in their elections and what is the source thereof. The excessive expenditure in elections also is one of the reasons of price rise.

It has become fashion today that only the people who talk about socialism are considered as progressive. The people who ask the Government not to take over each and every thing are also equally progressive and patriot.

I would like to submit once again that ideological approach should be given up by the Govt. and practicalble as well as concrete steps should be taken to check the rising prices.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भवनेश्वर) : पिछले डेढ़ साल के दौरान जिस दृढ़ निश्चय, साहस और शान्ति के साथ हमारी जनता ने कठिन परिस्थिति का सामना किया है, उसके लिए मैं उसे बधाई देना चाहता हूं ।

बम्बई से प्राप्त 10 नवम्बर के एक समाचार के अनुसार वनस्पति नियंत्रित मूल्य से भी कम कीमत पर बिक रहा था। इस मौसम में 68 लाख रुई की गांठों की भरपूर फसल होने की आशा है । चण्डीगढ़ से प्राप्त नवीनतम समाचारों के अनुसार पंजाब की मण्डियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4,35,292 क्विंटल धान की आवक के अपेक्षा 9,27,804 क्विंटल आवक हुई है । देश के विभिन्न भागों की मण्डियों से पता चलता है कि वहां भारी मात्रा में खाद्यान्न की आवक हुई है और जमाखोरों द्वारा अपना माल बाहर निकालने से कीमतों में कमी हो रही है ।

वर्ष 1964-65 से 1966-67 की अवधि के दौरान लगभग 330 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था। उस समय विदेशों से सहायता भी मिल रही थी। अब बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात बन्द कर दिया गया है और विदेशी सहायता भी कम की जा रही है। इस सन्दर्भ में, वर्ष 1965-66 की तुलना में आज कीमतें अधिक नहीं बढ़ी हैं।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रेल के महीने में 194.8 था, जो मई में बढ़कर 196.3 हो गया था। आशा है कि आगामी कुछ महीनों में इसमें और भी वृद्धि होगी।

नवम्बर, 1972 से अप्रेल, 1973 के बीच बैंक का ऋण बढ़कर 878 करोड़ रुपये हो गया था। व्यापारी समुदाय और कुछ लोगों ने इस राशि से आवश्यक कच्चे माल और कमी वाली वस्तुओं की जमाखोरी की। इससे मुद्रा-स्फीति की वर्तमान प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।

भारत सरकार द्वारा अपने खर्च में 400 करोड़ रुपये की कटौती करने सम्बन्धी अभी हाल के निर्णय और गेहूं तथा चावल पर राजसहायता समाप्त करने से मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति में कमी होगी।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने से सरकार को लगभग 200 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार को इसमें से अधिकांश राशि का गांवों और शहरों में आम परिवहन व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए उपयोग करना चाहिये।

अन्त में, मैं माननीय सदस्य से स्थगन प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : One side is closing its eyes from the realities and is not aware of the gravity of the serious situation prevailing in the Country whereas the other side is only criticising the Government but they have not made any suggestions for the improvement of the situation.

Essential Commodities like foodgrains, vegetable oil and kerosene oil are not available in the market even at high prices. Anything which the Government takes over disappears from the market. The takeover by Government is not the solution of the problem.

It has been argued that prices of kerosene has been increased, because it was mixed up with diesel oil. If that be so, the rate of water be raised so that it could not be mixed with milk. The prices of potato be raised so that it could not be mixed with ghee.

Mr. Vajpayee's philosophy also belongs to the bullock cart age. He has advocated the poverty of 1971 instead of 1972. He should have advocated the poverty of British time. Shri Piloo Mody has advocated unchecked and unrestricted production. If there is unrestricted production of all the commodities and no priorities are fixed, the Country can not progress.

Shri Piloo Mody has asked this Government to go, but this Government has spoiled the economy of the country to such an extent that nobody would be prepared to repair it. The people who had given the massive mandate, would themselves throw away this Government.

The Prime Minister's Buggi ride was a drama and a stunt. The Government is not feeling the gravity of the situation, otherwise it could have checked the wasteful expenditure to which the hon'ble Members had earlier pointed out. The situation is serious in other countries also, but they have taken concrete steps to check the rising prices. Our Government has not taken any such steps.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : विरोधी पक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अपनी सामान्य परम्परा को निभाया है । इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और उससे जनता के कमजोर वर्ग को भारी कठिनाई हो रही है ।

कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी का कारण प्राकृतिक विपत्ति है । पेट्रोलियम जैसे कुछ पदार्थों की मूल्य वृद्धि के अन्तर्राष्ट्रीय कारण हैं ।

विरोधी पार्टियों की गतिविधियों के कारण भी उत्पादन में कमी हो रही है ; क्योंकि ये पार्टियां हड़ताल कराती हैं, इससे उत्पादन में कमी होती है और चोर बाजारी को बढ़ावा मिलता है । इस्पात की बहुत ज्यादा मांग हैं, परन्तु बोकारों में हड़ताल करा दी गई। इस तथ्य कारणों के बावजूद हमारी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि समाज के कमजोर वर्ग के हितों को नुकसान न पहुंचे और उन्हें संरक्षण दिया जाय ।

इसी विशेष उद्देश्य के कारण ही डीजल तेल के मूल्य नहीं बढ़ाये गये । इसका मूल्य 7 पैसे बढ़ाया गया, किन्तु बाद में इसे 10 पैसे कम कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता रहा है कि लोक परिवहन का प्रयोग करने वाले समाज के कमजोर वर्गों के लोगों पर इसका प्रभाव न पड़े और कि लोक परिवहन के किरायों में वृद्धि न हो ।

इसके बावजूद, मूल्यों में वृद्धि हो जाने से समाज के ग्राम्य वर्गों, विशेषकर किसानों पर जो ट्रैक्टरों तथा डीजल पम्पों में डीजल का उपयोग करते हैं, इससे प्रभाव न पड़े । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो जाने के बावजूद कमजोर तथा ग्राम्य वर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गयी । यद्यपि समाज के एक विशेष वर्ग को कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के अधिक मूल्य देने पड़े, तथापि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कमजोर वर्गों, विशेषकर किसानों पर इसका कुप्रभाव न पड़े ।

इसी प्रकार उर्वरकों जैसे कृषि उत्पादों आदि के मूल्य भी बढ़े हैं । गैहूं, चावल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के कुछ मूल्य इस लिए बढ़ाये गये ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सकें और साथ ही यह ध्यान भी रखा गया कि उपभोक्ताओं, विशषकर समाज के कमजोर वर्ग के लोग इस से प्रभावित न हों ।

यह पहली बार है जबकि संकट पूर्ण वर्ष में 94 लाख लोगों को रोजगार दिया गया । इसके लिये सरकार बधायी की पात्र है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हम इस संकट को दूर करने में समर्थ हो जायेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजरी) : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समाज के कमजोर वर्ग इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित नहीं हुए हैं । केरल में राशन व्यवस्था अस्तव्यस्त हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय खाद्यान्न निगम ने सरकार को अग्रिम खाद्यान्न देने से मना कर दिया है । सरकार ने पड़ोसी

राज्यों से इस राज्य में खाद्यान्न लाने पर प्रतिबन्ध लगा कर अच्छा कार्य नहीं किया है । वहां मूल्य वृद्धि इस लिये हुयी है, क्योंकि सरकार ने उतना चावल नहीं दिया जितना उसने देने का वचन दिया हुआ है । इसी कारण चोर बाजार में भी मूल्य वृद्धि हो गयी है ।

सरकार का यह कहना ठीक नहीं है कि जितनी वसूली मूल्य में वृद्धि हुई है, वही कुछ उपभोक्ता से वसूल किया जा रहा है । क्या वसूली मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है ? यदि क्षेत्रीय पद्धति को लागू नहीं किया जाता और अन्य राज्यों से खाद्यान्न लाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो केरल में स्थिति और भी बिगड़ जायेगी ।

वास्तव में यह बड़ी विचित्र बात है कि मूल्य वृद्धि का समर्थन किया जा रहा है । यदि उर्वरक उपलब्ध नहीं तो उत्पादन में वृद्धि कैसे की जा सकती हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि में केवल अमीर लोगों पर प्रभाव पड़ा है । इसका गरीब लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है वास्तव में इस मूल्य वृद्धि से समूचे देश पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है । यह बात सही है कि अरब देशों ने पट्रोल के मूल्य बढ़ा दिये हैं । लगभग एक रुपया प्रति लिटर की मूल्य वृद्धि का औचित्य बिल्कुल भी नहीं है । अनेक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । इस मूल्य वृद्धि से उन लोगों का क्या हाल होगा जो भुखमरी का जीवन बिता रहे हैं । मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि लोगों के लिये गुजारा करना कठिन हो गया है । मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये और लोगों को इस संकट, से बचाया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चहाण) : गत एक वर्ष के दौरान हम मूल्य वृद्धि की इस समस्या पर तीसरी या चौथी बार चर्चा कर रहे हैं । यदि हम मूल्यों की समस्या का समाधान करना ही चाहते हैं, तो हमें इस समूचे प्रश्न पर राष्ट्रीय , आर्थिक एवं राजनैतिक परिपेक्ष्य में विचार करना होगा । जैसा कि हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि आन्तरिक तथा बाह्य कारणों से हुई है ।

यह जीवन का एक तथ्य बन चुका है कि हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिये कुछ सीमा तक अन्य देशों पर निर्भर हैं । उर्वरकों, कच्चा तेल, इस्पात तथा अलौह धातु के मूल्य विश्व बाजार में बढ़ते रहे हैं । ये वस्तुऐं हमारे उत्पादन के लिये आवश्यक हैं और इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा है ।

बेशक मूल्य वृद्धि के आन्तरिक कारण भी है । उदाहराणार्थ कुछ ऐसा कारण है जिनका मांग पर दबाव है और कुछ का सप्लाई पर । मोटे अनाज, तिलहन जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन में सप्लाई के कारण कमी हुई है । विशेषकर तिलहन, के कारण मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । सदस्यों द्वारा बताये गये अन्य कुछ कारणों को हम स्वीकार करते हैं । श्री मावलंकर यह चाहते है कि मैं यह बताऊं कि उचित रूप से मूल्य समस्या का समाधान करने के लिये कौन-कौन से पग उठाये गये । उठाये गये पगों में से एक पग यह है कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे व्यय में लगभग 400 करोड़ रुपये की मितव्ययता होनी चाहिये । हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वह अपने-अपने व्यय में लगभग 100 करोड़ रुपये की मित्व्ययता करें ।

मैं लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने गम्भीर कठिनाईयों का सामना करके हमारी सहायता की है । विरोधी दलों ने नाजुक आर्थिक स्थिति का विस्फोटक उपयोग करने का भरसक प्रयास किया । किन्तु लोगों ने उन की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया । श्री शमीम ने कहा है कि इस बारे में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि समस्या का समाधान करने का इरादा नहीं था (**व्यवधान**) मैं

एक सूची प्रस्तुत कर सकता हूं कि गत कुछ महीनों में मूल्य नहीं बढ़े हैं.....इस का परिणाम यह निकला है कि हम इस देश में राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखने में सफल रहे हैं और इस स्थिरता का उपयोग हमने औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये किया है। हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलने लगे हैं।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : आप का यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोगों ने रचनात्मक रूप से व्यवहार किया और विरोधी दलों ने उन्हे उकसाने का प्रयास किया।

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगूडा) : ऐसे राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लागू हैं जहां एक दल बहुमत में है। क्या यह राजनीतिक स्थिरता का एक उदाहरण है।

श्री यशवंत राव चव्हाण : जो कुछ मैंने कहा है उसका आर्थिक स्थिति से कुछ भी संबंध नहीं है **(व्यवधान)**। हमने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कई पग उठाये हैं। बक की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गयी। और कुछ निश्चित क्षेत्रों को ऋण देने के अतिरिक्त वाणिज्यक बैंकों को ऋण देने की न्यूनतम दर निर्धारित कर दी गयी है। इसके साथ ही सांविधिक आरक्षण को भी बढ़ा दिया गया है। इन पगों से 400 करोड़ रुपये की धनराशि जुटायी जासकी है।

सप्लाई को बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर खाद्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार के तेलों का आयात करना पड़ेगा। जनवरी से सितम्बर 1973 तक की अवधि के दौरान 21 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा है। 17 लाख टन का और आयात करना पड़ेगा। आप सब जानते ही हैं कि रूस ने 20 लाख टन गेहूं देने की पेशकश की है। यह उपयुक्त समय पर देश में पहुंचने लगा है। कुछ अभावों तदा कुछ आन्तरिक कारणों के कारण ही मुख्यतः मूल्य बढ़े हैं।

कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री द्वारा हमारे दल की कल हुई बैठक में कही हुई उस बात का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कठिनाईयों के दिन अब गुजर गये हैं इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमने समस्या पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। अभी समस्या तो मौजूद है किन्तु इतनी गम्भीर नही है जितनी कि पहले थी। हम देख रहे है अच्छी फसल तथा इस देश में खद्यानों की उपलब्धता के कारण तिलहनों, बाजार और गेहूं के मूल्य कम हुयें हैं।

यदि मैं तुलना करने के लिये उपलब्ध कुछ आंकड़ों का उल्लेख कर सकूं, गेहूं, के मामले में, उदाहरणार्थ.....**(व्यवधान)** समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में तिहलनों के मूल्य गिरने से, जो मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण था। इससे इस विशेष प्रवृति का पता चलता है कि आवश्यक वस्तुएं मिलने लगी हैं, जिनके अभाव ने हमारे लिये समस्यायें पैदा कर दी थीं। इस का अर्थ यह हुआ कि निश्चय ही हम बहत खराब स्थिति को पार कर चुके हैं **(व्यवधान)** लोगों के मन में विश्वास पैदा होता जा रहा है और यह बात आप को अशान्त किये हुये है।

शरद ऋतु की फसल अच्छी होगी, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार होगा, मझे विश्वास है **(व्यवधान)**

Mr. Speaker- He has listened to you. Now you should listen to him.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इस आशा जनक प्रवृति को देखते हुये मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य सुधार होगा....(**व्यवधान**)। मैं यह नहीं कह सकता कि मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आयेगी। किन्तु निश्चय ही इस दिशा में प्रयास किये जायेंगे (**व्यवधान**) हमारा उद्देश्य और मूल्य वृद्धि को रोकना होगा। यह वह नीति है जो हम मूल्यों पर नियंत्रण तथा स्थिर करने के लिये अपना रहे हैं....(**व्यवधान**)।

मैंने कुछ पगों का उल्लेख किया है जो हम ने उठाये है....हम गत वर्ष के दौरान मूल्यों की समस्या का समाधान करने के बारे में सोचते रहे। मैं आप को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रति मास क्या मूल्य रहे हैं। यदि आप समस्या को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं किन्तु आप इसे समझना ही नहीं चाहते है, तो मैं क्या कर सकता हूं (**व्यवधान**) हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्य और न बढ़े और सम्भवत मूल्य स्थिर करने पढ़े। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं (**व्यवधान**) अब मैं उन पगों का उल्लेख करना चाहता हूं जो हमने उठाये हैं। विरोधी दलों द्वारा दिया गया एक तर्क यह है कि सरकार ने मूल्यों में कमी करने के स्थान पर स्वंय मूल्य वृद्धि करना आरम्भ कर दिया है। इसके लिये उन्होंने वितरण मूल्यों तथा पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख किया है। हमने उत्पादक के लिये मूल्य वृद्धि इसलिये की है कि खाद्यान्न अब उपलब्ध होने लगे। आज जो इस बारे में सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्ही ने स्वंय कहा था कि किसानों और उत्पादकों को उचित मूल्य दिये जाने चाहियें। (**व्यवधान**)। अब हमने उत्पादक के लिये वसूली मूल्य बढ़ाये हैं ताकि खाद्यान्न सरलता से उपलब्ध हो सकें। वसूली मूल्य में वृद्धि से मोटा अनाज तथा चावल अधिक मात्रा में मिलने लगेगा....। (**व्यवधान**) मोटे आनाज के मूल्यों में कमी का मुख्य कारण खाद्यानों की उपलब्धता की सम्भावना है क्योंकि सरकार ने उत्पादकों को अधिक मल्य देने की पेशकश की है.... (**व्यवधान**) इन पगों से अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। पेट्रोल मूल्यों के संबंध में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री...(**व्यवधान**)

Mr. Speaker: Please take your seat so that other member may listen.

श्री यशवंत राव चव्हाण : उन्हें आयकर से कम करने को लाभ मिलेगा। किन्तु मैं यह सूचित कर दूं कि हम यह विचार कर रहे है कि आय-कर अधिनियम में किस तरह संशोधन करे जिससे व्यय के प्रयोजन से लाभ उठाय जा सके।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाने से अधिक राजस्व प्राप्त होगा जिसके उचित अंश को लोक परिवहन पद्धति पर खर्च किया जायेगा।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : पिछली बार हमने मूल्य पद्धति पर चर्चा की थी और वही उत्तर आप अब दे रहे हैं। मैं श्री चव्हाण से अपील करता हूं कि आप गतिशील उत्तर दें। सरकार ने गेहूं, चवल, बाजरा, मिट्टी के तेल तथा दूध आदि के मूल्य निर्धारित किये हैं।....(**व्यवधान**) यह सीधा सादा प्रश्न है। आप वही उत्तर बार-बार क्यों देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं इस समय पेट्रोल मूल्य के बारे में उत्तर तथा सूचना दे रहा हूं जोकि एक नयी बात है। में यह उत्तर दे रहा हूं कि मूल्य वृद्धि उससे काफी कम हुई है जितनी कि पहले हुई थी....(**व्यवधान**)मैं आपको तथ्य बता रहा हूं तथा मैं आपको अधिकृत सूचना, जो हमें प्राप्त हई है, दे रहा हूं।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : प्रत्येक वस्तु की कीमतें बढ़ गयी हैं।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैंने सब कुछ बता दिया है

(Interruption).

Mr. Speaker: Please don't make noise.

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है मैं स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन कर रहा हूं और में केवल यह कह रहा हूं कि स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है और यदि ऐसा होता रहा, तो भविष्य में और अधिक सुधार होगा। इस स्थिति का निराशाजनक दृष्टि कोण नहीं अपनाना चाहिये और मेरे विचार में इसी प्रकार सुधार जारी रहा, तो हम कठिनाइयों से निकल आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी को उत्तर देने का अधिकार है। श्री एस० एम० बनर्जी

Please don't make so much noise. Let him speak.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं श्री बनर्जी से जनना चाहता हूं कि क्या इस देश के 50 प्रतिशत लोग, जो निर्धनता बिन्दु से कम का जीवन बिता रहे हैं और बहुत ही गरीब हैं, इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित हुये है अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि वह इसका विशेष रूप से उत्तर दें **(व्यवधान)**।

Shri S. N. Banerji (Kanpur) : I have listend to the speeches of the three hon. Ministers.....**(Interruptions)**....

अध्यक्ष महोदय : हर बात की सीमा होती है। आप इस प्रकार बार-बार उठकर बोल नहीं सकते।

Shri S. M. Banerjee: I have listened carefully the speeches of the three Ministers and I am rather surprised. Mr. Bhagat has said that the prices have come down. But the prices have atleast not fallen in the market..... **(Interruptions)**.....You read the figures. I go to the market to pruchase the goods.

Then Shri Shinde has stated that prices of some goods were raised keeping in view of the national interests. Shri Barua has said that the rise in prices is necessary because it is linked with the international problems. Shri Chavan has stated that the prices of oil seeds have fallen. But we don't eat oil seeds. A committee consisting of all the parties hould be constituted to know whether the prices have fallen or not there had been steep increase in them.

Shri A. P. Sharma and other friends have said that the production should be increased. But people are finding difficulty in making both ends meet.

It has also been said that the prices have gone up also in the foreign countries. But none has referred to the comparative increase in income there. The country is facing such a serious condition despite continuous Congress rule for the last 26 years. People are losing their faith in the democratic principles. People think that this Government whold not go by discussion in the Parliament. Until the black money is there, this Government can not be changed even by votes.

I want that a Committee should be constituted to enquire into truth of this statement that prices have fallen **(Interruptions)**. Commodities are not available in the market. Since 1947 rich people have become richer and poor people have become poorer. The blackmarketeers and profiteers are not being punished. Shri S. K. Modi is still moving

freely in Delhi and he is being garlanded by the leaders. (**Interruptions**). I want that he may be garlanded in such a way that he may be strangled to death. We want that dishonest Foreign and Indian Capitalists should be punished.

The country is facing a very grave situation. As the explanations and arguments advanced by the Ministers are not at all convencing, I am not prepared to withdraw this adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अब स्थगित की जाये"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 39 विपक्ष में 132

Ayes 39 Noes 132

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

33वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 नवम्बर, 1973/22 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, November, 13, 197 Kartika 22, 1895 (Saka).

MGIPRRND—35LSS/73—Sec. Ist (N.S.)—16-1-1974—450.